

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

का


प्रतिवेदन

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 2

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार



विषय सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्याय: राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
राज्य की वित्तीय स्थिति	1.2	1
राज्य सरकार का वित्तीय परिचालन	1.3	1
निधि स्रोत व प्रयुक्ति	1.4	2
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	9
राजस्व व्यय	1.6	10
पूँजीगत व्यय	1.7	14
व्यय की गुणवत्ता	1.8	14
वित्तीय प्रबन्ध	1.9	15
लोक ऋण	1.10	18
अर्थोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्ट	1.11	20
राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचकांक	1.12	25
दूसरा अध्याय: विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण		
परिचय	2.1	34
विनियोग लेखाओं का सार	2.2	34
विनियोग लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	35
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.4	39
लोक निधि का अनुचित आहरण व उसे अनधिकृत रूप से सरकारी लेखों से बाहर रखना	2.5	39
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में व्यय व बजट नियंत्रण	2.6	40
तीसरा अध्याय: सिविल विभाग		
प्रवर्ग-क-समीक्षाएं		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन	3.1	45
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	3.2	58
ग्रामीण विकास विभाग		
ग्रामीण विकास विभाग का कार्यचालन	3.3	76


	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रवर्ग-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद		
कृषि विभाग		
मशीनरी का अविवेकपूर्ण क्रय व प्रतिष्ठापन	3.4	94
पशुपालन विभाग		
सरकारी पशुधन फार्मों का उपयोग	3.5	95
शिक्षा विभाग		
छुट्टी यात्रा, रियायत दावों का अनधिकृत भुगतान	3.6	101
वन कृषि एवं संरक्षण विभाग		
सरकार को परिहार्य हानि	3.7	102
सामान्य प्रशासन विभाग		
सरकारी वाहनों का उपार्जन व उपयोग	3.8	103
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
वाहनों का क्रय	3.9	105
निष्क्रिय उपस्कर	3.10	106
उद्योग विभाग		
फर्म को परिहार्य अधिक भुगतान	3.11	107
निधियों का अवरोधन	3.12	108
राजस्व विभाग		
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3.13	109
विकास/राहत निधि का अपवर्तन व दुरुपयोग	3.14	111
समाज और महिला कल्याण विभाग		
अपात्र जम्मू-कश्मीर प्रवासियों को नकद सहायता का भुगतान	3.15	112
पर्यटन व नागरिक विमानन विभाग		
शिमला में लक्कड़ बाजार से रिज तक लिफ्ट लगाना	3.16	114
संगीतमय फर्बारों को लगाने के लिए अनुपयुक्त कार्यस्थलों का चयन	3.17	115
शहरी विकास विभाग		
शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम	3.18	115
विविध विभाग		
दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदानों की प्रयुक्ति	3.19	123
पेंशन लाभों का दोहरा/अधिक भुगतान	3.20	129

	परिच्छेद	पृष्ठ
उत्तरदायित्व व सरकार के हित साधन को लागू करवाने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	3.21	130
दुर्विनियोग, गबन आदि	3.22	132
चौथा अध्याय: निर्माणकार्य व्यय		
प्रवर्ग-क-समीक्षाएं		
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
लघु सिंचाई स्कीमें	4.1	133
प्रवर्ग-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद		
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
संविदाओं की अविवेक प्रक्रिया के कारण परिहार्य अतिरिक्त दायित्व	4.2	146
जलापूर्ति पाईप लाइन की समय पूर्व विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय	4.3	147
विभागीय पर्यवेक्षण की कमी के कारण अधूरी उठाऊ जलापूर्ति स्कीम	4.4	148
ठेकेदार को अनुचित सहायता	4.5	149
पंजेहड़ा उठाऊ जलापूर्ति स्कीम का आवर्धन	4.6	150
लाभार्थियों को असुरक्षित पेय जल की आपूर्ति	4.7	151
लोक निर्माण विभाग		
विनिर्देश से निम्न कार्य के प्रतिग्रहण के कारण निष्फल व्यय	4.8	152
सम्पर्क मार्गों का निर्माण न करने के कारण पुलों का प्रयोग नहीं किया गया	4.9	153
पुल का निर्माण न करने के कारण सड़क पर निष्फल व्यय	4.10	153
सड़क पर सतह समतल एवं नवीनीकरण तह पर परिहार्य व्यय	4.11	154
सड़कों पर नवीनीकरण परत डालने पर परिहार्य व्यय	4.12	155
अनुचित आयोजना के कारण पुल के निर्माण पर बेकार निवेश	4.13	156
पुल की अनुचित आयोजना के कारण अतिरिक्त परिहार्य दायित्व	4.14	157
नई मुम्बई में राज्य अतिथि गृह का निर्माण-बेकार परिव्यय एवं अधिक भुगतान	4.15	158
परामर्शकारी सेवाओं पर निरर्थक व्यय	4.16	159
सड़कों के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.17	160


	परिच्छेद	पृष्ठ
पांचवां अध्याय: भण्डार एवं स्टॉक		
लोकनिर्माण विभाग		
सामग्री व्यवस्था एवं वस्तु सूची नियंत्रण (दक्षिणी अंचल)	5.1	163
मुख्य अभियन्ता द्वारा भण्डार का अन्यायोचित एवं अव्यवस्थित क्रय	5.2	168
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
जाली सामग्री का निर्गम	5.3	170
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
भण्डार में कमी	5.4	171
छठा अध्याय: स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता		
प्रवर्ग-क-समीक्षा		
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग		
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड		
जल प्रदूषण से सम्बन्धित पर्यावरण अधिनियमों व नियमावली की लेखापरीक्षा	6.1	173
प्रवर्ग-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद		
सामान्य	6.2	191
सहकारिता विभाग		
उच्च दरों से सेबों के परिवहन के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	6.3	193
परित्यक्त फल तथा सब्जी परियोजनाओं पर अपव्यय	6.4	194
चार गोदामों पर निरर्थक निवेश	6.5	196
शिक्षा विभाग		
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	6.6	197
उद्योग विभाग		
अनुदान	6.7	203
युवा सेवाएं तथा क्रीड़ा विभाग		
अनुदान	6.8	205

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	सरकारी लेखे	209
परिशिष्ट-II	अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाने वाली विवरणी	210
परिशिष्ट-III	वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधानों को दर्शाने वाली विवरणी	211
परिशिष्ट-IV	अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	212
परिशिष्ट-V	निरन्तर बचत/आधिक्य के ब्यौरे	213
परिशिष्ट-VI	मुख्य कारणों सहित पर्याप्त बचतों का विवरण	214
परिशिष्ट-VII	निधियों का अभ्यर्पण	217
परिशिष्ट-VIII	वसूलियों की मुख्य भिन्नताएँ	219
परिशिष्ट-IX	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामले	220
परिशिष्ट-X	लोक निधि को अनधिकृत रूप से सरकारी लेखे से बाहर रखने को दर्शाने वाली विवरणी	222
परिशिष्ट-XI	अदालती मामले दर्शाने वाली विवरणी	223
परिशिष्ट-XII	प्रशासनिक विभाग को बजट आकलन प्रस्तुत करने की तिथि तथा वित्त विभाग को आधिक्य/अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी को दर्शाती तालिका	224
परिशिष्ट-XIII	1996-2000 वर्षों के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न केन्द्र/राज्य योजना स्कीमों के अधीन वित्त वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरे	225
परिशिष्ट-XIV	निरीक्षणों में गिरावट दर्शाने वाली विवरणी	226
परिशिष्ट-XV	दोहरे/अधिक पेंशन लाभ भुगतानों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	227
परिशिष्ट-XVI	जून 2000 तक बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के वर्षबद्ध विवरण	231
परिशिष्ट-XVII	अपूर्ण/ठप्प-पड़ी स्कीमों के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी	232
परिशिष्ट-XVIII	निष्प्रभावी सिंचाई स्कीमों को दर्शाने वाली विवरणी	233
परिशिष्ट-XIX	सिंचाई संभाव्य की अप्रयुक्ति दर्शाने वाली विवरणी	235
परिशिष्ट-XX	उन निकायों व प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	236



1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के प्रथम व द्वितीय अध्याय 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे व विनियोग लेखे की परीक्षा से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल करते हैं।
3. शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा लोक निर्माण व सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा, भण्डार व स्टॉक लेखापरीक्षा, स्वायत्त निकायों व विभागीयरूपेण संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा से सम्बद्ध हैं।
4. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।
5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 1999-2000 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामले भी उल्लिखित हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1999-2000 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1999-2000 के वित्त एवं विनियोग लेखाओं पर दो अध्याय तथा सरकार के कतिपय चयनित कार्यक्रमों व गतिविधियों तथा वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित पाँच समीक्षाओं व 46 परिच्छेदों में निहित चार अन्य अध्याय शामिल हैं। प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों के सार इस विहंगावलोकन में निहित है।

1. राज्य वित्त की समीक्षा

- राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश वर्ष 1998-99 के 51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 70 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण प्राप्तियाँ भी 15 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में इतनी अधिक वृद्धि से कर व कर-भिन्न उपायों के माध्यम से राज्य की प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ प्रदर्शित नहीं होतीं। यह तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम की ऋण लब्धियों के क्रेडिट का परिणाम है जिन्होंने 1359.50 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 1994-2000 वर्षों के दौरान नॉन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बॉण्ड जारी किए। इन्हें मार्च 2000 में राजस्व प्राप्तियों (861.50 करोड़ रुपए) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (498 करोड़ रुपए) से ऋण की वसूली के रूप में सरकारी खाते में जमा करवाया गया था। 861.50 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ऋण की वसूली के 498 करोड़ रुपए की दोनों ही राजस्व प्राप्तियाँ नकली थीं क्योंकि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति दी थी तथा उस पर उद्भूत ब्याज दायित्व सहित ऋण परिसमाप्त करने के लिए अपेक्षित निधि भी दी थी। इसके अतिरिक्त 861.50 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे तथा 498 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का भी छिपाव हुआ।
- निधि प्रयुक्ति (5285 करोड़ रुपए) मुख्यतः राजस्व व्यय पर थी जिसका अंश 1998-99 के 74 प्रतिशत से आंशिक रूप में घटकर 1999-2000 में 72 प्रतिशत रह गया लेकिन फिर भी यह सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति के अंश (70 प्रतिशत) से अधिक था।
- राजस्व प्राप्तियों (3715 करोड़ रुपए) से राजस्व व्यय (3821 करोड़ रुपए) 106 करोड़ रुपए बढ़ गया।
- कर राजस्व राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था जबकि कर-भिन्न राजस्व इनका 28 प्रतिशत था। संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत था।
- राजस्व व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय का 87 प्रतिशत था।
- कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 1998-99 के 15 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1999-2000 में 13 प्रतिशत हो गया।
- 1995-2000 वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों व अन्य संस्थाओं को सहायता राजस्व प्राप्तियों के चार से नौ प्रतिशत तथा राजस्व व्यय के चार से आठ प्रतिशत थी।
- 1999-2000 वर्ष में एक प्रमुख तथा आठ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व पूंजीगत परिव्यय का केवल 0.046 प्रतिशत था जोकि 4.09 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कार्यचालन खर्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं था।

- 31 मार्च 2000 को 25 अपूर्ण परियोजनाएं थीं जिनमें 35 करोड़ रुपए अवरूद्ध थे।
- 31 मार्च 2000 को संग्रहणार्थ बकाया राजस्व 189 करोड़ रुपए था। ये बकाया राशियाँ वर्ष 1998-99 की तुलना में 16 प्रतिशत घट गईं।
- प्रेषण, उच्चत शेष आदि के प्रभाव द्वारा यथासमायोजित लोक ऋण में शुद्ध वृद्धि 1569.34 करोड़ रुपए थी। पूंजीगत व्यय (553.88 करोड़ रुपए) तथा विकास एवं अन्य प्रयोजनार्थ उधार (60.26 करोड़ रुपए) की पूर्ति के बाद इसने 955.20 करोड़ रुपए का अधिशेष सृजित किया। 106.25 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की पूर्ति के पश्चात् 848.95 करोड़ रुपए का अधिशेष था। वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट दायित्व (717.16 करोड़ रुपए) की पूर्ति के पश्चात् नकद शेष में 131.79 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।
- 1995-2000 वर्षों के दौरान राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण में 104 प्रतिशत, भारत सरकार से ऋण व अग्रिम में 115 प्रतिशत तथा अन्य दायित्वों में 133 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सरकार 298 दिन भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित नहीं कर पायी और उसने 81 दिन 651 करोड़ रुपए का अर्थोपाय अग्रिम, 172 दिन 1508 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट तथा 45 दिनों 627 करोड़ रुपए के कोषागार बिलों पर पुनर्छूट प्राप्त की।
- 1999-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरणार्थ तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु संसदीय 7.97 करोड़ रुपए पुलिस उपमहानिरीक्षक (बेतार) ने अनधिकृतरूपेण पुलिस निक्षेप निधि में जमा करवाए।
- भूमि के मुआवजे तथा गगल व भुन्तर हवाई अड्डों के विस्तार और बीड़ में वायु क्रीड़ा केन्द्र के निर्माण से सम्बद्ध 17.78 करोड़ रुपए पर्यटन निदेशक ने अनधिकृत रूप से युवा सेवा व क्रीड़ा निदेशक के व्यक्तिगत खाते लेखे में जमा करवाए।

(अध्याय-1)

राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचक

- नकारात्मक बी0सी0आर0 व निवेशों पर नगण्य प्रतिफल ने राज्य वित्त की ग्राह्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लगभग स्थिर करानुपात ने हालात बदतर बना लिए हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकार को बढ़े हुए उधार का सहारा लेना पड़ा जिससे इसकी समग्र ऋणग्रस्तता बढ़ी। इसी प्रकार राजस्व व राजकोषीय घाटे, दायित्व अनुपात की तुलना में कम होती हुई परिसम्पत्तियों व प्रत्याभूतियों की अधिक राशि ने राज्य वित्त को काफी कमजोर बना दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार के दायित्व सहित वित्तीय स्थिति वास्तव में उपर्युक्त सूचकों से अवलोकित स्थिति से बदतर थी जैसे कि इस प्रतिवेदन के परिच्छेद 1.11.1 (क) तथा 1.11.1 (ख) में व्याख्यायित है। ऋण के मूलधन व ब्याज दायित्व की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सम्पूर्ण बजट समर्थन देने का सरकारी निर्णय कुछ भी नहीं था बल्कि सरकार को वित्तीय संकट से उबारने के लिए इन दो संगठनों द्वारा जुटाए गए ऋणों का प्रत्यक्ष निधीयन था। उसने इन दोनों ऋणों के लिए प्रत्याभूति भी दी है। ये तथ्य गुप्त हैं और इसीलिए लेखे व बजट प्रक्रिया दोनों को ही पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। यदि अतिरिक्त निधियां राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा न की गई होतीं तथा अनियमित तरीके से ऋणों की वसूली न हुई होती तो ये घाटे कहीं अधिक होते। पर्याप्त बचत व आधिक्य, अनुमोदन की प्रतीक्षा वाली स्कीमों के लिए निधि के अनियमित प्रावधानों

के दृष्टान्त, सरकारी लेखे से बाहर रखी गई निधियों तथा निधियों का अनियमित अपवर्तन व्यय के अप्रभावी अनुश्रवण तथा नियंत्रण के द्योतक हैं। समग्ररूपेण सरकार की वित्तीय स्थिति उपर्युक्त तथ्यों के कारण काफी चिन्ताजनक कही जा सकती है।

(परिच्छेद 1.12)

2. विनियोग लेखापरीक्षा व व्यय पर नियंत्रण

- सरकार द्वारा विधानमण्डल द्वारा संस्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुरूप नियमन अपेक्षित है। 1996-2000 वर्षों में किया गया 8106.74 करोड़ रुपए का अधिक व्यय अगस्त 2000 तक नियमन हेतु शेष पड़ा था।
- 1999-2000 वर्ष के दौरान 46 मामलों में कुल 446.47 करोड़ रुपए की बचत थी। इसमें से 24 अनुदानों के 28 मामलों में से प्रत्येक में 50 लाख रुपए या अधिक की बचत थी जो कुल मिलाकर 443.81 करोड़ रुपए थी।
- वर्ष के दौरान तीन मामलों में प्राप्त कुल 1.48 करोड़ रुपए के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन मामलों में व्यय उनके मूल बजट प्रावधानों से कम था।
- 1997-2000 वर्षों में 10 अनुदानों व दो विनियोगों के 12 मामलों में पाँच से 1723 प्रतिशत की निरन्तर बचत/आधिक्य हुए।
- छः अनुदानों में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत से 3.92 करोड़ रुपए बढ़ गई। पुनः पाँच अनुदानों में 21.87 करोड़ रुपए अभ्यर्पित किए गए थे जबकि अनुदान से व्यय बढ़ गया और अभ्यर्पण हेतु कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी।
- 12 अनुदानों/विनियोगों के 34 उपशीर्षों में 5.39 करोड़ रुपए अविवेकपूर्ण रूप से पुनर्विनियोजित किए गए थे क्योंकि या तो मूल अनुदान पर्याप्त थे या फिर पुनर्विनियोजन हेतु कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी।
- छः विभागों द्वारा 1994-99 वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के निष्पादन, मुआवजे आदि के भुगतान हेतु वास्तविक आवश्यकता से पहले आहत 19.50 करोड़ रुपए में से 18.08 करोड़ रुपए (93 प्रतिशत) बैंको/डाकघरों में अप्रयुक्त पड़े थे।
- बजट नियम-पुस्तिका तथा प्रत्यय पत्र जारी करने हेतु स्कीम के प्रावधानों के विपरीत वित्त ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को संस्वीकृत बजट से 15.54 करोड़ रुपये अधिक का प्रत्यय पत्र जारी किया।
- शिमला मण्डल संख्या-I ने 'राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' के लिए मार्च 2000 में संस्वीकृत 8 करोड़ रुपये किसी विशेष प्रयोजन के बिना हिमाचल प्रदेश सड़क एवं पुल निर्माण विकास निगम के पास जमा करवा दिए और इस प्रकार इन्हें सरकारी लेखे से बाहर रखा (अगस्त 2000)।

(अध्याय-II)

3. खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम (पी०एफ०ए०) का कार्यान्वयन

उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने, जालसाजी व धोखाधड़ी से उनके हितों की रक्षा करने व उचित व्यापारिक मान्यताएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 बनाया। अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा से प्रकट हुआ कि इसमें कई कमियाँ व खामियाँ थीं जिससे मुख्य उद्देश्य अधिकांशतः अलब्ध रहे। राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी ने खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम/नियमावली के विभिन्न उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की। प्रशिक्षित तकनीकी व गैर तकनीकी जनशक्ति की कमी, लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत सभी खाद्य विक्रेताओं की अव्याप्ति, खाद्य पदार्थों के प्रतिदर्श लेने में गिरावट, राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी तथा क्षेत्र में विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण न दिए जाने व पी०एफ०ए० कार्यकलापों के अनुश्रवण जैसी खामियों ने दर्शाया कि 1995-2000 वर्षों के दौरान पी०एफ०ए० अधिनियम/नियमावली को लागू करने के लिए बहुत कम ध्यान दिया गया था। लेखापरीक्षा में ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्य निम्नांकित थे:

- खाद्य निरीक्षकों के पद तदर्थ आधार पर संस्वीकृत किए गए। राज्य में सात से 12 खाद्य निरीक्षकों की संस्वीकृत संख्या के प्रति 1995-99 वर्षों में केवल एक से पाँच नियमित निरीक्षक ही कार्यरत रहे जिससे खाद्य निरीक्षकों की निरन्तर कमी बनी रही। कण्डाघाट में संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला में लोक विश्लेषकों/वैज्ञानिकों के 24 वरिष्ठ स्तर के पदों में से 23 पद अप्रैल 1984 से रिक्त थे। इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी थी।
- 1995-2000 वर्षों के दौरान खाद्य विनिर्माताओं, थोक व खुदरा व्यापारियों के 'डाटाबेस' न तो राज्य स्तर पर राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किए गए थे और न ही किसी भी जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किए गए थे।
- यद्यपि पी०एफ०ए० नियमावली के अनुसार प्रत्येक खाद्य लाइसेंस की वैधता निर्गम तिथि की तत्काल उत्तरवर्ती तिथि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी लेकिन किसी भी लाइसेंस प्राधिकारी ने एक भी लाइसेंस उनकी समाप्ति से पहले जारी नहीं किया। इन लाइसेंसों को जारी करने में एक वर्ष में अधिकतम 12 मास का विलम्ब था। इनके विलम्बित निर्गम के लिए कभी भी कोई शास्ति प्रभाषित नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने पी०एफ०ए० नियमावली में इसके लिए कोई भी उपबन्ध समाविष्ट नहीं किया गया था।
- खानपान गृहों/दुकानों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा पी०एफ०ए० नियमावली की अपेक्षानुसार 1995-2000 वर्षों के दौरान नमूना परीक्षित किसी भी जिले में परिसर निरीक्षण की अपेक्षा पूरी नहीं की गई थी।
- पी०एफ०ए० अधिनियम/नियमावली में यथापरिकल्पित खाद्य लाइसेंस 1997-98 व 1995-96 के दौरान क्रमशः बगसड़ व रस्ती के खण्ड चिकित्सा अधिकारियों (मण्डी जिला) तथा 1999-2000 व 1995-98 के दौरान क्रमशः बिलासपुर व मण्डी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने खाद्य विक्रेताओं के पक्ष में जारी नहीं किए।
- 1995-99 के दौरान खाद्य निरीक्षकों की निरन्तर कमी के कारण प्रतिदर्श संग्रहण में 17 से 66 प्रतिशत की कमी आई। प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को एक समय में दो से चार जिलों का कार्यक्षेत्र दिया गया।

- 1995-99 वर्षों के दौरान प्रयोगशाला प्रतिवेदनों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपमिश्रित/गलत चिह्नांकित पाये गये खाद्य पदार्थ प्रतिदर्श लेने की तिथि से प्रयोगशाला प्रतिवेदनों के विश्लेषण की प्राप्ति के बीच की अवधि तक जन साधारण के बीच बेचे गए। इन पदार्थों की बिक्री को प्रतिबन्धित करने के लिए अपेक्षानुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
- संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट में जिलों से प्रतिदर्शों के न्यून अन्तः प्रवाह के कारण 1995-99 वर्षों में कर्मियों व उपस्कर एवं मशीनरी को उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता से 83 से 94 प्रतिशत कम प्रयुक्त किया गया।
- संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट में सभी परिष्कृत उपस्कर, मशीनरी व रासायनिक प्रतिकर्मक आदि के बावजूद भी अर्हता प्राप्त तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण 1995-2000 वर्षों में कृमिनाशकों के अवशिष्टों तथा कुछ जीवाणु व विष विज्ञान सम्बन्धी परीक्षणों के विश्लेषण नहीं किए गए थे।
- नमूना परीक्षित तीन जिलों में 1995-2000 वर्षों के दौरान पाए गए अपमिश्रण/गलत चिह्नांकन के 206 मामलों में से केवल 157 मामलों में ही अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई थी।
- 1995-2000 वर्षों के दौरान न तो राज्य स्तर पर पी0एफ0ए0 कार्यकलापों का कोई अनुश्रवण किया गया और न निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ही क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण किया।

(परिच्छेद 3.1)

4. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या को स्थायित्व प्रदान करना (i) परिवार नियोजन उपायों व जन्म नियन्त्रण के अस्थाई तरीकों के माध्यम से जन्म मृत्यु दर कम करना (ii) लोगों को छोटे परिवार के मापदण्ड अपनाने के लिए मनाना (iii) परिवार नियोजन उपायों को स्वीकार करने वालों के घर-द्वार ही निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं, दवाइयां, प्रोत्साहन आदि उपलब्ध करवाना था। कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा से पता चला कि 1995-2000 वर्षों के दौरान बढ़ा-चढ़ाकर प्रतिवेदित करने के बावजूद भी सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण पद्धति न अपनाने के कारण कार्यक्रम की लब्धियाँ घट गईं। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि तथा प्रभावी दम्पति संरक्षण दर में ह्रास शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा परिवार कल्याण पग अपनाने के लिए पात्र दम्पतियों की प्रेरणा का अभाव इंगित करता है। प्रसवोत्तर कार्यक्रम भी मुख्यतः सरकार द्वारा चिकित्सकों व अन्य कर्मियों के पद संस्वीकृत न करने के कारण सन्तोषप्रद रूप से नहीं चला पा रहा था। पुनः प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभाग द्वारा अन्यायपूर्ण भाव अपनाया गया। कार्यक्रम के प्रभाव को जानने के लिए इसका अनुश्रवण व मूल्यांकन नहीं किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य निम्नांकित थे:

- भारत सरकार से कार्यक्रम के क्रियान्वयनार्थ 1995-2000 वर्षों के दौरान प्राप्त 135.27 करोड़ रुपए में से 107.33 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे तथा राज्य सरकार ने शेष 27.94 करोड़ रुपए अपवर्तित कर दिए थे।

- कार्यक्रम के 83.75 लाख रुपए राज्य स्कीमों के लिए तैनात कर्मचारियों के स्थापना व्यय तथा अन्य कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त वाहनों के संचालन व अनुरक्षण के लिए अपवर्तित कर दिए गए थे।
- सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण तरकीब न अपनाये के कारण बढ़ा-चढ़ाकर दी गई रिपोर्टों के बावजूद भी परिवार कल्याण कार्यक्रम की लब्धियाँ 1995-2000 वर्षों में 13 से 46 प्रतिशत घट गई। विभिन्न परिवार कल्याण तरीकों के अन्तर्गत निष्पादन स्तर को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पास राज्य सरकार/भारत सरकार को देने के लिए सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं था। सभी चार महत्वपूर्ण मापदण्डों पर घटती हुई प्रवृत्ति के कारण कार्यक्रम को आघात पहुँचा।
- राज्य सरकार ने कोई पृथक् जनसंख्या लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत वर्ष 2000 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की लब्धि क्रूर मृत्यु दर के अलावा नहीं हुई थी।
- शिशु मृत्यु दर में वृद्धि तथा प्रभावी दम्पति संरक्षण दर में ह्रास की प्रवृत्ति थी जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर्याप्त सेवाएं उपलब्ध करवाने की द्योतक थी।
- तीन जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अभाव में 47 उपकेन्द्र छः महीने से पाँच वर्षोंपरि अवधि तक अकार्यशील रहे जिससे 0.99 लाख जनसंख्या आवश्यक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सेवाओं से महरूम रही।
- तीन जिलों में 263 स्वास्थ्य संस्थाएं (28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 235 उपकेन्द्र) उन निजी भवनों में रखी गई थी जिनमें कोई अंतरंग सुविधाएं नहीं थी।
- प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत डॉक्टरों के 70 पदों के प्रति केवल 12 पद ही संस्वीकृत किए गए तथा अर्ध चिकित्सा कर्मियों के 177 पदों तथा अन्य कर्मियों के 71 पदों के प्रति क्रमशः 67 व 43 पद ही संस्वीकृत किए गए।
- प्रत्यक्ष ग्राहियों के बन्ध्याकरण मामलों में गिरावट काफी अधिक थी जो 11 से 100 प्रतिशत थी जबकि अन्य परिवार कल्याण तरीकों में पाँच प्रसवोत्तर केन्द्रों में यह गिरावट 89 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रही।
- प्रत्येक प्रसवोत्तर केन्द्र में प्रति शय्या 75 बन्ध्याकरण मामलों के वार्षिक निष्पादन के प्रति वास्तविक बन्ध्याकरण दो से 26 मामलों के बीच रहा।
- प्रसवोत्तर केन्द्रों के अनुश्रवण व मूल्यांकन हेतु कोई समन्वय समिति गठित नहीं की गई थी।
- पुनः प्रजननशील व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त 6.72 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए विभिन्न निष्पादनाभिकरणों के पास अव्ययित व अवरूद्ध पड़े थे।

(परिच्छेद 3.2)

5. ग्रामीण विकास विभाग का कार्यालय

ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य इस समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीण निर्धनों के समग्र विकासार्थ विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना था। विभाग के

कार्यचालन की समीक्षा से पता चला कि विभाग के वित्तीय व कार्यक्रम प्रबन्ध समग्रतः दोषपूर्ण थे। समग्र वित्तीय कठिनाई के कारण राज्य सरकार द्वारा योजना सीमांकन में कटौती के बाद भी विभिन्न ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयनार्थ उपलब्ध करवाए गए संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहिचान हेतु किया गया सर्वेक्षण विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित नहीं था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा पार करने वाले परिवारों की संख्या पर कार्यक्रम के प्रभाव को जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों के स्तर पर यथाविहित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निष्पादित निर्माणकार्यों को पर्याप्त रूपेण निरीक्षित/नमूना परीक्षित नहीं किया गया था। संक्षेपतः विभाग ने सॉपे गए कार्यों का प्रभावी निर्वहन नहीं किया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नांकित थे:-

- 1994-99 वर्षों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 22.89 करोड़ रुपए का व्यय करने पर भी इस अवधि में नमूना परीक्षित चार जिलों में निर्धन परिवारों की संख्या 2.59 लाख से बढ़कर 2.86 लाख हो गयी। कार्यक्रम के प्रभाव को जानने के लिए विभाग ने गरीबी रेखा पार करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण नहीं किया।
- ट्राइसेम के अन्तर्गत 1995-99 वर्षों के दौरान प्रशिक्षित कुल 3275 युवाओं में से 58.30 लाख रुपए की लागत से प्रशिक्षित 2182 युवकों को स्वरोजगार पर नहीं लगाया गया था।
- 1.15 करोड़ रुपए की प्रक्षिप्त लागत से सितम्बर 1997 तक पूर्णता हेतु नियत विशिष्ट ट्राइसेम प्रशिक्षण केन्द्रों (ई0टी0टी0सीज) का निर्माण मई 2000 तक पूर्ण नहीं किया गया था। परिणामतः भारत सरकार ने उन आठ अन्य ई0टी0टी0 सीज को संस्वीकृत नहीं किया जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान 2.39 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ प्रेषित की गई थी।
- 1996-98 के दौरान गंगा कल्याण योजना के क्रियान्वयनार्थ 77.53 लाख रुपए में से 11 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निस्तारित 53.68 लाख रुपए अप्रयुक्त पड़े थे। ऐसा अनुपयुक्त भौगोलिक स्थिति व स्कीम के क्रियान्वयन में अन्य बाधाओं के कारण था जिनके बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार को अवगत नहीं करवाया।
- भारत सरकार द्वारा 1993-97 वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत 9.97 करोड़ रुपए की लागत की छः विशेष व प्रारम्भिक परियोजनाएँ मई 2000 तक पूर्ण नहीं की गई थी जबकि पूर्णता हेतु नियत अवधि समाप्त हो चुकी थी।
- मुख्यमंत्री उपदान स्कीम के अन्तर्गत शोकसंतप्त 1704 परिवारों को 1.68 करोड़ रुपए के भुगतान में 14 से 1071 दिवसों का विलम्ब किया गया जबकि उन्हें यह भुगतान आवेदन प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर करना था।
- विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अप्रयुक्त शेष की 15 से 25 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा के प्रति अधिक अधिनीत सीमा तथा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायता अनुदान के निस्तारण में 9.24 करोड़ रुपए की कटौती की।
- 1994-2000 वर्षों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 24 अपेक्षित बैठकों के प्रति केवल चार बैठकें ही आयोजित की गईं।

- विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों के स्तर पर विभिन्न निर्माणकार्यों के निरीक्षण/नमूना जाँच में 59 प्रतिशत से 98 प्रतिशत गिरावट आई जिसके फलस्वरूप विहित क्रियाविधि की अनुपालना नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.3)

6. लघु सिंचाई स्कीमें

राज्य सरकार ने राज्य में 3.35 लाख हेक्टेयर के सिंचाई संभाव्य का आकलन किया जिसमें 2.85 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों के लिए उपलब्ध थे। मार्च 2000 तक सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 0.89 लाख हेक्टेयर का सिंचाई संभाव्य सृजित कर लिया था। लघु सिंचाई स्कीमों की समीक्षा ने दर्शाया कि यह कार्यक्रम मास्टर प्लान के बिना अनुसरित किया गया और इसका समुचित अनुश्रवण नहीं किया गया था। इसमें काफी समय व लागत वृद्धि हुई। आकलनों की संस्वीकृति प्राप्त किए बिना स्कीमें निष्पादित की गईं और आकलनों की संस्वीकृति के बिना स्कीमों के अनुक्षण व मरम्मत पर काफी राशि खर्च की गई। सृजित सिंचाई संभाव्य की प्रयुक्त काफी कम थी और कुछ स्कीमों ने कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं की। लेखापरीक्षा में ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं:

- मण्डलों में सामग्री व व्यय का नकली लेखाबद्धता द्वारा 1.08 करोड़ रुपए प्रयुक्त दर्शाए गए थे।
- लघु सिंचाई स्कीमों के 5.40 करोड़ रुपए के ऊर्जा प्रभारों को भुगतान के स्कीमबद्ध ब्यौरों को प्रदर्शित किए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अग्रिमस्वरूप प्रदत्त किया गया था।
- स्कीमों के परिचालन व अनुक्षण पर 17.75 करोड़ रुपए या तो आंकलनों की संस्वीकृति के बिना या फिर संस्वीकृत आंकलनों से अधिक खर्च किए गए थे।
- छः मण्डलों में 428 हेक्टेयर के कृष्य क्षेत्र का सृजन नौ स्कीमों के वास्तविक समर्पण की प्रत्याशा में प्रतिवेदित किया गया था।
- 15 पूर्ण/चालू स्कीमों पर 3.20 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि तथा दो से 18 वर्ष की समयवृद्धि हुई थी।
- नौ मण्डलों ने तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना 64 स्कीमों के निष्पादन पर 18.91 करोड़ रुपए खर्च किए।
- नौ मण्डलों में 22 स्कीमों पर संस्वीकृत आंकलनों से 2.12 करोड़ रुपए अधिक व्यय किए गए।
- छः स्कीमों के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण 4.12 करोड़ रुपए का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।
- छः मण्डलों में नौ स्कीमों पर किया गया 1.36 करोड़ रुपए का व्यय अविवेकपूर्ण था क्योंकि ये या तो निष्प्रभावी हो गया था या फिर ये स्कीमों परित्यक्त कर दी गई थीं।

- 11 मण्डलों में 420 स्कीमों के सिंचाई संभाव्य की प्रयुक्ति में 63 से 90 प्रतिशत की गिरावट आई।
- 1991-98 वर्षों के दौरान 1.29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सात स्कीमों से कोई सिंचाई नहीं हुई।
- 11 मण्डलों में 7.04 लाख रुपए के आबियाना प्रभारों के निर्धारणार्थ 66.21 लाख रुपए खर्च किए गए थे लेकिन वर्ष 1976 में निर्धारित जल दरें संशोधित नहीं की गई थीं।
- लघु सिंचाई स्कीमों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया गया था ताकि लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर उनके प्रभाव को आंका जा सकता।

(परिच्छेद 4.1)

7. जल प्रदूषण से सम्बद्ध पर्यावरण अधिनियमों व नियमों की निगरानी

जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दिसम्बर 1974 में गठन किया गया था। बोर्ड के मुख्य कार्यों में नालों व कूपों के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करना, ऐसे मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना तथा मलव्यवस्था आदि के समुपचारार्थ मानक निर्धारित करना था। प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण हेतु विधानमण्डलीय अधिदेश की लब्धि नहीं की गयी थी और जल की समग्र गुणवत्ता में सुधार नहीं आया था। प्रभावी समन्वय व अनुश्रवण वाली किसी अनुवर्ती कार्यवाही व अनुपालना तन्त्र के अभाव में बोर्ड के कार्यकलाप सामान्यतः चयनित उद्योगों तक ही सीमित होकर रह गए तथा पारम्परिक कार्वनिक रद्दी पदार्थ संचित होते रहे। बोर्ड के कार्यकलापों की समीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

- 1994-99 वर्षों में अप्रयुक्त शेष 1.08 करोड़ रुपए से 3.59 करोड़ रुपए के बीच बोर्ड के पास थे। विभिन्न बैंक खातों में पड़ी अव्ययित निधि के कार्यक्रमबद्ध ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।
- राज्य में नालों व कूपों के प्रदूषण नियन्त्रणार्थ विस्तृत कार्यक्रम के आयोजन हेतु वृहत् सर्वेक्षण नहीं किया गया था। प्राविधिक उन्नयन उपलब्ध करवाने तथा विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए प्रथा संहिताओं व मार्गदर्शक सिद्धान्तों को उद्भूत करने के लिए भी घोषित नीतियों को नहीं अपनाया गया।
- विभिन्न नालों, नदियों व पहाड़ी ढलानों आदि में 1994-99 वर्षों के दौरान राज्य के औसतन 58 कस्बों में 30.04 लाख टन नगरपालिका का कचरा निरोधक उपायों व इसके पृथकरण, निपटान व प्रयुक्ति के अनुसरण के बिना डम्प किया गया था। ठोस कूड़ा व्यवस्था के लिए वर्ष 1995-96 में प्राप्त 25 लाख रुपए का अनुदान मई 2000 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा।
- 1994-99 वर्षों के दौरान जलोत्पन्न बीमारियों के 24.81 लाख मामले तथा 444 निधन हुए थे। बोर्ड देहावसान घटनाओं/जलोत्पन्न बीमारियों को कम करने के लिए अपने साविधिक दायित्वों के निर्वाह में विफल रहा।
- मल समुपचार व्यवस्था के अभाव तथा सेप्टिक टैंकों के अधिक प्रवाह के कारण 90 प्रतिशत से अधिक मल जल स्रोतों में बहाया जा रहा था जिससे 80 प्रतिशत जल स्रोत प्रदूषित हो रहे थे।

- बायो-मेडिकल कूड़ा स्वास्थ्य संस्थाओं के निकट या उसी नगर में फेंका जा रहा था और इसके निपटारे के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। बोर्ड ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे लेकिन नियमों में अपेक्षित सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए न तो संस्थाओं/परिचालकों की पहचान की गई थी और न ही बायो मेडिकल सुविधा में लगी इन संस्थाओं/परिचालकों को प्राधिकार दिया गया था।
- बोर्ड ने न तो प्रदूषक उद्योगों की कुल संख्या ज्ञात की थी और न ही वह मल व्यवस्था आदि की निकासी के लिए सहमति प्राप्त किए बिना कार्यरत इकाइयों की संख्या से अवगत था। दस प्रदूषक इकाइयाँ तथा सात परिवहन कर्मशालाएँ अपेक्षित मल-स्राव-समुपचार-संयंत्र उपलब्ध कराए बिना कार्य कर रही थी। प्रतिदर्श संग्रहणार्थ कोई बारंबारता निर्धारित नहीं की गई थी और 53 मामलों में 1996-99 वर्षों के दौरान कोई प्रतिदर्श नहीं लिए गए थे।
- बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों/स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण हेतु सांविधिक उपबन्ध प्रवृत्त नहीं किए जा रहे थे जिससे पर्यावरण लेखापरीक्षा के लक्ष्य विफल हो गए।
- 1987-99 वर्षों का 2.10 करोड़ रुपए का जलोपकर मई 2000 तक वसूल नहीं किया गया था। जनवरी 1994 व जनवरी 1999 के बीच वसूल किए गए 42.44 लाख रुपए अपेक्षानुसार भारत सरकार को प्रेषित नहीं किए गए थे। वसूली हेतु 14.60 लाख रुपए का सहमति/नवीकरण शुल्क 1987-88 से 1998-99 तक बकाया था।
- जल विद्युत परियोजनाओं से 138 करोड़ रुपए का जलोपकर वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि इसके मामले भारत सरकार द्वारा सांविधिक उपबन्धों की अनुपालना के अभाव में न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये गये थे।
- राज्य सरकार तथा आंतरिक या बाह्य अभिकरणों द्वारा जल गुणवत्ता प्रबन्ध की किसी समीक्षा के अभाव में अनुश्रवण व मूल्यांकन नहीं हुआ।

(परिच्छेद 6.1)

8. शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलनार्थ विभिन्न शहरी रोजगार सृजन स्कीमों का सूत्रपात किया। राज्य में शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

- शहरी स्थानीय निकायों ने शहरी निर्धनों को अभिज्ञात करने के लिए यथापेक्षित सर्वेक्षण नहीं करवाया।
- शहरी विकास निदेशक ने 8.71 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण राशि को स्कीमों के क्रियान्वयन पर प्रयुक्त दर्शाया लेकिन नमूना परीक्षित शहरी स्थानीय निकायों के पास अव्ययित शेष 25 से 85 प्रतिशत तक था।
- तेरह शहरी स्थानीय निकायों ने कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन करके अपने कार्यक्षेत्र से बाहर के श्रमिकों को 1.54 करोड़ रुपए के 3.18 लाख कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया।

- नमूना परीक्षित शहरी स्थानीय निकायों ने यह देखने के लिए कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया कि इकाइयाँ जीव्य थीं और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना से लाभार्थियों ने गरीबी रेखा पार कर ली थी। इस प्रकार अवनियोजित व अनियोजित शहरी युवकों को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम का लक्ष्य लब्ध नहीं हो पाया।
- शहरी विकास निदेशक ने विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वन व लाभार्थियों पर उसके प्रभाव का अनुश्रवण नहीं किया।

(परिच्छेद 3.18)

9. दसवें वित्त आयोग के प्रदत्त अनुदानों की प्रयुक्ति

दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को जिला प्रशासन/प्राथमिक शिक्षा के उन्नयनार्थ तथा विशेष समस्याओं को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए भी अनुदानस्वरूप प्रदत्त 103.24 करोड़ रुपए में से 87.08 करोड़ रुपए 1996-2000 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने निस्तारित कर दिये थे। राज्य में इन अनुदानों की प्रयुक्ति की नमूना जाँच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निष्पादन अभिकरणों को निस्तारित 88.23 करोड़ रुपए में से केवल 62.29 करोड़ रुपए प्रयुक्त किए गए थे और शेष 25.94 करोड़ रुपए मार्च 2000 तक अव्ययित पड़े थे।
- 906 टाइप I आवासों के लक्ष्य के प्रति केवल 168 आवास ही निर्मित किए गए थे। मार्च 2000 तक व्ययित 15.20 करोड़ रुपए में से 11.82 करोड़ रुपए शेष 738 अपूर्ण आवासों पर खर्च किए गए थे। दिसम्बर 1999 के प्रगति प्रतिवेदन में राज्य सरकार ने ये आवास पूर्णतः निर्मित बताए थे।
- दसवें वित्त आयोग द्वारा 80 प्रतिशत की विहित आवृत्ति के प्रति विद्यमान पाठशालाओं की संख्या की तुलना में उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में जल सुविधा की आवृत्ति प्रतिशतता मार्च 2000 को 41 थी।
- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी शिमला द्वारा विहित वित्तीय नियमावली/क्रियाविधि की अनुपालना न करने के कारण 1998-2000 वर्षों में 25.37 लाख रुपए का संदेहास्पद गबन हुआ।

(परिच्छेद 3.19)

10. सामग्री प्रबन्ध व वस्तु सूची नियंत्रण (दक्षिणी अंचल)

लोक निर्माण विभाग के दक्षिणी अंचल में सामग्री प्रबन्ध व वस्तु सूची नियंत्रण की समीक्षा से निम्नांकित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुए:

- 1997-2000 वर्षों में 22,193 टन तारकोल के उपार्जनार्थ एच0पी0ए0आई0सी0 को संचालन प्रभारों के रूप में पाँच प्रतिशत की दर से 92.84 लाख रुपए का भुगतान (दिसम्बर 1999 तक) किया गया था। यदि विभाग स्वयं तारकोल का उपार्जन करता तो यह राशि बचाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त तारकोल के उपार्जनार्थ एच0पी0ए0आई0सी0 को तथा सीमेंट के उपार्जनार्थ एच0पी0सी0एस0सी0 को संचालन प्रभार बिना किसी औचित्य के विभेदक दरों पर भुगतान किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 66.28 लाख रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

- विभाग ने एच0पी0ए0आई0सी0 के माध्यम से तारकोल उपाजित किया और उसे 77.98 लाख रुपए के सामान्य बिक्री कर का भुगतान करना पड़ा क्योंकि वह द्वितीय क्रेता बना। इससे निर्माण कार्य व्यय की वृद्धि हुई और साथ ही साथ नकली राजस्व का सृजन हुआ।
- प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए मथुरा तेलशोधक कारखाने से राज्य के विभिन्न गन्तव्य स्थलों तक तारकोल को पहुँचाने के लिए खुली निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप 1.12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुचित भुगतान हुआ।
- विभाग ने उचित सतर्कता व सख्त मितव्ययिता बरते बिना फरवरी 1997 व जून 1999 के मध्य 641 टन तारकोल पायस खरीदा जिसके फलस्वरूप 10.22 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।
- वर्ष 1999-2000 के दौरान सीमेंट की आपूर्ति हेतु दर संविदा शर्तों के क्रियान्वयन में विभाग व एच0पी0सी0एस0सी0की विफलता के फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को 56.30 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।
- रामपुर मण्डल में एक पुल के निर्माणार्थ मार्च 1997 में उपाजित 15.49 लाख रुपए की सामग्री मार्च 2000 तक अप्रयुक्त पड़ी थी।

(परिच्छेद 5.1)

11 निधि अवरोधन

- अवैध कब्जे से मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना व आरम्भ में विद्युत आवश्यकता के अनुचित निर्धारण से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को निधि प्रदान करने के उद्योग निदेशक के अविवेकपूर्ण निर्णय से 1.64 करोड़ रुपए 1994-95 वर्ष से अवरूद्ध रहे।

(परिच्छेद 3.12)

- मनाली व धर्मशाला में दो संगीत फव्वारों के प्रतिष्ठापनार्थ पर्यटन एवं सिविल विमानन निदेशक द्वारा अनुपयुक्त स्थलों के चयन के कारण 26.43 लाख रुपए अवरूद्ध रहे और 1.70 लाख रुपए का अपव्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.17)

12 निधि अपवर्तन

- स्थानीय जिला आयोजना, सेक्टरबद्ध विकेन्द्रीकृत आयोजना व आपदा राहत कार्यों के 2.65 करोड़ रुपए सिरमौर के उपायुक्त ने संयुक्त उपायुक्त कार्यालय भवन के निर्माण तथा काँगड़ा, मण्डी, सिरमौर व सोलन के उपायुक्तों ने नए निर्माणकार्यों के लिए अपवर्तित कर दिए थे जो कि मार्गदर्शन सिद्धान्तों के विरुद्ध था।

(परिच्छेद 3.14)

13. व्ययों की अलाव

- पालमपुर मण्डल में 55.85 लाख रुपए की लागत से प्रतिष्ठापित 92 हैण्ड पम्पों के माध्यम से लाभार्थियों को 43 से 108 मास तक असुरक्षित पेय जल की आपूर्ति की गई।
(परिच्छेद 4.7)
- राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, जोगेन्द्र नगर द्वारा 94.34 लाख रुपए की लागत से बैजनाथ लड-भरोल कण्डापत्तन सड़क (मण्डी जिला) व पठानकोट-चक्की मण्डी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 20) पर थाना खड्ड व द्रंग नाले पर क्रमशः अप्रैल 1997 व मार्च 1999 में पूर्ण किए गए दो पुलों को प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि उपगम मार्ग निर्मित नहीं किए गए थे।
(परिच्छेद 4.9)
- दुनाली से ब्रेही (चम्बा जिला) तक जीपयोग्य सड़क के संरक्षण में पड़ने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ब्रेही नाले के ऊपर 20.49 लाख रुपए की लागत में निर्मित पुल का उपयोग नहीं हुआ।
(परिच्छेद 4.13)

14. निष्फल व्यय/अपव्यय

- रंगरीक समदों सड़क (लाहौल-स्पीति जिला) पर ताबों नाले के ऊपर स्टील ट्रस पुल के विनिर्दिष्ट स्तर से कम के निर्माणकार्य की स्वीकृति तथा विभाग द्वारा फर्म को किए गए अधिक भुगतान के कारण 48.01 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त अभिप्रेत लाभ भी प्राप्त नहीं हुए क्योंकि पुल 13 वर्षोंपरि अवधि तक अपूर्ण रहा।
(परिच्छेद 4.8)
- वन भूमि के प्रयोगार्थ भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना व निजी भूमि अधिगृहीत किए बिना चार मण्डलीय अधिकारियों ने छः अपूर्ण सड़कों पर 81.37 लाख रुपए खर्च किए तथा इसीलिए व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।
(परिच्छेद 4.17)
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन व उपभोक्ता संघ अनुमोदित आयोजना के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन में विफल रहा जिसके फलस्वरूप 92.17 लाख रुपये का अपव्यय हुआ।
(परिच्छेद 6.4)

15. अप्रयुक्त उपस्कर

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 39 लाख रुपये के उपस्कर बेकार पड़े थे।
(परिच्छेद 3.10)

16. अन्य रुचिकर तथ्य

- नई पौध रोपण हेतु 1985-94 वर्षों के मध्य खरीदी गई/प्रयोग की गई कंटीली तार को पुनः पुरानी पौध रोपण से निकाल कर नई पौध रोपण में प्रयुक्त करने के लिए कोई सुस्पष्ट नीति न होने के कारण कुनिहार, राजगढ़, नाहन, नूरपूर, देहरा व मण्डी वन मण्डलों ने यह तार पुनः प्राप्त नहीं की जिससे सरकार को 1.73 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.7)

- दर संविदा की शर्तों के अक्रियान्वयन के कारण 1.53 करोड़ रुपए का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ और एक फर्म की अनुचित सहायता हुई।

(परिच्छेद 3.11)

- उपमण्डलीय अधिकारी (सिविल), कांगड़ा ने 1991-2000 वर्षों में जम्मू-कश्मीर के अपात्र विस्थापितों को 48 लाख रुपए की नकद सहायता दी।

(परिच्छेद 3.15)

- 1997-2000 वर्षों के दौरान 12 विभागों के 31 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने दोहरे बिल बनाकर या अधिकृत राशि से अधिक के बिल बनाकर पेंशन सम्बन्धी लाभों के 12.97 लाख रुपए का दोहरा/अधिक भुगतान किया।


(परिच्छेद 3.20)

- मुख्य अभियन्ता (केन्द्रीय अंचल) ने अप्रैल-दिसम्बर 1999 के दौरान 1.04 करोड़ रुपए मूल्य की आठ मदों के क्रयार्थ आदेश दिया। इसमें से 31.55 लाख रुपए की भण्डार सामग्री के क्रयादेश बिना किसी आवश्यकता के तथा 10.71 लाख रुपए के आदेश मण्डलों से प्राप्त आवश्यकता से अधिक किए गए।

(परिच्छेद 5.2)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन



पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन

1.1 परिचय

यह अध्याय वित्त लेखे में निहित सूचना के आधार पर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को विवेचित करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार की प्राप्तियों व व्यय, व्यय की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रबन्ध की प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में सरकार की वित्तीय क्षमता के विश्लेषण पर भी एक प्रवर्ग निहित है जो कि वित्त लेखे में निहित सूचना व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अन्य सूचना के आधार पर विकसित कतिपय अनुपातों व सूचकांकों पर आधारित है। इस अध्याय में प्रयुक्त कतिपय संकल्पनाएं परिशिष्ट-I में व्याख्यायित हैं।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखाकरण पद्धति अचल परिसम्पत्तियों अर्थात् शासन के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों आदि का विस्तृत लेखाकरण नहीं करती है लेकिन सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों व उसके द्वारा वहन किए गए व्यय में से सृजित परिसम्पत्तियों को अवश्यमेव उजागर करते हैं। प्रदर्शन-I (पृष्ठ 3) 31 मार्च 1999 की तदनुरूपी स्थिति के साथ-साथ 31 मार्च 2000 को दायित्वों और परिसम्पत्तियों का सार देता है। इस विवरणी के दायित्वों में मुख्यतः वह धन सम्मिलित होता है जिसमें राज्य सरकार देनदार होती है जैसे कि आन्तरिक उधार, भारत सरकार से ऋण व अग्रिम, लोक लेखे व आरक्षित निधियों से प्राप्तियां हैं और परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। प्रदर्शन-I प्रदर्शित करता है कि 1999-2000 के दौरान दायित्व आठ प्रतिशत बढ़ गए जबकि परिसम्पत्तियां नौ प्रतिशत बढ़ी।

1.3 राज्य सरकार का वित्तीय परिचालन

1.3.1 प्रदर्शन-II (पृष्ठ.4-5) राज्य सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों के ब्यौरे देता है। वर्ष में राजस्व प्राप्तियों (3715 करोड़ ₹) से राजस्व व्यय (3821 करोड़ ₹) बढ़ गया जिससे 106 करोड़ ₹ का राजस्व घाटा हुआ लेकिन इसे परिच्छेद 1.11.1 (क) एवं (ख) की विवेचनाओं के परिप्रेक्ष्य में अवलोकित किया जाना है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (620 करोड़ ₹), कर-भिन्न राजस्व (1056 करोड़ ₹), संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश (921 करोड़ ₹) तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (1118 करोड़ ₹) शामिल थे। कर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री, व्यापार आदि कर (38 प्रतिशत), राज्य आबकारी (32 प्रतिशत) तथा माल व यात्री कर (17 प्रतिशत) थे।

कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ (15 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाएं (77 प्रतिशत) शामिल थीं।

1.3.2 प्रेषण, उच्चत शेष आदि के प्रभाव से यथासमायोजित लोक ऋण में निवल वृद्धि 1569.34 करोड़ ₹ थी। इससे पूंजीगत व्यय (553.88 करोड़ ₹), विकासात्मक व अन्य प्रयोजनों के लिए उधार (60.26 करोड़ ₹) की पूर्ति के पश्चात् 955.20 करोड़ ₹ का अधिशेष सृजित हुआ। 106.25

करोड़ ₹ के राजस्व घाटे की पूर्ति के पश्चात् 848.95 करोड़ ₹ का अधिशेष था। इस वर्ष 717.16 करोड़ ₹ के अधिविकर्ष दायित्व की पूर्ति के पश्चात् नकद शेष में 131.79 करोड़ ₹ की वृद्धि थी।

1.3.3 राज्य सरकार की प्राप्तियों व व्यय से सम्बद्ध वित्तीय परिचालन प्रदर्शन-II में निहित सूचना तथा प्रदर्शन-IV (पृष्ठ 7) में प्रस्तुत 1995-96 से 1999-2000 तक के पांच वर्षों के समय श्रृंखला आंकड़ों के संदर्भ में निम्नांकित परिच्छेदों में विवेचित हैं।

1.4 निधि स्रोत व प्रयुक्ति

1.4.1 प्रदर्शन-III (पृष्ठ 6) चालू व पिछले वर्ष में निधि स्रोतों व प्रयुक्ति की स्थिति देता है। मुख्य निधि स्रोत सरकार की राजस्व प्राप्तियां, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां, लोक ऋण व लोक लेखे की प्राप्तियां हैं। ये मुख्यतः राजस्व व पूंजीगत व्यय एवं विकासार्थ उधार पर व्यवहृत की गई थीं। यह स्पष्ट होगा कि राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार की निधि का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनका सापेक्ष अंश 1998-99 के 51 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 70 प्रतिशत हो गया और ऋणों व अग्रिमों की वसूली का अंश वर्ष 1998-99 के 0.06 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 1999-2000 में 10 प्रतिशत हो गया लेकिन लोक लेखे की निवल प्राप्तियां मुख्यतः आरक्षित निधि, उचन्त एवं विविध तथा प्रेषण लेनदेनों में ह्रास के कारण वर्ष 1998-99 के 686.32 करोड़ ₹ से काफी घटकर वर्ष 1999-2000 में (-)159.45 करोड़ ₹ हो गई। लोक ऋण प्राप्तियां 15 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई।

1.4.2 ये निधियां मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए व्यवहृत की गई थी जिनका अंश कुल उपलब्ध निधि के 74 प्रतिशत से घटकर 72 प्रतिशत रह गया लेकिन वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (70 प्रतिशत) के अंश से काफी अधिक रही। इससे निश्चित रूप से राजस्व घाटा हुआ। वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि कुल उपलब्ध निधि में से पूंजीगत व्यय 13 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गया जबकि विकासार्थ उधार दो प्रतिशत से एक प्रतिशत रह गया।

प्रदर्शन - II
31 मार्च 2000 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सांराशित वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपए)		(करोड़ रूपए)			
दायित्व		परिसम्पत्तियां			
31 मार्च 1999 को राशि	दायित्व	31 मार्च 2000 को राशि	31 मार्च 1999 को राशि	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2000 को राशि
889.58	आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	1719.81	4240.34	सकल पूंजीगत परिस्यय	4794.22
482.21	ब्याज वाले बाजार ऋण	702.32		कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1104.77
0.17	ब्याजरहित बाजार ऋण	0.17		अन्य पूंजीगत व्यय	3689.45
88.61	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	402.37	709.94	ऋण व अग्रिम	239.44
9.04	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	8.74		ऊर्जा ऋण	61.65
81.55	राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	124.69		अन्य विकास ऋण	86.79
39.72	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	50.64		सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	91.00
129.21	अन्य संस्थाओं से ऋण	371.88	5.52	उच्चत एवं विविध शेष अग्रिम	348.00
59.07	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	59.00	0.10		0.16
2697.24	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	3065.04	13.83	नकद	19.31
79.51	1984-85 से पहले वाले ऋण	72.26		कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	19.02
2128.65	आयोजनेतर ऋण	2167.96		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.24
424.92	राज्य योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	506.28		नकद शेष निदेश लेखे	0.05
0.49	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	0.48	1799.50	सरकारी लेखे में घटा	1905.75
52.55	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	51.36		31 मार्च 1998 तक संचित घटा	1785.43
11.12	अर्थापय अग्रिम	266.70		जोड़ें	
5.00	आकस्मिकता निधि	5.00	1022.33	(i) चालू वर्ष का घटा	106.25
1467.80	लघु बजट, भविष्य निधियां आदि	1746.13	4.50	(ii) आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत समायोजित शुद्ध राशि	5.00
373.58	जमा	404.27	9.57	(iii) समायोजन	9.07
793.56	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	76.40		(iv) विविध सरकारी लेखे	⊗
196.59	आरक्षित निधियां	92.47			
212.13	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	85.82			
133.75	प्रेषण शेष	111.94			
6769.23	योग:	7308.88	6789.23	योग:	7308.68

❖ वर्ष 1999-2000 के वित्त लेखे के विवरण सं0 14 के अनुसार सरकारी लेखे पर राजस्व घाटा 1891.68 करोड़ रू था। 14.07 करोड़ रू के अन्तर की व्याख्या निम्नांकित है:

	करोड़ रूपए
7810-अन्तरराज्य समायोजन शीर्ष में समायोजित प्रगामी राशि	1.43
8680-विविध सरकारी लेखा के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	0.14
निदर्श समायोजित शुद्ध राशि	7.50
आकस्मिकता निधि में समायोजित शुद्ध राशि	5.00
जोड़	14.07

⊗ केवल 1649 रूपए

प्रदर्शन-II
वर्ष 1999-2000 की प्राप्ति एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रूपए)

प्राप्तियाँ						संवितरण					
1998-99			1999-2000			1998-99			1999-2000		
						योजनागत	आयोजनेतर			आयोजनेतर	योजनागत
प्रवर्ग-क-राजस्व						I-राजस्व व्यय					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2311.93	I राजस्व प्राप्ति		3715.29	1088.04	25.09	1062.95	(क) सामान्य सेवाएं		1419.77	27.86	1447.63
572.03	(ii) कर-राजस्व		620.27	1264.76			(ख) सामाजिक सेवाएं				1376.35
205.49	(ii) कर-भित्त राजस्व		1056.24		241.38	442.24	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति		464.53	356.53	
727.33	(iii) संगीय करों व शुल्कों में सव्यांश		920.98		103.98	132.20	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		134.86	112.97	
61.96	(iv)-आयोजनेतर अनुदान		36.93		103.34	113.31	जलापूर्ति, स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास		93.49	70.87	
642.78	(V) राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		950.26		2.90	3.97	सूचना एवं प्रसारण		4.28	4.13	
102.34	(vi) केन्द्रीय व केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		130.61		8.40	2.44	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		2.59	6.28	
1022.33	II प्रवर्ग ख को ले जाया गया राजस्व घटा		106.25		3.82	8.68	श्रम व श्रम कल्याण		8.80	2.89	
					40.91	54.09	सामाजिक कल्याण व पोषाहार		65.17	45.86	
					0.65	2.45	अन्य		2.36	0.72	
					966.68		(ग) आर्थिक सेवाएं				978.46
						213.19	कृषि व सम्बद्ध गतिविधियाँ		196.83	207.10	
						52.86	ग्रामीण विकास		20.29	55.50	
						23.14	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		24.08	24.41	
						6.09	ऊर्जा		92.04	3.69	
						55.70	उद्योग व सनिज		4.99	64.53	
						15.49	परिवहन		194.22	12.61	
						1.56	विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण		---	0.90	
						92.45	सामान्य आर्थिक सेवाएं		8.50	59.77	
					14.78	14.78	(घ) सहायता अनुदान व अंशदान		2.85	16.25	19.10
							II- प्रवर्ग ख को ले जाया गया राजस्व अधिशेष				---
3334.26			3821.54	3334.26					2748.65	1072.89	3821.54
	प्रवर्ग-ख-अन्य						III भारतीय रिजर्व बैंक से उच्च ओवरड्राफ्ट				793.58
(-) 701.35	III स्थाई अग्रिम व नकद शेष निवेश लेखे आदि सहित आदि नकद शेष	(-) 198.30					IV पूंजीगत परिव्यय				
	IV विविध पूंजीगत प्राप्ति			21.22	21.22		सामान्य सेवाएं			33.78	33.78
				177.69			सामाजिक सेवाएं				200.85
						17.51	शिक्षा, क्रीडा, कला व संस्कृति			16.03	
						21.36	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			27.14	
						136.53	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास			156.52	
						0.26	सूचना एवं प्रसारण			0.06	
						1.41	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			0.83	
						0.50	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार			0.26	
						0.12	अन्य			0.11	

✱ ये शुद्ध आंकड़े हैं जिनमें राजस्व व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

2000 का प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					384.62				आर्थिक सेवाएँ		319.15
						9.69	(-) 0.03		कृषि व सफाई गतिविधियाँ	(-) 3.44	15.66
						0.05			ग्रामीण - विकास		0.02
						42.72			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		48.72
						135.40			ऊर्जा		2.75
						0.81			उद्योग व रहनेवाले		0.39
						189.85			परिवहन		250.32
						6.13			सामान्य आर्थिक सेवाएँ		4.73
					583.63-6				कुल पूंजीगत परिवर्तन	(-) 3.44	527.32
											583.63-6
23.29	V. ऋण व अधिभोग की वसूली		530.76	84.93					V संचालित ऋण व अधिभोग		60.26
	7.05 ऋण से	498.00			48.98				ऊर्जा को		2.43
	16.52 सरकारी कर्मचारियों से	18.32			20.08				सरकारी कर्मचारियों को		37.72
	5.72 अला से	14.44			15.87				उपभोग को		20.11
	VI नीचे लाया गया राजस्व घाटा			1022.33					VI नीचे लाया गया राजस्व घाटा		106.25
1388.69	VII लोक ऋण इत्यादि		2126.89	704.02					VII लोक ऋण से चुकी हुई		928.86
	357.47 अग्रोब्या अग्रिम व ओवरड्रफ्टों को फ्रेडरकर आंतरिक ऋण	858.69			16.82				अग्रोब्या अग्रिम व ओवरड्रफ्टों को फ्रेडरकर आंतरिक ऋण		28.39
	564.91 अग्रोब्या अग्रिम	660.68			539.51				अग्रोब्या अग्रिम		650.65
	466.31 केंद्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	617.62			147.69				केंद्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम को चुकी हुई		249.82
	VIII आकस्मिकता निधि को विनियोग			4.00					VIII आकस्मिकता निधि में विनियोग		
4.00	IX आकस्मिकता निधि को हस्तांतरित धन								IX आकस्मिकता निधि से धन		
4054.33	X लोक सेवा प्राप्ति		4931.84	3368.07					X लोक सेवा संचालन		5091.29
	516.51 सपु बजट, बचिव्य निधि आदि	610.54			246.38				सपु बजट, बचिव्य निधि आदि		332.21
	144.90 आरक्षित निधि	6.00			51.96				आरक्षित निधि		110.12
	1763.33 जमा व अग्रिम	1906.42			134.62				जमा व अग्रिम		419.80
	167.93 उपभोग व विधिवत	77.32			1523.25				जमा व अग्रिम		1875.79
	1461.72 ड्रेषन	2331.66			1411.86				ड्रेषन		2353.37
793.56	XI भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम ओवरड्रफ्ट		78.40	(-) 198.30					XI जमा में नकद ड्रेषन		(-) 66.51
						13.45			कोषागारों व सहाय्य ड्रेषन में नकदी		19.02
						0.24			स्वाई अग्रिम सॉल्व्ड विभागीय नकद ड्रेषन		0.24
						(-) 212.13			रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 85.82	
						0.14			नकद ड्रेषन विदेश		0.05
5568.58			7467.59	6548.58							7467.59

ये शुद्ध आंकड़े हैं जिनमें पूंजीगत व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियाँ शामिल नहीं हैं।

प्रदर्शन III

स्रोत व निधि प्रयुक्ति

		(करोड़ रुपए)
1998-99	स्रोत	1999-2000
2311.93	1. राजस्व प्राप्तियां	3715.29
29.29	2. ऋणों व अग्रिमों की वसूली	530.76
684.67	3. ओवरड्राफ्ट को छोड़कर लोक ऋणों में वृद्धि	1198.03
4.00	4. आकस्मिकता निधि में वृद्धि	-
686.32	5. लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियां	(-) 159.45
270.13	लघु बचत, भविष्य निधि में वृद्धि	278.33
240.08	जमा व अग्रिमों में वृद्धि	30.63
(+) 92.93	आरक्षित निधि में वृद्धि (-)/ हास (+)	(-) 104.12
33.32	उचन्त व विविध लेन देनों का शुद्ध प्रभाव	(-) 342.48
49.86	प्रेषण लेन देनों का शुद्ध प्रभाव	(-) 21.81
793.56	6. ओवरड्राफ्ट में वृद्धि	
4509.77	कुल	5284.63

1998-99	प्रयुक्ति	1999-2000
3334.26	1. राजस्व व्यय	3821.54
84.93	2. विकास व अन्य प्रयोजनों के लिए उधार	60.26
583.53	3. पूंजीगत व्यय	553.88
-	4. ओवरड्राफ्ट में हास	717.16
4.00	5. आकस्मिक निधि को विनियोग	-
503.05	6. इति नकद शेष में वृद्धि	131.79
4509.77	जोड़	5284.63

प्रदर्शन-I,II व III की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. पूर्वगामी विवरणियों के सारांशित लेखे वित्त लेखे की विवेचना व व्याख्या के साथ पढ़े जाने हैं।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकदाधार पर होने के कारण प्रदर्शन-I में प्रदर्शित सरकारी खातों का घाटा वाणिज्यिक लेखापद्धति में प्रोदभूत आधार के विपरीत नकदाधार पर स्थिति दर्शाते हैं। परिणामतः भुगतानयोग्य या प्राप्य मर्दे या मूल्य हास या स्टॉक आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मर्दे इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।
3. उचन्त एवं विविध शेष जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए बैंक राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं। उचन्त व विविध के अन्तर्गत शेष 1998-99 के 5.52 करोड़ ₹ (डेबिट) से बढ़कर 31 मार्च 2000 को 348 करोड़ ₹ (डेबिट) हो गए थे।
4. लेखाओं में प्रदर्शित व रिजर्व बैंक के पास जमा के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों में 76.91 करोड़ ₹ (शुद्ध क्रेडिट) का असमायोजित अन्तर था। 76.60 करोड़ ₹ (शुद्ध डेबिट) के अन्तर का समाधान हो चुका था 0.31 करोड़ ₹ का अन्तर का समाधान प्रतीक्षित था (मई 2000)।

* भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार से लिए गए अर्थापय अग्रिम सहित।

प्रदर्शन IV राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आंकड़े

(करोड़ रूपए)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
खण्ड क. प्राप्तियां					
I. राजस्व प्राप्तियां	1754	1992	2170	2312	3715
(क) कर प्राप्तियां	342 (19)	412 (21)	476 (22)	572 (25)	620 (17)
बिक्री, व्यापार आदि कर	123 (36)	146 (35)	171 (36)	197 (34)	233 (38)
राज्य आबकारी	105 (31)	133 (32)	159 (34)	185 (33)	199 (32)
वाहन कर	12 (4)	14 (4)	16 (3)	17 (3)	28 (4)
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	14 (4)	15 (4)	19 (4)	22 (4)	25 (4)
विद्युत कर व शुल्क	18 (5)	19 (5)	7 (2)	28 (5)	♦
भू-राजस्व	1 (-)	6 (1)	2 (-)	1 (-)	6 (1)
माल व यात्री कर	46 (13)	65 (16)	97 (20)	115 (20)	105 (17)
पदार्थों व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	23 (7)	14 (3)	5 (1)	7 (1)	24 (4)
(ख) कर-भिन्न राजस्व	117 (7)	147 (7)	222 (10)	206 (9)	1056 (28)
(ग) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	400 (23)	440 (22)	651 (30)	727 (31)	921 (25)
(घ) भारत सरकार से सहायता अनुदान	895 (51)	993 (50)	821 (38)	807 (35)	1118 (30)
II. पूंजीगत प्राप्तियां	348	477	892	937	1787
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	--	--
बाजार उधार*	56 (16)	77 (16)	112 (13)	357 (38)	859 (48)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	186 (53)	336 (71)	716 (80)	366 (39)	179 (10)#
अन्य प्राप्तियां	106 (31)	64 (13)	64 (7)	214 (23)	749 (42)
खण्ड ख. व्यय	2235	2499	3240	3918	4375
I. राजस्व व्यय	1904 (85)	2147 (86)	2699 (83)	3334 (85)	3821 (87)
योजनागत	560 (29)	651 (30)	842 (31)	1006 (30)	1073 (28)
आयोजनेतर	1344 (71)	1496 (70)	1857 (69)	2328 (70)	2748 (72)
सामान्य सेवाएं	624 (33)	703 (33)	842 (31)	1088 (33)	1447 (38)
आर्थिक सेवाएं	566 (30)	649 (30)	852 (32)	967 (29)	978 (26)
सामाजिक सेवाएं	710 (37)	790 (37)	994 (37)	1265 (38)	1376 (36)

♦ केवल 21 लाख रूपए

* भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष छोड़कर।

भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम छोड़कर।

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
सहायता अनुदान व अंशदान	4	5	11	14	20
ब्याज भुगतान	285	313	372	498	597
राजस्व की बकाया राशि (राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता)	137 (8)	155 (8)	170 (8)	224 (10)	189(5)
स्थानीय निकायों आदि की वित्तीय सहायता	154	132	205	175	167
प्रदत्त ऋण व अग्रिम	66	81	151	85	60
II. पूंजीगत व्यय	331 (15)	352 (14)	541 (17)	584 (15)	554 (13)
योजनागत	329 (99)	353 (100)	544 (100)	584 (100)	557 (100)
आयोजनेतर	2 (1)	(-) 1	(-) 3	—	(-) 3
सामान्य सेवाएं	16 (5)	18 (5)	20 (4)	21 (4)	34 (6)
आर्थिक सेवाएं	219 (56)	218 (62)	377 (69)	385 (66)	319 (58)
सामाजिक सेवाएं	96 (29)	116 (33)	144 (22)	178 (30)	201 (36)
खण्ड ग. घाटा					
राजस्व घाटा	150	155	529	1022	106
राजकोषीय घाटा	521	572	1202	1662	189
समग्र घाटा(-)/ अधिशेष (+) (वास्तविक आंकड़े)	(+) 207	(-)121	(-) 557	(+)503	(+) 132
खण्ड घ. अन्य आंकड़े					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद [≠]	6350	7256	8175	9258	10462
बकाया कर्जे (वर्षान्त)	3266	3700	4337	6418	7104
ब्याज सहित बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त)	798	989	1634	1869	1886
वर्षान्त में प्रत्याभूति राशि	1464	1643	2357	2507	2897
अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	उ0न0	114	87	39	25
अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	उ0न0	108	58	42	35

नोट: कोष्ठकों में प्रदत्त आंकड़े प्रतिशत (पूर्णांकन) दर्शाते हैं।
उ0न0 उपलब्ध नहीं।


≠ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। 1999-2000 के आंकड़े 13 प्रतिशत की औसत वृद्धि पर संगणित किए गए हैं।

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्तियों पर कर तथा कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। उनका सापेक्ष अंश आकृति-I में प्रदर्शित है। राजस्व प्राप्तियों में 1999-2000 तक के चार वर्षों में 7 तथा 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1999-2000 में राजस्व प्राप्तियां 1998-99 के स्तर से 61 प्रतिशत बढ़ी लेकिन राजस्व प्राप्ति राशि (कर-भिन्न राजस्व) में 861.50 करोड़ ₹ की वृद्धि परिच्छेद 1.11.1 (क) तथा (ख) में दी गई विवेचनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी है।

1.5.2 कर राजस्व

आकृति-I
राजस्व प्राप्तियां 1999-2000
(करोड़ रूपए)



ये राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत अंश है। 1998-99 के 20 प्रतिशत से कर राजस्व प्रस्फुटन में ह्रास के कारण 1998-99 के 25 प्रतिशत से घटकर इनका अंश 1999-2000 में 8 प्रतिशत रह गया। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि बिक्री, व्यापार कर आदि व राज्य आबकारी का सापेक्ष अंशदान 1998-99 के 67 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 70 प्रतिशत हो गया लेकिन विद्युत कर व शुल्क एवं यात्री व माल कर का अंशदान 1998-99 की ऐसी प्राप्तियों से 1999-2000 में काफी घट गया था। यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने संगृहीत विद्युत शुल्क को सरकार को प्रेषित नहीं किया था जो कि 1999-2000 वर्ष के लिए 24 करोड़ ₹ आकलित किया गया था।

1.5.3 कर-भिन्न राजस्व

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम से अग्रिमरूपेण वन रॉयल्टी से प्राप्ति से निधि के असामान्य प्रवाह, ब्याज प्राप्तियों आदि में वृद्धि के कारण कर-भिन्न प्राप्तियों में असामान्य उछाल के कारण ये प्राप्तियां 1998-99 के 9 प्रतिशत के प्रति सरकार की राजस्व प्राप्तियों के 28 प्रतिशत थीं। इन पर लेखापरीक्षा विवेचना परिच्छेद 1.11.1 (क) व (ख) में संदर्भित हैं।


1.5.4 संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान संघीय करों व शुल्कों (उत्पाद शुल्क व आय एवं निगम कर) में राज्यांश 27 प्रतिशत बढ़ गया लेकिन राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 1998-99 के 31 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 25 प्रतिशत हो गया। 1995-2000 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का औसतन 67 प्रतिशत संघीय करों व शुल्कों में राज्य के अंश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के कारण था जबकि 1999-2000 वर्ष में ऐसी प्राप्तियों में 505 करोड़ ₹ की वृद्धि के बावजूद भी इसका अंशदान गिरकर 55 प्रतिशत रह गया।

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 राज्य सरकार के कुल व्यय में से अधिकांश व्यय* (87 प्रतिशत) राजस्व व्यय था और यह 1999-2000 में गत वर्ष से 15 प्रतिशत बढ़ गया जैसे कि प्रदर्शन-IV में प्रदर्शित है। यद्यपि आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि दर 104 प्रतिशत थी लेकिन योजनागत राजस्व व्यय में वृद्धि 1995-2000 में 92 प्रतिशत थी जैसे कि आकृति 2 से स्पष्ट है। आयोजनेतर व्यय में वृद्धि को सरकार ने मुख्यतः ब्याज भुगतान में वृद्धि (99.32 करोड़ ₹), पेंशन संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान (222.76 करोड़ ₹) तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान (88.39 करोड़ ₹) से सम्बद्ध किया।

आकृति 2
योजनागत व आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि
(करोड़ रूपए)



(करोड़ रूपए)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
योजनागत	560	651	842	1006	1073
आयोजनेतर	1344	1496	1857	2328	2748

1.6.2 सेक्टरबद्ध विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि यद्यपि सामान्य सेवाओं पर व्यय 1995-96 के 624 करोड़ ₹ से 132 प्रतिशत बढ़कर 1999-2000 में 1447 करोड़ ₹ हो गया लेकिन सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं पर व्यय में तदनुसारी वृद्धि क्रमशः 94 व 73 प्रतिशत थी। राजस्व व्यय के

* राजस्व व्यय+पूजीगत व्यय

अनुपातस्वरूप 1995-2000 में सामान्य सेवाओं का अंश औसतन 34 प्रतिशत रहा। 1995-96 में सामाजिक सेवाओं का अंश 37 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 36 प्रतिशत हो गया तथा आर्थिक सेवाओं का अंश 1995-96 के 30 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 26 प्रतिशत हो गया।

1.6.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 1995-96 के 285 करोड़ ₹ से सीधे 109 प्रतिशत बढ़कर 1999-2000 में 597 करोड़ ₹ हो गए। इसे वित्तीय सूचकों वाले प्रवर्ग में पुनः विवेचित किया गया है।

1.6.4 स्थानीय निकायों व अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1999-2000 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायता की मात्रा निम्नवत् थी:-

(करोड़ रूपए)					
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
विश्वविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	36.63	30.06	66.60	56.16	68.84
नगर निगम व नगर पालिकाएं	11.20	12.06	31.75	23.52	16.77
जिला परिषद व पंचायती राज संस्थाएं	2.08	11.18	20.45	18.76	20.57
विकास अभिकरण	9.76	24.98	48.68	49.30	21.94
अस्पताल एवं अन्य दातव्य संस्थाएं	3.42	4.17	3.89	0.37	0.11
अन्य संस्थाएं	91.01	49.75	33.40	26.61	39.20
जोड़	154.10	132.20	204.77	174.72	167.43
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/हास (-) की प्रतिशतता	(+) 149	(-) 14	(+) 55	(-) 15	(-) 4
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में सहायता	9	7	9	8	4
राजस्व व्यय पर सहायता की प्रतिशतता	8	6	8	5	4

1998-99 की तुलना में 1999-2000 में स्थानीय निकायों व अन्य को वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत घट गई। 1995-2000 में स्थानीय निकायों व अन्य को दी गई सहायता राजस्व प्राप्ति का 4 से 9 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय का 4 से 8 प्रतिशत थी।

1.6.5(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम

सरकार विकासात्मक व अविकासात्मक क्रियाकलापों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, अशासकीय संस्थाओं आदि को ऋण व अग्रिम देती है। गत पांच वर्षों की प्रदत्त स्थिति नीचे प्रदर्शित करती है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान विद्युत परियोजनाओं (ऊर्जा) के अन्तर्गत 498 करोड़ ₹ के ऋण की चुकौती के कारण अन्तिम शेष 48 प्रतिशत कम है

जिसे परिच्छेद 1.11.1 (क) की विवेचनाओं सहित पढ़ा जाए।

(करोड़ रूपए)					
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
अथशेष	416.37	456.15	521.53	654.30	709.94
वर्ष में प्रदत्त राशि	65.67	81.41	151.04	84.93	60.26
वर्ष में चुकता की गई राशि	25.89	16.03	18.27	29.29	530.76
अन्तिम शेष	456.15	521.53	654.30	709.94	239.44
निवल वृद्धि/कमी(-)	39.78	65.38	132.77	55.64	(-) 470.50
प्राप्त ब्याज	4.55	3.17	3.48	4.36	158.13

ऋण, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारी रखते हैं, 31 मार्च 2000 को अग्रिमस्वरूप दिए गए ऋणों के प्रति वसूली हेतु जिसकी जिस सीमा तक सूचना प्राप्त हुई थी, अतिदेय कुल राशि ब्याज के 1.94 करोड़ ₹ सहित 3.08 करोड़ ₹[▲] थी। बकाया राशि का भाग सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी समितियों को ऋण से सम्बद्ध था।

1.6.5 (ख) बकाया पड़े ऋण व अग्रिम

राज्य सरकार के उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम, 1968 (औद्योगिक ऋण) तथा भूमि विकास अधिनियम, 1973 (भू-संरक्षण ऋण) के उपबन्धों के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण व अग्रिम दिए।

लाभार्थियों को प्रदत्त ऋणों को शासित करने वाले नियमों में अपेक्षित है कि ऋण प्राप्तकर्ता ऋण राशि के बराबर की सम्पत्ति/सृजित/समुपचारित भूमि को गिरवी रखेगा और प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्ता के खाते अनुरक्षित करके ये ऋण सात से 15 वर्ष में वसूल कर लिए जाएंगे। ऋण या ब्याज की अतिदेय किस्तों की चुकौती में दोषी रहने पर शास्तिक ब्याज (2 प्रतिशत) वसूल किया जाना था जो भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में प्राप्य था। तीन विभागों¹ के निदेशालयों में यह पाया गया कि उनके पास बकाया ऋणों के वर्षबद्ध ब्यौरे व मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं थी जबकि 1950-97 वर्षों में 2.84 करोड़ ₹ के ऋण दिए गए थे और 3.03 करोड़ ₹ का ब्याज भी प्रोद्भूत हो गया था जिससे 31 मार्च 2000 तक ब्याज सहित बकाया ऋण संचित होकर 5.87 करोड़ ₹ हो गए थे।

[▲] 12 विभागों की सूचना प्रतीक्षित थी (अगस्त 2000)

¹ कृषि, उद्यान व उद्योग

तीन जिलों² में इन तीन विभागों अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी-मई 2000) से निम्नांकित तथ्यों का उद्घाटन हुआ:-

(क)(i) 1950-97 वर्षों के दौरान प्रदत्त 0.81 करोड़ ₹ के ऋण संचित होकर 1.82 करोड़ ₹ हो गए थे और ये दिसम्बर 1999 तक बकाया³ पड़े थे जैसे कि नीचे सारणीकृत हैं-

क्र०	विभाग का नाम	मामलों की संख्या	ऋणों की श्रेणी	31 दिसम्बर 1999 को बकाया राशि		अभ्युक्तियाँ
				मूलधन	ब्याज	
				(करोड़ रुपए)		
1.	उद्योग	793	औद्योगिक ऋण	0.12	0.35	(i) 1957-94 वर्षों में प्रदत्त 0.53 करोड़ ₹ के ऋण के 4644 मामलों में दिसम्बर 1999 तक एक भी किस्त वसूल नहीं की गई थी।
		322	सुरक्षित अंश ऋण	0.18	0.21	
2.	कृषि	6579	भू-संरक्षण	0.43	0.40	(ii) 3881 मामलों में आंशिक ऋण वसूल हुए, लेकिन 0.28 करोड़ ₹ अभी भी बकाया थे।
3.	उद्यान	831	औद्योगिक कार्यकलाप	0.08	0.05	
	योग	8525		0.81	1.01	

(ii) 195 मामलों में उद्योग विभाग द्वारा 1957-94 वर्षों में प्रदत्त 16.15 लाख ₹ के ऋण संस्वीकृत प्रयोजनों पर प्रयुक्त नहीं किए गए थे जिससे ऋणों का दुरुपयोग हुआ।

(iii) 202 मामलों में लाभार्थियों की भूमि उपरजिस्ट्रार के पास बंधक नहीं रखी गई थी जिससे 5.78 लाख ₹ (मूलधन: 3.24 लाख ₹ ; ब्याज: 2.54 लाख ₹) की वसूली नहीं हुई। बंधक विलेख न बनाने के कोई खास कारण नहीं दिए गए थे।

(iv) वर्ष 1993 में उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी, मण्डी के दो खण्ड⁴ सरकारघाट के एस0डी0एस0सी0ओ0 को हस्तान्तरित किए गए थे लेकिन मण्डी से ऋणियों के खाते व व्यक्तिगत फाइलें हस्तान्तरित नहीं की गई जिस कारण 10 लाख ₹ के ब्याज सहित 12.60 लाख ₹ के ऋणों की वसूली नहीं हुई।

आहरण व संवितरण अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मई 2000) कि प्रधानों, विधायकों व सांसदों की सिफारिश पर दिए गए ऋणों के मामले में वसूली की धीमी गति/विलम्ब (i) कृषकों की गरीब

² कांगड़ा, मण्डी व शिमला

³

आवधिकता	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
15 वर्षोंपरि	1,231	0.14
10 वर्षोंपरि लेकिन 15 वर्ष से कम	590	0.08
5 वर्षोंपरि लेकिन 10 वर्ष से कम	2,977	0.12
5 वर्ष से कम	3,727	0.47
जोड़	8,525	0.81

⁴ चौतड़ा तथा सुन्दरनगर

आर्थिक हालत (ii) कृषकों की भूमि की अनुचित रूप से बन्धक रखने (iii) अपर्याप्त स्टॉफ (iv) ऋणियों के देहावसान (v) प्रतिभू/प्रत्याभूति प्राप्त न करने के कारण था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि ऋण व अग्रिमों की वसूली होनी थी। चूकों के कारण ऋण व ब्याज तथा उनकी वसूली न होने की सम्भावनाओं के अम्बार लग गए।

(ख) लाभार्थियों को ऋण देने के अतिरिक्त उद्यान निदेशक ने 1979-99 वर्षों के दौरान कृषि औजारों, हथियार कारखानों, शीत भण्डारों, बैंक दायित्वों को परिसमाप्त करने व फलोत्पादकों के भुगतान की डीफ्रे करने हेतु दो निगमों⁵ को 12.64 करोड़ ₹ का ऋण दिया। ये ऋण एक मास से 12 वर्ष तक की अवधि में वसूल किए जाने थे। 3.24 करोड़ ₹ मार्च 1996 तक के ब्याज सहित कुल ऋण संचित होकर 15.88 करोड़ ₹ हो गए। इसमें से 2.18 करोड़ ₹⁶ मार्च 1984 से मार्च 1989 के बीच वसूल कर लिए गए थे। 13.70 करोड़ ₹ (मूलधन: 10.46 करोड़ ₹; ब्याज 3.24 करोड़ ₹) की शेष राशि में से मार्च 1985 व मार्च 1997 में वसूल होने वाले 9.24 करोड़ ₹⁷ (मूलधन: 6 करोड़ ₹; ब्याज 3.24 करोड़ ₹) दिसम्बर 1999 तक वसूल नहीं हो पाए। एच0पी0ए0आई0सी0 व एच0पी0एम0सी0 के प्रबन्ध निदेशकों ने इन ऋणों को शेयर पूंजी/इक्विटी में बदलने तथा ब्याज माफ करने के प्रस्ताव सरकार को भेजे (फरवरी-मार्च 1995) जिन्हें अप्रैल 1995 में अस्वीकृत कर दिया गया। उद्यान निदेशक ने पुनः यह मामला सरकार के पास भेजा (अगस्त 1997) जो कि अगस्त 2000 तक निर्णीत नहीं हो पाया।

यह मामला अगस्त 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

1.7 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय से परिसम्पत्ति सृजन होता है। इसके अलावा वित्तीय परिसम्पत्तियां सरकार से बाहर की संस्थाओं या उपक्रमों अर्थात् लोक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों तथा ऋणों व अग्रिमों आदि में निवेशित धन से बढ़ती है। 1998-99 में पूंजीगत व्यय 8 प्रतिशत तक बढ़ गया लेकिन 1999-2000 में यह 5 प्रतिशत घट गया। 1999-2000 में कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय 1998-99 के 15 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 13 प्रतिशत हो गया। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि अधिकांश पूंजीगत व्यय आर्थिक व सामाजिक सेवाओं पर तथा योजनागत पक्ष में हुआ।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 सरकार विभिन्न कार्यकलापों पर धन खर्च करती है जो कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों के विनियमन कार्यों तक होता है। सरकारी व्यय मोटे तौर पर योजनागत एवं आयोजनेतर तथा राजस्व व पूंजीगत में वर्गीकृत किया जाता है। योजनागत व पूंजीगत व्यय सामान्यतः परिसम्पत्ति सृजन से सम्बद्ध होता है जबकि आयोजनेतर व राजस्व व्यय को स्थापना, अनुरक्षण सेवाओं पर हुए व्यय के साथ अभिज्ञात किया जाता है। अतएव सामान्य परिभाषा में योजनागत व पूंजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में अंशदायी माना जा सकता है।

1.8.2 सार्वजनिक अपव्यय, निधि अपवर्तन तथा अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधि भी पर्याप्त रूपेण व्यय की गुणवत्ता पर असर डालेगी। इसी प्रकार व्ययस्वरूप लेखाबद्ध करने पर लोक लेखे में निक्षेप

⁵ एचपीएआईसी: 1.67 करोड़ ₹ तथा एचपीएमसी: 10.97 करोड़ ₹

⁶ एचपीएआईसी: 0.05 करोड़ ₹ तथा एचपीएमसी: 2.13 करोड़ ₹

⁷ एचपीएआईसी (मूलधन: 1.62 करोड़ ₹, ब्याज: 0.69 करोड़ ₹) तथा एचपीएमसी (मूलधन: 4.38 करोड़ ₹, ब्याज: 2.55 करोड़ ₹)

शीर्ष में हस्तान्तरित निधि भी व्यय की गुणवत्ता में निर्णायक समझी जा सकती है। चूंकि व्यय वास्तव में सम्बद्ध वर्ष में नहीं किया गया, अतः उसे उस वर्ष के व्ययों से निकाल देना चाहिए। आर्थिक व सामाजिक सेवाओं के प्रतिकूल सामान्य सेवाओं के व्यय में वृद्धि एक अन्य संभावी सूचक है।

1.8.3 निम्नांकित तालिका इन द्योतकों की प्रवृत्ति की सूची दर्शाती है।

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1. प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय					
-राजस्व व्यय	29	30	31	30	28
- पूंजीगत व्यय	99	100	100	100	100
2. पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	15	14	17	15	13
3. सामान्य सेवाओं पर व्यय					
-पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	5	5	4	4	6
-राजस्व व्यय (प्रतिशतता)	33	33	31	33	38
4. नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पता लगे अपव्यय व निधि अपवर्तन की राशि (करोड़ रूपए)	7	9	1	5	86
5. अपूर्ण परियोजनाओं पर अपारिश्रमिक व्यय (करोड़ रूपए)	उ०न०	108	58	42	35

यह देखा जाएगा कि राजस्व की तरफ योजनागत व्यय का अंश 1998-99 के 30 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 28 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय का अंश 1995-96 के 15 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 13 प्रतिशत रह गया।

1.9 वित्तीय प्रबन्ध

सरकार में वित्तीय प्रबन्ध का मुद्दा कार्यक्षमता, मितव्ययिता, प्रभावशीलता व उसके राजस्व व व्यय क्रियाकलापों से सम्बद्ध होना चाहिए। इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्याय इन मुद्दों से सम्बद्ध हैं और विशेषकर नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित सरकार के व्यय से सम्बद्ध हैं। कुछ अन्य ऐसे परिमाण इस प्रवर्ग में विवेचित हैं जिन्हें लेखाओं तथा सरकार की अन्य सम्बद्ध वित्तीय सूचना से पृथक किया जा सकता है।

1.9.1 निवेश व प्रतिफल

निवेशों के सैक्टरबद्ध ब्यौरे व सम्बद्ध प्रतिष्ठानों की संख्या निम्नांकित थी:-

सैक्टर	प्रतिष्ठानों की संख्या	निवेशित पूंजी	
		31.03.1999 को	1999-2000 के दौरान
(करोड़ रूपए)			
सांविधिक निगम/बोर्ड	6	437.92	14.34
सरकारी कम्पनियां	20	478.62	107.20
संयुक्त स्टॉक कम्पनियां	14	0.10	--
सहकारी संस्थाएं	22	56.02	10.57
योग	62	972.66	132.11

विगत पांच वर्षों में निवेशों तथा लाभांश व ब्याज के माध्यम से वसूल किए गए प्रतिफलों के ब्यौरे निम्नांकित थे:-

वर्ष	वर्षान्त में निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल की प्रतिशतता	सरकारी उधार पर ब्याज दर
(करोड़ रूपए)				
1995-96	644.89	0.11	0.017	14
1996-97	722.84	0.54	0.074	13.85
1997-98	858.38	0.24	0.028	13.75/13.05
1998-99	972.66	0.54	0.055	12.50
1999-2000	1104.77	0.59*	0.053	11/12.25

इस प्रकार यद्यपि सरकार बाजार से उच्च दरों पर उधार ले रही थी लेकिन सरकारी कम्पनियों में उसके निवेश से खास प्रतिफल प्राप्त नहीं हुए।

1.9.2 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2000 के अन्त में 67.96 करोड़ ₹ के पूंजीगत परिव्यय वाली एक मुख्य तथा आठ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 1999-2000 में इनसे वसूल किया गया राजस्व (3.12 लाख ₹) पूंजीगत परिव्यय का केवल 0.046 प्रतिशत था जो कि सीधे कार्यचालन खर्चों (4.09 करोड़ ₹) के लिए भी पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन व अनुरक्षण व्यय (4.09 करोड़ ₹) की पूर्ति के बाद इन स्कीमों में 4.06 करोड़ ₹ की शुद्ध हानि हुई।

1.9.3 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2000 को 25 अपूर्ण परियोजनाएं थी जिनमें 35 करोड़ ₹ अवरूद्ध थे। 31 मार्च 1999 (ब्यौरे प्रदर्शन IV में हैं) की तुलना में यह स्थिति सुधार ली गई थी।

1.9.4 बकाया राजस्व

1998-99 की बकाया राशियों की तुलना में इस वर्ष के दौरान संग्रहणार्थ बकाया राजस्व 16 प्रतिशत घट गया था। बकाया राजस्व 1995-2000 (प्रदर्शन IV) में राजस्व प्राप्तियों के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच था। मार्च 2000 तक 189 करोड़ ₹ की बकाया राशि में से 17.87 करोड़ ₹ (9 प्रतिशत) पांच वर्षोंपरि लम्बित थे और मुख्यतः माल व यात्री कर (0.57 करोड़ ₹), बिक्री, व्यापार कर आदि (14.94 करोड़ ₹), उद्योग (0.59 करोड़ ₹) तथा पुलिस (1.38 करोड़ ₹) से सम्बद्ध थे।

1.9.5 घाटा

1.9.5.1 सरकारी लेखाओं में घाटा आय व व्यय के बीच आए अन्तर को प्रकट करता है। घाटे की प्रकृति सरकार की वित्तीय प्रबन्ध प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अलावा घाटे को वित्तपोषित करने के तरीके तथा इस ढंग से जुटाई गई निधि की प्रयुक्ति सरकार की वित्तीय बुद्धिमता की महत्वपूर्ण परिचायक है। इस प्रवर्ग की विवेचना घाटे की तीन संकल्पनाओं अर्थात् राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे व प्राथमिक घाटे से सम्बद्ध है।

* वित्त लेखे की विवरण संख्या 13 के अनुसार घोषित लाभांश 0.47 करोड़ ₹ थे। 0.12 करोड़ ₹ का अन्तर समाधानाधीन था।

1.9.5.2 राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे को राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) पर राजस्व व पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतानों को कम करके राजकोषीय घाटा है। निम्नांकित प्रदर्शन सरकारी लेखे में घाटे का विवरण प्रस्तुत करता है:-

(करोड़ रूपए)				
समेकित निधि				
प्राप्ति	राशि		संवितरण	राशि
राजस्व	3715	राजस्व घाटा: 106	राजस्व	3821
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	—		पूंजी	554
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	531		ऋणों व अग्रिम संवितरण	60
उप-योग	4246	सकल राजकोषीय घाटा: 189	उप-योग	4435
लोक ऋण	3635		लोक ऋण चुकौती	3154
योग	7881	क: समेकित निधि पर अधिशेष: 292		7589
लोक लेखा				
लघु, बचत, भविष्य निधि आदि	610		लघु, बचत, भविष्य निधि आदि	332
निक्षेप एवं अग्रिम	1906		निक्षेप एवं अग्रिम	1876
आरक्षित निधियां	6		आरक्षित निधियां	110
उचन्त एवं विविध	77		उचन्त एवं विविध	420
प्रेषण	2332		प्रेषण	2353
कुल लोक लेखा	4931	ख: समेकित निधि द्वारा वित्त पोषित लोक लेखे में घाटा: 160	कुल लोक लेखा	5091
नकद शेष में वृद्धि (क-ख): 132				

यह तालिका प्रदर्शित करती है कि 106 करोड़ ₹ का राजस्व घाटा ऋणों व अग्रिमों की निवल वसूली से पूरा किया गया। 189 करोड़ ₹ का राजकोषीय घाटा लोक ऋण की निवल लब्धियों द्वारा वित्तपोषित किया गया।

प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में राजस्व घाटे में पर्याप्त कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों में 61 प्रतिशत में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ और इसके प्रति इस वर्ष राजस्व व्यय में केवल 15 प्रतिशत वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों (150 करोड़ ₹), एच0पी0एस0एफ0सी0 आदि से पहले ही वन सॉयल्टी की प्राप्ति (656 करोड़ ₹) तथा

संघीय करों व शुल्कों में अंश व सहायता अनुदान (505 करोड़ ₹) के कारण थी। राजकोषीय घाटे में इस वर्ष पर्याप्त कटौती मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं (ऊर्जा) के अन्तर्गत 498 करोड़ ₹ के ऋण की वसूली के कारण थी। इन वसूलियों को परिच्छेद 1.11.1 (क) व (ख) के साथ पढ़ा जाए।

राजस्व घाटा 1999-2000 के राजकोषीय घाटे का 56 प्रतिशत था।

1.9.5.3 उधार ली गई निधि की प्रयुक्ति (राजकोषीय घाटा)

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल निवल उधार को प्रकट करता है। ये उधार राजस्व घाटे की पूर्ति, पूंजीगत व्यय करने तथा विकासात्मक व अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निकायों को ऋण देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इन प्रयुक्तियों का सापेक्षिक अनुपात राज्य सरकार की वित्तीय बुद्धिमत्ता व उसके कार्यकलापों की ग्राह्यता को इंगित करेगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिए सतत उधार दीर्घकला में ग्राह्य नहीं होगा। निम्नांकित तालिका हिमाचल प्रदेश सरकार की विगत पांच वर्षों की स्थिति दर्शाती है।

अनुपात	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	0.29	0.27	0.44	0.62	0.56
पूंजीगत व्यय/ राजकोषीय घाटा	0.64	0.62	0.45	0.35	2.93
निवल ऋण/ राजकोषीय घाटा	0.07	0.11	0.11	0.03	(-) 2.49
कुल	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

यह अवलोकित होगा कि वर्ष 1997-2000 में उधार ली गई अधिकाधिक निधियां राजस्व व्यय की पूर्ति पर प्रयुक्त हुईं। परिच्छेद 1.11.1 (क) व (ख) की विवेचनाओं के परिप्रेक्ष्य में 1999-2000 के अनुपात यथार्थ नहीं हैं।

1.9.6 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा जुटाए गए ऋणों व शेषर पूंजी की चुकौती जैसे कुछ दायित्वों के निर्वहन तथा उनके द्वारा ब्याज भुगतान व न्यूनतम लाभांश के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतियां दी जाती हैं। वे राज्य की आकस्मिक देयताएं होती हैं। राज्य के विधानमण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अन्तर्गत कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया है जिसमें राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा प्रत्याभूतियां देने की अधिकतम सीमा निर्धारित हो। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि 1996-2000 में सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की राशियां 1464 करोड़ ₹ से बढ़कर 2897 करोड़ ₹ (98 प्रतिशत वृद्धि) हो गईं। प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया पड़ी राशियां भी बढ़ गई थीं। 1999-2000 में 19.20 लाख ₹ गारण्टी कमीशन के रूप में प्राप्त हुए थे जबकि 31 मार्च 2000 को चार सरकारी कम्पनियों से वसूली हेतु 18.84 लाख ₹ का गारण्टी कमीशन बकाया था।

1.10 लोक ऋण

1.10.1 भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि कोई राज्य अपने विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा, यदि है, के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकता है। राज्य विधानमण्डल द्वारा ऐसी सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया गया था। विगत पांच वर्षों के अन्त में राज्य सरकार के कुल दायित्वों के ब्यौरे निम्नांकित

तालिका में दिए गए हैं। इन पांच वर्षों में सरकार के कुल दायित्व 117 प्रतिशत बढ़ गए थे। यह आन्तरिक ऋण में 104 प्रतिशत, भारत सरकार से ऋण व अग्रिमों में 115 प्रतिशत तथा अन्य दायित्वों में 133 प्रतिशत वृद्धि के कारण था। 1999-2000 में सरकार ने 11.00 प्रतिशत तथा 12.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दरों पर मुक्त बाजार से 229.18 करोड़ ₹ उधार लिए थे।

(करोड़ रूपए)						
वर्ष	आन्तरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व*	कुल दायित्व (ऋण)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात*
1995-96	880	1425	2305	961	3266	0.51
1996-97	842	1715	2557	1143	3700	0.51
1997-98	523	2379	2902	1435	4337	0.53
1998-99	1683	2697	4380	2038	6418	0.69
1999-2000	1796	3065	4861	2243	7104	0.68

1.10.2 लोक ऋण से जुटाई गई निधि, चुकौती की राशि तथा उपलब्ध निवल निधि निम्नांकित तालिका में प्रदत्त हैं-

(करोड़ रूपए)					
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्तरिक ऋण#					
-प्राप्ति	56	77	112	357	859
-चुकौती (मूलधन + ब्याज)	47	52	66	86	141
-उपलब्ध निवल निधि	9 (16)	25 (32)	46 (41)	271 (76)	718 (84)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम♦					
-वर्ष में प्राप्ति	186	336	716	366	179
-चुकौती (मूलधन + ब्याज)	199	225	273	380	429
-उपलब्ध निवल निधि	(-) 13 (-7)	111 (33)	443 (62)	(-) 14 (-4)	(-) 250 (-) 140

* अन्य दायित्वों में लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां व निक्षेप आदि शामिल हैं।

♦ सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े बदलने के कारण गत वर्ष से भिन्न है।

ये बाजार से उधार तथा संस्थागत उधार को प्रकट करते हैं जिनमें अर्थोपाय अग्रिम व भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष शामिल नहीं है।

♦ भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम छोड़कर।

(करोड़ रूपए)					
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
अन्य दायित्व					
-वर्ष में प्राप्ति	1113	1446	2119	2298	2389
-चुकौती + प्रदत्त ब्याज	1059	1342	1919	1798	2299
-उपलब्ध निवल निधि	54 (5)	104 (7)	200 (9)	500 (22)	90 (4)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

यह स्पष्ट होगा कि भारत सरकार से उधार व अन्य दायित्वों के लिए चुकौती दायित्व पूरा करने पर बहुत कम उधार निवेश व अन्य व्यय के लिए बचा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक उधार के माध्यम से निधि की निवल उपलब्धता घटती ही जा रही थी कि वर्षानुवर्ष बकाया ऋण बढ़ रहा था।

1.11 अर्थोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार ने सभी दिवसों पर 1 मार्च 1999 से 55 लाख ₹ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बैंक के पास रखना था। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम सीमा से गिर जाए तो कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा करना था। इसके अलावा यथावश्यक होने पर बैंक द्वारा विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी दिए जाते हैं। अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने का मतलब सरकार की पावती व खर्च में सही तालमेल नहीं था। नकद शेष में कमी की पूर्ति के लिए भारत सरकार के कोषागार बिलों पर भी पुनर्छूट दी जाती है।

राज्य सरकार ने 1995-2000 वर्षों में निम्नांकित सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा:

वर्ष	उन दिवसों की संख्या जिनमें न्यूनतम शेष रखा गया		ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने वाले दिनों की संख्या	उन दिवसों की संख्या जिनमें भारत सरकार के खजाना बिलों पर पुनर्छूट दी गई
	अग्रिम प्राप्त किए बिना	अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके		
1995-96	130	23	14	199
1996-97	122	21	10	212
1997-98	135	34	9	187
1998-99	108	81	38	138
1999-2000	67	81	172	45

राज्य सरकार द्वारा 1995-96 से 1999-2000 तक लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों व ओवरड्राफ्टों तथा उनके ऊपर प्रदत्त ब्याज के ब्यौरे नीचे सारणीकृत थे:-

(करोड़ रूपए)					
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
(1) अर्थोपाय अग्रिम					
(i) वर्ष में लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	51.95	88.23	218.05	564.91	650.58
(ii) वर्षान्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	16.87	33.67	33.67	59.07	59.00
(iii) प्रदत्त ब्याज	0.10	0.10	0.24	0.74	3.29
(2) ओवरड्राफ्ट					
(i) वर्ष में पुनर्छूट प्राप्त बिलों की राशि	807.67	435.48	1428.88	1724.76	1508.41
(ii) वर्षान्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	546.25	420.94	—	793.56	76.40
(iii) प्रदत्त ब्याज	0.71	1.04	0.73	1.49	3.40
(3) भारत सरकार खजाना बिलों की पुनर्छूट					
(i) वर्ष में पुनर्छूट प्राप्त बिलों की राशि	1207.75	1417.80	2824.53	1532.18	627.28
(ii) वर्षान्त में बकाया राशि	—	—	—	—	—
(iii) प्रदत्त ब्याज	9.48	9.30	2.06	2.26	0.92

1.11.1 (क) राजस्व प्राप्तियां बढ़ाना तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जुटाए गए ऋणों के माध्यम से ऋणों की वसूली

ऋण राशियों को प्राप्ति लेखाशीर्षों में जमा करने के फलस्वरूप 205.46 करोड़ ₹ की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि तथा 498 करोड़ ₹ के ऋणों की वसूली हुई।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध 31 मार्च 1995, 31 मार्च 1996, 31 मार्च 1998 तथा 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों के 1.9.4, 1.9.4, 1.10 (क) और 1.11.1 (क) परिच्छेदों में कठिन वित्तीय स्थिति पर काबू पाने तथा राज्य की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से ऋण जुटाने का उल्लेख किया गया था।

राज्य सरकार के निदेशनों पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने नॉन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बॉण्ड जारी करके 1994-2000 वर्षों में 899.83 करोड़ ₹ के ऋण जुटाए। राज्य सरकार ने जमानत दी और ब्याज दायित्व सहित इन ऋणों के परिसमापनार्थ निधि दी। इन ऋण राशियों को अर्थोपाय स्थिति मजबूत करने के लिए 8448-स्थानीय निधि निक्षेप-ब्याज वहन न करने वाले निक्षेप-107 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 1994-2000 वर्षों में सरकारी खाते में रखा गया।

पुनः यह पाया गया कि सरकार के निदेश पर सरकारी खाते (8448-स्थानीय निधि निक्षेप) में जमा ऋण राशि में से 703.46 करोड़ ₹ सरकार के अवर सचिव विद्युत ने 29 मार्च 2000 को 0801-विद्युत-06-मुफ्त बिजली सॉयल्टी (53.18 करोड़ ₹), 0049 ब्याज प्राप्तियां-190-06 हिमाचल प्रदेश

राज्य विद्युत बोर्ड को ऋणों पर ब्याज (152.28 करोड़ ₹) तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-01-सामान्य प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (498 करोड़ ₹) में जमा करवा दिया गया था।

इस प्रकार राज्य सरकार के बजट समर्थन से 205.46 करोड़ ₹ की ऋण राशि को राजस्व प्राप्तिस्वरूप 0801-मुफ्त बिजली रॉयल्टी (53.18 करोड़ ₹) तथा 0049-ब्याज प्राप्ति शीर्ष (152.28 करोड़ ₹) में जमा करने के फलस्वरूप अपने एक लोक क्षेत्र उपक्रम को धन जुटाने में लगाकर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई और राज्य के भावी बोझ होने से इससे 1999-2000 में इतनी राशि के राजस्व घाटे का छिपाव हुआ।

इसके अलावा ऋण राशि में से 498 करोड़ ₹ 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में जमा करने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ऋणों की वसूली में वृद्धि हुई क्योंकि राज्य सरकार ने 1999-2000 में इतनी राशि के राजस्व घाटे के छिपाव के अतिरिक्त बजट समर्थन भी प्रदान किया था।

यह मामला अगस्त 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2000)।

1.11.1(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा जुटाए गए ऋणों के माध्यम से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध 31 मार्च 1997, 31 मार्च 1998 व 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों के 1.10.3, 1.10 (ख) तथा 1.11.1 परिच्छेदों में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (एच0पी0एस0एफ0सी0) के माध्यम से अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान हेतु ऋण जुटाने का उल्लेख किया गया था।

सरकार के कहने पर एच0पी0एस0एफ0सी0 ने 1996-2000 वर्षों में नॉन-स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बॉण्ड्स जारी करके 659.63 करोड़ ₹ के ऋण जुटाए। बॉण्ड विवरणों के अनुसार एच0पी0एस0एफ0सी0 ने राज्य की वन सम्पदा के वैज्ञानिक व प्रभावी प्रबन्ध तथा सिल्वीकल्चरल कटान व इमारती लकड़ी आदि के निस्सारण के लक्ष्य से संसाधन जुटाने थे। इसकी बजाय एच0पी0एस0एफ0सी0 ने राज्य सरकार के निदेशानुसार 1996-2000 में यह राशि 8448-स्थानीय निधि निक्षेप-120 अन्य निधियां, एच0पी0एस0एफ0सी0 के निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी खाते में जमा करवा दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एच0पी0एस0एफ0सी0 को अग्रिम रॉयल्टी जमा करवाने के निदेश दिए जबकि सरकार व एच0पी0एस0एफ0सी0 के मध्य हुए मानक अनुबन्ध में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त न तो अग्रिम रॉयल्टी भुगतान किए जाने वाले वनोत्पाद के निस्सारण/प्रयुक्ति के ब्यौरे संगणित किए गए थे और न ही अग्रिम रॉयल्टी की आकलित राशि निकालने के ब्यौरे ही उपलब्ध थे। राज्य सरकार ने प्रत्याभूति दी और मूलधन की चुकौती सहित ब्याज व अन्य दायित्वों के लिए बजट समर्थन भी दिया। इस प्रकार 1996-2007 के दौरान एच0पी0एस0एफ0सी0 को राज्य सरकार ने ब्याज दायित्व (608.93 करोड़ ₹) तथा मूलधन की चुकौती (659.63 करोड़ ₹) के लिए 1268.56 करोड़ ₹ का भुगतान करना था।

यह पाया गया कि 659.63 करोड़ ₹ के ऋण में से 656.04 करोड़ ₹ प्रमुख अरण्यपाल ने 31 मार्च 2000 को 0406-वन एवं वन्य प्राणी-01-वानिकी-101-इमारती लकड़ी की बिक्री प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा करवा दिए।

चूँकि बॉण्ड विवरणिका में सूचीबद्ध लक्ष्यों के आधार पर ये बॉण्ड इच्छुक पार्टियों ने अभिदत्त किए थे, अतः बॉण्ड की बिक्री लब्धि सरकारी खाते में जमा करवाकर एच0पी0एस0एफ0सी0 ने ऋण की शर्तों का उल्लंघन किया और इस सीमा तक बॉण्ड धारकों को गुमराह किया। इसके अलावा अग्रिम रॉयल्टी की राशि संगणित करने के तरीके भी अभिलेखों में मौजूद नहीं थे। इन परिस्थितियों में ऋण लब्धियों की प्रयुक्ति तथाकथित अग्रिम रॉयल्टी के लिए कुछ भी नहीं थी बल्कि सरकार की ओर से अपनी अर्थोपाय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनधिकृत कार्रवाई थी।

इसके अलावा राज्य सरकार ने मूलधन व ब्याज दायित्व की पूर्ति हेतु ऋण राशि के लिए प्रत्याभूति व बजट समर्थन प्रदान किया है। इस कृत्य से सरकार ने 1999-2000 में राजस्व घाटे के छिपाव के अतिरिक्त राज्य पर भावी बोझ लाद दिया है।

यह मामला अगस्त 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2000)।

1.11.2 (i) पुलिस निक्षेप निधि का अनुचित संचालन

हिमाचल प्रदेश को यथाप्रयोज्य पंजाब पुलिस नियमावली में परिकल्पित है कि विद्यमान स्थापना की वर्दी व उपस्कर के प्रभार प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति दर तथा प्रभारित व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हुए पृथक् आकस्मिकता बिलों द्वारा प्रत्येक जिले के लिए आकस्मिकता व्यय की वार्षिक बजट आबंटन विवरणी के प्रकाशन के उपरान्त आहृत किए जाएं। कोषाधिकारी (जिसे बिल प्रस्तुत किए जाएंगे) इन राशियों को विभाग की पुलिस निक्षेप निधि (पीडीएफ) खाते में जमा करेगा। पीडीएफ खाते में अन्य कोई निधि नहीं रखी जाएगी।

पुलिस विभाग की पांच इकाइयों¹ के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2000) से पता चला कि भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण (4.38 करोड़ ₹²) तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यय (एस0आर0आई0)(7.38 करोड़ ₹³) हेतु 11.76 करोड़ ₹ संस्वीकृत किए। एस0आर0आई0 संस्वीकृति में वर्ष 1998-99 (0.47 करोड़ ₹) तथा वर्ष 1999-2000 (2.91 करोड़ ₹) के दौरान किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति (3.38 करोड़ ₹) शामिल थी। इसके अलावा वर्ष 1999-2000 में एस0आर0आई0 की पूर्ति हेतु आयोगनेतर सहायता के रूप में अग्रिम रूप से 4 करोड़ ₹ संस्वीकृत किए गए थे।

निम्नांकित अनियमितताएं ध्यान में आईं:-

(i) भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरणार्थ राज्य सरकार को 4.38 करोड़ ₹ (ऋण: 2.19 करोड़ ₹ तथा अनुदान: 2.19 करोड़ ₹) संस्वीकृत किए (1999-2000)। इनमें से 0.41 करोड़ ₹ वर्ष 1999-2000 में खर्च किए गए थे तथा शेष 3.97 करोड़ ₹ पुलिस महानिदेशक (डी0जी0पी0) ने 31 मार्च 2000 को आहृत करके अनियमित रूप से डी0आई0जी (बेतार) शिमला के पी0डी0एफ0 खाते में रख दिए।

इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 के एस0आर0आई0 प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति की प्रत्याशा में भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत तथा डी0जी0पी0 द्वारा मार्च 2000 में आहृत 4 करोड़ ₹ निर्धारित प्रयोजन पर

¹ प्रथम वाहिनी जुन्ना का कमाण्डेट, डीआईजी शिमला, एसपी बेतार शिमला, एसपी सिरमौर, एसपी सोलन।

² वाहनों, पुलिस प्रशिक्षण उपस्करों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, हल्के हथियार व संचार के क्रयार्थ।

³ विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती, सामग्री व आपूर्ति, गर्म व शीत मौसम प्रभार, कांस्टेबुलरी का ढुलान, किराया व वायुयान से ढुलान आदि।

खर्च न करके 31 मार्च 2000 को डी0आई0जी0 (बेतार) के पी0डी0एफ0 खाते में रखे गए थे जो कि पूर्वोक्त नियमों के विपरीत था।

डी0आई0जी0 (पुलिस), बेतार, शिमला ने तथ्य स्वीकार करते समय बताया (जून 2000) कि मार्च 2000 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त यह निधि एक सप्ताह के भीतर खर्च नहीं की जा सकी और इसीलिए अस्थाई पग के रूप में इसे पी0डी0एफ0 में रखा गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निधि-निस्तारणार्थ संस्वीकृति जून 1999-मार्च 2000 के मध्य संसूचित की गई थी और सम्बद्ध नियमों में ऐसी निधि को पी0डी0एफ0 खाते में रखने का कोई उपबन्ध नहीं था।

इस प्रकार 7.97 करोड़ ₹ की निधि को पी0डी0एफ0 खाते में रखना अनियमित था तथा निर्धारित अवधि तक विनिर्दिष्ट प्रयोजन पर इसकी प्रयुक्ति न करने के फलस्वरूप राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण में भी विफलता रही।

(ii) शासकीय लेखाकरण नियमावली में व्यवस्था है कि गत/चालू वर्ष में किए गए व्यय की वसूलियां या तो प्राप्ति लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध की जानी चाहिए या फिर इन्हें उपयुक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत व्यय की कटौती के रूप में लिया जाना चाहिए। यह पाया गया कि डी0जी0पी0 ने वर्ष 1998-99 (0.47 करोड़ ₹) तथा वर्ष 1999-2000 (2.91 करोड़ ₹) के एस0आर0ई0 की प्रतिपूर्ति के 3.38 करोड़ ₹ 31 मार्च 2000 को आहूत किए और संहिता सम्बन्धी उपबन्ध का उल्लंघन करके इन्हें डी0आई0जी0 (बेतार) के पी0डी0एफ0 खाते में डाल दिया।

यह मामला जुलाई 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2000)।

1.11.2(ii) व्यक्तिगत खाता लेखे का अनुचित संचालन

पर्यटन व नागरिक विमानन निदेशक ने अनधिकृत रूप से 17.78 करोड़ ₹ युवा सेवा व क्रीड़ा निदेशक के व्यक्तिगत खाता लेखे में जमा करवा दिए।

युवा सेवा व क्रीड़ा निदेशक, शिमला ने दो लाख ₹ की मौद्रिक सीमा वाला व्यक्तिगत खाता लेखा (पी0एल0ए0) खोला (जुलाई 1998)। पी0एल0ए0 की संवीक्षा से पता चला (मई 2000) कि निदेशक प्राधिकृत मौद्रिक सीमा का पालन करने में विफल रहा और मई 1999 तथा अप्रैल 2000 के दौरान पी0एल0ए0 में शेष 2.11 लाख ₹ तथा 17.80 करोड़ ₹ के मध्य था।

पुनः यह पाया गया कि पर्यटन व नागरिक विमानन निदेशक ने भू क्षतिपूर्ति तथा गगनल व भुन्तर हवाई अड्डों के विस्तार (1768.45 लाख ₹) व बीड़ में वायु क्रीड़ा केन्द्र के निर्माण (10 लाख ₹) से सम्बद्ध 17.78 करोड़ ₹ मार्च 2000 में अनधिकृत रूप से पी0एल0ए0 में जमा करवाए।

इस प्रकार दो लाख ₹ की प्राधिकृत मौद्रिक सीमा को तोड़ने के अलावा युवा सेवा व क्रीड़ा निदेशक के पी0एल0ए0 में 17.78 करोड़ ₹ अनधिकृत रूप से जमा करवाए गए थे।

यह मामला अगस्त 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2000)।

1.12 राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचकांक

1.12.1 एक सरकार या तो वर्तमान गतिविधि के स्तर को बनाए रख सकती है या गतिविधि के स्तर को बढ़ा सकती है। गतिविधि के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि वित्तीय साधन कहां तक स्थिर हैं। इसी तरह अगर सरकार गतिविधि के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो वित्तीय साधनों के लचीलेपन की जांच करना उपयुक्त होगा। अंततः सरकार की बढ़ी प्रक्रिया में दोष प्रहार्यता है। सारी राज्य सरकारें मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाए रखती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं को स्पष्ट करती हैं तथा राज्य बजट में ज्यादातर प्रावधित होती हैं। मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि आयोजनेतर व्यय सरकार के मौजूदा गतिविधि* स्तर बनाए रखने को दर्शाता है जबकि योजनागत व्यय गतिविधि के विस्तार को स्पष्ट करता है। इन दोनों गतिविधियों में साधन गतिशीलता और बढ़ती सरकारी प्रहार्यता अपेक्षित है। संक्षिप्त में सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को स्थिरता, लचीलापन, दुर्बलता और पारदर्शिता की परिभाषा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह शब्दावली निम्नानुसार परिभाषित है-

(i) स्थिरता:

स्थिरता वह अवस्था है जिसमें सरकार मौजूदा कार्यक्रमों को बनाए रखती है तथा ऋण बोझ को बढ़ाए बगैर वर्तमान लेनदार की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(ii) लचीलापन

लचीलापन वह अवस्था है जिसमें सरकार बढ़ती बचनवद्धताओं के उत्तर में अपने राजस्वों को बढ़ा कर या ऋण बोझ को ज्यादा करके अपने वित्तीय स्रोतों को बढ़ाती है।

(iii) दुर्बलता:

दुर्बलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार निर्भर होती है। इसलिए वह अपने नियंत्रण या प्रभाव के बाहर दोनों घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय निधि स्रोतों पर प्रहार्यता होती है।

(iv) पारदर्शिता:

यह भी वित्तीय सूचना विषय है जो सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है। यह मुख्यतः वार्षिक वित्तीय विवरणिका (बजट) तथा लेखों को सम्मिलित करता है। बजट के सम्बन्ध में जरूरी मापदण्डों में समय पर प्रस्तुति है जो बजट प्रक्रिया की निपुणता और आकलनों की परिशुद्धता को दर्शाती है। लेखों के बारे में समयबद्ध प्रस्तुति जिसके लिए सीमा निर्धारित है तथा लेखों की पूर्णता मुख्य कसौटी होगी।

1.12.2 वित्त लेखों में उपलब्ध सूचनाएं स्थिरता, लचीलापन और प्रहार्यता को निकालने के लिए प्रयोग की जा सकती है जो वित्त लेखों से निकाली हुई कुद अक्षांकों/अनुपातों के रूप में दर्शाई जा सकती है। ऐसे अक्षांकों/अनुपातों की सूची अनुलग्नक में दी गई है। 1995-96 से 1999-2000 की

* योजनावधि के अन्त में योजनागत को आयोजनेतर के इस विशेष रूप से स्थानान्तरण में अपवाद हैं।

अवधि में निम्न तालिका इन अंशकों/अनुपातों के स्वभाव को दर्शाती है:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त सूचक

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्थिरता					
बीसीआर (करोड़ ₹)	(-) 125	(-) 155	(-) 330	(-) 761	(-) 105
प्राथमिक घाटा (करोड़ ₹)	236	259	830	1164	(-) 408
ब्याज अनुपात	0.15	0.15	0.17	0.21	0.12
पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.95	0.74	0.61	0.62	0.31
कुल कर प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.12	0.12	0.14	0.14	0.15
राज्य कर प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
निवेशानुपात पर प्रतिफल	0.0002	0.0007	0.0003	0.0005	0.0005
लोच					
बीसीआर (करोड़ ₹)	(-) 125	(-) 155	(-) 330	(-) 761	(-) 105
पूँजीगत चुकौतियाँ/पूँजीगत उधार	0.20	0.13	0.07	0.10	0.09
राज्य कर प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.51	0.51	0.53	0.69	0.68
कमजोरियाँ					
राजस्व घाटा (करोड़ ₹)	150	155	529	1022	106
राजकोषीय घाटा (करोड़ ₹)	521	572	1202	1662	189
प्राथमिक घाटा (करोड़ ₹)	236	259	830	1164	(-) 408
प्राथमिक घाटा/राजकोषीय घाटा	0.45	0.45	0.69	0.70	(-) 2.16
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.29	0.27	0.44	0.62	0.56
बकाया प्रत्याभूतियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ	0.45	0.50	0.75	0.81	0.51
परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.97	0.94	0.85	0.73	0.74

- टिप्पणी: 1. राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+शुद्ध ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियों -ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में संगणित किया गया है।
2. पूँजीगत परिव्यय बनाम पूँजीगत प्राप्तियों के अनुपात में हर आन्तरिक ऋण♣+भारत सरकार♣ से ऋण व अग्रिम+लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि से शुद्ध प्राप्तियों + राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए प्राप्त चुकौती-राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के रूप में लिया गया है।
3. चूंकि वर्ष 1999-2000 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सरकार ने संगणित नहीं किया, अतः इसे विगत पांच वर्षों में औसत वृद्धि दर पर संगणित किया गया है।

♣ अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट छोड़कर।

1.12.3 राज्य सरकार की वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था के लिए इन अंशकों/अनुपातों का तात्पर्य निम्नलिखित परिच्छेदों में विवेचित हैं।

स्थिरता

(i) **चालू राजस्व से शेष**

राजस्व प्राप्तियों में से योजना सहायता अनुदान और आयोजनेतर राजस्व व्यय घटाकर इसको चालू राजस्व शेष की व्याख्या दी गई है। एक वास्तविक चालू राजस्व शेष यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय के लिए अपने राजस्व से अधिशेष है। तालिका दर्शाती है कि 1995-2000 के दौरान राज्य सरकार का चालू राजस्व शेष ऋणात्मक था जो यह दर्शाता है कि चालू राजस्व से अधिशेष उत्पन्न करने में राज्य असमर्थ था। यह स्थिति और भी बदतर होती यदि अग्रिम वन रॉयल्टी, निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी व ब्याज प्राप्तियों (परिच्छेद 1.11.1 (क) व 1.11.1 (ख) में संदर्भित) के कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि न होती।

(ii) **ब्याज अनुपात**

ब्याज अनुपात उच्च होने से नये ऋण तथा अपनी राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय पूरा करने के लिए सरकार की सेवा समर्थता कम होती है।

हिमाचल प्रदेश के विषय में यह अनुपात 1995-96 में 0.15 से 1998-99 में 0.21 तक अनवरतता से बढ़ा लेकिन 1999-2000 में घटकर 0.12 हो गया तथापि इसे इस तथ्य के साथ समझा जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने एच0पी0एस0ई0बी0 के माध्यम से जुटाए गए ऋणों में से ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत 152.28 करोड़ ₹ जमा किए थे जैसा कि परिच्छेद 1.11.1 (क) में चर्चित है।

(iii) **पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां**

यह अनुपात दर्शाता है कि पूंजी निर्माण के लिए किस सीमा तक पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग हुआ है। लम्बी अवधि के लिए एक से कम का अनुपात ग्राह्य नहीं है जिससे यह सूचित होता है कि पूंजीगत प्राप्ति के एक भाग का अपवर्तन अनुत्पादक राजस्व व्यय के लिए किया जा रहा है। इसके विपरीत एक से ज्यादा का अनुपात यह दर्शाएगा कि पूंजीगत निवेश राजस्व अधिशेष से भी किया जा रहा है। इस अनुपात का प्रवृत्ति विश्लेषण राज्य सरकार के राजकोषीय निष्पादन पर प्रकाश डालता है। एक बढ़ती प्रवृत्ति का अर्थ निष्पादन में सुधार होगा।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 1995-96 में 0.95 से गिरकर 1999-2000 में 0.31 हो गया है। इससे यह पता चलता है कि स्थिति बहुत बिगड़ी है और 1999-2000 में हालत खराब हो गई।

(iv) **कर प्राप्ति बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद**

कर प्राप्तियों में राज्य कर तथा केन्द्रीय करों का राज्यांश शामिल होता है। परवर्ती को राज्य में रह रहे लोगों द्वारा भुगताए केन्द्रीय करों के रूप में भी देखा सकते हैं। कर प्राप्तियों में स्थिरता का सुझाव होता है परन्तु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कर प्राप्ति का अनुपात लोचशीलता में निहित होगा। जबकि कम अनुपात का अर्थ होता है कि सरकार ज्यादा कर लगा सकती है तथा इसकी लोचशीलता, उच्च अनुपात वित्त स्रोतों की सीमा को ही इंगित नहीं करती परन्तु लोचहीनता की तरफ भी संकेत देती है।

समय श्रेणी विश्लेषण से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल कर प्राप्तियों का अनुपात 0.12 -0.15 की सीमा में रहा तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद

की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों में अनुपात 0.05 और 0.06 के बीच रहा। यह अनुपात सुझाव देता है कि राज्य के कुल कर संग्रहण के प्रति राज्य के अपने करों को अंशदान महत्वहीन था। पुनः राज्य करों की कम दर के मध्य नजर राज्य सरकार को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भारी मात्रा (जो महंगा पड़ता है) में ऋण लेना पड़ा।

(v) निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल नियोजित पूंजी के उपार्जन का अनुपात है। एक उच्च निवेश पर प्रतिफल स्थिरता का सुझाव देता है।

परिच्छेद 1.9.1 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में सरकारी निवेशों पर प्रतिफल को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मामले में निवेश पर प्रतिफल लगभग शून्य और 1995-2000 में 0.02 और 0.07 प्रतिशत के मध्य था। निवेश पर कम प्रतिफल सहनीय नहीं होता है, विशेषकर तब जबकि निवेश ऊंची लागत पर उधार निधि लेकर किया गया हो।

लोचशीलता

(vi) पूंजी चुकौती बनाम पूंजी उधार

यह अनुपात दर्शाएगा कि पूंजी चुकौती के उपरान्त किस सीमा तक पूंजीगत ऋण निवेश के लिए उपलब्ध है। कम अनुपात से निवेश और अन्य व्यय के लिए पूंजी उपलब्धता अधिक होती है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यद्यपि यह अनुपात 1995-96 के 0.20 से निरन्तर घटकर 1999-2000 में 0.09 रह गया लेकिन इसे हाल के वर्षों में बढ़े हुए उधार तथा निकट भविष्य में इसके चुकौती दायित्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है और परिणामतः अधिक चुकौती की पूर्ति हेतु भविष्य में राज्य के राजस्व पर दबाव बढ़ेगा।

(vii) ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार का कुल आंतरिक स्रोत आधार है जो ऋण सेवा में प्रयोग किया जा सकता है। ऋण/सकल घरेलू राज्य उत्पाद का बढ़ता हुआ अनुपात ऋण दायित्वों को पूरा करने व इस कारण से ऋण दाता के बढ़ते हुए जोखिम से राज्य की घटती क्षमता को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 1995-96 में 0.51 से 1999-2000 में 0.68 तक बढ़ा जो सरकार की कर्जदारी में एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़ाव को दर्शाता है। ब्याज भुगतान के बढ़े दायित्व के अलावा यह तथ्य कि राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु अधिकतर उधार ली हुई निधि प्रयोग की गई, ने कोषीय ढांचे को अधिभारित कर दिया।

(viii) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा

राजस्व प्राप्तियों के प्रति अधिक राजस्व व्यय राजस्व घाटा होता है तथा ऋणों आदि द्वारा वित्तपोषित किए राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्षतः राजस्व घाटा जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक राज्य कमजोर होगा। राजकोषीय घाटा सभी ऋणों के पूर्ण योग को प्रकट करता है। राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा दर्शाएगा कि सरकार के ऋण किस सीमा तक अनुत्पादित राजस्व व्यय के वित्त प्रबन्ध के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः अनुपात जितना ज्यादा होगा राज्य की

स्थिति उतनी ही खराब होगी क्योंकि यह इंगित करेगी कि चुकौती समर्थता को बढ़ाए बगैर राज्य का ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है।

1996-97 में 27 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 के दौरान कर्जदारी का 56 प्रतिशत राजस्व व्यय के लिए प्रयोग किया जा रहा था। यह एक प्रतिकूल प्रवृत्ति है क्योंकि इससे पूंजीगत व्यय के लिए ऋण निधियों की बहुत कम राशि रहती है। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 1.11.1 (क) व 1.11.1 (ख) में दी गई विवेचनाओं की दृष्टि से इस वर्ष का अनुपात अवास्तविक है तथा यहां चित्रित स्थिति से बदतर है।

(ix) प्राथमिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगियां घटाकर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुपात की कीमत जितनी कम होगी पूंजीगत निवेश के लिए निधियों की उपलब्धता उतनी ही कम होगी।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात पिछले सभी पांच वर्षों में एक से कम रहा जो अधिक दुर्बलता का सूचक है क्योंकि पूंजी का प्रयोग परिसम्पत्तियों की वृद्धि के बजाय राजस्व घाटे के लिए किया जा रहा था। इसे इस तथ्य के साथ भी विचारित किया जाना चाहिए कि राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा यथार्थ नहीं है और परिच्छेद 1.11.1 (क) व (ख) की विवेचनाओं की दृष्टि से इन्हें पूर्णतः न्यूनोक्त किया गया है।

(x) प्रत्याभूतियां बनाम राजस्व प्राप्तियां

सरकार द्वारा जारी किए कॉम्फर्ट पत्रों सहित बकाया प्रत्याभूतियां राज्य सरकार के जोखिम अनाश्रयता का रहस्योदघाटन करती हैं तथा उनकी तुलना सरकार के भुगतान करने की समर्थता अर्थात् राजस्व प्राप्तियों से की जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति कुल बकाया प्रत्याभूतियों का अनुपात राज्य सरकार की दुर्बलता की मात्रा दर्शाएगा।

हिमाचल प्रदेश के मामले में 1995-96 के 0.45 अनुपात से 1998-99 में 0.81 तक अनुपात बढ़ा। यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां इसकी राजस्व प्राप्तियों के पर्याप्त भाग को आवृत्त करती हैं लेकिन 1999-2000 में यह अनुपात बकाया प्रत्याभूति राशि में मामूली वृद्धि के बावजूद भी घटकर 0.51 हो गया। इसे राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि से सम्बद्ध किया जाए लेकिन राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि को इस तथ्य के साथ विचारित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार सांविधिक निगमों तथा एक सरकारी कम्पनी (परिच्छेद 1.11.1) के माध्यम से जुटाए गए ऋणों को राजस्व प्राप्तियों में जमा करने के लिए प्रयुक्त कर रही थी और इस प्रकार अनियमित रूप से इन प्राप्तियों को बढ़ा रही थी।

(xi) परिसम्पत्तियां बनाम दायित्व

यह अनुपात मूल रूप से वित्तीय परिसम्पत्तियों और दायित्वों से सम्बन्धित है जैसे कि प्रदर्शनी में दर्शाया गया है और सरकार की सम्पन्नता की ओर इंगित करता है। एक से ज्यादा का अनुपात इंगित करता है कि राज्य सरकार सम्पन्न (परिसम्पत्तियां, दायित्वों से ज्यादा हैं) है जबकि एक से कम का अनुपात इसका विपरीतार्थक होगा।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 1995-96 के 0.97 से तीव्ररूपेण गिरकर 1999-2000 में 0.74 हो गया जो दर्शाता है कि परिसम्पत्तियों की बजाय दायित्वों की वृद्धि अधिक दर से हुई।

पारदर्शिता

(xii) बजट

बजट प्रस्तावों को भेजने तथा उनके अनुमोदन में कोई देरी नहीं हुई। यह विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

तैयारी	भेजने का मास	अनुमोदन मास
बजट	9-3-1999	31-3-1999
अनुपूरक	3-3-2000	6-3-2000

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय में भिन्नताओं और बजट सम्बन्धी प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा व्यय पर नियंत्रण का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यह घाटे के बजट एवं व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है जैसा कि प्रत्येक वर्ष अधिकतर राशियों के निरन्तर प्रत्यादान (अभ्यर्पण) व अन्तिम संशोधित अनुदान द्वारा प्रमाणित है। अन्तिम संशोधित अनुदान तथा वास्तविक व्यय के बीच पर्याप्त भिन्नताएं (आधिक्य/बचत) निरन्तर थीं। 1996-97 से कुछ अनुदानों के मामले में अधिक व्यय की नियमितताएं लम्बित है जैसा कि प्रतिवेदन के परिच्छेद 2.3.2 (क) में विवेचित है।

(xiii) लेखे

यह पाया गया था कि 12 कोषागारों में से एक से दो कोषागारों के लेखे विलम्बित थे जिसके कारण उन्हें मासिक लेखों में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह 82 वन मण्डलों में से दो से 10 मण्डलों के लेखे विलम्बित थे, परिणामतः 1999-2000 के दौरान उन्हें मासिक नकद लेखों में शामिल नहीं किया गया।

1.12.4 निष्कर्ष

नकारात्मक बी0सी0आर0 व निवेशों पर नगण्य प्रतिफल ने राज्य वित्त की ग्राह्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लगभग स्थिर करानुपात ने हालात बदतर बना लिए हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकार को बड़े हुए उधार का सहारा लेना पड़ा जिससे इसकी समग्र ऋणग्रस्तता बढ़ी। इसी प्रकार राजस्व व राजकोषीय घाटे, दायित्व अनुपात की तुलना में कम होती हुई परिसम्पत्तियों व प्रत्याभूतियों की अधिक राशि ने राज्य वित्त को काफी कमजोर बना लिया है। इसके अतिरिक्त सरकार के दायित्व सहित वित्तीय स्थिति वास्तव में उपर्युक्त सूचकों से अवलोकित स्थिति से बदतर थी जैसे कि इस प्रतिवेदन के परिच्छेद 1.11.1 (क) व 1.11.1 (ख) में व्याख्यायित है। ऋण के मूलधन व ब्याज दायित्व की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सम्पूर्ण बजट समर्थन देने का सरकारी निर्णय कुछ भी नहीं था बल्कि सरकार को वित्तीय संकट से उबारने के लिए इन दो संगठनों द्वारा जुटाए गए ऋणों का प्रत्यक्ष निधीयन था। उसने इन दोनों ऋणों के लिए प्रत्याभूति भी दी है। ये तथ्य गुप्त हैं और इसीलिए लेखे व बजट प्रक्रिया दोनों को ही पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। यदि अतिरिक्त निधियां राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा न की गयी होती तथा अनियमित तरीके से ऋणों की वसूली न हुई होती तो ये घाटे कहीं अधिक होते। पर्याप्त बचत व आधिक्य, अनुमोदन की प्रतीक्षा वाली स्कीमों के लिए निधि के अनियमित प्रावधानों के दृष्टान्त, सरकारी लेखे से बाहर रखी गई निधियां तथा निधियों का अनियमित अपवर्तन व्यय के अप्रभावी अनुश्रवण तथा नियंत्रण के द्योतक हैं। समग्ररूपेण सरकार की वित्तीय स्थिति उपर्युक्त तथ्यों के कारण काफी चिन्ताजनक कही जा सकती है।

अनुलग्नक

(संदर्भ परिच्छेद 1.12.2; पृष्ठ 25)

सूचकांक/अनुपातों की सूची व उनकी गणना का आधार


सूचकांक/अनुपात		गणना आधार
स्थिरता		
चालू राजस्व से शेष	बीसीआर	राजस्व प्राप्तियां-सभी योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्ष 1601-02,03,04 के अन्तर्गत) तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय
प्राथमिक घाटा	पीडी	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
ब्याजानुपात		ब्याज भुगतान-ब्याज प्राप्तियां
		कुल राजस्व प्राप्तियां-ब्याज प्राप्तियां
	पूँजीगत परिव्यय	पूँजीगत व्यय वित्त लेखों की विवरण सं० 2 के अनुसार
पूँजीगत परिव्यय बनाम पूँजीगत प्राप्तियां	पूँजीगत प्राप्तियां	विविध पूँजीगत प्राप्तियां (=) आन्तरिक ऋण* + भारत सरकार से ऋण व अग्रिम* + लघु बचत, भविष्य निधि आदि से शुद्ध प्राप्ति+राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की प्राप्त चुकौती-राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण
कुल कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल कर प्राप्तियां	राज्य कर प्राप्तियां + संघीय करों व शुल्कों से राज्यांश
राज्य कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राज्य कर प्राप्तियां	वित्त लेखों की विवरणी 10
लोचशीलता		
चालू राजस्व से शेष		यथोपरि
पूँजीगत चुकौतियां बनाम पूँजीगत उधार	पूँजीगत चुकौतियां	मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के अधीन संवितरण-दोनों मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों की चुकौती
	पूँजीगत उधार	मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के अधीन वृद्धि (-) दोनों मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों की वृद्धि
अपूर्ण परियोजनाएं		प्रदर्शन IV
कुल कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल कर प्राप्तियां	राज्य कर प्राप्तियां + संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश
ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	ऋण	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.10.1
दुर्बलता		
राजस्व घाटा		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.9.5.2
राजकोषीय घाटा		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.9.5.2
प्राथमिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
कम्फर्ट पत्र बनाम सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों सहित कुल बकाया प्रतिभूतियां	बकाया प्रतिभूतियां	प्रदर्शन IV
	राजस्व प्राप्तियां	प्रदर्शन II
परिसम्पत्तियां बनाम दायित्व	परिसम्पत्तियां व दायित्व	प्रदर्शन I

* अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट छोड़कर



दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण



दूसरा अध्याय

वर्ष 1999-2000 के विनियोग लेखाओं का सार

अनुदानों की कुल संख्या: 31

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए)			
प्रावधान	राशि	व्यय	राशि
मूल	4720.65		
पूरक	386.13		
कुल समग्र प्रावधान	5106.78	कुल समग्र व्यय	7977.13
घटाएं-व्यय की कटौती में अनुमानित वसूलियां	252.25	घटाएं-व्यय की कटौती में वास्तविक वसूलियां	387.01
कुल निवल प्रावधान	4854.53	कुल निवल व्यय	7590.12

दत्तमत तथा प्रभारित प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रुपए)				
	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	3506.65	586.86	3542.54	606.72
पूंजीगत	837.68	175.59	670.87	3157.00
कुल समग्र	4344.33	762.45	4213.41	3763.72
घटाएं-व्यय की कटौती में वसूलियां	252.25	...	387.01	...
कुल: निवल	4092.08	762.45	3826.40	3763.72

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

2.1 परिचय

बजट की प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग लेखे प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं जिनमें सरकार द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए वास्तविक व्यय की राशियों द्वारा प्राधिकृत राशियों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम के प्राधिकार के अन्तर्गत है तथा संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला व्यय सही प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, व्यवस्थाओं तथा निदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखाओं का सार

वर्ष 1999-2000 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नांकित थी:-

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	जोड़	वास्तविक व्यय*	बचत(-)/आधिक्य (+)
(करोड़ रूपए)					
दत्तमत I राजस्व	3247.21	259.44	3506.65	3542.54	(+)35.89
II पूंजीगत	675.78	78.78	754.56	610.61	(-)143.95
III ऋण व अग्रिम	53.34	29.78	83.12	60.26	(-)22.86
सकल दत्तमत	3976.33	368.00	4344.33	4213.41	(-)130.92
प्रभारित IV राजस्व	585.49	1.37	586.86	606.72	(+)19.86
V पूंजीगत	--	2.56	2.56	2.56	--
VI लोक ऋण	158.83	14.20	173.03	3154.44#	(+)2981.41
सकल प्रभारित	744.32	18.13	762.45	3763.72	(+)3001.27
आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	--	--	--
कुल योग	4720.65	386.13	5106.78	7977.13*	(+)2870.35

* ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय (327.72 करोड़ ₹) तथा पूंजीगत व्यय (59.29 करोड़ ₹) की कटौती में समायोजित वसूलियां शामिल हैं।

इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा अर्थोपाय अग्रिमों की चुकौती के 2225.58 करोड़ ₹ तथा 650.65 करोड़ ₹ शामिल हैं।

^ इसमें पशुपालन व उद्योग विभाग द्वारा सार आकस्मिकता बिलों पर आहत 3.45 करोड़ ₹ (नमूना जांच में देखे गए) शामिल हैं। जिनके विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

2.3 विनियोग लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

2870.35 करोड़ ₹ का समग्र आधिक्य 46 मामलों में बचत तथा 18 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम था जैसे नीचे प्रदर्शित है:

	बचत		आधिक्य		निवल बचत (-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(करोड़ रूपए)						
दत्तमत	226.84 (20 अनुदानों में)	218.86 (21 अनुदानों में)	262.73 (10 अनुदानों में)	52.05 (6 अनुदानों में)	(+)35.89	(-)166.81
प्रभारित विनियोग	0.77 (5 विनियोगों में)	...	20.63 (1 विनियोग में)	2981.41 (1 विनियोग में)	(+)19.86	(+)2981.41

2.3.2 (क) गत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान पर आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग पर आधिक्य के लिए राज्य विधायिका द्वारा नियमन प्राप्त करे। वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक 4789.92 करोड़ ₹ के अधिक व्यय का राज्य विधायिका द्वारा नियमन (अगस्त 2000) किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त 1996-99 वर्षों के दौरान किए गए अधिक व्यय का स्पष्टीकरण सरकार द्वारा लोक लेखा समिति को अगस्त 2000 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसे कि निम्नांकित है:-

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य राशि	राशि जिसका स्पष्टीकरण लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया
(करोड़ रूपए)				
1996-97	20	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,20,23,26,28,29 व 31	681.46	681.46
1997-98	19	2,4,5,8,9,10,11,12,13,15,17,20,21,22,23,26,28,29 व 31	2275.36	2275.36
1998-99	20	1,2,4,8,9,10,11,12,13,14,17,18,20,21,23,24,25,28,29,31	1833.10	1833.10
	जोड़:		4789.92	4789.92

अनियमित अधिक व्यय के स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफलता एवं विलम्ब के कारण बकाया अपरीक्षित वित्तीय अनियमितताओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ख) 1999-2000 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य का अपेक्षित नियमन

वर्ष 1999-2000 के दौरान राजस्व प्रवर्ग में 10 अनुदानों में कुल आधिक्य 262.73 करोड़ ₹ तथा एक विनियोग में 20.63 करोड़ ₹ था जबकि पूंजी प्रवर्ग में 6 अनुदानों में 52.05 करोड़ ₹ तथा एक विनियोग में 2981.41 करोड़ ₹ के आधिक्य थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इन आधिक्यों (निम्नांकित विवरण) का नियमन अपेक्षित था:-

क्र०	अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि
	दत्तमत अनुदान		रूपए	
	राजस्व			
1.	7-पुलिस व सम्बद्ध संगठन	1,58,32,95,000	1,61,88,53,116	3,55,58,116
2.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति	6,92,61,88,958	7,75,96,25,526	83,34,36,568
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,23,44,66,000	2,28,50,34,857	5,05,68,857
4.	10-लोक. निर्माण	1,28,64,52,000	2,22,15,04,356	93,50,52,356
5.	12-सिवाई व बाढ़ नियंत्रण	72,14,93,000	80,36,31,262	8,21,38,262
6.	17-सड़के व पुल	1,63,76,42,000	1,70,21,47,898	6,45,05,898
7.	23-जल एवं विद्युत विकास	83,00,01,000	92,10,74,117	9,10,73,117
8.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	2,25,17,80,000	2,52,34,56,519	27,16,76,519
9.	29-वित्त	4,48,26,42,121	4,60,73,81,242	12,47,39,121
10.	31-जनजातीय विकास	1,62,58,65,000	1,76,43,96,091	13,85,31,091
	जोड़	23,57,98,25,079	26,20,71,04,984	2,62,72,79,905
	पूंजी			
11.	4-सामान्य प्रशासन	24,01,000	35,79,37,858	35,55,36,858
12.	17-सड़के व पुल	1,70,92,46,386	1,81,52,99,295	10,60,52,909
13.	18-आपूर्ति, उद्योग व खनिज	3,22,00,000	3,22,89,025	89,025
14.	20-ग्रामीण विकास	4,00,000	5,16,649	1,16,649
15.	27-श्रम एवं रोजगार	47,00,000	47,81,256	81,256
16.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	1,32,13,14,000	1,38,00,15,549	5,87,01,549
	जोड़	3,07,02,61,386	3,59,08,39,632	52,05,78,246
	प्रभारित विनियोग			
	राजस्व			
17.	29-वित्त	5,76,71,03,000	5,97,33,56,591	20,62,53,591
	जोड़	5,76,71,03,000	5,97,33,56,591	20,62,53,591
	पूंजी			
18.	29-वित्त	1,73,02,58,618	31,54,43,73,732#	29,81,41,15,114
	जोड़	1,73,02,58,618	31,54,43,73,732	29,81,41,15,114

आधिक्य के कारण अगस्त 2000 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा अर्थोपाय अग्रिमों की चुकौती के 2225.58 करोड़ ₹ तथा 650.65 करोड़ ₹ शामिल हैं।

2.3.3 मूल बजट तथा अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्त समग्र अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों के 8 प्रतिशत थे।

2.3.4 अनावश्यक/आधिक्यपूर्ण/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

(क) राजस्व प्रवर्ग में तीन मामलों में 1.48 करोड़ ₹ का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतया अनावश्यक था क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय मूल प्रावधान से भी कम था। प्रत्येक मामले में बचत 50 लाख ₹ से अधिक थी जैसा कि परिशिष्ट II में इंगित है।

(ख) राजस्व प्रवर्ग में 6 मामलों में 36.38 करोड़ ₹ की वास्तविक आवश्यकता के प्रति 48.41 करोड़ ₹ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया जिससे 12.03 करोड़ ₹ की बचत हुई। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

(ग) 8 मामलों में 181.20 करोड़ ₹ (राजस्व: 141.12 करोड़ ₹ व पूंजी: 40.08 करोड़ ₹) का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जैसा कि परिशिष्ट iv में वर्णित है, जिससे प्रत्येक मामले में एक करोड़ ₹ से अधिक राशि अनावृत्त रहते हुए कुल मिलाकर 189.64 करोड़ ₹ का आधिक्यपूर्ण व्यय हुआ।

2.3.5 निरन्तर बचत/आधिक्य

1997-2000 वर्षों के दौरान पांच मामलों में व्यय कुल प्रावधान की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक निरन्तर कम था जबकि सात अन्य मामलों में यह प्रावधान से निरन्तर अधिक था। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट v में दिए गए हैं।

2.3.6 महत्वपूर्ण बचतें

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 445.70 करोड़ ₹ तथा प्रभारित विनियोगों में 0.77 करोड़ ₹ की अन्तिम बचतों में प्रत्येक मामलों में जहां बचत 50 लाख ₹ से कम नहीं थी कुल मिलाकर 24 अनुदानों में 443.81 करोड़ ₹ (28 मामले) थी जिसका ब्यौरा सरकार द्वारा दिए गए बचतों के मुख्य कारणों सहित परिशिष्ट vi में दर्शाया गया है।

2.3.7 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतों को वर्ष के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना उनका पता चलने के तत्काल बाद सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाइयों के अधीन आधिक्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित न हों। बचतों को भविष्य के संभावित आधिक्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

यद्यपि यह देखा गया कि नौ अनुदानों (10 मामलों) में बचतें 1 करोड़ ₹ से अधिक थीं लेकिन इन्हें पूर्णतः अभ्यर्पित नहीं किया गया था। छः अनुदानों (7 मामलों) में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत राशि से 3.92 करोड़ ₹ अधिक थी। इसके अतिरिक्त पांच अनुदानों में 21.87 करोड़ ₹ अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से अधिक था और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट vii में दिए गए हैं।

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के अन्तिम मास में अभ्यर्पित की गई थी। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण तथा निगरानी के परिचायक थे।

2.3.8 बचतों/आधिकांशों के लिए स्पष्टीकरण देने में विफलता

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लेखे जिनमें अन्तिम अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, नियंत्रण अधिकारियों को इस अपेक्षा के साथ भेज दिए जाते हैं कि सामान्य तथा महत्वपूर्ण शीर्षों/उपशीर्षों के अन्तर्गत भिन्नताओं को स्पष्ट करें।

934 शीर्षों/उपशीर्षों के मामले में वर्ष 1999-2000 हेतु विनियोग लेखे सम्बन्धी भिन्नताओं के लिए इस प्रकार के स्पष्टीकरण आवश्यक थे परन्तु सितम्बर 2000 तक 567 शीर्षों/उपशीर्षों (61 प्रतिशत) के मामलों में ये प्राप्त नहीं हुए।

2.3.9 वसूलियों की प्रवृत्ति

अनुदान मांगें एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं और व्यय की कमी के रूप में ली जाने वाली वसूलियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार विनियोग लेखे में भी वसूलियों को उसके परिशिष्ट में अलग से दर्शाया जाता है।

वर्ष 1999-2000 के लेखाओं की जांच में पाया गया कि राजस्व प्रवर्ग में 181.46 करोड़ ₹ के बजट आकलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 327.72 करोड़ ₹ थी। पूंजी प्रवर्ग में 70.79 करोड़ ₹ के बजट आकलनों के प्रति 59.29 करोड़ ₹ की वास्तविक वसूलियां व समायोजन थे। इस प्रकार राजस्व प्रवर्ग में छः अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की कमी हेतु 146.26 करोड़ ₹ की वसूलियां न्यूनोक्त की गई थीं। इसी प्रकार पूंजी प्रवर्ग में वसूलियां व समायोजन 11.50 करोड़ ₹ अत्युक्त किए गए थे जो कि तीन अनुदानों में अत्युक्त व पांच अनुदानों में न्यूनोक्त का निवल प्रभाव था। मुख्य भिन्नताओं का ब्यौरा जो मूलाकलनों का 12 प्रतिशत तथा प्रत्येक मामले में एक करोड़ ₹ से कम नहीं है, परिशिष्ट viii दिया गया है।

2.3.10 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

अनुदान या विनियोग को उन उपशीर्षों या मानक उद्देश्यों (प्राथमिक इकाइयों के नाम से अभिज्ञात) में विभक्त किया जाता है जिनमें इसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधि-पुनर्विनियोग किसी अनुदान या विनियोग में इसकी प्राथमिक इकाइयों के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सकता है। निधि-पुनर्विनियोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो कि इकाई जिससे निधि स्थानान्तरित की जानी है, में विनियोग का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाएगा या कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

12 अनुदानों/विनियोगों से अन्तःग्रस्त 34 मामलों (उपशीर्षों) में 5.39 करोड़ ₹ की राशि का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि:-

(क) उपशीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान जिनमें पुनर्विनियोग (0.61 करोड़ ₹) द्वारा निधियां स्थानान्तरित की गई थी, पर्याप्त थे और फलतः पुनर्विनियोग राशि अप्रयुक्त रही तथा

(ख) वे शीर्ष जिनसे निधियां (4.78 करोड़ ₹) स्थानान्तरित की गई थी उनमें पुनर्विनियोग हेतु कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी।

सम्बद्ध ब्यौरे परिशिष्ट ix में समाविष्ट हैं।

2.4 विभागीय आंकड़ों का समाधान

विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय आंकड़ों का प्रत्येक मास महालेखाकार कार्यालय में बुक किए गए आंकड़ों के साथ समाधान किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय आंकड़े पर्याप्त रूप से सही हैं और लेखा कार्यालय में अनुरक्षित उन लेखाओं की शुद्धता सुरक्षित रखी जा सके जिनसे अन्ततः प्रकाशित लेखे संकलित किए जाते हैं।

सरकार को समय-समय पर समाधान में विलम्ब की सूचना देने के बावजूद भी एक विभागाध्यक्ष¹ ने वर्ष 1999-2000 के तीन लेखा शीर्षों² के 7.64 करोड़ ₹ के व्यय का समाधान नहीं किया था। इस प्रकार इस व्यय का उस सीमा तक समाधान नहीं हुआ था।

यह मामला अगस्त 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2000)।

2.5 लोक निधि का अनुचित आहरण व उसे अनधिकृत रूप से सरकारी लेखे से बाहर रखना

विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के निष्पादनार्थ भूमि क्षतिपूर्ति के भुगतान आदि के लिए आहत 19.50 करोड़ ₹ में से 18.08 करोड़ ₹ सरकारी लेखे से बाहर अप्रयुक्त पड़े थे।

वित्तीय नियमावली में नियत है कि कोई भी धनराशि कोषागार से तब तक आहत नहीं की जानी चाहिए जब तक कि वह तत्काल संवितरणार्थ या किसी स्थाई अग्रिम में से संवितरित निधि की प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित न हो। उन निर्माणकार्यों के निष्पादनार्थ भी कोषागार से अग्रिम राशि का आहरण अनुमत्य नहीं है जिनकी पूर्णता में पर्याप्त समय लगने की संभावना हो। अव्ययित शेष तत्काल कोषागार में प्रत्यर्पित किया जाना अपेक्षित है। किसी सामान्य अथवा विशेष नियम द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी अप्रयुक्त निधि को बैंक/डाकघरों में जमा करवाने के लिए प्राधिकृत नहीं थे।

सिंचाई व जनस्वास्थ्य, राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण व परिवहन विभागों के आठ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि भारत सरकार से प्राप्त निधि से सम्बद्ध 30 लाख ₹ (उपायुक्त लाहौल-स्पिती: 15 लाख ₹ व उपायुक्त बिलासपुर: 15 लाख ₹) सहित 19.50 करोड़ ₹ विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के निष्पादन, भूमि क्षतिपूर्ति के भुगतान आदि हेतु वर्ष 1994-95 तथा 1998-99 के मध्य आहत किए गए थे। इस राशि को खर्च करने में विभागीय असमर्थता के कारण 18.08 करोड़ ₹ फरवरी 2000 के अन्त में बैंकों (4.74 करोड़ ₹)/डाकघरों (13.17 करोड़ ₹) तथा निष्पादन अभिकरणों (0.17 करोड़ ₹) के पास अप्रयुक्त पड़े थे जैसा कि परिशिष्ट X में दिया गया है:-

¹ प्रधान सलाहकार, आयोजना

² 2702 लघु सिंचाई (0.03 करोड़ रूपए), 4215-जलापूर्ति पर पूंजीगत परिव्यय (6.09 करोड़ रूपए) तथा 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (1.52 करोड़ रूपए)

यह देखने योग्य है कि 67.11 लाख रु० केवल राजस्व विभाग कार्यालयों के ही थे। भू-अध्यापति अधिकारी, कांगड़ा ने तत्काल सम्भावित भूमि क्षतिपूर्ति भुगतानों का निर्धारण करवाए बिना शाहनहर परियोजना अधिकारियों से अग्रिम भुगतानों की मांग की। भू-अध्यापति अधिकारी, कांगड़ा ने बताया (नवम्बर 1999) कि मैंने शाहनहर परियोजना प्राधिकारियों से क्षतिपूर्ति जमा करवाने की कोई मांग नहीं की थी लेकिन शाहनहर परियोजना मण्डल सं० ii के अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (मई 2000) कि भू-अध्यापति अधिकारी, कांगड़ा की मांग पर ही राशि उसके पास जमा करवाई गई थी। अतएव भू-अध्यापति अधिकारी का यह मत मान्य नहीं था कि उसे बिना किसी मांग के निधि उपलब्ध करवाई गई थी। प्रत्यक्षतः भू-अध्यापति अधिकारी ने अधिनिर्णय की प्रत्याशा में अनावश्यक रूप से निधि मांगी थी।

सरकारी स्कीमों की निधि को अनधिकृत रूप से बैंकों/डाकघरों में जमा करवाना अत्यधिक अनियमित होने के साथ-साथ इसके परिणामस्वरूप स्कीमों का निष्पादन नहीं हुआ/निष्पादन में विलम्ब हुआ। सरकारी निधि जमा करवाने के लिए बैंकों के चयन में पारदर्शिता के अभाव में इन मामलों में कुप्रथाओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतएव ऐसी कार्यवाई में सरकारी लेखे से बाहर सरकारी निधि के अनधिकृत प्रतिधारण की सरकार द्वारा उपयुक्त निदेश जारी करने हेतु छानबीन की आवश्यकता है।

यह मामला अप्रैल 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2000)।

2.6 सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में व्यय व बजट नियंत्रण

2.6.1 परिचय

राज्य बजट में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जलापूर्ति तथा स्वच्छता के लिए निधियां अनुदान सं० 12-सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, 28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा नगर विकास एवं 31-जनजातीय विकास के माध्यम से विभिन्न प्रमुख शीर्षों* के अन्तर्गत उपलब्ध की जाती है। अपने नियंत्रणाधीन मण्डलों के नियंत्रणाधिकारी होने के नाते अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध आंचलिक मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से बजट प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता के पास भेजते हैं जो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से बजट प्राक्कलनों की तैयारी व उन्हें वित्त विभाग के पास प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। 1997-2000 वर्षों के दौरान बजट क्रियाविधि व व्यय नियंत्रण व्यवस्था को अप्रैल-अगस्त 2000 के दौरान प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में समीक्षित किया गया था जिसे पुनः आठ मण्डलों¹ से संगृहीत सूचना से अनुपूरित किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में विवेचित हैं।

* '2701', '2702', '2705', '2711', '2215', '4215', '4701', '4702', '4705', तथा '4711'

¹ अर्की, बिलासपुर, मण्डी, नाहन, शिमला-1, शिमला-2, सोलन व सुन्दरनगर

2.6.2 बजट तथा व्यय

आबंटित निधियों तथा उनके प्रति अनुदान संख्या 12 व 28 के अन्तर्गत 1997-2000 के दौरान किए गए व्यय की समग्र स्थिति निम्नांकित थी:-

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)/बचत(-)	
			(करोड़ रूपए)	
अनुदान संख्या 12				
योजनागत				
1997-98	68.73	79.29	(+)	10.56
1998-99	81.44	84.20	(+)	2.76
1999-2000	90.78	83.02	(-)	7.76
आयोजनेतर				
1997-98	14.60	15.18	(+)	0.58
1998-99	15.76	21.87	(+)	6.11
1999-2000	18.28	21.87	(+)	3.59
अनुदान संख्या 28				
योजनागत				
1997-98	130.56	154.92	(+)	24.36
1998-99	166.64	199.80	(+)	33.16
1999-2000	196.25	237.24	(+)	40.99
आयोजनेतर				
1997-98	72.16	74.24	(+)	2.08
1998-99	85.50	107.08	(+)	21.58
1999-2000	80.14	86.93	(+)	6.79
जोड़:	1020.84	1165.64	(+)	144.80

यह अवलोकित होगा कि वर्ष 1999-2000 को छोड़कर (जब अनुदान संख्या 12 में 7.76 करोड़ रु० की बचत थी) 1997-2000 वर्षों के दौरान दोनों ही अनुदानों में निरन्तर आधिक्य हुए। इस प्रकार बजट प्राक्कलन यथार्थता के आधार पर नहीं बनाए गए थे। 1997-2000 वर्षों के दौरान 152.56 करोड़ रु० (वर्ष 1999-2000 के दौरान 7.76 करोड़ रु० की बचत छोड़कर) के आधिक्यपूर्ण व्यय का भी अगस्त 2000 तक विधानमण्डल से नियमन नहीं किया गया था जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत अपेक्षित था। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जून व जुलाई 2000) कि क्षेत्र कार्यालयों से इसके कारण मांगे गए थे और आधिक्यपूर्ण व्यय का भी यथासमय नियमानुकूलन करवा दिया जाएगा। यह उत्तर अपवचनपूर्ण था तथा इस प्रकार के आवर्ती आधिक्यों के लिए विभागाध्यक्ष में गंभीरता के अभाव को प्रदर्शित करता है। उसे प्रारम्भ में ही यह देखने के लिए पग उठाने चाहिए थे कि वर्षानुवर्ष ऐसा आधिक्यपूर्ण व्यय न हो तथा ऐसे आधिक्यपूर्ण व्यय का उचित समय के अन्दर नियमानुकूलन करवा दिया जाना चाहिए था।

2.6.3 व्यय पर नियंत्रण का अभाव

1998-99 के दौरान प्रत्यय पत्र से सम्बद्ध 262.30 करोड़ ₹ के संस्वीकृत बजट के प्रति वित्त विभाग ने 277.84 करोड़ ₹ के प्रत्ययपत्र को प्राधिकृत किया जिससे 15.54 करोड़ ₹ का आधिक्य हुआ। इस प्रकार बजट नियमपुस्तिका व व्यय को बजट आबंटन के अन्दर रखने सम्बन्धी प्रत्यय पत्र जारी करने हेतु स्कीम के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया था।

2.6.4 अनुमोदनार्थ/अन्तिम रूप देने हेतु प्रतीक्षित स्कीमों की निधि का अनियमित प्रावधान

बजट नियम पुस्तिका के उपबन्धों के अनुसार विकास के एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष तथा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में निधि अपवर्तन क्रमशः योजना आयोग व राज्य योजना विभाग के पूर्वानुमोदन से ही हो सकता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 1997-2000 वर्षों के दौरान बजट आकलनों में तीन स्कीमों² के लिए सततरूपेण किए गए 3.76 करोड़ ₹ का प्रावधान अपेक्षानुसार योजना विभाग के अनुमोदन के बिना अन्य उपशीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए थे। सहायक नियंत्रक एफ0एण्डए0 ने बताया कि वित्त विभाग के अनुमोदन से ही पुनर्विनियोग किया गया था क्योंकि वह स्कीम अनुमोदित/अन्तिम नहीं की गई थी जिसके लिए प्रावधान किए गए थे। इस प्रकार वित्त विभाग बजट नियमपुस्तक के उपबन्धों की अनुपालना में विफल रहा।

2.6.5 सरकारी लेखे से बाहर रखी गई निधियां

वित्त विभाग ने “राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन” नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 8 करोड़ ₹ का प्रत्यय पत्र संस्वीकृत किया (31 मार्च 2000)। जस्तीकृत लौह पाइपों के क्रयार्थ यह राशि अधिशासी अभियन्ता, मण्डल सं0 1, शिमला के नियंत्रणाधीन रखी गई थी। यह समग्र राशि उसी दिन हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास जमा करवाई गई थी लेकिन उसने सरकार के निदेशों पर इस राशि को 31 मार्च 2000 को हिमाचल प्रदेश सेतु एवं पथ निर्माण निगम, शिमला के पास यह निदेश देकर जमा करवा दिया कि यह राशि यथावश्यक होने पर वापस ले ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने समग्र राशि के प्रत्यर्पणार्थ अनुरोध किया (मई 2000) लेकिन इसे अगस्त 2000 तक वापस प्राप्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार 8 करोड़ ₹ के प्रत्यय पत्र जारी करने का सम्पूर्ण प्रयोजन निष्फल हो गया था क्योंकि यह राशि विनिर्दिष्ट प्रयोजन पर प्रयुक्त नहीं की गई थी और सरकारी लेखे से बाहर भी रही।

2.6.6 निधि का अनियमित अपवर्तन


बजट नियम पुस्तक के अनुसार एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग अनुमत्य नहीं है। वर्ष 1998-99 के दौरान अनुदान संख्या 12 में ‘2701-प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई -04-मध्यम सिंचाई-301-गिरि बाटा परियोजना-01-अनुक्षण व मरम्मत (आयोजनेतर)’ शीर्ष के अन्तर्गत 56.43 लाख ₹ का बजट प्रावधान था। इसके प्रति 103.63 लाख ₹ खर्च किए गए थे। जिसके फलस्वरूप 47.20 लाख ₹ का अधिक व्यय हुआ।

² ग्रामीण बस्तियों को पेय जलापूर्ति स्कीम: 2 करोड़ रूपए, भू-जल को स्थापनार्थ सीड मनी: 0.26 करोड़ रूपए तथा फील्ड चैनल परियोजना का निर्माण: 1.50 करोड़ रूपए

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि संस्वीकृत बजट से अधिक व्यय के नियमन हेतु विभाग ने 43.57 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की लेकिन वित्त विभाग ने उस वर्ष इसे उपलब्ध नहीं करवाया। अनुदान संख्या 12 में इस अधिक व्यय की पूर्ति हेतु पांवटा साहब के अधिशासी अभियन्ता ने अनुदान संख्या 28, प्रमुख शीर्ष '2215-जलापूर्ति स्कीम' की 7 अन्तरण प्रविष्टियों के माध्यम से 47.13 लाख रू० पुनर्विनियोजित किए जहां कि निधियां उपलब्ध थीं। विभाग ने सरकार से पुनर्विनियोग आदेश प्राप्त करने से बचने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई।

2.6.7 वित्त विभाग को दायित्व विवरणियाँ प्रस्तुत न करना

प्रमुख अभियन्ता ने बजट नियम-पुस्तिका की अपेक्षानुसार 1997-2000 वर्षों के दौरान व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा सही बजट आकलन तैयार करने हेतु वित्त विभाग को दायित्व विवरणी प्रेषित नहीं की थी।




प्रवर्ग-क

समीक्षाएं

पृष्ठ

- | | |
|------------------------------------------------|-------|
| ● खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन | 45-57 |
| ● राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम | 58-75 |
| ● ग्रामीण विकास विभाग का कार्यचालन | 76-93 |



तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

प्रवर्ग-क-समीक्षाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1 खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन

मुख्यबातें

राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी ने खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम (पी0एफ0ए0) के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। प्रशिक्षित तकनीकी तथा गैर-तकनीकी जनशक्ति का अभाव सभी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को लाईसेंस के अन्तर्गत न लाना, खाद्य वस्तुओं के नमूने लेने में कमी, प्रशिक्षण प्रदान न करना तथा राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी तथा अन्य क्षेत्रीय विभागीय अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थ मिलावट अधिनियम के निवारण सम्बन्धी क्रियाकलापों का अनुश्रवण न करना जैसी कमियों से प्रकट हुआ कि 1995-99 के दौरान खाद्य पदार्थ मिलावट अधिनियम/नियमावली को लागू करने में बहुत कम ध्यान दिया। इस प्रकार मिलावटी खाद्य सामग्रियों के निर्माण, भण्डारण तथा विक्रय; उपयोग को गुणवत्तायुक्त खाद्य सुनिश्चित करना; गलत मार्का लगाने वालों को रोकना; धोखेबाजों से रक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि जैसे मुख्यतः उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

** खाद्य निरीक्षकों के पद तदर्थ आधार पर संस्वीकृत किए गए। राज्य में सात से 12 खाद्य निरीक्षकों की संस्वीकृत संख्या के प्रति 1995-99 के दौरान केवल एक से पांच नियमित खाद्य निरीक्षक तैनात रहे जिसके कारण खाद्य निरीक्षकों की निरन्तर कमी हुई। कण्डाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला में 24 वरिष्ठ स्तर के सार्वजनिक विश्लेषकों/वैज्ञानिकों के पदों में से अप्रैल 1984 से 23 पद खाली पड़े थे। खाली पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

[परिच्छेद 3.1.6 (i) तथा (ii)]

** 1995-2000 के दौरान न तो राज्य स्तर पर राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा तथा न ही जिलों में किसी लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा विनिर्माताओं, थोक व्यापारियों तथा परचून विक्रेताओं की संख्या सम्बन्धी आंकड़ों का अनुरक्षण किया गया था।

[परिच्छेद 3.1.7.1 (क)]

** खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम के अनुसार यद्यपि प्रत्येक खाद्य लाईसेंस की वैधता उसके जारी करने के पश्चात् 31 मार्च को समाप्त हो गई थी तथापि किसी भी लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा इसकी समाप्त अवधि से पहले एक भी लाईसेंस जारी नहीं किया गया था। लाईसेंस के जारी करने में एक वर्ष में विलम्ब 12 महीनों तक था। विलम्ब से इन लाईसेंसों

को जारी करने के लिए कोई भी शास्ति कमी प्रभावित नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पीएफए अधिनियम में कोई ऐसी धारा सम्मिलित नहीं की गई थी।

[परिच्छेद 3.1.7.1 (ख)(ii)]

** नमूना जांच जिलों में 1995-2000 के दौरान जैसा कि पीएफए नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है खाने के स्थानों/दुकानों की स्वच्छता को सुनिश्चित बनाने के लिए कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

[परिच्छेद 3.1.7.1 (ख)(iii)]

** 1997-98 तथा 1995-96 के दौरान खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बगसाड तथा रती (मण्डी जिला) में तथा बिलासपुर और मण्डी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 1999-2000 तथा 1995-98 के मेलों के दौरान जैसा कि पी0एफ0ए0 अधिनियम/नियमों में निहित है कोई भी खाद्य लाईसेंस जारी नहीं किए गए।

[परिच्छेद 3.1.7.1 (ख)(v)(vi)]

** 1995-99 वर्षों के दौरान खाद्य निरीक्षकों की लगातार कमी के कारण 17 से 66 प्रतिशत के बीच में नमूनों को इक्ट्टा करने में कमी थी। हर एक खाद्य निरीक्षक को दो से चार जिलों से अधिक क्षेत्राधिकार दिया था।

[परिच्छेद 3.1.8.1 (i)]

** वर्ष 1995-99 के दौरान वो खाद्य वस्तुएँ जिन्हें प्रयोगशाला में की गई जांच में मिलावटी/गलत ब्रांड वाली पाया गया था को भी उसका नमूना लेने की तिथि से प्रयोगशाला में की गई जांच की रिपोर्ट आने तक की कालावधि में आम जनता को बेचने की अनुमति दी गई। इन वस्तुओं को बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई जैसा कि वांछित था।

[परिच्छेद 3.1.8.1 (iii)]

** वर्ष 1995-99 के दौरान सीटीएल, कण्डाघाट में नियुक्त कर्मचारियों तथा इसमें लगाए गए उपकरणों तथा मशीनरी का उपयोग जिलों से नमूनों की कम आवक के कारण उनकी कार्यक्षमता से 83 से 94 प्रतिशत तक कम उपयोग किया।

[परिच्छेद 3.1.8.2 (i)]

** वर्ष 1995-99 के दौरान सीटीएल, कण्डाघाट में सभी प्रकार के परिष्कृत उपकरण, मशीनरी तथा कैमीकल सी एजेन्टों इत्यादि की उपलब्धता के बावजूद कीटनाशकों के अवशेषों तथा कुछ जीवाणु सम्बन्धी एवं विषविधाविज्ञ नमूनों की तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण जांच नहीं की गई।

[परिच्छेद 3.1.8.2 (ii)]

** नमूना जांचित तीन जिलों में वर्ष 1995-2000 के दौरान मिलावट/गलत ब्रांड वाले पकड़े गए 206 मामलों में से 157 मामलों में ही कानूनी कार्रवाई आरम्भ की गई थी।

(परिच्छेद 3.1.9)

** 1995-2000 के दौरान न तो पीएफए कार्यकलाप का राज्य स्तर पर कोई अनुरक्षण किया गया तथा न ही निदेशालय से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण किया गया।

(परिच्छेद 3.1.12)

3.1.1 परिचय

उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ को सुनिश्चित बनाने, धोखे अथवा छल से उनके हितों की रक्षा करना तथा उत्तम व्यापार व्यवसाय को सुनिश्चित बनाने के लिए भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, 1954 को अधिनियमित किया। इसका उद्देश्य सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू करना था। अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने 1958 के दौरान पीएफए नियम बनाए जिसे 1984 में संशोधित किया गया। इन नियमों में राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के कर्तव्य एवं अधिकार तथा लाईसेंस जारी करने की शर्तें सम्मिलित थीं। भारत सरकार ने पीएफए अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रारम्भ में परामर्शदाता की भूमिका निभाई, इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी।

3.1.2 अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

पीएफए अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- (i) मनुष्य जाति के उपभोगार्थ मिलावटी खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण तथा विक्रय को रोकना तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को बेचना सुनिश्चित बनाना था।
- (ii) खाद्य पदार्थों के गलत मार्क को रोकना तथा उपभोक्ताओं को धोखे अथवा छल से बचाना।
- (iii) उचित व्यापारिक मान्यताएं सुनिश्चित बनाना।
- (iv) खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना जिससे लोगों तथा उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता हो तथा राज्यों द्वारा कानून को लागू करने को सुनिश्चित करना था।

3.1.3 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के रूप में कार्यरत था तथा पीएफए अधिनियम/नियमों को लागू करने तथा प्रशासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी था तथा उसकी सहायताार्थ एक उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं था। सम्बन्धित जिलों तथा खण्डों में खाद्य विक्रेताओं को खाद्य लाईसेंस जारी करने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी लाईसेंस प्राधिकारी थे। पीएफए अधिनियम/नियमों की अन्य धाराओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी एलएचए के रूप में कार्यरत थे जिनकी सहायताार्थ खाद्य निरीक्षक तैनात थे। पीएफए अधिनियम के अन्तर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के लिए कण्डाघाट (जिला सोलन) में एक संयुक्त जांच प्रयोगशाला कार्य कर रही थी।

3.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

यह जानने के लिए कि अधिनियम की धाराओं का कार्यान्वयन तथा अनुपालना राज्य में कितनी प्रभावशाली थी खाद्य पदार्थ मिलावट अधिनियम/नियम के वर्ष 1995-2000 की अवधि के कार्यान्वयन की समीक्षा फरवरी-अप्रैल 2000 में की गई। तीन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (बिलासपुर, मण्डी तथा सोलन) तथा सीटीएल कण्डाघाट के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई तथा इसकी अनुपूर्ति एसएफ(एच)ए के अभिलेखों की नमूना जांच से की गई। नमूना जांच के लिए चुने गए

जिलों के 18 में से 13 खण्ड चिकित्सा अधिकारियों¹ के लाईसेंस अभिलेखों की भी समीक्षा की गई थी। नमूना जांच के दौरान पाए गए तथ्यों का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है।

3.1.5 वित्तीय पहलू

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

(क) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों एवं कार्यालय व्यय पर विभाग के सामान्य बजट से खर्च किया जा रहा था। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई पृथक लेखा अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी। एसएफ(एच)ए तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया था (मार्च-अप्रैल 2000)।

(ख) भारत सरकार द्वारा (मार्च 1997) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रयोगशाला के सुदृढीकरण के लिए 7 लाख ₹ जारी किए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि सी.टी.एल. कण्डाघाट में सार्वजनिक उप-विश्लेषक द्वारा प्रयुक्त 6.75 लाख ₹ (मार्च 1998) में से 2.10 लाख ₹ हाई परफॉरमेंस लिक्विड करोमोटोग्राफ (1989 में क्रय किया गया) की मरम्मत पर भारत सरकार की स्वीकृति के बिना खर्च किया गया। 0.25 लाख ₹ की शेष राशि को न तो भारत सरकार को वापस किया गया तथा न ही पुनर्विधीकरण करवाया गया।

सार्वजनिक उप विश्लेषक जिसने इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति ली थीं ने बताया (मार्च 2000) कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के उपकरणों तथा औजारों की खरीद उनकी मात्रा के अनुसार थी तथा हाई परफॉरमेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफ की मरम्मत केन्द्रीय निधि से इसके खराब होने के कारण थी। राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं थी क्योंकि निधि के विचलन के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी।

3.1.6 जनशक्ति प्रबन्धन

पीएफए अधिनियम/नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्राप्त जनशक्ति पूर्व आवश्यक है। नमूना जांच से निम्न तथ्य प्रकट हुए:-

(i) राज्य में खाद्य निरीक्षकों के पदों को सृजित करने के लिए मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। 1995-2000 के दौरान समय-समय पर तदर्थ आधार पर पदों को संस्वीकृत किया गया था। यहां तक कि संस्वीकृत पदों को भरा नहीं गया था तथा अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक खाद्य निरीक्षकों के कार्य को भी देख रहे थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	पदों की संख्या		खाद्य निरीक्षकों के खाली पद	अभ्युक्तियां
	संस्वीकृत	कार्यरत कर्मचारी		
1995	7	2+9*	5	पीएफए अधिनियम के
1996	7	2+8*	5	अन्तर्गत पुरुष*
1997	7	1+7*	6	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को
1998	7	शून्य +4*	7	शक्तियां प्रदत्त की
1999	12	5+3*	7	गई।

¹ झण्डूता व घुमारवीं (बिलासपुर जिला); बलदाड़ा, बगसैड, कोटली, करसोग, पदर, स्ती, रोहाण्डा व संधोल (मण्डी जिला); अर्की, नालागढ़ व सायरी (सोलन जिला)

इस प्रकार खाद्य निरीक्षकों की निरन्तर कमी के कारण उनके कार्यों को अपने दायित्वों के अतिरिक्त पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को दिए जाने के कारण अधिनियम के सुचारु कार्यान्वयन में प्रभाव पड़ा।

एसएफ (एच)ए ने बताया (अप्रैल 2000) कि राज्य सरकार द्वारा भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण तथा कुछ खाद्य निरीक्षकों द्वारा पद त्याग के कारण विभिन्न अवसरों पर खाद्य निरीक्षकों के पद खाली रहे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एसएफ(एच)ए द्वारा विहित मानकों के अनुसार खाद्य निरीक्षकों के पद सृजित करके उन्हें भरा जाना चाहिए था ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन तथा कार्यविधि को सुनिश्चित बनाया जा सके। यह भी पाया गया कि 1998-2000 के दौरान प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को दो से चार जिलों का विस्तृत कार्यक्षेत्र दिया गया था जिससे पीएफए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा।

यह भी पाया गया कि 1995 के दौरान मण्डी जिला में दो खाद्य निरीक्षक कार्यरत थे परन्तु कोई भी नमूने नहीं लिए गए थे। उस वर्ष कोई भी न्यायिक मामले नहीं चलाए जा सके क्योंकि जिले में कोई भी इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा एलएचए अधिसूचित नहीं था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी ने बताया (मार्च 2000) कि 1995 के दौरान किसी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/एलएचए को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण कोई भी नमूने नहीं लिए जा सके। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एसएफ(एच)ए द्वारा जिले के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/एलएचए को अधिसूचित किया जाना चाहिए था ताकि पीएफए अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाया जा सके।

(ii) अप्रैल 1984 से सीटीएल कण्डाघाट में विभिन्न संस्वीकृत पद खाली रहे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

पदनाम	पदों की संख्या		
	संस्वीकृत	कार्यरत	खाली
सार्वजनिक विश्लेषक-एवं- रसायन परीक्षक	1	शून्य	1
उप सार्वजनिक विश्लेषक	2	1	1
मुख्य तकनीकी अधिकारी	1	शून्य	1
वरिष्ठ वैज्ञानिक	5	शून्य	5
कनिष्ठ वैज्ञानिक	5	शून्य	5
वरिष्ठ विश्लेषक	10	शून्य	10

संयुक्त जांच प्रयोगशाला कण्डाघाट में 24 संस्वीकृत विभिन्न संवर्गों के पदों में से अप्रैल 1984 से 23 पद खाली रहे।

उप सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा खाली पदों को भरने के कारणों को नहीं बताया गया। एसएफ(एच)ए ने माना (अप्रैल 2000) कि पीएफए अधिनियम के सुचारु कार्यान्वयन में कर्मचारियों की कमी ने अवश्य ही प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि खाली पदों को भरने के लिए पग उठाए जा रहे हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि जून 2000 तक राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद के अतिरिक्त अन्य पदों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद के लिए पोषक संवर्ग कनिष्ठ वैज्ञानिक से भर्ती तथा पदोन्नति नियम को अभी तक (जून 2000) अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण पदों को न भरना तथा विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को जैसे कि कीटनाशक अवशेष, जीवाणु सम्बन्धी तथा टैक्सोकॉलोजिकल परीक्षण नहीं किए जा सके। राज्य सरकार से भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने के पूछे गए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जून 2000)।

3.1.7 दक्षता पहलू

3.1.7.1 लाईसेंस

पीएफए नियमों में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाईसेंस के खाद्य वस्तुओं का उत्पादन, विक्रय भण्डारण, वितरण अथवा तैयार खाद्य पदार्थ तथा सेवार्थ तैयार खाद्य, प्रदीप्त खाद्य सहित किसी भी खाद्य वस्तु का विक्रयार्थ प्रदर्शन नहीं करेगा। नियमों में आगे प्रावधान है कि लाईसेंस देने से पहले लाईसेंस प्राधिकारी अपने आपको संतुष्ट करेगा कि परिसर साफ सुथरा है तथा लाईसेंसधारी ने किसी संक्रामित रोग से ग्रस्त रोगी को परिसर में नियुक्त नहीं किया है।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:-

1995-2000 के दौरान राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी तथा लाईसेंस प्राधिकारी ने खाद्य उत्पादकों, थोक व्यापारियों तथा परचून विक्रेताओं के मूल आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए थे।

(क) 1995-2000 के दौरान राज्य में एसएफ(एच)ए को खाद्य उत्पादकों, थोक व्यापारियों तथा परचून विक्रेताओं की कुल संख्या वर्षानुसार तथा जिलावार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि इस विषय में मूल आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए थे। एसएफ(एच)ए ने बताया (अप्रैल 2000) कि उत्पादकों की संख्या, थोक व्यापारियों तथा परचून विक्रेताओं की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा राज्य स्तर पर कोई भी सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन नहीं किया गया था। इनका विवरण बिलासपुर, मण्डी तथा सोलन जिलों के नमूना जांच किए गए 16 लाईसेंस प्राधिकारियों में से किसी ने भी नहीं रखा था (मुख्य चिकित्सा अधिकारी:3 तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी:13)। लाईसेंस प्राधिकारी के पास मूल आंकड़ों के अभाव में बहुत से मामलों में बिना वैध लाईसेंस के खाद्य व्यापार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

एसएफ(एच)ए द्वारा राज्य में जारी लाईसेंस का अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था।

(ख) एसएफ(एच)ए द्वारा 1995-2000 के दौरान राज्य में जारी वर्षानुसार तथा जिलावार खाद्य लाईसेंस का विवरण अनुरक्षित नहीं किया गया था। तथापि नमूना जांच किए गए तीन जिलों में 1995-2000 के दौरान लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य लाईसेंस का विवरण निम्नानुसार था:-

वर्ष	बिलासपुर				मण्डी				सोलन			
	उत्पादक	भण्डारक	परचून विक्रेता	योग	उत्पादक	भण्डारक	परचून विक्रेता	योग	उत्पादक	भण्डारक	परचून विक्रेता	योग
1995-96	43	15	429	487	15	85	3,100	3,200	223	354	1,108	1,685
1996-97	39	227	745	1,011	17	106	3,815	3,938	101	330	1,025	1,456
1997-98	55	263	939	1,257	17	105	3,559	3,681	175	350	1,017	1,542
1998-99	51	320	912	1,283	20	107	3,700	3,827	218	367	1,006	1,591
1999-2000	61	478	848	1,387	13	90	3,743	3,846	199	357	992	1,548

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:-

(i) मण्डी (1997-2000) तथा सोलन (1996-2000) जिलों में जारी लाईसेंसों में ह्रास हुआ। नमूना जांच किए गए तीन जिलों में लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा न तो किसी पद्धति का विकास तथा न ही अनुसरण किया गया ताकि या तो प्रतिवर्ष सभी खाद्य विक्रेताओं को लाईसेंस जारी किए जाते अथवा जो ऐसा करने में विफल रहे उनके विरुद्ध पीएफए अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाती। मण्डी तथा सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि कर्मचारियों की कमी के कारण खाद्य विक्रेताओं को लाईसेंस जारी न करने की सम्भावना थी। मुख्य चिकित्सा

अधिकारी बिलासपुर ने बताया (अप्रैल 2000) कि ऐसा भविष्य में कर लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अपने अपने जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए थी जिसके द्वारा सभी खाद्य विक्रेताओं के मूल आंकड़े रखे जाएं ताकि प्रत्येक वर्ष जारी किए गए लाईसेंस पर नजर रखी जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा खाद्य विक्रेताओं को लाईसेंस जारी करने को सुनिश्चित बनाने की विफलता के कारण अधिनियम के मूल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य में अधिकतर खाद्य व्यापार बिना वैध लाईसेंस के चल रहा था।

(ii) पीएफए नियमों के अनुसार लाईसेंस जारी करने की तारीख के तुरन्त पश्चात प्रत्येक लाईसेंस की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत तीन नमूना जांच किए गए जिलों में 16 लाईसेंस प्राधिकारियों द्वारा एक भी लाईसेंस जारी नहीं किया गया तथा 1995-2000 के दौरान इसकी समाप्ति से पहले किसी का भी नवीनीकरण नहीं किया गया। 1995-1996 तथा 1998-2000 के दौरान ऐसे लाईसेंस जारी करने में विलम्ब अधिकतम 12 महीने तथा 1996-1998 के दौरान 11 महीनें था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाईसेंस जारी करने में देरी पर नियमों में शास्ति लगाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। इस प्रकार राज्य में लाईसेंस विहीन खाद्य व्यापार वर्ष के अधिकतर समय तक चलता रहा था तथा पीएफए नियमों को लागू करने के लिए कोई प्रभावी पग नहीं उठाए गए। लाईसेंस प्राधिकारी तथा एसएफ(एच)ए ने भी बताया (अप्रैल 2000) कि लाईसेंसों का नवीनीकरण विहित अवधि में नहीं किया गया क्योंकि दोषियों के विरुद्ध अधिनियम की धाराओं में शास्ति का कोई प्रावधान नहीं था तथा खाद्य विक्रेता जो कि बिना वैध लाईसेंस की दुकानें चला रहे थे का खाद्य निरीक्षकों द्वारा उनका चालान किया गया जब भी उन्होंने उनके क्षेत्र का दौरा किया। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि लाईसेंस के विलम्ब से नवीनीकरण/लाईसेंस का जारी करने के लिए शास्ति का नियमों में शामिल करना सरकार का कार्य था जिसे नहीं किया गया तथा दूसरी बात क्योंकि पदों की कमी तथा उनकी न्यायिक मामलों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण जिलों में खाद्य निरीक्षकों का लगातार दौरा बहुत कम था। इस प्रकार लाईसेंस प्राधिकारी तथा एसएफ(एच)ए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कानून लागू करने में असफल रहा जिससे लोगों तथा उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा।

1995-2000 वर्ष में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के परिसरों में सफाई संदेहास्पद थी क्योंकि लाईसेंस प्राधिकारियों द्वारा परिसरों का अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया।

(iii) 1995-2000 के दौरान ढाबे/जलपान गृह/दुकानों इत्यादि में सफाई को सुनिश्चित बनाने के लिए लाईसेंस प्राधिकारियों द्वारा लाईसेंस जारी करने से पहले परिसरों का कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया क्योंकि रिकार्ड में निरीक्षण टिप्पणियां नहीं रखी गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी ने बताया (मार्च 2000) कि बहुआयामी कर्तव्यों के कारण व्यक्तिगत लाईसेंसधारी परिसरों का उनके लिए निरीक्षण करना व्यावहारिक नहीं था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर तथा सोलन द्वारा निरीक्षण न करने के कारणों को नहीं बताया गया (अप्रैल 2000)।

लाईसेंसधारियों की चिकित्सा स्वस्थता सुनिश्चित नहीं की गई।

(iv) 1995-2000 के दौरान मण्डी जिले में लाईसेंसधारियों द्वारा रोजगार में लगाए गए रोगग्रस्त व्यक्तियों की किसी भी लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी ने बताया (मार्च 2000) कि प्रत्येक खाद्य विक्रेता की चिकित्सा जांच करवाना व्यावहारिक नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में प्रत्येक खाद्य विक्रेता की चिकित्सा जांच करवाई जाएगी। इस प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने में विफल रहा।

(v) 1997-98 तथा 1995-96 के दौरान खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बगशाड तथा रत्ती (मण्डी जिला) द्वारा खाद्य विक्रेताओं को कोई भी खाद्य लाईसेंस जारी नहीं किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी ने बताया (मार्च 2000) कि खाद्य विक्रेताओं को वर्षानुसार लाईसेंस जारी करने के आदेश दिए जाएंगे जैसा कि पीएफए अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि

खण्ड चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पीएफए अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए था।

(vi) पीएफए नियमों में अपेक्षित है कि फार्म "बी" में अल्प अवधि (मेलों सहित एक महीने की अवधि से कम) के लिए लाईसेंस जारी किया जाना चाहिए। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर तथा मण्डी द्वारा वर्ष 1999-2000 में "नलबाड़" (जिला बिलासपुर) तथा शिवरात्री मेला 1995-98 के दौरान (जिला मण्डी) अस्थायी लाईसेंस जारी नहीं किए गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर तथा मण्डी से (मार्च 2000) लाईसेंस जारी न करने के मांगे गए कारणों को नहीं बताया गया। इसके कारण पीएफए अधिनियम को लागू नहीं किया जा सका तथा विहित नियमों को लागू न करने के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई।

3.1.7.2 लाईसेंस शुल्क

यथा संशोधित पीएफए नियमों 1984 में प्रावधान है कि खाद्य आपूर्ति के उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, वितरण अथवा खाद्य पदार्थों के विक्रय हेतु प्रदर्शन के लिए लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र 25 ₹ (थोक विक्रेता तथा उत्पादक) तथा 10 ₹ (परचून) वार्षिक शुल्क के साथ भेजा जाना चाहिए।

निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा खाद्य विक्रेताओं को उचित रसीद नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप 1995-2000 के दौरान मण्डी जिले में कदाचार द्वारा लाईसेंस शुल्क अधिक वसूल किया गया।

(i) सरकार द्वारा 1984 में शुल्क का निर्धारण किया गया था परन्तु 16 वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात् भी इसका संशोधन नहीं किया गया।

(ii) 1995-2000 के दौरान जिला मण्डी में किसी भी लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा लाईसेंसधारियों से निर्धारित लाईसेंस शुल्क वसूल करने के पश्चात् कोई रसीद नहीं दी गई। इस प्रकार लेखापरीक्षा में इसकी गणना की जांच नहीं की जा सकी। कोटली खण्ड जिला मण्डी के स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करवाने पर (सितम्बर 1999) जांच के पश्चात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी ने पाया (अक्टूबर 1999) कि खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोटली द्वारा कोटली तथा रिवाल्सर के दुकानदारों से 35 तथा 50 ₹ के मध्य अधिक लाईसेंस शुल्क वसूल किया गया जिसमें से मात्र 10 ₹ प्रति लाईसेंस शुल्क सरकारी लेखे में जमा करवाया गया क्योंकि जांच समिति की जांच रिपोर्ट में जारी किए गए लाईसेंस की निश्चित संख्या तथा वसूल किए शुल्क की राशि का विवरण नहीं था इस कारण वित्तीय सम्बद्धता की गणना नहीं की जा सकी। अप्रैल 2000 तक उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी ने बताया (मार्च 2000) कि स्थापित प्रथा के अनुसार व्यक्तिगत खाद्य विक्रेताओं को रसीदें जारी नहीं की गईं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विक्रेताओं को उचित रसीद दी जानी चाहिए थी तथा वसूली को सरकारी लेखे में जमा करवाना चाहिए था। इस प्रकार, इन मामलों में सरकारी धन के गबन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(iii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए तीन जिलों में 1995-2000 के दौरान विभिन्न खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लाईसेंस शुल्क को विभिन्न दरों पर प्रभारित किया गया।

जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

जिला	लाईसेंस प्राधिकारी का नाम	वर्ष	खाद्य विक्रेता की किस्म	लाईसेंस शुल्क जो वसूल किया जाना चाहिए था (रुपयों में)	वसूल किया गया
बिलासपुर	ख0चि0अ0 झण्डूता	1995-96 से 1999-2000	मेलों के लिए अस्थायी लाईसेंस	5	10 से 25
मण्डी	ख0चि0अ0 संघोल	1999-2000	उत्पादक	25	10
सोलन	(i) ख0चि0अ0 अर्की	1995-2000	उत्पादक भण्डारक, परचूनविक्रेता	25 10	4* 4*
	(ii) ख0चि0अ0 नालागढ़	1998-2000	उत्पादक	25	10
	(iii) ख0चि0अ0 सायरी	1995-96 1996-99	उत्पादक परचूनविक्रेता	25 10	50 25

इसके परिणामस्वरूप 1995-2000 के दौरान नमूना जांच जिलों में लाईसेंस शुल्क को 0.24 लाख रू (मण्डी: 45 रू; सोलन: 24,219 रू) कम तथा 0.17 लाख रू (बिलासपुर: 5870 रू; सोलन: 11130 रू) अधिक प्रभारित किए गए। खण्ड चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से उन्हें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए।

(iv) राज्य वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि वसूल किया लाईसेंस शुल्क सरकारी लेखे में शीघ्र जमा होना अपेक्षित है। नमूना जांच से पता चला कि 1995-2000 के दौरान खण्ड चिकित्सा अधिकारियों कोटली, पद्धर तथा रोहाण्डा (जिला मण्डी) तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी धुमारवीं (जिला बिलासपुर) द्वारा वसूल किया गया। लाईसेंस शुल्क एक तथा 12 महीनों के मध्य की देरी से जमा करवाया गया। इस प्रकार वित्तीय नियमों के विपरीत सरकारी धन को सरकारी लेखे से बाहर रखा गया।

3.1.8 प्रभावी पहलू

3.1.8.1 खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य नमूने

एसएफ(एच)ए के निदेशों (मई 1988) के अन्तर्गत प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को खाद्य पदार्थों के प्रतिमास आठ से दस नमूने लेने पड़ते हैं। राज्य में 1995-99 के दौरान लिए गए नमूने का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	कार्यरत खाद्य निरीक्षकों की संख्या	कम से कम जो नमूने मानकों के अनुसार प्रति माह लिए जाने थे	लिए गए वास्तविक नमूने की संख्या	कमी (प्रतिशतता)
1995	2+9*	1,056	782	274(26)
1996	2+8*	960	718	242(25)
1997	1+7*	768	448	320(42)
1998	शून्य +4*	384	317	67(17)
1999	5+3#	768	264	504(66)

* प्रति लाईसेंस एक समान 20 रू वसूले गए जिसमें 16 रू स्वास्थ्य जांच शुल्क के सम्मिलित हैं। इस प्रकार 4 रू प्रति लाईसेंस वसूला गया।

पीएफए एक्ट के अनुसार पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को खाद्य शक्तियां दी गई थी।

उपरोक्त विवरण से यह देखा गया कि:-

खाद्य निरीक्षकों द्वारा 1995-99 के मध्य नमूनों को इक्ट्टा करने में कमी 17 तथा 66 प्रतिशत के मध्य थी।

(i) नमूनों को इक्ट्टे करने की कमी में बढ़ौतरी 1995 में 26 प्रतिशत से 1999 में 66 प्रतिशत बढ़ गई थी। नमूना जांचित जिलों के एलएचए ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि खाद्य नमूनों को लेने में कमी, जनशक्ति की कमी तथा प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को दो से चार जिले दिए जाने से तथा विभिन्न कोर्टों में अपने कोर्ट के मामलों में व्यस्त रहने के कारण आई थी। उत्तर लेखापरीक्षा की इस धारणा को बल देता है कि राज्य सरकार द्वारा भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने से संवर्ग के विभिन्न वर्गों के पदों में कमी के कारण पीएफए अधिनियम को सही प्रकार से लागू नहीं किया जा सका तथा सरकार को शीघ्रता से इसे दूर किया जाना चाहिए।

(ii) खाद्य निरीक्षकों द्वारा लाहौल तथा स्पिति जिला (1995-99), किन्नौर जिला (1995, 1997, 1998 तथा 1999) तथा कुल्लू व मण्डी जिलों (1995) में खाद्य पदार्थों का कोई भी नमूना नहीं लिया गया था। एलएचए, मण्डी ने बताया (मार्च 2000) कि सम्बन्धित वर्ष में एलएचए की नियुक्ति न कर सकने के कारण नमूने नहीं लिए जा सके। इस प्रकार जनता को वर्ष 1995 में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(iii) 1995-99 में विभिन्न पदार्थों के लिए दिए गए 2529 नमूनों में से प्रयोगशाला में की गई जांच में 631 नमूने (25 प्रतिशत) मिलावटी/गलत ब्रांड के पाए गए थे। पीएफए अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षक के पास प्राधिकार है कि यदि कोई पदार्थ जो खाने के लिए प्रयुक्त होता हो, को मिलावटी या गलत ब्रांड का हो को छीन कर ले जा सकता है या अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इस प्रकार के 631 नमूने जो कि प्रयोगशाला, (सी.टी.एल.) में बाद में मिलावटी/गलत ब्रांड के पाए गए थे और दैनिक प्रयोग के थे पर कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में असफल रहें तथा लिए गए नमूने तथा प्रयोगशाला से प्राप्त होने की रिपोर्ट की कालावधि में जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री होती रही जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों बिलासपुर, मण्डी तथा सोलन ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि पीएफए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत नमूना लिए गए पदार्थ की बिक्री को प्रतिबन्धित किया जा सके। इस प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीएफए नियमों से अनभिज्ञ थे जिनमें यह प्रावधान है कि यदि कोई वस्तु मिलावटी या गलत ब्रांड की लगती हो तो उसे या तो जब्त किया जा सकता है या फिर सुरक्षित रखी जाती है।

नमूना जांचित जिलों में निम्न भोज्य वस्तुओं के नमूने नहीं लिए गए थे:-

जिला	मर्दे	कालावधि
बिलासपुर	(i) फल उत्पाद	1995-96 से 1999-2000
	(ii) मिनरल वाटर	1995-96 से 1999-2000
	(iii) अल्कोहल रहित पेय पदार्थ	1995-96 से 1998-99
	(iv) आयोडाइज्ड साल्ट	1995-96 से 1997-98
मण्डी	(i) दाले	1996, 1998 व 1999
	(ii) शिशु आहार	1996 से 1999
	(iii) मिनरल वाटर	1996 से 1999
	(iv) अल्कोहल रहित पेय पदार्थ	1996 से 1998
	(v) अन्य भोज्य पदार्थ	1996, 1997 व 1999
सोलन	मिनरल वाटर	1995 से 1997 व 1999

मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि खाद्य निरीक्षक कोर्ट के मामलों में व्यस्त थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्टॉफ की कमी के बावजूद कुछ नमूनों की जांच की सम्भावना हमेशा होती है। पीएफए अधिनियम के अन्तर्गत इन आवश्यक मदों के लिए इस प्रकार की कार्रवाई न करने से विभिन्न प्रकार के भोज्य मदों की गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/एलएचए असफल रहे।

3.1.8.2 खाद्य जांच प्रयोगशाला

विभिन्न अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत खाद्य नमूनों की जांच के लिए कण्डाघाट में एक सी.टी.एल. स्थापित की गई थी (अप्रैल 1984)। प्रयोगशाला के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:-

1995-99 के दौरान सी.टी.एल. के कर्मचारियों तथा उपस्कर की कम उपयोगिता 83 तथा 94 प्रतिशत के मध्य थी।

(i) 4500 वार्षिक खाद्य नमूनों की जांच क्षमता के विपरीत 1995 के दौरान सीटीएल में जांच के लिए नमूनों की प्राप्ति 782 थी जो कि 1999 के दौरान धीरे-धीरे 264 तक नीचे आ गई थी। 1995-99 के दौरान इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुसार प्रयोगशाला के कर्मचारियों की सेवाओं तथा उपस्कर तथा मशीनरी का इस प्रकार 83 तथा 94 प्रतिशत के मध्य कम उपयोग किया गया। सार्वजनिक विश्लेषक ने बताया (मार्च 2000) कि सीटीएल की पूर्ण क्षमता का उपयोग तभी किया जा सकता था यदि सभी खाली पदों को भर दिया जाता।

(ii) 1995-2000 के दौरान कीटनाशक अवशेष, जीवाणु सम्बन्धी तथा टॉक्सिकोलोजिकल की जांच नहीं की गई थी यद्यपि सी.टी.एल. में सभी परिष्कृत उपस्कर तथा मशीनरी एवं वास्तविक रसायन मौजूद थे। एसएफ(एच)ए ने बताया (अप्रैल 2000) कि जांच नहीं की जा सकी क्योंकि प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी थी। तथापि खाली पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

(iii) 6.56 लाख ₹ में खरीदा गया (फरवरी 1990) एक एटॉमिक एक्सॉरपशन स्पैक्ट्रोफोटोमीटर सीटीएल में फरवरी 1997 से मुरम्मत न करवाए जाने के कारण खराब पड़ा हुआ था। उप सार्वजनिक विश्लेषक ने बताया (मार्च 2000) कि मामला आपूर्तिकर्ता से पत्राचार अधीन था तथा उपस्कर को मरम्मत के पश्चात् उपयोग में लाया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपस्कर को मुरम्मत करवाने के लिए पग नहीं उठाए गए थे।

3.1.9 न्यायालय मामले

नमूना जांच किए गए जिलों में न्यायालय मामलों की स्थिति परिशिष्ट-XI में दी गई है। निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

(i) पीएफए अधिनियम/नियमों के अनुसार मिलावट/गलत मार्केवाली खाद्य वस्तुओं के सभी अभियोजन मामलों को नामित न्यायालयों में चलाया जाना चाहिए था। नमूना जांच से पता चला कि 1995-2000 के दौरान मिलावट/गलत मार्क वाले पाए गए 206 मामलों में से मात्र 157 मामलों में ही अभियोजन कार्रवाई प्रारम्भ की गई जबकि 49 मामलों में कोई भी अभियोजन कार्रवाई नहीं की गई तथा सम्बन्धित पक्षों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि इसे लघु प्रकृति के अपराध मान कर किया गया था जिसके सम्बन्ध में एसएफ(एच)ए द्वारा (नवम्बर 1995) में अनुदेश जारी किए गए थे। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि यह पीएफए अधिनियम/नियमों के विपरीत था। इस प्रकार एलएचए/एसएफ(एच)ए मिलावट/गलत मार्के के सभी मामलों में न्यायिक मामलों को स्थापित करने में विफल रहे तथा चेतावनी देकर दोषियों को छोड़

देने के अनुदेश पीएफए अधिनियम/नियमों का उल्लंघन करने वाले थे। इस बीच 1995-99 में नमूना जांचित जिलों में 98 मामलों² में सजा हुई।

(ii) दिसम्बर 1999 के अन्त तक 114 बकाया न्यायिक मामलों (बिलासपुर: 28; मण्डी: 19 तथा सोलन:67) में 8 मामले एक वर्ष से कम 94 मामले 1 से 3 वर्ष जबकि 12 मामले 3 वर्षों से अधिक पुराने थे।

3.1.10 उपभोक्ता जागरूकता तथा विज्ञापन

नमूना जांच से पता चला कि 1996-2000 के दौरान पीएफए अधिनियम/नियमों के विषय में आम जनता में न तो उपभोक्ता जागरूकता के लिए किसी निधि का प्रावधान किया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई गतिविधि प्रारम्भ की गई। एसएफ(एच)ए ने बताया (अप्रैल 2000) कि सरकार द्वारा पीएफए अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई पृथक बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा इस प्रकार जागरूकता क्रियाकलाप का आयोजन नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एसएफ(एच)ए को सरकार से निधि प्रावधान का मामला उठाना चाहिए था तथा विद्यमान विस्तार कर्मचारियों द्वारा पीएफए अधिनियम के प्रावधानों को उपभोक्ता जागरूकता तथा विज्ञापन द्वारा सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार एसएफ(एच)ए पीएफए अधिनियम को उपभोक्ता जागरूकता तथा विज्ञापन को सुनिश्चित बनाने में विफल रहा।

3.1.11 प्रशिक्षण

1995-2000 के दौरान तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की प्रवीणता के उत्थान के लिए किसी भी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया। एसएफ(एच)ए ने बताया (अप्रैल 2000) कि पीएफए अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्रशिक्षण प्रदान करना अपेक्षित नहीं था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास होने से प्रवीणता के उच्चीकरण के कारण पीएफए अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन में सहायता मिल सकती थी।

3.1.12 अनुश्रवण

विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वरिष्ठ स्तर पर पीएफए अधिनियम का सूक्ष्म अनुश्रवण आवश्यक था। तथापि यह पाया गया:-

(i) 1995-2000 के दौरान न तो निदेशालय स्तर पर कोई अनुश्रवण प्रकोष्ठ था तथा न ही किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया। एसएफ(एच)ए ने बताया (अप्रैल 2000) कि इस प्रकार के प्रकोष्ठ का सृजन कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं किया जा सका।

(ii) एसएफ(एच)ए द्वारा पीएफए की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक भेजी जानी अपेक्षित थी जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मासिक विवरण आगामी महीने की 7 तारीख से पहले एसएफ(एच)ए को प्रस्तुत किया जाना था।

नमूना जांच से पता चला कि एसएफ(एच)ए द्वारा भारत सरकार को 1996 से 1998 के वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में 6 तथा 19 महीनों के मध्य का विलम्ब था। 1999 के वार्षिक प्रतिवेदन को अप्रैल 2000 तक नहीं भेजा गया था। इस प्रकार अगस्त 1996 से दिसम्बर 1999 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी द्वारा एसएफ(एच)ए को प्रेषित मासिक प्रतिवेदन में विलम्ब 5 से 53 दिनों का था। एसएफ(एच)ए ने प्रतिवेदनों को विलम्ब से भेजे जाने के कारणों को कर्मचारियों की कमी बताया (अप्रैल 2000)।

² बिलासपुर: 61; मण्डी: 14 तथा सोलन: 23

(iii) नमूना जांच से पता चला कि एसएफ(एच)ए द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा उप लोक विश्लेषक सीटीएल कण्डाघाट द्वारा लिए गए नमूनों के आंकड़ों में भारी अन्तर था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	एसएफ(एच)ए द्वारा प्रतिवेदित आंकड़े	सी.टी.एल. कण्डाघाट के अभिलेखों के अनुसार आंकड़े	अन्तर अधिक(+)/ कम(-)
		(संख्या में)	
1995	660	782	(+)122
1996	764	718	(-)46
1997	579	448	(-)131
1998	750	317	(-)433

क्योंकि निदेशालय स्तर पर कोई उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था अतः भारत सरकार को आंकड़ों का प्रेषण बढ़ा चढ़ा कर किया गया। एसएफ(एच)ए से (मई 2000) नमूनों के अधिक/कम संख्या में भारत सरकार को भेजे गए आंकड़ों के कारण पूछे गए जिन्हें बताया नहीं गया।

3.1.13 मूल्यांकन

यद्यपि राज्य में पीएफए अधिनियम का कार्यान्वयन 1958 से किया जा रहा था तथापि अप्रैल 2000 तक इसके कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन आंकलित नहीं किया गया था।

3.1.14 निष्कर्ष

राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी ने खाद्य विक्रेताओं के मूल आंकड़े तैयार नहीं किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन सभी को लाईसेंस जारी किए गए हैं। विभाग में खाद्य निरीक्षकों तथा संयुक्त खाद्य जांच प्रयोगशाला कण्डाघाट में विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की निरन्तर कमी थी जिसके परिणामस्वरूप पीएफए अधिनियम की विभिन्न धाराओं की अनुपालना को सुनिश्चित नहीं बनाया जा सका। पुनः खाद्य अपमिश्रण जन स्वास्थ्य का मुद्दा है तथा पी0एफ0ए0 के अन्तर्गत प्रदत्त कर्तव्यों की अवहेलना तथा समय की बाधा से पभावी पर्यवेक्षण न होने से उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इसके अपमिश्रण की रोकथाम की सीमा विस्तृत जनहित के संदर्भ में देखी जानी है। पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को अपने कार्य के अतिरिक्त खाद्य निरीक्षकों का कार्य सौंपना भी एक बाधा है और इसने भी अधिनियम के सुगम कार्यान्वयन पर प्रभाव डाला। लाईसेंस जारी करने में विलम्ब, खाना खाने के स्थानों/दुकानों के परिसरों की सफाई को सुनिश्चित बनाने के लिए निरीक्षण, नमूनों के संग्रहण में कमी तथा पीएफए अधिनियम के अनुश्रवण की गतिविधियों में विफलता इस तथ्य के सूचक हैं कि अधिनियम के उद्देश्य मुख्यतः उपलब्ध नहीं किए जा सके।

जून 2000 में इन तथ्यों को सरकार को भेजा गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2000)।

3.2 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

मुख्य बातें

1995-2000 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त 28.78 करोड़ ₹ का राज्य सरकार द्वारा विचलन किया गया। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि तथा प्रभावी दम्पति संरक्षण दर में कमी इस बात का द्योतक है कि शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं थीं तथा पात्र दम्पतियों को स्वास्थ्य कल्याण उपायों को अपनाने के लिए कम प्रोत्साहित किया जा रहा था। बढ़ा-चढ़ा कर बताने के बावजूद सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन प्रस्ताव न अपनाने के कारण 1995-2000 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां कम रही। मानकों की अवहेलना करके स्वास्थ्य संस्थानों को खोला गया जिसके कारण प्राप्त संसाधनों की बांट में कमी आई। उप-केन्द्रों में कर्मचारियों की तैनाती विवेकपूर्ण नहीं थी क्योंकि कई उपकेन्द्र स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण अकार्यशील रहे तथा अन्य में अधिक कर्मचारी तैनात थे। बिना अतिरिक्त मूलभूत तथा अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान किए स्वास्थ्य संस्थाओं का उच्चीकरण किया गया। सरकार द्वारा डाक्टरों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों के पदों को संस्वीकृत न करने के कारण मुख्यतया प्रसवोत्तर कार्यक्रम को संतोषजनक तरीके से नहीं चलाया जा सका। प्रसवोत्तर केन्द्रों के निष्पादन में कमी 11 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी। प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच) विभाग द्वारा लापरवाही से लागू किए जाने के कारण पूरी तरह से आरम्भ नहीं हो सका। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नहीं किया गया। मुख्य बातें निम्न प्रकार से थी:-

** 1995-2000 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त 135.27 करोड़ ₹ में से 107.33 करोड़ ₹ का आबंटन किया गया था तथा शेष 27.94 करोड़ ₹ की राशि का राज्य सरकार द्वारा विचलन किया गया।

[परिच्छेद 3.2.4 (i)]

** कार्यक्रम के 83.75 लाख ₹ की निधि का विचलन राज्य की योजनाओं पर लगाए गए स्टाफ के प्रशासकीय व्ययों को पूरा करने के लिए खर्च किया गया तथा वाहनों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपयोग किया गया।

[परिच्छेद 3.2.4(ii) तथा (iii)]

** बढ़ा-चढ़ा कर प्रतिवेदित करने के बावजूद सामुदायिक आवश्यकता प्रस्ताव का मूल्यांकन न अपनाने के कारण 1995-200 में लक्ष्यों में 13 से 46 प्रतिशत की कमी आई। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के पास इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था कि राज्य सरकार/भारत सरकार को क्यों परिवार कल्याण तरीकों के अन्तर्गत विभिन्न प्रतिवेदनों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया। चार महत्वपूर्ण मापदण्डों में कमी के कारण कार्यक्रम की सफलता में कमी आई।

[परिच्छेद 3.2.5 (क)]

** राज्य द्वारा कोई अलग सांख्यिकी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत 2000 एडी के लिए स्थापित लक्ष्यों को सिवाए मृत्यु दर में कमी के प्राप्त नहीं किया गया।

[परिच्छेद 3.2.5 (ग)(i)]

** शिशु मृत्यु दर में वृद्धि तथा प्रभावी दम्पति संरक्षण में कमी थी जो इस बात का द्योतक थी कि परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थी।

[परिच्छेद 3.2.5 (ग)(iii) तथा (iv)]

** छ: महीनों से पांच वर्षों से अधिक तक स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण तीन जिलों में 47 उपकेन्द्र कार्यशील नहीं थे जिसके कारण 0.99 लाख की जनसंख्या आवश्यक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं से वंचित रही।

[परिच्छेद 3.2.6 (ख)]

** तीन जिलों में 263 स्वास्थ्य संस्थाओं का (28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 235 उपकेन्द्र) निजी भवनों में आवास था जिनके पास अन्तरंग सुविधाएं नहीं थीं।

[परिच्छेद 3.2.6 (ग)(iii)]

** प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 डाक्टर के पदों की तुलना में 12 पद संस्वीकृत थे तथा 177 अर्ध चिकित्सा कर्मचारी तथा 71 अन्य कर्मों के पद क्रमशः 67 तथा 43 पद संस्वीकृत थे।

[परिच्छेद 3.2.8.1(क)(i)]

** पांच प्रसवोत्तर केन्द्रों में प्रत्यक्ष रजामंदी वाले स्टर्लाईजेशन मामलों में कमी 11 से 100 प्रतिशत तथा अन्य परिवार कल्याण तरीकों में यह 89 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी।

[परिच्छेद 3.2.8.5]

** प्रत्येक प्रसवोत्तर केन्द्र में प्रति विस्तर 75 बंधयीकरण मामले वार्षिक अपेक्षित के विपरीत वास्तविक बंधयीकरण 2 तथा 26 मामले के मध्य थी।

[परिच्छेद 3.2.8.6]

** प्रसवोत्तर केन्द्रों के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए कोई भी समन्वय कमेटी नहीं बनाई गई थी।

[परिच्छेद 3.2.8.7]

** प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त 6.72 करोड़ रु० में से 5 करोड़ रु० विभिन्न निष्पादन अभिकरणों के पास अव्ययित तथा अवरुद्ध रहे।

[परिच्छेद 3.2.9 (i)]

3.2.1 परिचय

भारत सरकार ने 1951 के दौरान विशुद्ध सांख्यिकी कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम आरम्भ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 में प्रारम्भ किया गया था। तथापि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) संसद द्वारा 1983 में अनुमोदित की गई थी जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य तथा शुद्ध पुनः प्रजनन समागम दर के दो लक्ष्यों को 2000 ईस्वी के अन्त तक प्राप्त करना था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं के अनुरूप एक स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए (i) विभिन्न परिवार नियोजन उपायों तथा अस्थायी गर्भ निरोधक उपायों द्वारा जन्म तथा मृत्यु दर को कम करना (ii) परम्परागत निरोधक उपाय तथा खाने की गोलियां इत्यादि उपायों को अपनाने के लिए लोगों को समझाना तथा (iii) परिवार नियोजन तरीकों को अपनाने वालों को उनके घर द्वार पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, दवाईयां प्रोत्साहन प्रदान करना। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने हेतु मार्च 2000 तक 8747 विस्तरों सहित राज्य में 2642 स्वास्थ्य संस्थाएं थीं।

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कार्यक्रम का कार्यान्वयन निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की निगरानी में किया गया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों इत्यादि के तंत्र के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। सचिवालय स्तर पर वित्तीययुक्त एवं सचिव स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के सर्वेसर्वा थे।

3.2.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1995-2000 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा दिसम्बर 1999-अप्रैल 2000 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी। तीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी¹, 18 उप-जिला इकाइयाँ² जिनके अध्यक्ष खण्ड चिकित्सा अधिकारी थे तथा प्राचार्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, परिमहल, शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। सचिवालय तथा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अभिलेखों की नमूना जांच करके रह गई कमी की पूर्ति की गई। मुख्य बातें जो ध्यान में आई आगामी परिच्छेदों में दी गई हैं।

3.2.4 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है सिवाय चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा कार्मिक प्रबोधन प्रशिक्षण के लिए आवर्ती अनुदान के जो कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 भाग के आधार पर अनुमत था। 1995-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा वर्षानुसार जारी की गई निधियां बजट आबंटन तथा उसके विपरीत व्यय निम्नानुसार था:-

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त निधियां	आबंटित निधियां		वास्तविक व्यय		आधिक्य (+)/बचत(-)	
		केन्द्रीय	राज्य	केन्द्रीय	राज्य	केन्द्रीय	राज्य
(करोड़ रुपए)							
1995-96	29.11	17.39	1.80	16.41	2.00	(-)0.98	(+)0.20
1996-97	30.46	19.57	2.21	20.75	2.01	(+)1.18	(-)0.20
1997-98	24.27	21.59	2.03	19.83	2.17	(-)1.76	(+)0.14
1998-99	27.76	22.80	2.41	26.62	2.65	(+)3.82	(+)0.24
1999-2000	23.67	25.98	3.10	26.67	2.43	(+)0.69	(-)0.67
जोड़	135.27	107.33	11.55	110.28	11.26	(+)2.95	(-)0.29

निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

1995-2000 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त 27.94 करोड़ रूपी का राज्य सरकार द्वारा विचलन किया गया।

(i) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1995-2000 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त 135.27 करोड़ रूपी में से 107.33 करोड़ रूपी कार्यक्रम के लिए आबंटित किया गया था तथा शेष 27.94 करोड़ रूपी का राज्य सरकार द्वारा विचलन किया गया। डीएचएस ने बताया (अप्रैल 2000) कि योजना की निधियों का विचलन उनके स्तर पर नहीं किया गया था तथा सरकार भी कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

¹ हमीरपुर, सिरमौर तथा ऊना।

² बड़सर, भोरंज, गलोड़, नादौन, सुजानपुर तथा टौणी देवी (हमीरपुर जिला); धगेड़ा, पांवटा साहब, राजपुर संगराह, सराहां तथा शिलाई (सिरमौर जिला); अमलेहड़, बंगाणा, दौलतपुर, गगरेट, हरोली तथा थाना कलां (ऊना जिला)।

नहीं दे सकी तथा विचलन कहां पर किया गया है नहीं बतला सकी तथापि सरकार ने बताया (जुलाई 2000) कि मामले की छानबीन की जा रही है।

(ii) 1995-2000 के दौरान सात³ खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 67.83 लाख रु० का विचलन स्थापना व्यय पर 38 पदों के लिए किया गया। सम्बन्धित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 2000) कि राज्य खण्ड में निधियों की कमी के कारण राज्य खण्ड के अन्तर्गत वेतन को केन्द्रीय प्रायोजित योजना को प्रभारित किया गया।

(iii) तीन नमूना जांचित जिलों में अनियमित रूप से 15.92 लाख रु० 16 वाहनों के रख रखाव तथा संचालन के लिए व्यय किए गए थे क्योंकि इन वाहनों के द्वारा 6.46 लाख किलोमीटर की तय की गई दूरी कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं थी। सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (जनवरी-मार्च 2000) कि इन वाहनों का प्रयोग अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए किया गया था क्योंकि कोई भी वाहन उन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध नहीं था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि संचालन व रख रखाव की लागत आनुपातिक रूप से सम्बन्धित कार्यक्रमों के नामे भी डाली जानी चाहिए थी।

(iv) लक्ष्यों में मुख्य द्योतक अर्थात् शिशुओं की मृत्यु दर में बढ़ोतरी प्रभावी युगल संरक्षण दर में तेजी से ह्रास (सीपीआर) बंधीयकरण आंकड़ों में कमी तथा क्रयूड बर्थ रेट (सीबीआर) के लक्ष्यों की अप्राप्ति यह दर्शाती है कि जो भी राशि प्रयुक्त की गई वह कोई भी सकारात्मक लाभ नहीं दे पाई जैसाकि निम्नलिखित परिच्छेदों में चर्चित है:-

3.2.5 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(क) भारत सरकार ने विभिन्न परिवार कल्याण विधियों की क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1996 से लक्ष्य विहीन अप्रोच (टीएफए) आरम्भ करने का निर्णय लिया था (अप्रैल 1996) जिसको वर्ष 1997 में सामुदायिक आवश्यक आकलन अप्रोच (सीएनए) का नाम दिया गया था। सीएनए के अन्तर्गत विभाग को क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा आगामी वर्ष के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए परिवारों, महिला स्वास्थ्य संघों/पंचायतों इत्यादि के साथ विचार विमर्श के उपरान्त प्रत्येक वर्ष फरवरी/मार्च में कार्यान्वयन योजना को तैयार करने का प्रावधान है।

यह पाया गया कि वर्ष 1998-99 तक विभाग द्वारा ऐसी किसी भी योजना को तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार यथापेक्षित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। फिर भी वर्ष 1995-2000 में विभिन्न परिवार कल्याण विधियों में निष्पादित लक्ष्य निम्न थे:-

विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रम विधियों में लक्ष्यों के निष्पादन 1995-2000 के बीच 13 तथा 46 प्रतिशत की कमी आई।

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
(क) नसबन्दी			
1995-96	44,000	35,856	1995-96 में निर्धारित 44000 मामलों के प्रतिपक्षता में 35856 मामलें निष्पादित किए जो कि वर्ष 1999-2000 में और कम होकर 31783 मामले रह गए। 1995-96 की प्रतिपक्षता में 1999-2000 में लक्ष्यों में 17 प्रतिशतता की कमी आई। लक्ष्यों की प्राप्ति में 1995-96 की तुलना में 1995-99 में 19 से 30 प्रतिशत की कमी आई। 1999-2000 में निर्धारित लक्ष्यों व निष्पादित लक्ष्यों में 13 प्रतिशत की कमी थी।
1996-97	निर्धारित नहीं	31,609	
1997-98	निर्धारित नहीं	32,474	
1998-99	निर्धारित नहीं	30,760	
1999-2000	36,457	31,783	

³ बडसर, भोरंज, धगेरा, राजपुर, संगराह, सराहां तथा शिलाई।

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा दिप्पणियां
(ख) इन्टर यूरीन डीवाईस (आईयूडी)			
1995-96	66,000	47,562	लक्ष्यों के निष्पादन में लगातार गिरावट 1995-96 के
1996-97	निर्धारित नहीं	37,797	47562 मामलों की तुलना में 1999-2000 में 34752
1997-98	निर्धारित नहीं	36,658	मामले थी। 1999-96 की तुलना में लक्ष्यों के निष्पादन
1998-99	निर्धारित नहीं	35,897	में गिरावट 1995-99 में 28 और 46 प्रतिशत के मध्य
1999-2000	49,230	34,752	थी। 1999-2000 में लक्ष्यों की 25 प्रतिशत में कमी के बाद भी लक्ष्यों की प्राप्ति में 29 प्रतिशत की कमी थी।
(ग) परम्परागत निरोध प्रयोग करने वाले			
1995-96	निर्धारित नहीं	78,769	वर्ष 1995-96 में 78769 व्यक्तियों द्वारा परम्परागत
1996-97	निर्धारित नहीं	67,962	निरोध प्रयोग किए गए थे जबकि वर्ष 1999-2000 में
1997-98	निर्धारित नहीं	65,886	65917 द्वारा प्रयुक्त किए गए। वर्ष 1995-96 की तुलना
1998-99	निर्धारित नहीं	64,565	में 1995-2000 में लक्ष्यों में गिरावट 14 और 18
1999-2000	निर्धारित नहीं	65,917	प्रतिशत के मध्य थी।
(घ) गोण्डिया का प्रयोग करने वाले			
1995-96	35,000	23,308	1995-96 में निर्धारित 35000 ओपी को प्रयोग करने के
1996-97	निर्धारित नहीं	21,944	लक्ष्यों की प्रतिपक्षता में 23,308 ने ओपी का सेवन
1997-98	निर्धारित नहीं	23,264	किया जबकि 1999-2000 में इनकी संख्या बढ़ कर
1998-99	निर्धारित नहीं	23,494	24,593 थी। 1995-96 में निर्धारित लक्ष्यों के निष्पादन
1999-2000	निर्धारित नहीं	24,593	में गिरावट 1995-2000 में 30 से 37 प्रतिशत के मध्य थी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वास्तविक रूप से यह कार्यक्रम को गहरा आघात है क्योंकि चार प्रमुख पैरामीटरों में कमी का रूझान था। लब्धियों को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के सम्बन्ध में निम्नांकित (i) से (iv) की विवेचनाओं के साथ पठित यह आपात घोषणा से काफी अधिक था।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अप्रैल 2000) वर्ष 1996-97 में क्षेत्रीय स्टाफ के द्वारा लक्ष्य विहीन सनिकटता को समझ ना पाने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट आई। उत्तर मान्य नहीं था जैसा कि विहित है कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्रीय स्टाफ के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में असफल रहा।

निम्न और मुद्दे ध्यान में आए:-

1995-96 में एफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत निष्पादन स्तर पर उपयोग किए गए मामलों में 2.05 लाख अधिक प्रतिवेदित किया गया।

(i) उपकेन्द्रों द्वारा प्रतिवेदित नलबन्दी ऑपरेशनों की संख्या (1.47 लाख) 1995-2000 वर्षों के दौरान प्रयुक्त ट्यूबल रिंग्स/फेलोपियन रिंग्स से 50 प्रतिशत अधिक था।

(ii) प्रविष्ट आई0यू0डी0 के लब्धि आंकड़े 1995-2000 वर्षों के दौरान जारी आई0यू0डी0 से 0.36 लाख अधिक थे।

(iii) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ~~निर्धारित मानदण्डों के अनुसार~~ सीसी प्रयोग करने वाले उसे माना जाएगा जो प्रति वर्ष 72 सीसी का प्रयोग करें। 187.60 लाख सीसी के वितरण के द्वारा 2.61 लाख सीसी प्रयोग करने वाले आवृत्ति किए जा सकते हैं जबकि 1995-2000 की कालावधि में भारत सरकार को 3.43 लाख सीसी प्रयोग करने वाले प्रतिवेदित किए गए थे। इस प्रकार सी0सी0 यूजरज के 0.82 लाख अधिक बताया गया।

(iv) गर्भ निरोधक गोलियां प्रयुक्त करने वालों की गणना 13 चक्र प्रति प्रयोक्ता प्रति वर्ष के अनुसार की जाती है। 1995-2000 में वास्तव में वितरित गर्भ निरोधक गोलियों के चक्र के संदर्भ में गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोक्ताओं की लब्धि 0.31 लाख बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई।

अधिक प्रतिवेदित के पूछे गए कारणों को (अप्रैल 2000) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा नहीं सूचित किया गया (जुलाई 2000)। इस प्रकार से निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा राज्य/भारत सरकार को निष्पादित विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रतिवेदित आंकड़े संदेहास्पद थे। बढ़ा-चढ़ा कर प्रतिवेदित आंकड़ों की कोई भी संतोषजनक व्याख्या नहीं थी।

(ख) शिशु जीव्यता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियां

शिशु जीव्यता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशुओं, शिशुओं तथा माताओं को टीकाकरण के द्वारा उनके रक्ताभाव तथा बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण अंधता का प्रतिरोधोपचार करना था। 1995-2000 के दौरान टीकाकरण के द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के लिए वर्षानुसार लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न थीं:-

विवरण	1995-96*	1996-97*	1997-98*	1998-99*	1999-2000*
	(संख्या लाखों में)				
टेटनस टोक्साईड परेगनेंट वूमन (टीटी) पीडब्ल्यू	लक्ष्य 1.58	1.58	1.56	1.56	1.48
उपलब्धियां	1.25	1.46	1.40	1.37	1.37
डीपथेरिया परटूसिस टेटनस (डीपीटी)	लक्ष्य 1.44	1.44	1.41	1.42	1.35
उपलब्धियां	1.29	1.39	1.36	1.34	1.33
ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीबी)	लक्ष्य 1.44	1.44	1.41	1.42	1.35
उपलब्धियां	1.26	1.39	1.36	1.33	1.32
बेसीलस कालमेट गायूरिन (बीसीजी)	लक्ष्य 1.44	1.44	1.41	1.42	1.35
उपलब्धियां	1.35	1.44	1.44	1.38	1.39
चेचक	लक्ष्य 1.44	1.44	1.41	1.42	1.35
उपलब्धियां	1.21	1.36	1.29	1.28	1.26
डीपथेरिया टेटनस (डीटी)	लक्ष्य 1.19	1.21	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
उपलब्धियां	1.21	1.29	1.39	1.13	1.13
टीटी 10 वर्ष	लक्ष्य 1.21	1.23	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
उपलब्धियां	1.14	1.10	1.14	1.05	0.97
टीटी 16 वर्ष	लक्ष्य 1.10	1.12	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
उपलब्धियां	0.92	0.83	0.75	0.84	0.69
बच्चों के लिए विटामिन ए	लक्ष्य 1.44	1.44	1.44	1.41	1.42
उपलब्धियां	1.19	1.14	1.12	1.21	1.23
आयरन फोलिक एसिड (आईएफए)	लक्ष्य 1.58	1.58	1.56	1.56	1.48
उपलब्धियां	2.25	1.91	1.46	1.01	1.43

* स्रोत: विभाग की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे

निम्न मुद्दे ध्यान में आए:-

- (i) गर्भवती महिलाओं को टीटी के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 1.58 लाख (1996-97) से 1.48 लाख (1999-2000) कम कर दिए गए थे परन्तु इसके विपरीत लक्ष्य प्राप्ति क्रमशः 1.25 लाख तथा 1.37 लाख थी।
- (ii) टीकाकरण डीपीटी, ओपीबी, बीसीजी तथा चेचक के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 1.44 लाख (1995-96) से 1.35 लाख (1999-2000) घटा दिए थे परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति 1995-96 के दौरान 1.21 लाख तथा 1.35 लाख एवं 1.26 लाख तथा 1.39 लाख वर्ष 1999-2000 के दौरान रही।
- (ग) जनांकिकीय लक्ष्यों की उपलब्धि

एनएचपी-1983 में 2000 एडी के लिए जनांकिकीय निर्धारित लक्ष्य तथा मार्च 1999 तक लक्ष्यों की प्राप्ति निम्न प्रकार से थी:-

जनांकिकीय लक्ष्यों का विवरण	2000 एडी के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां			
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
क्रयूड बर्थ रेट (सीबीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या के लिए)	21	25.20	23.00	22.60	22.50
क्रयूड डैथ रेट (सीडीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या के लिए)	9	8.70	8.00	8.10	7.70
वार्षिक प्राकृतिक बढ़ौतरी दर (प्रति 1000 जनसंख्या के लिए)	12	16.50	15.00	14.50	14.80
नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1000 जनसंख्या के लिए)	60	61.00	62.01	63.00	64.00
प्रभावी दम्पति सुरक्षा दर (सीपीआर) (प्रति 100 जनसंख्या के लिए)	60	57.53	55.67	54.00	52.69

निम्नांकित मुद्दे ध्यान में आए:-

आईएमआर में बढ़ौतरी का रुझान यह दर्शाता है कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी।

(i) राज्य सरकार द्वारा जनांकिकीय लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया था। यद्यपि 2000 एडी के लिए एनएचपी के अन्तर्गत सीडीआर के अलावा निर्धारित लक्ष्यों को 1998-99 के अन्त तक प्राप्त नहीं किया गया था।

(ii) 1998-99 में निर्धारित 21 लक्ष्यों के प्रति सीबीआर 22.5 प्रतिशत रही।

(iii) आईएमआर 1995-96 में 61 से 1998-99 में 64 बढ़ गई थी जबकि लक्ष्य 2000 एडी के लिए 60 था। आईएमआर में बढ़ौतरी का रुझान इस बात को इंगित करता था कि शिशु स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थी। आईएमआर में बढ़ौतरी के रुझान सम्बन्धी कोई भी कारण निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सरकार के द्वारा नहीं बताए गए।

सीपीआर में कमी का रुझान विभिन्न परिवार कल्याण के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरणा की कमी को दर्शाता था।

(iv) 60 प्रतिशत राष्ट्रीय लक्ष्य के विपरीत सीपीआर में प्रभावी कमी 1995-96 में 57.73 प्रतिशत से 1998-99 में 52.69 प्रतिशत हो गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 1995-99 में 1,30,699 नसबन्दी के किए गए मामलों में 67,590 मामलों में (52 प्रतिशत) ऐसे थे जिनके तीन या तीन से अधिक जीवित बच्चे थे। यह इस बात का द्योतक था कि परिवार कल्याण के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरणा की कमी के कारण ऐसा हो रहा था।

एनएचपी-1983 में निर्धारित जनांकिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार कल्याण विभाग ने छः कार्यक्रम/योजनाएं आरम्भ की थीं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

3.2.6 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

जन साधारण को परिवार कल्याण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में एससी, पीएचसी तथा सीएचसी तथा शहरी क्षेत्रों में हस्पताल तथा डिस्पेंसरियों इत्यादि के जाल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। अल्प आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित तंत्र जिला तथा उप जिला स्तर पर स्थापित जन्मोत्तर केन्द्रों के विस्तार द्वारा स्थापित किया जा रहा था।

निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में आए:-

(क) मानकों को अपनाए बिना स्वास्थ्य संस्थानों का खोलना

एमएनपी के अन्तर्गत 2000 इस्वी तक क्रमवार पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक 3000 की जनसंख्या के लिए एक एससी, 20,000 लोगों के लिए एक पीएचसी तथा 80,000 की जनसंख्या पर एक सीएचसी चरणबद्ध स्थापित करना अपेक्षित था। मार्च 2000 तक इन केन्द्रों को जिला अनुसार अपेक्षित तथा वास्तव में खोले गए केन्द्रों की स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

जिला	मार्च 2000 तक प्रक्षिप्त जनसंख्या [*]	सीएचसी		पीएचसी		एससी	
		अपेक्षित	वास्तव	अपेक्षित	वास्तव	अपेक्षित	वास्तव
(संख्या में)							
बिलासपुर	3,40,433	4	5	17	17	113	118
चम्बा	4,74,354	6	7	24	28	158	169
हमीरपुर	4,16,149	5	5	21	17	139	153
कांगडा	13,44,858	17	12	67	47	448	434
किन्नौर	82,288	1	3	4	17	27	32
कुल्लू	3,65,426	4	5	18	12	122	100
लाहौल व स्पिति	30,664	1	3	1	9	10	35
मण्डी	9,00,682	11	9	45	44	300	312
शिमला	7,18,347	9	6	36	55	239	259
सिरमौर	4,50,118	6	3	23	24	150	148
सोलन	4,60,031	6	3	23	20	153	178
ऊना	4,35,203	5	4	22	12	145	131
जोड़:	60,18,553	75	65	301	302	2004	2069

* न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, नसबन्दी विस्तर योजना, जन्मोत्तर पीएपी लेप जांच सुविधा कार्यक्रम, अखिल भारतीय अस्पताल जन्मोत्तर कार्यक्रम, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र योजना तथा पुनः प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम।

* स्रोत: निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान।

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

- (i) मार्च 2000 तक पांच जिलों⁴ में अपेक्षित 16 सीएचसी की प्रतिप्रक्षिता में 23 सीएचसी खोली गई जबकि अन्य छः जिलों⁵ में अपेक्षित 54 सीएचसी की प्रतिप्रक्षिता में 37 सीएचसी खोली गई।
- (ii) पांच जिलों⁶ में मानदण्डों से अधिक 45 पीएचसी खोली गई जबकि अन्य छः जिलों⁷ में मानदण्डों से 44 कम खोली गई।
- (iii) मार्च 2000 तक आठ जिलों⁸ में 1139 एससी की आवश्यकता की प्रतिप्रक्षिता में 1256 एससी खोले गए थे जबकि चार जिलों⁹ में 865 एससी की आवश्यकता की प्रतिप्रक्षिता में 813 एससी खोली गई थी।

3000 की जनसंख्या के मानदण्ड की प्रतिप्रक्षिता में 152 उपकेन्द्र 2000 से कम जनसंख्या पर तथा 47 उपकेन्द्र 4000 से अधिक की जनसंख्या पर खोले गए।

- (iv) तीन नमूना जांचित जिलों में मार्च 2000 तक 152 एससी 2000 से कम जनसंख्या के लिए खोले गए थे जबकि मानदण्ड 3000 जनसंख्या के लिए एक एससी था। स्पष्टतः ये एससी न्यायसंगत नहीं थे। मार्च 2000 तक 47 एससी 4000 की जनसंख्या से अधिक पर खोली गई थी जबकि वांछित मानदण्ड 3000 की जनसंख्या पर एक एससी खोलना था। स्पष्टतया एससी में नियुक्त स्टाफ योजना में प्रावधानों के अनुरूप तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण सम्बन्धित जनसंख्या को पूर्णतया सेवाएं नहीं दे पाया (जैसाकि निम्न परिच्छेदों में दिया गया है)। जिन जिलों में मानदण्डों के अनुसार एससी कम खोली गई थी वहां तकनीकी पद खाली पड़े थे।

यह इस बात का सूचक है कि स्वास्थ्य संस्थान मानदण्डों के अनुरूप नहीं खोले गए थे। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अप्रैल 2000) कि स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने/उच्चीकरण करने का फैसला निदेशालय के परामर्श के बिना सरकार के स्तर पर किया गया था। संस्थाओं को मानदण्डों से अधिक खोलने का भी कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि आवश्यक मूलाधार इन संस्थाओं को उपलब्ध नहीं करवाया गया। स्वास्थ्य सेवाएं संस्थानों को समानुपाती न खोलने से लोगों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं से वंचित रहना पड़ा।

(ख) अक्रियाशील उपकेन्द्र

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी के कारण 47 उपकेन्द्र अक्रियाशील रहे।

यह ध्यान में आया कि 47 उपकेन्द्र (हमीरपुर:7, सिरमौर:35 तथा ऊना:5) मार्च 2000 तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी के कारण छः महीने से लेकर पांच वर्षों तक अक्रियाशील रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (जनवरी-मार्च 2000) कि प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण साथ लगते उपकेन्द्र के स्टाफ ने प्रतिरोगक्षमा सेवाएं ही दी थी और इन उपकेन्द्रों को जब भी निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध करवाएगा, क्रियाशील कर दिया जाएगा। इस प्रकार से 99242 की जनसंख्या जो इन एस सी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती थी वह आवश्यक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं से वंचित रही।

(ग) मूलाधार

- (i) मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए चार से छः बिस्तर तथा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 30 बिस्तरों की आवश्यकता थी। नमूना जांच से ध्यान में आया कि

⁴ बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, कुल्लू तथा लाहौल व स्पिति।

⁵ कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना।

⁶ चम्बा, किन्नौर, लाहौल व स्पिति, शिमला तथा सिरमौर।

⁷ हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, सोलन तथा ऊना।

⁸ बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल व स्पिति, मण्डी, शिमला तथा सोलन।

⁹ कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर तथा ऊना।

मार्च 2000 को यह केन्द्र मानदण्डों के विपरीत या तो बिना बिस्तारों के या कम बिस्तारों से कार्य कर रहे थे जैसाकि निम्न ब्यौरा दिया गया है:-

जिला	पीएचसी की संख्या	बिस्तारों की आवश्यकता	उपलब्धता (प्रतिशतता)	पीएचसी की संख्या	बिस्तारों की आवश्यकता	उपलब्धता (प्रतिशतता)	पीएचसी की संख्या जो बिना बिस्तारों की थी
हमीरपुर	5	150	104(69)	17	102	22(22)	13
सिरमौर	3	90	39(43)	24	144	21(15)	14
ऊना	4	120	47(39)	12	72	37(51)	1
जोड़:	12	360	190(53)	53	318	80(25)	28

खण्ड चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (जनवरी-मार्च 2000) कि इन संस्थाओं को पीएचसी/सिविल औषधालयों से उच्चतर किया गया था परन्तु सरकार द्वारा बिस्तारों के लिए कोई भी अतिरिक्त भवन उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इस प्रकार से संस्थाओं को उच्चतर किया जाना एक कागजी कार्रवाई रही क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए इनको उच्चतर संस्थाएं बनाया गया था वह प्रयोजन पूरा नहीं हो सका।

(ii) इसी प्रकार से दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ऊना जिला में हरोली व चिन्तपुरणी) क्रमशः 1987 व 1997 में उच्चतर किए गए थे परन्तु वह 30 बिस्तारों के आवश्यकता की प्रतिपक्षता में छः बिस्तारों से कार्य कर रहे थे। खण्ड चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च 2000) कि इनके उच्चतर होने के बाद सरकार ने कोई भी अतिरिक्त मूलाधार सुविधा प्रदान नहीं की थी।

(iii) तीन नमूना जांचित जिलों में 263 स्वास्थ्य संस्थान (प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र: 28 तथा उपकेन्द्र:235) निजी भवनों में कार्य कर रहे थे तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में आन्तरिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। मार्च 2000 तक विभाग द्वारा इन संस्थाओं में मूलाधार सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे। इस प्रकार से 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आवृत्त जन साधारण आन्तरिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रही।

सारांश में पर्याप्त संरचना का विशाल स्तर पर अभाव था जिसके कारण स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन/खोलने का अपेक्षित प्रयोजन निष्फल रहा।

(घ) मानदण्डों से अधिक स्टाफ की संस्वीकृति

नमूना जांचित तीन जिलों में मार्च 2000 को 497 स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र:12, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र:53 तथा उपकेन्द्र:432) 1564 स्टाफ के पदों (चिकित्सा अधिकारी: 154; पैरा मैडीकल:1143 तथा अन्य:267) की आवश्यकता की प्रतिपक्षता में 1979 पदों (चिकित्सा अधिकारी:158, पैरा मेडीकल:1487 तथा अन्य:334) की संस्वीकृति की गई थी। इस प्रकार से मार्च 2000 तक 415 पद (चिकित्सा अधिकारी:4, पैरा मैडीकल:344 तथा अन्य:67) मानदण्डों से अधिक स्वीकृत थे। इसके पश्चात यह भी ध्यान में आया कि मार्च 2000 को स्वीकृत स्टाफ की प्रतिपक्षता में 44 डाक्टरों तथा 370 पैरा मैडीकल स्टाफ की कमी थी। इस प्रकार से स्टाफ की कमी के कारण जनसाधारण स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार कल्याण की सुविधाओं से वंचित रहा।

3.2.7 जन्मोत्तर पीएपी लेप जांच सुविधा कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा कमला नेहरू अस्पताल, शिमला में औरतों में ग्रीवा कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए पीएपी समीर जांच सुविधा कार्यक्रम प्रारम्भ (1977) किया था। यह ध्यान में आया कि मार्च 2000 तक साईटो-तकनीशियन जो योजना के अन्तर्गत प्रदान करने की अपेक्षा की जाती थी को सरकार द्वारा पद की स्वीकृति न दिए जाने के कारण नियुक्त नहीं किया गया था। तदपि कमला नेहरू अस्पताल में सलाईडस बनाकर इन्डिरा गांधी मैडीकल कॉलेज में समीर टैस्ट किए जा रहे थे।

4786 मरीज रिपोर्ट न मिलने के कारण समीर टैस्ट के परिणामों को प्राप्त करने से वंचित रहे।

1995-2000 के दौरान 6415 स्त्री मरीजों की 12830 सलाईडस तैयार की गई थी जिसमें से 3258 सलाईडस (25 प्रतिशत) के परिणाम उपलब्ध थे तथा 4786 (75 प्रतिशत) स्त्री मरीजों की 9572 सलाईडस के परिणाम उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। कमला नेहरू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) ने बताया (अप्रैल 2000) कि समीर अस्पताल में एकत्रित किए जाते थे परन्तु टैस्ट इन्डिरा गांधी मैडीकल कॉलेज, शिमला में किए जाते थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इसके उपरान्त कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 1995-2000 में इसके अलावा मरीज टैस्टों के परिणाम प्राप्त करने से वंचित रहे।

3.2.8 अखिल भारतीय अस्पताल जन्मोत्तर कार्यक्रम

प्रसवोत्तर की कालावधि परिवार कल्याण को स्वीकार करने के लिए एक स्त्री के लिए सब से अच्छा समय समझा जाता था। अखिल भारतीय अस्पताल जन्मोत्तर कार्यक्रम 33 जन्मोत्तर केन्द्रों के द्वारा चलाया जाता था जिसमें गर्भ धारण करने योग्य स्त्रियों के आयु समूह (15-44 वर्ष) की स्त्रियों को तथा उनके पतियों को शिक्षा के द्वारा तथा प्रेरणा से छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कार्य प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के पश्चात् करना था।

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

3.2.8.1 स्टाफ स्थिती

(क) भारत सरकार के निदेशों (सितम्बर 1994) में यह प्रावधान था कि जन्मोत्तर केन्द्रों तथा ग्रामीण तथा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पदों पर प्रशिक्षित तथा योग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ताकि वे परिवार कल्याण, मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं प्रदान करें। जैसाकि जन्मोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है क-श्रेणी के जन्मोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र में 18 पद, जिला स्तर के जन्मोत्तर केन्द्र में आठ पद तथा उप जिला स्तर के जन्मोत्तर केन्द्र में 10 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की अपेक्षा थी। तदपि सरकार द्वारा 1995-2000 में कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी पद की संस्वीकृति दी गई और न ही कोई पद भरा गया। स्टाफ के पदों की संस्वीकृति तथा जिनमें कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी की वस्तुस्थिति (मई 1994) निम्न प्रकार से थी:-

जन्मोत्तर केन्द्रों का विवरण	पीपीसी की संख्या	एमओ		पैरा मैडीकल स्टाफ		अन्य स्टाफ	
		अपेक्षित	स्वीकृत	अपेक्षित	स्वीकृत	अपेक्षित	स्वीकृत
क- श्रेणी के प्रशिक्षण केन्द्र	1	6	7	5	3	7	9
जिला स्तर के	10	20	..	40	52	20	32
उप-जिला स्तर के	22	44	5	132	12	44	2
जोड़:	33	70	12	177	67	71	43

जैसाकि नीचे चर्चा की गई है स्टाफ की आवश्यकता व नियुक्ति में काफी भिन्नता थी।

जिला व उप-जिला स्तर पर स्थित जन्मोत्तर केन्द्रों में 64 डाक्टरों की आवश्यकता की प्रतिपक्षता में 5 डाक्टरों के पद स्वीकृत थे।

(i) 70 डॉक्टरों के पदों की आवश्यकता की प्रतिपक्षता में 12 पद, पैरा मेडीकल स्टाफ के 177 पदों की आवश्यकता की प्रतिपक्षता में 67 पद तथा अन्य श्रेणियों के 71 पदों की आवश्यकता की प्रतिपक्षता में 43 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार से मार्च 2000 तक डॉक्टरों के 58 पद, पैरा मेडीकल स्टाफ के 110 पद तथा अन्य श्रेणियों के 28 पद सृजित नहीं किए गए थे।

(ii) जिला स्तरीय जन्मोत्तर केन्द्रों में किसी भी डॉक्टर का पद सृजित नहीं किया गया था जबकि आवश्यकता 20 पदों की थी। मार्च 2000 को उप जिला स्तरीय जन्मोत्तर केन्द्रों में डाक्टरों के 44 पद, पैरा मेडीकल स्टाफ के 132 पद तथा अन्य स्टाफ के 44 पदों की आवश्यकता की प्रतिपक्षता में क्रमशः केवल पांच पद डॉक्टरों के 12 पद पैरा मेडीकल स्टाफ के तथा 2 पद अन्य श्रेणियों के स्टाफ के संस्वीकृत किए गए हैं।

(iii) एक क-श्रेणी के शिक्षण केन्द्र में (कमला नेहरू अस्पताल, शिमला) भारत सरकार द्वारा तय किए हुए मानदण्डों से अधिक तीन पद (डॉक्टर:1 तथा अन्य:2) तथा 10 जिला स्तरीय जन्मोत्तर केन्द्रों में 24 पद (पैरा मेडीकल:12 तथा अन्य:12) मानदण्डों से अधिक संस्वीकृत किए हुए थे।

स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने बताया (अप्रैल 2000) कि जन्मोत्तर केन्द्रों के लिए स्टाफ की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई थी। सरकार ने बताया (जुलाई 2000) कि पदों को सृजन न करने सम्बन्धी/खाली पदों को भरने सम्बन्धी मामला विचाराधीन था। इस प्रकार से कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर्याप्त स्टाफ के कारण जनसाधारण को गुणवत्ता सेवाएं नहीं प्रदान की गई।

(ख) तीन नमूना जांचित जिलों में 1995-2000 की कालावधि में वे कर्मचारी जो जिला स्तरीय जन्मोत्तर केन्द्रों में नियुक्त थे का 30.47 लाख रु० का वेतन अनियमित रूप से कार्यक्रम के नामे डाला गया था क्योंकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य योजनाओं के अन्तर्गत थी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (जनवरी-मार्च 2000) कि जो अधिक कर्मचारी के वेतन जन्मोत्तर केन्द्रों के नामे डाले गए थे वे सभी अन्य राष्ट्रीय योजनाओं पर कार्य करने के लिए नियुक्त थे। यह तर्क सही नहीं था क्योंकि स्टाफ का वेतन उसी योजना के नामे डाला जाना चाहिए था जिस कार्य को करने के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी।

अखिल भारतीय जन्मोत्तर अस्पताल कार्यक्रम के संघटकों के क्रियान्वयन में लगे पांच¹⁰ जन्मोत्तर केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में आए:-

3.2.8.2 मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाएं

(क) माताओं के लिए चिकित्सा परिचर्या

(i) कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि 12 से 16 सप्ताह के मध्य गर्भ धारण की हुई प्रत्याशित माताओं का प्रसोत्व केन्द्रों में शीघ्रता से पंजीकरण किया जाए ताकि तीन प्रसव पूर्व जांचों को सुनिश्चित बनाया जा सके। पांच प्रसोत्व केन्द्रों जिनकी नमूना जांच की गई में पाया गया कि 1995-200 के दौरान 12 से 16 सप्ताह का गर्भ धारण किए हुए 11493 प्रत्याशित माताओं के प्रजीकरण की अपेक्षा के प्रति केवल 817 (7 प्रतिशत) माताओं का निर्धारित अवधि में पंजीकरण किया गया था। 10676 प्रत्याशित माताओं को गर्भधारण से 16 सप्ताह की कालावधि के पश्चात पंजीकृत किया गया था। चिकित्सा अधीक्षक, सिरमौर तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ऊना ने बताया (फरवरी-मार्च 2000) कि प्रत्याशित

1995-2000 में 12 से 16 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व जांच के लिए 11493 प्रत्याशित माताओं के लिए जाने वाले पंजीकरण के प्रति 1995-2000 के दौरान नमूना जांच किए गए प्रसोत्व केन्द्रों में 817 (7 प्रतिशत) का पंजीकरण किया गया।

¹⁰ अमलेहड़, हमीरपुर, नाहन, पांवटा साहब तथा ऊना।

माताओं ने ज्ञान के अभाव तथा महिलाओं में निरक्षरता के कारण प्रसोत्व केन्द्रों में नहीं आईं। उत्तर इस तथ्य के आधार प्रदान करता है कि प्रसोत्व केन्द्रों के कर्मचारी वर्ग ने स्त्रियों को छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित व शिक्षित नहीं किया। यह आंतरिक प्रणाली की विफलता है जिसके लिए केवल चिकित्सा अधीक्षक, सिरमौर तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ऊना उत्तरदायी थे।

इसके अतिरिक्त प्रत्याशित महिलाओं को टैटनस टॉक्साइड से बचाने के लिए सभी प्रत्याशित माताओं को दो खुराकें दी जानी अपेक्षित थी। इन केन्द्रों में पंजीकृत 11493 प्रत्याशित माताओं में से 4450 (39 प्रतिशत) को 1995-2000 के दौरान टैटनस टॉक्साइड की खुराकें नहीं दी गईं। प्रसोत्व केन्द्रों के प्रभारियों ने बताया (मार्च 2000) कि इन माताओं को टैटनस टॉक्साइड की खुराकें इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि वे दूसरी और तीसरी जांच के लिए केन्द्रों में नहीं आईं थीं और इनको स्टाफ की कमी के कारण प्रेरित भी नहीं किया गया। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्याशित माताओं के द्वारा टैटनस टॉक्साइड की मात्राओं को न लेने का मुख्य कारण प्रत्याशित माताओं को प्रेरणा संदर्भ में माताओं को ज्ञान न होना था। पर्याप्त सूचना तथा शिक्षा का अभाव था। इन केन्द्रों का प्रेरणा तथा शिक्षा का क्षेत्र एक दुर्बल क्षेत्र था।

(ii) सभी प्रत्याशित माताओं को अनेमिया से बचाने के लिए उन्हें आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) की 100 गोलियां देना अपेक्षित था। यह ध्यान में आया कि 11493 प्रत्याशित माताओं को आईएफए की 11,49,300 गोलियां वितरित करने के प्रति 1995-2000 के दौरान केवल 7,02,565 गोलियां वितरित की गई थी। प्रसोत्व केन्द्रों के प्रभारी ने प्रत्याशित माताओं को आईएफए की कम गोलियां वितरित करने का कारण प्रत्याशित माताओं का विलम्ब से पंजीकरण करवाना बताया। 1997-98 में प्रसोत्व केन्द्र नाहन में आईएफए का अपर्याप्त स्टाफ तथा प्रत्याशित माताओं द्वारा दूसरी व तीसरी जांच हेतु न आना बताया गया (मार्च 2000)।

(iii) प्रत्याशित माताओं की स्वास्थ्य रक्षा तथा प्रसूति के दौरान होने वाली जटिलताओं का शीघ्र पता करने के लिए जन्मोत्तर केन्द्रों में पंजीकृत होने के पश्चात माताओं के छः परीक्षण (एचबी, एसटीएस, टीएलसी, एमई मूत्र परीक्षण एल्यूमिनियम तथा आर एच संघटकों के लिए) करना अपेक्षित था। यह ध्यान में आया कि उप जिला स्तर के जन्मोत्तर केन्द्रों में केवल चार परीक्षण ही किए गए थे। निदेशक ने बताया (अप्रैल 2000) कि 22 उप जिला स्तर के जन्मोत्तर केन्द्रों में एसटीएस/आरएच संघटकों के परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार इन केन्द्रों में पंजीकृत प्रत्याशित माताओं को 1995-2000 के दौरान अपेक्षित परीक्षणों की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

(ख) शिशु स्वास्थ्य परिचर्या

(i) भारत सरकार के निर्देशों (नवम्बर 1993) के अन्तर्गत चिकित्सालयों में जन्में नवजात शिशुओं की देखभाल, परिधीय क्षेत्र के केन्द्रों से भेजे गए गंभीर रूप से अस्वस्थ नवजात शिशुओं के जोखिम भरे रोगों के उपचार अस्पताल में जन्में सभी बच्चों के टीकाकरण तथा बहिरंग रोगी विभाग तथा आबंटित क्षेत्रों में सभी बच्चों की देखभाल हेतु जाने की व्यवस्था है।

1995-2000 के दौरान 15,295 पैदा हुए नवजात शिशुओं में से केवल 5,675 (37 प्रतिशत) को बीसीजी का टीका लगाया गया तथा ओपीबी की खुराक पिलाई गई।

यह ध्यान में आया कि 1995-2000 में हमीरपुर, नाहन तथा ऊना स्थित जिला चिकित्सालयों तथा सिविल चिकित्सालय, पांवटा साहब में पैदा हुए 15,295 नवजात शिशुओं में से केवल 5675 (37 प्रतिशत) को जन्म के समय बीसीजी तथा जीरो ओपीबी की खुराक दी गई। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (जनवरी-मार्च 2000) कि ये खुराकें सप्ताह में एक बार दी जाती हैं तथा जो बच्चे पैदा हुए और अगले सप्ताह में चिकित्सालय से छुट्टी पा गए, उन्हें यह खुराकें नहीं दी जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि चिकित्सालय में जन्में सभी बच्चों को यह प्रतिरोगात्मक खुराकें दी जानी थी। इस प्रकार से इन चिकित्सालयों के चिकित्सा अधिकारी 1995-2000 के दौरान 9620 बच्चों को प्रतिरोगात्मक खुराकें देने में विफल रहे।

बच्चों को प्रतिरोगात्मक खुराक देने में कमी 73 से 75 प्रतिशत के परिक्षेत्र में थी।

(ii) 1995-2000 के दौरान 15,295 बच्चों को बीसीजी, डीपीटी, ओपीबी तथा चेचक प्रत्येक के लिए प्रतिरोगात्मक खुराक देने की अपेक्षा के प्रति चार जन्मोत्तर केन्द्रों¹¹ में केवल क्रमशः 4119, 4198, 4198 तथा 3881 को प्रतिरोगात्मक खुराक दी गई। कमी 73 से 75 प्रतिशत के परिक्षेत्र में थी तथा प्रसोत्व केन्द्रों के प्रभारियों ने इस कमी का कारण केन्द्रों के साथ लगते अन्य क्षेत्रों में बच्चों को खुराक देना तथा स्टाफ का अभाव बताया (जनवरी-मार्च 2000)।

3.2.8.3 परिवार नियोजन

लोगों को छोटे परिवार अपनाने के लिए प्रेरित करने के मानदण्डों को प्राप्त नहीं किया गया।

तीन जिलों जिनकी नमूनाजांच की गई में 51,767 पात्र दम्पतियों में से 1995-2000 के दौरान केवल 16,618 (32 प्रतिशत) पात्र दम्पतियों को छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके अतिरिक्त 16,618 प्रेरित दम्पतियों में से केवल 3,697 ने छोटा परिवार अपनाने हेतु स्थायी ढंगों (अर्थात् नसबन्दी) को अपनाया था जो प्रेरित पात्र दम्पतियों का 22 प्रतिशत तथा कुल पात्र दम्पतियों का 7 प्रतिशत था। प्रसोत्व केन्द्रों, हमीरपुर तथा ऊना के प्रभारियों ने छोटा परिवार अपनाने के लिए किसी भी रीति का प्रयोग न करने का कारण दम्पतियों को प्रेरित करने हेतु स्टाफ की कमी तथा जिन पात्र दम्पतियों की केवल लड़कियां या एक बच्चा था, उनके द्वारा परिवार कल्याण उपायों को न अपनाना बताया गया (जनवरी-मार्च 2000)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रसोत्व केन्द्रों के प्रभारी पात्र दम्पतियों को छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित करने तथा शिक्षित करने में विफल रहे। इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित करने सम्बन्धी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

3.2.8.4 पहुंच से बाहर की सेवाएं उपलब्ध करवाने में कमी

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार पात्र दम्पतियों के रजिस्ट्रों के अनुस्कर्णार्थ एवं इन्हें अद्यतन बनाने हेतु तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी सब प्रकार की सूचना, शिक्षा तथा प्रसार गतिविधियां उपलब्ध करवाने के लिए सहायक उपचारिका दाइयों तथा महिला स्वास्थ्य परिचारिकाओं के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रसोत्व केन्द्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों का भ्रमण करना अपेक्षित है।

यह ध्यान में आया कि सहायक उपचारिका दाइयों/महिला स्वास्थ्य परिचारिकाओं के द्वारा 1995-2000 के दौरान किए जाने वाले 12480 (जिला स्तर: 8640 तथा उप जिला स्तर: 3840) अपेक्षित भ्रमणों के प्रति नमूना-जांच किए गए पांच प्रसोत्व केन्द्रों में केवल 4023 (जिला स्तर: 3,024 तथा उप जिला स्तर: 999) भ्रमण किए गए थे। इस प्रकार पहुंच से बाहर की सेवाएं उपलब्ध करवाने में 68 प्रतिशत की कमी थी और 1995-2000 के दौरान चिकित्साधिकारियों द्वारा कोई पर्यवेक्षण नहीं किया गया जैसाकि अपेक्षित था। हमीरपुर, सिरमौर तथा ऊना के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने क्षेत्रीय सेवाओं में कमी का कारण सहायक उपचारिका दाइयों तथा महिला स्वास्थ्य परिचारिकाओं की कमी तथा प्रसोत्व केन्द्रों के लिए चिकित्सा अधिकारियों के पद संस्वीकृत न करना बताया (जनवरी-मार्च 2000)।

3.2.8.5 कार्य निष्पादन सूचक

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रसव तथा गर्भपात के मामलों, संस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त स्वीकृत मामलों तथा प्रतिवर्ष प्रति बिस्तर नलबन्दी किए जाने वाले मामलों के वार्षिक कार्यभार के आधार पर प्रत्येक संस्था के निष्पादन का निर्धारण किया जाना था। चिकित्सालय में प्रसव तथा गर्भपात के मामलों के संदर्भ में दाखिल वे व्यक्ति जो चिकित्सालय से छुट्टी से पूर्व किसी परिवार कल्याण रीति को स्वीकार करते हैं, ऐसे स्वीकृतकर्ताओं को प्रत्यक्ष स्वीकृतकर्ताओं तथा बहिरंग रोगी

¹¹ हमीरपुर, नाहन, पांवटा साहब तथा ऊना।

विभाग तथा प्रसोत्व केन्द्रों में आने वाले व्यक्तियों सहित प्रसव तथा गर्भपात के संदर्भ में चिकित्सालय में भर्ती होने वाले ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सालय से छुट्टी के उपरान्त किसी परिवार कल्याण रीति को स्वीकार करते हैं उनका अप्रत्यक्ष स्वीकृतिकर्ताओं के रूप में समूहीकरण किया गया है। तथापि कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नवत् रीति का अनुसरण करते हुए किया जाएगा:-

क. प्रत्यक्ष स्वीकर्ता

(i) नसबन्दी	तीन या तीन से अधिक बच्चों वाले प्रसव तथा गर्भपात के 75 प्रतिशत मामले
(ii) अन्य विधियां	दो से कम बच्चों वाले प्रसव तथा गर्भपात के 100 प्रतिशत मामले

ख. प्रत्यक्ष स्वीकर्ताओं के समतुल्य अप्रत्यक्ष स्वीकर्ता

(i) नसबन्दी	अप्रत्यक्ष स्वीकर्ताओं का 25 प्रतिशत
(ii) अन्य विधियां	अप्रत्यक्ष स्वीकर्ताओं का 75 प्रतिशत

प्रत्यक्ष स्वीकृतिकर्ताओं के नसबन्दी के मामलों में कमी 11 तथा 100 प्रतिशत के मध्य तथा अन्य मामलों में 89 से 100 प्रतिशत रही।

यह ध्यान में आया कि प्रत्यक्ष स्वीकृतिकर्ताओं के मामलों में 1995-2000 के दौरान नसबन्दी के मामलों में 11 प्रतिशत (हमीरपुर) तथा 100 प्रतिशत (पांवटा साहब) की कमी रही। प्रत्यक्ष स्वीकृतिकर्ताओं की अन्य रीतियों में यह कमी 89 प्रतिशत (हमीरपुर) तथा 100 प्रतिशत (अमलेहड़, पांवटा तथा ऊना) रही।

अप्रत्यक्ष स्वीकर्ताओं के अन्य मामलों के संदर्भ में 1995-2000 के दौरान कमी 32 प्रतिशत (ऊना) तथा 100 प्रतिशत (अमलेहड़) रही।

कमियों से यह प्रकट हुआ कि न तो प्रत्यक्ष स्वीकर्ताओं को नसबन्दी करवाने के लिए प्रेरित किया गया और न ही अप्रत्यक्ष स्वीकर्ताओं को परिवार कल्याण की अन्य रीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रसोत्व केन्द्रों के प्रभारियों ने इन कमियों का कारण महिलाओं द्वारा अज्ञानता के कारण प्रसव के तुरन्त पश्चात् नसबन्दी न करवाने की प्रवृत्ति तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए स्टाफ की कमी बताया (जनवरी-मार्च 2000)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि प्रसोत्व केन्द्रों के प्रभारियों को लोगों को छोटे परिवार के मानक अपनाने के लिए प्रेरित तथा शिक्षित करना अपेक्षित था तथा वे अपने इस लक्ष्य में विफल रहे जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया। परिणामतया कार्यक्रम का लक्ष्य कि राष्ट्रीय प्रगति की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या बनाए रखने का कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

3.2.8.6 नसबन्दी हेतु बिस्तरों का अल्प प्रयोग

भारत सरकार के निदेशों के अन्तर्गत प्रत्येक प्रसोत्व केन्द्र में प्रतिवर्ष प्रति बिस्तर न्यूनतम 75 नसबन्दी के मामले किए जाने अपेक्षित थे। 1995-2000 के दौरान राज्य में स्थित प्रसोत्व केन्द्रों में नसबन्दी किए

गए मामलों से सम्बन्धित स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	प्रसोत्व केन्द्रों की संख्या	बिस्तरों की स्थिति	नसबन्दी मामले अपेक्षित	वास्तविक	प्रति बिस्तर किए गए नसबन्दी के मामले
क. जिला स्तरीय प्रसोत्व केन्द्र					
1995-96	11	110	8,250	2,568	23
1996-97	11	110	8,250	2,100	19
1997-98	11	110	8,250	2,225	20
1998-99	11	110	8,250	2,319	21
1999-2000	11	110	8,250	2,876	26
ख. उप जिला स्तरीय प्रसोत्व केन्द्र					
1995-96	22	132	9,900	285	2
1996-97	22	132	9,900	365	3
1997-98	22	132	9,900	564	4
1998-99	22	132	9,900	679	5
1999-2000	22	132	9,900	842	6

यह देखा जाएगा कि प्रति बिस्तर 75 की अभिधारिता के प्रति जिला स्तरीय प्रसोत्व केन्द्रों में 19 तथा 26 के मध्य तथा उप-जिला स्तरीय प्रसोत्व केन्द्रों में वास्तविक अभिधारिता 2 से 6 के मध्य के परिक्षेत्र में थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जुलाई 2000) कि नसबन्दी हेतु बिस्तरों की कम अभिधारिता चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को न भरने तथा बिना शल्यक्रिया के नलबन्दी तथा चिकित्सालय में दाखिल किए बिना नसबन्दी शल्यक्रिया हेतु दूरबीन पद्धति को प्रारम्भ करने के कारण स्वीकर्ताओं द्वारा परिवार नियोजन शिविरों के दौरान ऐसी सेवाएं अपने घर पर प्राप्त करने को प्राथमिकता देने के कारण बिस्तरों की कम अभिधारिता थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि विभाग ने न तो निष्क्रिय प्रसोत्व केन्द्रों का पुनरीक्षण किया और न ही ऐसे प्रसोत्व केन्द्रों को अच्छे निष्पादन वाले केन्द्रों में स्थानान्तरित किया जैसाकि दिशानिर्देशों में परिकल्पित था।

3.2.8.7 मूल्यांकन तथा अनुश्रवण

समन्वय समिति द्वारा प्रसोत्व केन्द्रों की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संस्थान/जिला स्तर पर मासिक रूप से तथा राज्य स्तर पर वार्षिक रूप से किया जाना अपेक्षित था। सुधारात्मक पग उठाने के उद्देश्य से सामान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा निष्पादन का पुनरीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर वार्षिक संगोष्ठियां करनी भी अपेक्षित थी। तथापि सुधारात्मक पग उठाने हेतु कार्यक्रम के निष्पादन का पुनरीक्षण करने के लिए 1995-2000 के दौरान न तो संस्था/जिला/राज्य स्तर पर किसी समन्वय समिति का गठन किया गया और न ही राज्य स्तरीय संगोष्ठियां आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि प्रसोत्व केन्द्रों से प्राप्त त्रैमासिक प्रतिवेदनों का निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया गया, बल्कि इन्हें मूलरूप से भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अप्रैल 2000) कि भारत सरकार से कोई निदेश प्राप्त न होने के कारण समन्वय समितियों का गठन तथा मूल्यांकन नहीं किया जा सका। स्टाफ के अभाव तथा राज्य में अन्य विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विस्तार के कारण भी यह कार्यक्रम संतोषजनक रूप से नहीं चलाया जा सका। वास्तव में यह उत्तर सही नहीं था क्योंकि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन की व्यवस्था थी। वास्तविकता यह है कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कार्यक्रम के समुचित अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी उत्तरदायित्व को अनुभव किए बिना कार्यक्रम को मंद गति से चलाया गया। ऐसी स्थिति में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विभिन्न कमियों (पूर्वोक्त) हेतु समय पर कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.2.9 प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा नवीं योजना (1997-2000) के दौरान जनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसमें देश के लिए मध्य तथा दीर्घकाल में स्थिर जनसंख्या सम्बन्धी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी नागरिकों को सम्बद्ध सेवाएं तथा जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करवाने के लिए सीएसएसएम कार्यक्रम को भी एकीकृत किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत, सीबीआर तथा महिला साक्षरता दर के आधार पर सभी जिलों का क, ख तथा ग के रूप में कोटीकरण किया गया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के रूप में एक उप-निदेशक तथा नौ अन्य सदस्यों सहित सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता के अन्तर्गत राज्य प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया (सितम्बर 1997)। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य समितियों का भी गठन किया गया। अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए:-

प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त 6.72 करोड़ ₹ में से 5 करोड़ ₹ (74 प्रतिशत) राज्य प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य समिति तथा निष्पादकीय अभिकरणों के पास अप्रयुक्त पड़े रहे।

(i) भारत सरकार से 1998-2000 के दौरान प्राप्त 6.72 करोड़ ₹ (1998-99: 4.42 करोड़ ₹ तथा 1999-2000: 2.30 करोड़ ₹) में से 5.76 करोड़ ₹ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (5.30 करोड़ ₹), उपायुक्तों (0.41 करोड़ ₹) तथा शिमला स्थित विश्वविद्यालय (0.05 करोड़ ₹) को कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम दिए गए। तथापि, यह पाया गया कि प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य समिति तथा निष्पादकीय अभिकरणों ने 1.72 करोड़ ₹ (26 प्रतिशत) का व्यय किया तथा 5 करोड़ ₹ की शेष राशि मार्च 2000 को बैंकों में उनके पास अव्ययित पड़ी थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अप्रैल 2000) कि क्रियान्वयन में तीव्रता लाने हेतु निष्पादकीय अभिकरणों को निदेश दिए जाएंगे। यह विभाग द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयनार्थ अपनाए गए आकस्मिक दृष्टिकोण को इंगित करता था।

(ii) तीन जिलों जिनकी नमूना जांच की गई, में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के पास जमा करवाए गए 35.85 लाख ₹ (19 लघु सिविल निर्माण कार्य: 20.93 लाख ₹ तथा 2 मुख्य सिविल निर्माण कार्य: 14.92 लाख ₹) मार्च 2000 तक प्रयुक्त नहीं किए गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

(iii) तीन जिलों जिनकी नमूना-जांच की गई में आईईसी क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से उपायुक्तों के पास जमा करवाए गए 14.30 लाख ₹ में से 1999-2000 के दौरान केवल 4.87 लाख ₹ (34 प्रतिशत) प्रयोजनार्थ व्यय किए गए। सचिवों, जिला साक्षरता समितियों हमीरपुर, सिरमौर तथा ऊना ने बताया (जनवरी-मार्च 2000) कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्टाफ का अभाव तथा पोस्टर्स के अभिकल्पों को अन्तिम रूप न दिए जाने आदि के कारण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार नहीं किया जा सका।

(iv) सामान्य सचेतता प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त 41.42 लाख रू० के प्रति 30.78 लाख रू० जिला स्तरीय सभी प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य समितियों के पास जमा करवाए गए। यह पाया गया कि तीन जिलों जिनकी नमूना-जांच की गई में 1999-2000 के दौरान उनके पास जमा करवाए गए 12.34 लाख रू० में से 1.50 लाख रू० व्यय किए गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मार्च 2000) कि प्रशिक्षण देने के लिए कार्य योजनाओं के अभाव में धनराशि का प्रयोग नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्य योजनाएं तैयार करनी तथा प्रशिक्षण देना चाहिए था, जैसा कि कार्यक्रम में परिकल्पित था।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एक स्वायत्त निकाय जिसे कार्यक्रम प्रशासन का कार्य सौंपा गया था स्रोतों का उपयोग सरकारी विभाग से बेहतर नहीं कर सका। सरकार के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह इस बात का निर्धारण करे कि इन समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कौन से पग उठाए जाने अपेक्षित हैं।

3.2.10 निष्कर्ष

कार्यक्रम के लिए दी गई 135.27 करोड़ रू० की केन्द्रीय निधियों में से 28.78 करोड़ रू० (21 प्रतिशत) का राज्य सरकार द्वारा अपवर्तन कर दिया गया और जो भी निधियां प्रयुक्त की गई वे अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही यहां तक कि वह मूल उद्देश्यों की प्रगति में तीव्रता तक नहीं ला सकी। इस प्रकार आईएमआर में वृद्धि, प्रभावी सीपीआर में तीव्र कमी, नसबन्दी सम्बन्धी आंकड़ों में कमी थी तथा सीबीआर के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। स्वास्थ्य संस्थाओं के खोलने तथा उनके उन्नयन हेतु निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। स्टाफ की तैनाती का पुनरीक्षण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्टाफ के आधिक्य एवं स्टाफ की कमी के मामले दृष्टिगत हुए। पात्र दम्पतियों को शिक्षित तथा प्रेरित करने का उद्देश्य घोर रूप से प्रभावित हुआ। प्रसोत्व केन्द्रों के निष्पादन का सूक्ष्मता से पुनरीक्षण नहीं किया गया तथा निष्क्रिय प्रसोत्व केन्द्रों को अंधे निष्पादन वाले केन्द्रों में स्थानान्तरित नहीं किया गया जैसाकि दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित था। जिला तथा निदेशालय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एक मूल तत्व था, जिसकी निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। सारांश में कार्यक्रम मंद गति से चलाया गया।

मई 2000 में सरकार को ये तथ्य प्रेषित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.3. ग्रामीण विकास विभाग का कार्यचालन

मुख्यबार्ते

विभाग का वित्तीय तथा कार्यक्रम प्रबंधन घोर रूप से त्रुटिपूर्ण था। विभिन्न ग्रामीण विकास तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयनार्थ प्रदत्त स्रोतों का राज्य सरकार द्वारा योजना की उच्चतम सीमाओं में कमी करने के बाद भी बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति के कारण पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की शिनाख्त हेतु किया गया सर्वेक्षण विश्वसनीय सामग्री पर आधारित नहीं था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनता रेखा को पार करने वाले अनेक परिवारों पर कार्यक्रम का प्रभाव जानने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों का विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों के स्तर पर पर्याप्त रूप से निरीक्षण/नमूना-जांच नहीं की गई, जैसा कि निर्धारित था। प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित लाभों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु स्कीमों का कोई आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन नहीं किया गया। स्कीमों की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई, जैसाकि दिशानिर्देशों में परिकल्पित था। सारांश में विभाग ने सौंपे गए अनेक कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन नहीं किया। मुख्य निष्कर्ष निम्नवत् थे:-

*** 1994-99 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 22.89 करोड़ रु० का व्यय करने के बाद भी चार जिलों जिनकी इसी अवधि में नमूना जांच की गई, में निर्धनता का प्रभाव 2.59 लाख परिवारों से बढ़कर 2.86 लाख परिवारों पर पड़ा। कार्यक्रम का प्रभाव जानने के लिए विभाग द्वारा निर्धनता रेखा को पार करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

[परिच्छेद 3.3.4.1 (ii) तथा (v)]

*** ट्राईसम के अन्तर्गत 1995-99 में 58.30 लाख रु० की लागत पर प्रशिक्षित किए गए कुल 3275 युवकों में से प्रशिक्षित किए गए 2182 युवकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था।

[परिच्छेद 3.3.4.2 (i)]

*** चार एकसक्लूसिव प्रशिक्षण केन्द्र (ईटीटीसी) जिन्हें सितम्बर 1997 तथा 1.15 करोड़ रु० खर्च करके इनका निर्माण किया जाना था, मई 2000 तक पूरा नहीं किया गया था। परिणामतया, 1998-99 में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गए 2.39 करोड़ रु० की लागत के अन्य आठ ईटीटीसी प्रोजेक्टों की संरचीकृति प्राप्त नहीं हुई।

[परिच्छेद 3.3.4.2 (ii)]

*** 1996-98 में 77.53 लाख रु० में से 53.68 लाख रु० गंगा कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए 11 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दिए गए थे जो अप्रयुक्त पड़े थे। भौगोलिक प्रतिकूलता तथा अन्य बाधाओं के कारण इस राशि को प्रयुक्त नहीं किया गया था जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भारत सरकार को अवगत नहीं करवाया था।

[परिच्छेद 3.3.4.3]

*** भारत सरकार द्वारा 1993-97 की कालावधि में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 9.97 करोड़ रु० की लागत के नवीन पद्धति के छः विशेष प्रोजेक्ट मई 2000 तक पूरे नहीं हुए थे जबकि उनको पूरा करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी।

[परिच्छेद 3.3.4.4]

** मुख्यमंत्री उपदान योजना के अन्तर्गत असहाय परिवारों को प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अनुदान राशि दी जानी चाहिए। 1.68 करोड़ ₹ की उपदान राशि को सम्बन्धित 1704 परिवारों को भुगतान करने में निर्धारित अवधि से 14 से 1,071 दिनों की देरी की गई थी।

[परिच्छेद 3.3.4.5]

** विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकार्य 15 से 25 प्रतिशत अप्रयुक्त शेष राशियों को आगामी वित्तीय वर्षों में ले जाने के पिछले वर्षों में अधिक राशि आगामी वर्षों में ले जाई गई थी तथा क्रियान्वयन के लिए योजनाओं के प्रस्ताव विलम्ब से भेजे गए थे जिसके कारण भारत सरकार/राज्य सरकार ने जिला विकास ग्रामीण अभिकरणों को अनुदान सहायता राशि जारी करते समय 9.24 करोड़ ₹ की कटौती कर ली थी।

[परिच्छेद 3.3.6.5]

** 1994-2000 में राज्य समन्वय समिति की 24 बैठकें करना अपेक्षित था जबकि केवल चार बैठकें ही की गई थी।

[परिच्छेद 3.3.7]

** विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यों के निरीक्षण/नमूना-जांच में गिरावट 59 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के मध्य रही। परिणामतया निर्धारित विधि का अनुसरण नहीं किया गया था।

[परिच्छेद 3.3.8]

3.3.1 परिचय

ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा निर्धन ग्रामवासियों के समग्र विकास हेतु विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को ग्रामवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वित करना था। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के कल्याण हेतु गरीबी उन्मूलन तथा निर्धन ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न लाभप्रद केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजना स्कीमों के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास दृष्टिकोण अपनाया गया। इनमें (i) निर्धन ग्रामीणों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे स्रोत तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार इत्यादि के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ii) अनुपूरक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम जैसे रोजगार कार्यक्रम (iii) सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरू विकास कार्यक्रम जैसे विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित थे।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य योजना स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य के 72 खण्डों को 12 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की मार्फत सहायता अनुदान निस्तारित किए गए।

3.3.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर विकास ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व विशेष सचिव एवं निदेशक (निदेशक) की सहायता से सचिव एवं आयुक्त (ग्रामीण विकास) पर था। जिला स्तर पर कार्यक्रमों का निष्पादन परियोजना अधिकारी (पीओ) की सहायता से उपायुक्त-एवं-मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया। खण्ड स्तर पर कार्यक्रमों के पुनरीक्षण तथा अनुश्रवण हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया था (फरवरी 1994)।

3.3.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1997-2000 की कालावधि के ग्रामीण विकास विभाग के क्रियाकलापों के कुछ पहलुओं की समीक्षा फरवरी-मई 2000 में की गई थी। यह समीक्षा निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, चार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों¹ तथा इनके अन्तर्गत कार्य कर रहे 18 खण्डों² के कार्यालय में की गई थी। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान निम्नवत् मुख्य तथ्य ध्यान में आए:-

3.3.4 कार्यक्रम प्रबन्धन

15 योजनाएँ³ जो विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी, उनमें से सात⁴ की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई। निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

3.3.4.1 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि एक मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, राज्य में 1980 के दौरान सभी खण्डों में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को अपनाने में सहायता प्रदान करना, उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को विकसित करना तथा उन्हें सदा के लिए गरीबी रेखा से ऊपर लाना था।

विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना की लेखापरीक्षा के दौरान निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

(i) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के अविश्वसनीय आंकड़े।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धारित गरीबी के आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार भारत सरकार से निधियों का आबंटन प्राप्त कर रही थी। जो 28 प्रतिशत (1977-78), 14 प्रतिशत (1983-84) तथा 10 प्रतिशत (1987-88) थे। तथापि राज्य सरकार द्वारा 1981-82, 1994-95 तथा 1998-99 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिशतता क्रमशः 42, 27 तथा 28 थी।

निदेशक ने बताया (मई 2000) कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने राज्य की उपभोग पद्धति से सम्बन्धित अन्तर्स तथा जीवन यापन लागत की उपेक्षा की थी। तथापि यह भी देखने में आया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा गरीबी की निर्धारित 10 प्रतिशत दर जिसके आधार पर भारत सरकार से निधियां प्राप्त होती हैं का उपयोग राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया था।

¹ हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा ऊना।

² अम्ब, आनी, बैजनाथ, बंजार, भवारना, भोरंज, बिझड़ी, देहरा, गगरेट, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, नगरोटा बंगवा, निरमण्ड, नूरपुर, पंचरूखी, रैत तथा ऊना।

³ सामुदायिक विकास योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास, जेआरवाई, ईएएस, ग्रामीण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना (गांधी कुटीर योजना तथा इन्दिरा आवास योजना), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विकसित चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, डीडीपी हिमाचल प्रदेश में बंजर भूमि विकास परियोजना, मुख्यमंत्री ग्रेच्युटी योजना तथा गंगा कल्याण योजना।

⁴ सीडीपी, आईआरडीपी, ट्राईसम, डवाकरा, जेआरवाई, मुख्यमंत्री ग्रेच्युटी योजना तथा गंगा कल्याण योजना।

(ii) गरीबी की बढ़ती की प्रवृत्ति

नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि नमूना जांचित चार जिलों में 1994-95 तथा 1998-99 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 22.89 करोड़ रु० व्यय करने के पश्चात भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 2.59 लाख से बढ़ कर 2.86 लाख हो गई थी।

निदेशक ने बताया (मई 2000) कि भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों के सर्वेक्षण की विधि को प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति ^{उत्पत्ती} ~~निवेश~~ में बदल देने के कारण गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या में बढ़ती का प्रभाव दिखाई पड़ा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार के आंकड़ों के आधार पर भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या 27 प्रतिशत (1994-95) बढ़कर 28 प्रतिशत (1998-99) हो गई थी।

(iii) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का सर्वेक्षण करने में विलम्ब हुआ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया (अप्रैल 1997) कि नवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002) के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का नया सर्वेक्षण इस प्रकार से करवाए कि अन्तिम रूप से बढ़ाई गई सूची मार्च 1998 तक तैयार हो जाए। राज्य सरकार ने यह कार्य मार्च 1999 में अर्थात् निर्धारित तिथि से एक वर्ष बाद पूरा किया तथा यह निर्णय किया कि चिन्हित परिवारों को अप्रैल 1999 से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाए। परिणामतया नवीन से शिनाख्त किए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाने में एक वर्ष की देरी की गई क्योंकि लाभ भोगियों को पुराने सर्वेक्षण के आधार पर सहायता देनी जारी रखी गई। नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर परिवारों की नई बढ़ती सम्बन्धी आंकड़े भी निदेशक के पास उपलब्ध नहीं थे।

(iv) अन्तिम सूची में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 335 परिवारों को सम्मिलित न करना।

सिरमौर जिले में 1998-99 के दौरान करवाए गए सर्वेक्षण में छूट गए 335 परिवारों को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार ने जिले में पहचाने गए परिवारों की सूची को संशोधन करके शिनाख्त किए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 13,418 से 13,753 संशोधित की तथा इसे अनुमोदित किया (नवम्बर 1999)। यह ध्यान में आया कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे इन 335 परिवारों को अन्तिम सूची में शामिल करने के लिए मई 2000 तक भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया था। निदेशक ने बताया (मई 2000) कि विभाग ने सभी उपायुक्तों को मार्च 2000 में निदेश जारी किए थे कि वह गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या में हुई बढ़ती/कमी को सूचित करें तत्पश्चात् इसके सम्बन्ध में भारत सरकार को समेकित स्थिति के सम्बन्ध में सूचित किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अन्तिम सर्वेक्षण की नियत तिथि मार्च 1998 थी तथा अगली पंच वर्षीय योजना तक कोई अतिरिक्त सर्वेक्षण नहीं किया जाना था। इस प्रकार सिरमौर जिला के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 335 परिवार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे।

(v) गरीबी रेखा को पार करने वाले परिवारों को खोजने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण न करवाना

दिशा निदेशों के अनुसार खण्ड विकास अधिकारियों से यह अपेक्षित था कि वे आईआरडीपी के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों में से जो परिवार गरीबी रेखा को पार कर गए थे उनका पता लगवाने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण करवाए।

नमूना जांचित 18 खण्डों के किसी भी खण्ड विकास अधिकारी ने यह सर्वेक्षण नहीं किया था। विभाग द्वारा भी इस तथ्य की अवहेलना की गई थी। इस प्रकार से कार्यक्रम का प्रभाव निर्धारित करना सम्भव नहीं था। इसका भी कोई आश्वासन नहीं दिलाया गया था कि अपात्र परिवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

लाभ नहीं ले रहे थे। निदेशक से खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण न करवाए जाने के सम्बन्ध में पूछे गए कारण (मई 2000) सूचित नहीं किए गए थे।

(vi) मूलाधार विकास

(क) लाभार्थियों के वर्तमान तथा भविष्य के संदर्भ में दुकानों के निर्माण, ऊठाऊ सिंचाई पद्धति, भू परीक्षण उपकरणों, कार्यशालाओं/गोदामों के निर्माण जैसे आधार भूत ढांचों के विकासार्थ खण्ड/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की वार्षिक योजना के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का 20 प्रतिशत आबंटन रखा जाए।

18 नमूना जांचित खण्डों में यह पाया गया कि 16 खण्ड विकास अधिकारियों⁵ ने 1997-98 के दौरान 17 खण्ड विकास अधिकारियों⁶ ने 1998-99 के दौरान तथा 14 खण्ड विकास अधिकारियों⁷ ने 1999-2000 के दौरान क्रमशः 79.66 लाख ₹, 135.33 लाख ₹ तथा 71.81 लाख ₹ के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कुल आबंटन के प्रति मूलाधार ढांचा विकास के लिए निधियों का कोई आबंटन नहीं किया था। प्रत्यक्षतः इस चूक की ओर सम्बन्धित उपायुक्तों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था।

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया कि इस चूक का कारण योजना को प्रावधानों सम्बन्धी ज्ञान का अभाव, मूलाधार ढांचों को बनाने के लिए भूमि का न होना तथा डीआरडीए के प्रोजेक्ट अधिकारियों द्वारा तैयार की हुई वार्षिक कार्य योजना में इसके लिए प्रावधान न रखना बताया (फरवरी-मई 2000)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह योजना 1980 से राज्य में चलाई जा रही थी तथा इसलिए सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारियों को इसके प्रावधानों से परिचित होना अपेक्षित था तथा प्रतिवर्ष इस योजना के लिए आबंटित राशि का 20 प्रतिशत अप्रयुक्त बचा रहा।

(ख) नमूना जांचित 12 खण्डों⁸ में एकीकृत विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए 1986-87 से 1994-95 में 26.79 लाख ₹ की लागत से 211 दुकानें बनाई गई थी। इनमें से 3.14 लाख ₹ की लागत से बनवाई गई 27 दुकानें फरवरी-मई 2000 तक आबंटित नहीं की गई थी। आबंटन न करने का कारण लाभार्थियों का इन दुकानों को लेने के लिए इच्छुक न होना बताया गया। बकाया 184 दुकानों को आबंटित किया गया था, परन्तु 117 लाभार्थी दुकानों का निर्धारित नाममात्र किराये का भी भुगतान नहीं कर रहे थे जिससे जुलाई 1988 से मार्च 2000 तक किराए की बकाया राशि 5.10 लाख ₹ इन लाभार्थियों से देय थी। इससे यह प्रकट होता है कि इन दुकानों को बनवाने से पूर्व लाभार्थियों की अपेक्षाओं को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(vii) संरचना पर अग्राह्य व्यय

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के मामले में एक वर्ष में जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आबंटित कुल राशि का 10 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक संरचना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था। फिर भी जिला ग्रामीण अभिकरण, शिमला ने वर्ष 1996-97 के दौरान भारत सरकार द्वारा आबंटित 17.78 लाख ₹ की राशि में से 13.98 लाख ₹ (79 प्रतिशत) व्यय किए गए थे।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिमला द्वारा निर्धारित मानदण्डों से 12.20 लाख ₹ का अधिक अग्राह्य व्यय हुआ।

⁵ बैजनाथ तथा भोरंज को छोड़कर।

⁶ भोरंज को छोड़कर।

⁷ भोरंज, बिझड़ी, कांगड़ा तथा नूरपुर को छोड़कर।

⁸ आनी, बैजनाथ, भवारना, भोरंज, बिझड़ी, देहरा, कांगड़ा, नगरोटा बंगवा, निरमण्ड, नूरपुर, पंचरूखी तथा रैत।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (सितम्बर 1997) कि अभिकरण की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होने के कारण व्यय करना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि व्यय संस्वीकृत करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के हितों की अनदेखी करके निधियों का अपवर्तन करने के लिए प्राधिकृत था।

3.3.4.2 ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण

(i) ट्राईसम का मूल उद्देश्य 18-35 वर्ष के ग्रामीण युवकों को जो आईआरडीपी परिवारों से सम्बन्धित थे, को आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करना था ताकि वे स्वरोजगार सम्बन्धी धंधों में लग कर अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार कर सकें। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने सहकारी निकायों को मान्यता प्रदान करके संरचना सम्बन्धी समर्थन सुनिश्चित करना था और ऐसे निकास अधिकांश स्वनियोजित लाभार्थियों के विगत व भावी संदर्भों के लिए प्रत्येक जिले में नाभीकीय अभिकरण के रूप में अभिज्ञात किए जाने थे।

1995-99 में
58.30 लाख
रु० की लागत
से 2182
प्रशिक्षित युवकों
को स्वरोजगार
में नहीं लगाया।

राज्य सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.86 लाख परिवारों की पहचान की थी। इसके प्रति केवल 3,275 युवकों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। 1995-99 में उन पर 87.50 लाख रु० व्यय किए गए। मई 2000 तक इनमें से 1,093 (33 प्रतिशत) को स्वरोजगार में लगाया गया, 1534 (47 प्रतिशत) को नौकरी दिलवाई गई तथा 648 (20 प्रतिशत) बेरोजगार रहे। वर्तमान तथा भविष्य के संदर्भ में मूलाधार ढांचे के निर्माण के लिए आईआरडीपी निधियों का 20 प्रतिशत प्रदान करने में विभाग असफल रहा।

ट्राईसम के अन्तर्गत प्रशिक्षित 2182 युवकों (नौकरी पर लगाए गए 1534 युवकों सहित) को स्वरोजगार प्रदान करने में विफल रहने के कारण उनके प्रशिक्षण पर किया गया 58.30 लाख रु० का आनुपातिक व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा। इन युवकों को स्वरोजगार पर न लगाए गए जाने के पूछे गए कारण (मई 2000) निदेशक द्वारा सूचित नहीं किए गए।

(ii) अनन्य रूप से ट्राईसम प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करना

ट्राईसम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए मूलाधार ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया (अक्टूबर 1995) कि केन्द्र तथा राज्य सरकार 50:50 प्रतिशत के खर्चों को वहन करते हुए उन खण्डों में जहां पर गैर-सरकारी संगठन/सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं थे वहां चरणबद्ध रीति से ईटीटीसी स्थापित करें। प्रथम चरण में 1996-97 के दौरान भारत सरकार द्वारा चम्बा जिला में गरनोटा, सलूणी तथा तीसा में व हमीरपुर जिला में बड़सर में चार ईटीटीसी अनुमोदित किए गए। इन ईटीटीसी को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 57.58 लाख रु० की राशि निस्तारित की (मार्च 1997) जबकि राज्य सरकार ने इतनी ही राशि इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए जून 1997 (53.83 लाख रु०) तथा जनवरी 1998 (3.75 लाख रु०) निस्तारित की। मार्च 2000 तक इन ईटीटीसी के भवनों के निर्माण में वित्तीय

तथा भौतिक प्रगति निम्न प्रकार थी:-

ईटीटीसी का नाम	ईटीटीसी भवनों की प्रोजेक्ट लागत	ठेका राशि (लाख रूपए)	ठेका देने का मास	वित्तीय	अन्तिम प्रगति भौतिकी
गरनोटा	21.91	16.07	दिसम्बर 1999	1.89	आरसीसी कार्य धरातल तक पूर्ण
सलूणी	23.31	21.89	मई 1999	1.20	स्थल विकास तथा आठ स्तम्भों की नींव डाली गई।
तीसा	23.31	22.63	मार्च 1999	2.47	प्रथम तल के बीम की शटरिंग की गई।
बड़सर	10.50	25.50	जुलाई 1999	20.04	धरातल पर स्लैब डाल कर प्रथम मंजिल की छत तक आरसीसी के स्तम्भ भरे गए।

निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

2.39 करोड़ ₹ की लागत पर अन्य आठ ईटीटीसी के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार चार ईटीटीसी के निर्माण के लिए प्रदान की गई राशि को प्रयुक्त नहीं कर सकी।

(क) ईटीटीसी जिनका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य सितम्बर 1997 था, को डीआरडीए द्वारा अप्रैल 1999 तथा मई 2000 के बीच निर्माण कार्य आरम्भ करवाया गया। ईटीटीसी के निर्माण में देरी के कारण प्रशिक्षणार्थी मई 2000 तक इनके लाभ से दो वर्षों तक वंचित रहे।

(ख) इन ईटीटीसी को संस्थापित करने में निधियों के उपयोग की धीमी प्रगति के कारण राज्य सरकार द्वारा दूसरे चरण में 1998-99 के दौरान प्रस्तुत किए गए आठ अन्य परियोजनाओं⁹ को (लागत: 2.39 करोड़ ₹) भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। इस प्रकार चम्बा तथा हमीरपुर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारियों द्वारा समय पर निधियों का उपयोग करने में विफल रहने तथा निदेशक द्वारा योजना के सम्बन्ध में अनुश्रवण न करने के कारण राज्य सरकार इन ईटीटीसी का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक 1.20 करोड़ ₹ की 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वंचित रही।

(ग) दिशा निर्देशों में निर्माण कार्य को ठेकेदारों से करवाना सर्वथा वर्जित था। यद्यपि राज्य स्तर पर विभाग का अपज्जा अभियान्त्रिकी कोष्ठ था तथा तीन आंचलिक अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से तकनीकी शक्तियों से विहित थे, फिर भी चम्बा तथा हमीरपुर के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने ईटीटीसी के निर्माण कार्य ठेकेदारों को दिये। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया कि भवन के अभिकल्प में विचलन के कारण 10.50 लाख ₹ के परियोजना प्रावधान के प्रति ईटीटीसी, बड़सर का निर्माण कार्य अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बड़सर द्वारा तैयार किए गए 27.28 लाख ₹ के प्राक्कलन के प्रति 25.50 लाख ₹ में ठेकेदार को सौंपा गया। निदेशक सीईओ के साथ हुई आवधिक बैठकों में इस शर्त का अनुश्रवण करने में विफल रहा।

⁹ चौतड़ा, धर्मपुर, गोहर व करसोग जिला मण्डी में, नाहन, राजगढ़ तथा शिलाई सिरमौर जिला में तथा टौणी देवी हमीरपुर जिला में।

3.3.4.3 गंगा कल्याण योजना

11 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को 1996-98 के दौरान जारी किए गए 77.53 लाख रू० में से 53.68 लाख रू० अप्रयुक्त पड़े थे।

भारत सरकार ने भू-तल जल (कुओं तथा नलकूपों के द्वारा) का दोहन करके सिंचाई के उद्देश्य से गंगा कल्याण योजना देश के सभी जिलों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों में 80:20 अनुपात की लागत के आधार पर प्रारम्भ की (फरवरी 1997)।

इस योजना के क्रियान्वयनार्थ 1996-98 के दौरान 77.53 लाख रू० (केन्द्रीय अंश: 66.71 लाख रू० तथा राज्यांश: 10.82 लाख रू०) किन्नौर के अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निस्तारित किए। तथापि, योजना के क्रियान्वयन से पूर्व राज्य की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में योजना की व्यवहारिकता तथा उपयुक्तता के बारे में भारत सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए था।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि चार ग्रामीण विकास अभिकरणों¹⁰ को 1996-98 के दौरान जारी की गई 28.03 लाख रू० (1996-97: 13.61 लाख रू० तथा 1997-98: 14.42 लाख रू०) की समग्र राशि उनके पास अप्रयुक्त पड़ी थी। सात अन्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों¹¹ को जारी की गई 49.50 लाख रू० की शेष राशि में से 23.85 लाख रू० मार्च 2000 तक प्रयुक्त कर लिए गए थे तथा 25.65 लाख रू० अप्रयुक्त पड़े थे। सात जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा 23.85 लाख रू० का प्रयोग किस प्रकार किया गया था के सम्बन्ध में निदेशक से पूछा गया था (जून 2000) परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। लेखापरीक्षा जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि 23.85 लाख रू० की उपयोगिता के सम्बन्ध में ब्यौरा भारत सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों में नहीं दिया गया था।

निदेशक ने राज्य स्तरीय समन्वय समिति को सूचित किया (दिसम्बर 1998) कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण यह योजना समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं की जा सकी तथा भारत सरकार से योजना को लागू करने के मापदण्डों में छूट प्रदान करने के लिए मामला उठाया गया था (नवम्बर 1997)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार को योजना को लागू करने में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए निधियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से इस योजना के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निस्तारित 53.68 लाख रू० अप्रयुक्त पड़े रहे क्योंकि राज्य सरकार भारत सरकार को योजना को लागू करने से पूर्व योजना को कार्यान्वित करने में आने वाली बाधाएं विदित करने में विफल रही।

3.3.4.4 जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष तथा नवीन परियोजनाएं

जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) के अन्तर्गत विशेष तथा नवीन परियोजनाएं के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना सम्बन्धी आबंटनों का पांच प्रतिशत जो कि 75 करोड़ रू० प्रतिवर्ष से अधिक न हो विशेष तथा नवीन परियोजना के लिए रखा गया था। ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार पैदा करना गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य थे। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लोगों के विशेष समूहों व क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना था जिनकी ओर चल रही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत साधारणतया ध्यान नहीं दिया जाता। दीर्घकालीन रोजगार अवसर प्रदान करने, प्रतिरूप योजनाएं, चल रही विकास योजनाओं का एकीकरण तथा कृषि क्षेत्र में उपयुक्त तकनीकी का उपयोग आदि के लिए मूल संरचना के विकास पर जोर डाला गया। योजना के लिए धन का प्रावधान 80:20 के अनुपात में भारत तथा राज्य सरकारों ने करना था। त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने थे।

¹⁰ हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा ऊना।

¹¹ बिलासपुर, चम्बा, लाहौल व स्पिती, शिमला, सिरमौर तथा सोलन

2000 का प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल)

भारत सरकार ने छः जिलों के लिए 9.97 करोड़ ₹ की लागत से 1993-94 तथा 1996-97 के दौरान छः परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। परियोजनाएं दो से तीन वर्ष के दौरान पूर्ण की जानी थीं। मार्च 2000 तक सहायता अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् थी:-

परियोजना का नाम	परियोजना आरम्भ करने का वर्ष	परियोजना की स्वीकृत लागत	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	डीआरडीए द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता की राशि	प्रयुक्त राशि	डीआरडी ए के पास पडी अप्रयुक्त राशि	सहायता अनुदान की राशि जिसका दावा नहीं किया गया	कार्यक्रम के संघटक
		(करोड़ रुपए)			(करोड़ रुपए)			
2000 तक कांगड़ा जिला को स्वावलम्बी बनाने के लिए	1993-94	2.00	1996-97	2.00	1.60	0.40	...	परम्परागत कम उपज वाले गेहूँ तथा धान की फसलों से अधिक उपज वाले पुष्पों, जड़ी बूटियों तथा औषधीय फसलों की ओर उन्मुख करने के लिए जागृति लाना, नवीनतम जर्म, वायरस तथा अपरिवर्तनीय गुणवत्ता पौध सामग्री, कृषि, प्रौद्योगिकी फसल पकने के बाद की प्रक्रिया तथा विपणन परिलक्ष्य उपलब्ध करवाना
सोलन जिले में एकीकृत डायरी विकास	1994-95	2.20	1997-98	2.20	2.13	0.07	...	दुधारू पशुधन की भावी नरस्त में उच्च उत्पादन के जीवाणु प्रविष्ट करवाना, चारे के उत्पादन में सुधार दुधारू पशुधन के वैज्ञानिक प्रबन्धन की आदत बनाना तथा कृषि गौण उत्पादों को पोषाहारीय बायोमास में रूपान्तर व संरक्षण
शिमला जिला में अपवर्तन हेतु परियोजना	1995-96	3.07	1998-99	1.49	0.65	0.84	1.58	उन्नत किस्म के बीजों तथा सब्जी उगाने की सुधरी तकनीकी का प्रयोग करके बेमौसमी सब्जियों का प्रचजन करवाना।
सिरमौर जिले में वेमौसमी सब्जियों का उत्पादन	1995-96	1.00	1998-99	0.68	0.68	...	0.32	
ऊना जिला में बान उद्योग का विकास	1995-96	0.70	1998-99	0.42	0.40	0.02	0.28	रस्सी, चटाई तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए बान बनाने की इकाइयाँ स्थापित करना।
मण्डी जिला हरे सुनहरी मार्ग पर	1996-97	1.00	1999-2000	1.00	1.00	फूल उगाने वालों को अच्छे बीज, पौध सामग्री तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना।
जोड़		9.97		7.79	6.46	1.33	2.18	

लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

(i) 1997-2000 के दौरान यद्यपि सभी छः परियोजनाओं को पूर्ण करने की निर्धारित तिथियां व्यतीत हो चुकी थी, तथापि मई 2000 तक इनमें से कोई भी परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी। इस प्रकार से ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन तथा स्वावलम्बी होने के मुख्य उद्देश्य अधिकांशतः प्राप्त नहीं किए गए थे।

(ii) राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक (दिसम्बर 1998) में सिरमौर तथा सोलन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि इन जिलों से सम्बन्धित परियोजनाओं को मार्च 1999 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि मई 2000 तक दोनों परियोजनाएं अपूर्ण पड़ी थीं। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (मई 2000) कि भारत/राज्य सरकार से सहायता अनुदान की अन्तिम किश्त प्राप्त न होने के कारण कुछ कार्य जैसे कि सिंचाई टंकियों तथा हरे गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

(iii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा भारत सरकार को नियमित रूप से निर्धारित त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। भारत सरकार ने इन परियोजनाओं की दयनीय स्थिति पर खेद प्रकट करते हुए यह इंगित किया (अगस्त 1999) कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने में विफल रही थी तथा भलीप्रकार से अनुश्रवण न करने के परिणामस्वरूप दुर्लभ स्रोतों का उचित उपयोग नहीं किया गया जिससे अपेक्षित लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हो सका तथा 7.79 करोड़ ₹ तथा इन परियोजनाओं में अवरूद्ध हुए।

(iv) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शिमला को 1.49 करोड़ ₹ की सहायता अनुदान जारी की गई (1995-96) प्रथम किश्त में से जनवरी 2000 तक 0.65 करोड़ ₹ प्रयुक्त किए गए थे तथा 0.84 करोड़ ₹ अप्रयुक्त पड़े थे। प्रथम किश्त के उपलब्ध बकाया में से 75 प्रतिशत की राशि को प्रयुक्त न किए जाने के कारण जो कि दूसरी किश्त लेने के लिए निर्धारित शर्त थी, डीआरडीए भारत सरकार से 1.58 करोड़ ₹ की दूसरी किश्त का दावा नहीं कर सका।

परियोजना अधिकारी ने बताया (मई 2000) कि तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सका और इसलिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास निधियां अप्रयुक्त पड़ी रही। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना आरम्भ करने से पूर्व योजना के क्रियान्वयन के लिए स्टाफ की शिनाख्त करके उसकी तैनाती की जानी थी। निदेशक ने बताया (मई 2000) कि डीआरडीए सिरमौर तथा ऊना से सम्बन्धित दूसरी किश्त के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। कांगड़ा, मण्डी, सोलन तथा ऊना के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारियों से परियोजना को पूर्ण न करने के पूछे गए कारण (अप्रैल 2000) सूचित नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

(क) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास विपणन दृष्टि से ट्रक तथा वातानुकूलित वाहन के प्रावधान के प्रति 1997-98 के दौरान 6.49 लाख ₹ की लागत पर दो मारुति जिप्सी वाहन खरीदे। डीआरडीए द्वारा जिप्सी वाहनों का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जा रहा था जो नवीन परियोजना से सम्बन्धित नहीं थे।

परियोजना अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1999) कि मारुति जिप्सी के क्रय के लिए किया गया व्यय प्रावधानों से कम था। उन्होंने यह भी कहा कि वाहनों का उपयोग अभिकरण के क्रियाकलापों के लिए

किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा ट्रक तथा वातानुकूलित वाहन के क्रय के लिए स्वीकृति दी गई थी तथा वाहन का उपयोग केवल परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए ही किया जाना था।

(ख) 16 पॉलि गृहों के निर्माण के प्रावधानों की प्रतिपक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने 12.37 लाख ₹ से पांच खण्डों में 7 पॉलि गृहों का निर्माण किया (1997-99)। इनमें से चार पॉलि गृहों में अवशीतन प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई जिसकी अनुपलब्धता में इनका अपेक्षित तापमान नहीं रखा जा सका। इस प्रकार से 4.51 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा।

(ग) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने चौपाल उत्सव, शिमला ग्रीष्म उत्सव, प्रधानों के सम्मलेन इत्यादि जैसी गतिविधियों जो परियोजना से सम्बन्धित नहीं थी, पर 3.20 लाख ₹ व्यय किए। परियोजना अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1999) कि निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि अमान्य मदों पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए था।

(घ) परियोजना के प्रावधानों के प्रतिकूल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने उप मण्डलीय दण्डाधिकारी रोहडू की मार्फत एक गैर सरकारी संगठन “सर्व हिमाचल सरस्वती नगर” को दो लाख ₹ का भुगतान किया (मार्च 1998)। राशि का प्रयोग कटिंग/बल्ब/प्लॉट/(एक लाख ₹) तथा प्रशिक्षण (एक लाख ₹) के लिए किया जाना था। गैर सरकारी संगठन ने न तो लेखे और न ही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने भी संगठन से राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

परियोजना अधिकारी ने बताया (जुलाई 2000) कि संगठन को लेखे तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक भेजा जा रहा था।

3.3.4.5 मुख्यमंत्री उपदान स्कीम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों को 18 से 60 वर्ष के किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु होने पर 0.10 लाख ₹ की तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए जून 1996 में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री उपदान योजना आरम्भ की गई। इस स्कीम पर 1997-2000 (1997-98: 2.31 करोड़ ₹; 1998-99: 3.31 करोड़ ₹ तथा 1999-2000: 2.60 करोड़ ₹) के दौरान 8.22 करोड़ ₹ व्यय किए गए।

खण्डों जिनकी नमूना जांच की गई से निम्नवत् तथ्य दृष्टिगत हुए:-

1704
लाभार्थियों को
1.68 करोड़
₹ के भुगतान
में 14 से 1071
दिनों का विलम्ब
हुआ।

(i) दिशा निर्देशों के अनुसार शोक संतप्त परिवार से सम्बन्धित आवेदकों को उपदान का तत्काल संवितरण किया जाना था लेकिन किसी भी स्थिति में आवेदन प्राप्ति से 15 दिन से अधिक का विलम्ब नहीं होना चाहिए था। नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि आईआरडीपी के 1704 शोकसंतप्त परिवारों को 1.68 लाख ₹ की उपदान राशि का संवितरण करने में 14 से 1071 दिन का विलम्ब हुआ। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मई 2000) कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से निधियां विलम्ब से प्राप्त होने के कारण ऐसा हुआ। इस प्रकार शोकग्रस्त परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

(ii) 13 खण्डों में 23.60 लाख ₹ के उपदान के लिए मार्च 2000 तक 236 आवेदनपत्र लम्बित थे। ये प्रार्थना पत्र मार्च 2000 से पूर्व 16 से 365 दिन के मध्य प्राप्त हुए थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने आवेदनपत्रों के लम्बित होने का कारण निधियों की अनुपलब्धता बताया (फरवरी-मई 2000)।

(iii) 112 आवेदकों को 11.05 लाख ₹ का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इन आवेदन पत्रों पर 'भुगतान के लिए पारित' आदेश अभिलिखित नहीं किए गए थे (7.50 लाख ₹) तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आयु प्रमाणपत्र तथा आईआरडीपी प्रमाण पत्र, इत्यादि (3.55 लाख ₹) जैसे सम्बन्धित प्रस्तावों सहित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मई 2000) कि अपेक्षित प्रलेख शीघ्र ही प्राप्त कर लिए जाएंगे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन महत्वपूर्ण प्रलेखों को प्राप्त किए बिना राशि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में सरकारी निधियों के दुर्विनियोजन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.3.5 मानक संसाधन प्रबन्धन

(i) संस्वीकृत पद तथा तैनात कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च 2000 को स्टाफ के 42 विभिन्न वर्गों के 3,349 संस्वीकृत पदों की प्रतिपक्षता में विभाग के पास 39 वर्गों के 2905 (87 प्रतिशत) तैनात कर्मचारी थे। तीन वर्गों¹² में सभी पद रिक्त थे। शेष 444 (13 प्रतिशत) रिक्त पदों में मुख्यतः चार पद खण्ड विकास अधिकारी, 10 पद महिला समाज शिक्षा आयोजक, 219 पद ग्राम पंचायत तथा विकास अधिकारी तथा 26 पद ग्राम सेविकाओं के सम्मिलित थे। जिनका ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। रिक्त पदों को न भरने के कारण सूचित नहीं किए गए।

(ii) निर्धारित स्टाफ रीति के आधार पर पदों का सृजन किए बिना नए खण्डों का खोलना

एक खण्ड विकास अधिकारी: एक अधीक्षक वर्ग-II, एक वरिष्ठ सहायक प्रगति: एक वरिष्ठ सहायक लेखा: एक कनिष्ठ अभियन्ता: दो, समाज शिक्षा तथा खण्ड योजना अधिकारी: एक, मुख्य सेविका: एक, महिला ग्रामीण विकास समन्वयी: दो, लिपिक: दो, आशुटकक: एक, चपड़ासी: तीन, चौकीदार: एक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी: एक तथा चालक: एक के अनुमोदित स्टाफ से समाविष्ट था। अपेक्षित आधार पर पदों के सृजन किए बिना राज्य सरकार द्वारा अगस्त 1995 में तीन नए (बसन्तपुर, फतेहपुर तथा राजगढ़) खण्ड खोले गए। 57 अपेक्षित पदों के प्रति केवल 39 पदों का सृजन किया गया था तथा पांच वर्गों¹³ के 18 पदों का मई 2000 तक सृजन नहीं किया गया था।

निदेशक ने बताया (मई 2000) कि अधीक्षक तथा एसईवीपीओ के प्रत्येक के तीन-तीन पदों का सृजन करने के विभाग के प्रस्ताव से वित्त विभाग सहमत नहीं हुआ तथा इन पदों का सृजन करने के लिए प्रक्रिया पुनः आरम्भ कर दी गई थी। तीन वर्गों के बकाया 12 पदों का सृजन न करने के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

¹² प्रशासनिक अधिकारी: एक; मुख्य सेविका: एक तथा यात्रिक एवं चालक: एक।

¹³

1. अधीक्षक ग्रेड-II तीनों खण्डों में एक-एक पद
2. एसईवीपीओ: तीनों खण्डों में एक-एक पद
3. वरिष्ठ सहायक: तीनों खण्डों में दो-दो पद
4. आशुटकक: तीनों खण्डों में एक-एक पद
5. चौकीदार: तीनों खण्डों में एक-एक पद

(iii) स्टॉफ का अपवर्तन

निदेशालय स्तर पर उप-नियंत्रक (वित्त व लेखा) की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा कक्ष था जिसकी सहायता के लिए राज्य वित्त विभाग से लिए गए (अधीनस्थ लेखा सेवाएं) थे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चार वरिष्ठ सहायक व एक चपड़ासी उपलब्ध करवाया गया था।

बजट आकलनों को तैयार करने में सहायता करना, व्यय नियंत्रण को सुनिश्चित करना, लोक लेखा समिति के परिच्छेदों का निपटान करने में सहायता करना, वित्तीय संस्वीकृतियों को शीघ्रता से जारी करने में सहायता करना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण के समय स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाना अनुभाग अधिकारियों के निर्धारित कर्तव्य व उत्तरदायित्व थे।

यह ध्यान में आया कि लेखापरीक्षा कक्ष का समस्त स्टाफ लोक लेखा समिति सम्बन्धी मामलों/लेखापरीक्षा परिच्छेदों के निपटान तथा वेतन निर्धारण सम्बन्धी मामलों, अवकाश नकदीकरण मामलों तथा अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी मामलों जैसे नित्यचर्या के कार्यों में लगाया गया था। स्कन्ध का बजट आंकलनों को तैयार करने में सहायता, व्यय नियंत्रण तथा वित्त संस्वीकृतियों को जारी करने सम्बन्धी कार्यों का आंबंटन नहीं किया गया था। 1997-98 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण का कार्य नहीं करवाया गया था तथा 1998-2000 के दौरान केवल 47 तथा 13 खण्डों की लेखापरीक्षा की गई थी। निरीक्षण टिप्पणियों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, क्योंकि लेखापरीक्षा सत्यापन के लिए ये प्रस्तुत नहीं की गई थी।

निदेशक से लेखापरीक्षा कक्ष में तैनात किए गए कर्मचारियों की सेवाओं का समुचित प्रयोग न करने के पूछे गए कारणों (मई 2000) को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा करने, खण्डों/जिलों ग्रामीण विकास अभिकरणों का निरीक्षण तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना जैसे मुख्य कार्य निदेशक द्वारा सुनिश्चित नहीं किए गए थे।

3.3.6 वित्तीय प्रबन्धन

3.3.6.1 बजट तथा व्यय नियंत्रण

छः मुख्य लेखा शीर्षों¹⁴ के अन्तर्गत विभाग को अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास तथा 31-जनजातीय विकास के द्वारा विभाग को निधियां प्रदान की गईं। मार्च 2000 को निदेशक जो विभाग का प्रधान था, के नियंत्रणाधीन विभाग के पास 128 आहरण एवं संवितरण आधिकारी थे जो वित्त विभाग को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करते थे।

1997-2000 के दौरान राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	अन्तर आधिक्य (+)/व्यय(-)	अन्तर की प्रतिशतता
(करोड़ रूपए)				
1997-98	69.28	70.48	(+)1.20	2
1998-99	85.96	78.92	(-)7.04	8
1999-2000	65.87	51.83	(-)14.04	21

¹⁴ 2216-आवास; 2230-श्रम एवं रोजगार; 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम; 2505-ग्रामीण रोजगार; 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 2810-ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत।

1997-2000 के दौरान पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत कोई भी बजट प्रावधान तथा व्यय नहीं किया गया था।

निदेशक ने बताया (मई 2000) कि 1998-2000 के दौरान बचत का कारण मुख्यतः राज्य की शोचनीय वित्तीय स्थिति के कारण थी। राज्य सरकार द्वारा योजना की उच्च सीमाओं में कमी तथा रिक्त पद था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बजट नियमावली में की गई रिक्त व्यवस्था के अनुसार रिक्त पदों के एवज में वित्त प्रावधान की मांग नहीं की जानी थी।

3.3.6.2 बजट प्राक्कलनों तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण सम्बन्धी अन्तिम विवरण के प्रस्तुत करने में विलम्ब

विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्राक्कलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण सम्बन्धी अन्तिम विवरण प्रति क्रमशः 10 अक्टूबर तथा 15 जनवरी तक प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग को भेजे जाने थे। नमूना जांच से पता चला कि 1997-2000 के दौरान बजट अनुमान 19 से 141 तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण के अन्तिम विवरण 75 से 98 दिन के विलम्ब से प्रेषित किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति (24 अप्रैल 2000) के बाद आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करना एक निरर्थक कार्य था। निदेशक ने बजट प्राक्कलन विलम्ब से भेजने का कारण योजनागत सीमाओं के निर्धारण एवं इसके तैयार करने की लम्बी प्रक्रिया तथा योजना विभाग द्वारा प्रति वर्ष फरवरी मास में योजना की उच्चतम सीमाओं का निर्धारण करना बताया (मई 2000)। जहां तक आधिक्य एवं अभ्यर्पण सम्बन्धी अन्तिम विवरण विलम्ब से भेजे जाने का सम्बन्ध है, निदेशक ने बताया कि ये विवरण 31 मार्च तक भेजे जाने अपेक्षित थे। निदेशक का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बजट नियंत्रण के प्रावधानों का दृढ़ता से पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त बजट अनुमानों को बनाने के लिए लेखापरीक्षा कक्ष की सेवाएं नहीं ली गईं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया था।

3.3.6.3 व्यय नियंत्रण व्यवस्था का अभाव

निदेशक जो कि विभाग का नियंत्रण अधिकारी था के द्वारा निदेशालय एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त कुल मासिक व्यय को एक रजिस्टर में अभिलिखित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर का अनुरक्षण करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त एक दायित्व रजिस्टर जिसमें दायित्वों का विवरण अभिलिखित किया जाना था, का भी अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से व्यय तथा दायित्वों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर निदेशक द्वारा इसका निरीक्षण किया जाना था तथा स्वयं को संतुष्ट करना कि नए दायित्व उचित प्राधिकार के अन्तर्गत पैदा हुए हैं तथा आज तक का व्यय तथा दायित्व विनियोजन के प्रावधान के भीतर थी।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से 1997-2000 के दौरान प्राप्त 4,608 मासिक व्यय विवरणों में से केवल मात्र 368 विवरण ही व्यय मासिक रजिस्ट्रों में अभिलिखित किए गए थे। दायित्व रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। निदेशक ने बताया (मई 2000) कि व्यय नियंत्रण रजिस्टर में सभी विवरणों को अभिलिखित न किए जाने का कारण कर्मचारियों की कमी थी। उन्होंने यह भी बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणों की जांच करके सही व्यय को सुनिश्चित किया जाता था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 1997-2000 के दौरान संस्वीकृति संख्या के संदर्भ में लिपिक वर्गीय स्टाफ की कोई कमी नहीं थी तथा व्यय की सत्यता तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी जब तक कि व्यय को निर्धारित रजिस्टर में समेकित नहीं कर दिया जाता था।

3.3.6.4 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अप्रयुक्त बकायों की प्रवृत्ति

1997-2000 के दौरान 13¹⁵ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/राज्य योजना स्कीमों/उप-स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदानों (केन्द्रीय तथा राज्य अंश दोनों) का उपयोग करने तथा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त बकायों के संदर्भ में स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	आदिशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष में उपलब्ध कुल सहायता अनुदान	वर्ष के दौरान प्रयुक्त किया गया सहायता अनुदान	अप्रयुक्त सहायता अनुदान	कुल उपलब्ध निधियों के संदर्भ में अप्रयुक्त सहायता अनुदानों की प्रतिशतता
(करोड़ रूपए)						
1997-98	34.40	80.01	114.41	78.10	36.31	32
1998-99	36.31	92.36	128.67	90.32	38.35	30
1999-2000	38.35	49.51	87.86	56.44	31.42	36

1997-98 के दौरान उपलब्ध बकाया का 32 प्रतिशत बैंकों में अप्रयुक्त रहा जो कि 1999-2000 के दौरान बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया था। 1996-2000 के दौरान अप्रयुक्त बकायों का स्कीमवार विवरण परिशिष्ट-XIII में दिया गया है। निदेशक द्वारा भारी अप्रयुक्त बकायों के संदर्भ में पूछे गए कारण (मई 2000) सूचित नहीं किए गए।

1997-2000 के दौरान जांच किए गए चार ग्रामीण विकास अभिकरणों में पड़े अप्रयुक्त सहायता अनुदानों के बकायों की प्रतिशतता 21 तथा 35 के बीच तथा 18 खण्डों में इसकी प्रतिशतता 24 तथा 30 के मध्य थी।

एडीसी एवं परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों ने सहायता अनुदान को प्रयुक्त न किए जाने का कारण साधारणतया प्रतिवर्ष फरवरी तथा मार्च मासों में सहायता अनुदान की राशि प्राप्त करना बताया (फरवरी-मई 2000)।

3.3.6.5 सहायता के केन्द्रीय/राज्य हिस्से में कटौती

(i) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि डीआरडीए की प्रत्येक स्कीम का कुल आदिशेष पूर्व वर्ष के दौरान जिले के आबंटन से 15 से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आदिशेष निर्धारित सीमा से बढ़ जाता है तो आधिक्य की दूसरी किश्त जारी करते समय कटौती की जानी थी।

¹⁵ (क) सीएसएस- ईएस; इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई); जवाहर रोजगार योजना; आईआरडीपी; ट्राईसम; सीट्रा; डीडब्ल्यूसीआरए; आरएसपी-केन्द्रीय एमडब्ल्यूएस सुधरे चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम।

(ख) राज्य योजनागत स्कीम: गांधी कुटीर योजना तथा आरएसपी-राज्य

डीआरडीए द्वारा अनुदानों को उपयोग न करने/प्रस्तावों को विलम्ब से भेजने के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 1997-2000 के दौरान 9.24 करोड़ ₹ की कटौती अधिरोपित की गई।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1997-2000 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सभी बारह डीआरडीए को चार स्कीमों¹⁶ की दूसरी किश्त जारी करते समय 7.67 करोड़ ₹ (केन्द्रीय भाग: 5.66 करोड़ ₹ तथा राज्य भाग: 2.01 करोड़ ₹) की कटौती कर दी गई थी।

(ii) आठ¹⁷ डीआरडीए द्वारा तीन स्कीमों¹⁸ के सम्बन्ध में सहायता अनुदानों के प्रस्ताव विलम्ब से भेजने के कारण 1997-99 के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 1.57 करोड़ ₹ (केन्द्रीय भाग: 1.06 करोड़ ₹ तथा राज्य भाग: 0.51 करोड़ ₹) की अन्य कटौती अधिरोपित की गई थी।

कटौतियों के परिणामस्वरूप, आईएवाई के अन्तर्गत बेघर परिवारों के लिए गृह निर्माण सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही। नमूना जांच किए गए चार डीआरडीए में लक्ष्यों में कमी पांच तथा 56 प्रतिशत के मध्य थी (1997-98: 5 तथा 37 प्रतिशत; 1998-99: 22 तथा 56 प्रतिशत तथा 1999-2000: 9 तथा 51 प्रतिशत)। एमडब्ल्यूएस तथा आईआरडीपी के सम्बन्ध में कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। अतः प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

3.3.6.6 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायता अनुदान जारी करने में विलम्ब

राज्य वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि खजाने से तब तक किसी धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसके संवितरण की तुरन्त आवश्यकता न हो।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1990-99¹⁹ के दौरान निदेशक ने 3.06 करोड़ ₹ का आहरण किया तथा समस्त राशि को बैंक के विभिन्न खातों में जमा करवा दिया। इसमें से 2.81 करोड़ ₹ को 42 से 992 दिनों के विलम्ब से विभिन्न डीआरडीए/बीडीओ को जारी किए गए। शेष 24.59 लाख ₹ मई 2000 तक बैंकों में पड़े हुए थे।

निदेशक ने बताया (मई 2000) कि ईटीटीसी स्थापित करने के लिए परियोजनाएं अनुमोदित न होना; बीपीएल सर्वेक्षण करवाने के लिए भारत सरकार से पृथक सहायता अनुदान की प्राप्ति, एनएसएपी के प्रचार हेतु इश्तिहार छपवाने के लिए बकाया अदायगी; डीआरडीए के पास पहले से ही जीकेवाई के अन्तर्गत पर्याप्त निधियां तथा ये राशियां भवनों के अनुस्क्षण के लिए आरक्षित रखे जाने के कारण अव्ययित बकायों को प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कोष से सहायता अनुदान/निधियों के आहरण से पूर्व सभी संहिता आवश्यकताएं सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार निदेशक निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया का अनुसरण करने में विफल रहा।

¹⁶ 1. एमडब्ल्यूएस: (1997-98: 0.29 करोड़ ₹), 2. आईआरडीपी: (1997-98: 0.12 करोड़ ₹ तथा 1998-99: 0.98 करोड़ ₹), 3. आईएवाई: (1997-98: 0.37 करोड़ ₹, 1998-99: 0.85 करोड़ ₹ तथा 1999-2000: 1.37 करोड़ ₹); 4. जेआरवाई/जेजीएसवाई: (1997-98: 1.29 करोड़ ₹, 1998-99: 0.95 करोड़ ₹ तथा 1999-2000: 1.45 करोड़ ₹)।

¹⁷ बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल व स्पिति, मण्डी, शिमला तथा ऊना।

¹⁸ 1. आईएवाई (1998-99: 0.44 करोड़ ₹); 2. आईआरडीपी (1998-99: 0.65 करोड़ ₹); 3. जेआरवाई/जेजीएसवाई (1997-98: 0.18 करोड़ ₹ तथा 1998-99: 0.30 करोड़ ₹)।

¹⁹ 1990-91: 5.29 लाख ₹; 1995-96: 36.70 लाख ₹; 1996-97: 88.62 लाख ₹; 1997-98: 44.64 लाख ₹ तथा 1998-99: 130.43 लाख ₹।

राज्य स्तरीय
समन्वय समिति की
24 बैठकों के
विपरीत मात्र चार
बैठकें ही सम्पन्न की
गई।

3.3.7 राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें आयोजित करने में विलम्ब

आरडीडी के विभिन्न ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसएलसीसी का गठन किया गया (फरवरी 1994)। एसएलसीसी की बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जानी थी। यह पाया गया कि 1994-2000 के दौरान 24 बैठकों के लक्ष्य के विपरीत केवल मात्र चार बैठकें (जुलाई 1994, मई 1996, दिसम्बर 1998 तथा फरवरी 2000) आयोजित की गईं। एसएलसीसी की दिसम्बर 1998 में सम्पन्न बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन फरवरी 2000 में आयोजित की गई बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, पूर्ववर्ती बैठकों में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उजागर की गई त्रुटियों का अनुश्रवण नहीं किया गया था। इस प्रकार सरकारी स्तर पर विभिन्न ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभावशाली तथा दक्ष नहीं था।

3.3.8 कार्यों की नमूना जांच एवं निरीक्षण

(i) दिशानिर्देशों में विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा कार्यों की नमूना जांच तथा निरीक्षण का प्रावधान है।

1997-2000 के दौरान नमूना जांच किए गए 18 खण्डों में विभिन्न ग्रामीण विकास तथा स्थानीय जिला योजना कार्यक्रमों के संदर्भ में 12,191 कार्य निष्पादित किए गए। प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी के स्तर पर निरीक्षण तथा नमूना जांच की प्रतिशतता में कमी बहुत अधिक थी जैसा कि परिशिष्ट-XIV की सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

निरीक्षण तथा नमूना-जांच में कमी के कारण अभिलिखित नहीं किए गए थे।

(ii) निष्पादित अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण अधिकारियों की टिप्पणियों/अनुदेशों को अभिलिखित करने के लिए एक स्थल आदेश पुस्तिका का अनुरक्षण करना अपेक्षित था जो कि नमूना-जांच किए गए किसी भी खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुरक्षित नहीं की गई थी। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मई 2000) कि उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा स्थल आदेश पुस्तिका का अनुरक्षण करने के संदर्भ में कोई आदेश नहीं था। निदेशालय स्तर पर अभियान्त्रिकी कक्ष की कार्यप्रणाली के अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार, निदेशक सरकारी अनुदेशों की अनुपालना करने में विफल रहा।

3.3.9 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

दशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्कीमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करना अपेक्षित था। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि सरकारी स्तर पर विभिन्न ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भौतिक उपलब्धियों के अनुश्रवण तथा समुचित कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कोई अनुश्रवण कक्ष स्थापित नहीं किया गया था। प्रत्येक वर्षान्त पर विभिन्न कार्यक्रमों के अत्यधिक अप्रयुक्त बकाया गरीबी रेखा को पार करने वाले आईआरडीपी परिवारों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण न करना, ईटीटीसी स्थापित करने में विलम्ब, नवीन परियोजनाओं को सम्पन्न न करने के कारण 7.79 करोड़ ₹ का अवरोधन के साथ-साथ लक्षित लोगों को अपेक्षित लाभ प्राप्त न होना तथा एसएलसीसी की नियमित रूप से बैठकों का आयोजन न किया जाना सरकारी स्तर पर क्षीण अनुश्रवण का प्रतीक था। चार नमूना जांच किए गए डीआरडीए में भी डीआरडीए स्तर पर कोई अनुश्रवण कक्ष नहीं था।


विभाग/सरकार द्वारा ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का आंतरिक तथा बाह्य मूल्यांकन नहीं किया गया था, ताकि इन कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके।

निदेशक ने बताया (मई 2000) कि भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशालय में निष्पादित अभिकर्ताओं के साथ आयोजित आवधिक बैठकों में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम को तैयार करने, लक्ष्य निर्धारित करने तथा लक्ष्यों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आंतरिक नियमों तथा प्रक्रियाओं का निर्माण नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि अनुश्रवण की कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी तथा न ही इसे सरकार द्वारा लागू किया गया था।

3.3.10 निष्कर्ष

ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/विकास खण्डों द्वारा सहायता अनुदानों का उपयोग निकृष्ट था जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कटौतियां अधिरोपित की गईं। आईआरडीपी का उद्देश्य लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। आईआरडीपी के अन्तर्गत परिवार जो गरीबी रेखा को पार कर चुके थे की संख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया था। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ईटीटीसी तथा नवीन परियोजनाओं के निष्पादन की गति में तीव्रता नहीं लाई गई थी। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यों के निरीक्षण तथा नमूना जांच का सूक्ष्मता से अनुश्रवण नहीं किया गया। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं किया गया ताकि इन कार्यक्रमों पर किए गए भारी व्यय के परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। एसएलसीसी द्वारा नियमित बैठकों के माध्यम से कार्यक्रमों/स्कीमों का अनुश्रवण नहीं किया गया जैसाकि अपेक्षित था।

ये तथ्य जुलाई 2000 में सरकार को प्रेषित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।



तीसरा अध्याय

प्रवर्ग-ख

लेखापरीक्षा परिच्छेद

प्रवर्ग-ख- लेखापरीक्षा परिच्छेद

कृषि विभाग

3.4 मशीनरी का अधिवेकपूर्ण क्रय व प्रतिष्ठापन

बॉयोफर्टिलाइजर प्रयोगशाला के प्रतिष्ठापन पर 11.16 लाख रु० का व्यर्थ व्यय किया गया।

बॉयोफर्टिलाइजर का उपभोग करके फसल में वृद्धि हेतु कृषि विभाग द्वारा शिमला में मार्च 1997 में चार से पांच एमटी प्रति वर्ष की क्षमता की एक बॉयोफर्टिलाइजर उत्पाद इकाई स्थापित की गई। 1978 तथा 1995 के मध्य प्रयोगशाला में बॉयोफर्टिलाइजर की वार्षिक मांग तथा उत्पाद 0.046 एमटी तथा 1.23 एमटी के मध्य था। फरवरी 1997 में इकाई की वर्तमान क्षमता को 50 एमटी तक बढ़ाने के लिए 11.16 लाख रु० के मूल्य की नई मशीनरी खरीदी व प्रतिष्ठापित की गई।

सीनियर एनालाइटिकल कैमिस्ट के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 1998) तथा उससे जनवरी 2000 में प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि क्षेत्रीय इकाइयों से बॉयोफर्टिलाइजर की कम मांग के कारण, इसकी वार्षिक मांग नई मशीनरी लगाने के बाद भी लगभग वहीं रही (1997-98: 0.107 एमटी; 1998-99: शून्य तथा 1999-2000: 2.38 एमटी)। इसके अतिरिक्त बॉयोफर्टिलाइजर का मांग से अधिक उत्पादन नहीं किया जा सका था क्योंकि उसकी सुरक्षा अवधि के छः माह तक सीमित थी। सीनियर एनालाइटिकल कैमिस्ट ने बताया (जनवरी 2000) कि मशीनरी इसलिए लगाई गई थी चूंकि प्रयोगशाला को सशक्त करने हेतु निधियां उपलब्ध करवाई गई थी।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उत्पाद हेतु किसी भी समय मांग 1.107 एमटी से अधिक नहीं थी जो पुरानी इकाई अर्थात् 5 एमटी की क्षमता की तुलना में अत्यधिक कम थी। इसलिए दूसरी इकाई का क्रय न्यायसंगत नहीं था। इस कारण निवेश मांग के मूल्यांकन पर आधारित नहीं था और पूर्णरूप से अन्यायसंगत था। इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण व्यय निरर्थक था।

मामला सरकार को अप्रैल 2000 में भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

पशुपालन विभाग

3.5 सरकारी पशुधन फार्मों का उपयोग

3.5.1 परिचय

पशुपालन विभाग ने राज्य में 12 पशुधन फार्म¹ स्थापित किए हैं जिनमें पांच भेड़ प्रजनन फार्म तथा सात पशु प्रजनन फार्म सम्मिलित हैं।

उन्नत नसलों के परिचय सहित प्रदर्शन, विकास एवं पशुपालन अध्ययन, प्रजनन तथा रोग-समस्याओं के मुख्य उद्देश्य से अधिकतम उन्नत नसलें इन फार्मों में रखी गई हैं। प्राइवेट प्रजनकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन फार्मों में उन्नत नसलें भी रखी गई हैं। यदि पंचायतें चाहें तो प्रजनन के उद्देश्य हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन निःशुल्क सांडों की आपूर्ति भी की जाती है। ये फार्म राज्य योजना के अधीन कार्य कर रहे थे। निदेशक, पशुपालन विभाग इस विभाग का प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रमुख है तथा राज्य स्तर पर नियंत्रण करने और फार्मों की गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी था। उसकी अपने कर्तव्यों में विविध सहायता तथा अन्य कार्यों के लिए तीन क्षेत्रीय उपनिदेशक² थे।

तीन भेड़ प्रजनन फार्मों³, एक ऊन प्रयोगशाला⁴ तथा दो पशु प्रजनन फार्मों⁵ के 1997-2000 अवधि के पांच फार्मों की नमूना जांच तथा निदेशक, पशुपालन विभाग की संवीक्षा की गई (फरवरी-मई 2000)।

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

3.5.2 वित्तीय कार्य

विभाग ने 1997-2000 में पशुधन फार्मों पर कुल 10.05 करोड़ ₹ खर्च किये।

1997-2000 में पांच पशुधन फार्मों¹ पर जिनके अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी, 4.30 करोड़ ₹ खर्च किए गए थे। इसमें से 72 प्रतिशत स्थापना पर तथा शेष 28 प्रतिशत अन्य कार्यों यथा चारा, भोजन, दवाइयों, इत्यादि पर खर्च किया गया था।

¹ भंगरोट्टू (मण्डी), चम्बा (दो), ज्यूरी (शिमला), कमांद (मण्डी), कड़छम (किन्नौर), कोठीपुरा (बिलासपुर), नगवाई (कुल्लू), पालमपुर (दो), सोलन तथा ताल (हमीरपुर)

² मण्डी, पालमपुर तथा शिमला

³ ज्यूरी, चम्बा तथा कड़छम

⁴ भेड़ प्रजनन फार्मों के साथ ऊन प्रयोगशाला ज्यूरी, ज्यूरी

⁵ भंगरोट्टू तथा कोठीपुरा

¹ इसमें ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला का व्यय भी शामिल है।

नमूना जांच किए पांच फार्मों के पशुधन पर औसतन वार्षिक अनुक्षण तथा 1997-2000 में अर्जित आय के ब्यौरे निम्नवत् थे:-

फार्म का नाम	पशुधन की औसत संख्या	वर्ष में किया औसत व्यय	प्रति पशु औसत व्यय	एक वर्ष में औसत व्यय	प्रति पशु औसत व्यय
(रूपए)					
पशु प्रजनन फार्म, भंगरोटू	56	40,58,000	72,464	3,12,000	5,571
पशु प्रजनन फार्म, कोठीपुरा	89	23,82,000	26,764	5,36,000	6,022
भेड़ प्रजनन फार्म, चम्बा	460	24,32,000	5,287	2,00,000	435
भेड़ प्रजनन फार्म, ज्यूरी	598	36,16,000	6,047	1,94,000	324
भेड़ प्रजनन फार्म, कड़छम	718	18,50,000	2,577	1,50,000	209

प्रति पशु औसत आय की तुलना प्रति पशु औसत व्यय अधिक था जिसका कारण स्थापना प्रभारों के अत्यधिक प्रश्नास्पद को बताया गया (70 से 79 प्रतिशत)।

3.5.3 भेड़ प्रजनन कार्य

3.5.3.1 भेड़ों का अन्तः प्रजनन व नश्वरता

(क) भेड़ प्रजनन फार्मों का मुख्य उद्देश्य निजी भेड़ प्रजनकों को उन्नत मूल भेड़ों की शुद्ध नस्ल बनाये रखने और उनकी स्तरहीन शंकर भेड़ों/मेमनों की आपूर्ति करना था। आयातित प्रजनन योग्य मेमनों की जीवनावधि सात से आठ वर्ष है।

विदेशी नस्ल के पुनः भरने में असाधारण विलम्ब के कारण नस्ल की अन्तःप्रजनन बढ़ती रही।

भेड़ प्रजनन फार्म, कड़छम में रूसी मेरीनोका स्टॉक 21 वर्षों के बाद पांच भेड़ों के साथ पुनः भरा गया (1992-93)। तथापि पुनः भरा स्टॉक दो से तीन वर्षों के बीच मर गया। निदेशक ने कहा (जुलाई 2000) कि विदेशी नस्ल का स्टॉक सम्बन्धित विदेशों और अन्य विभागीय फार्मों नगवाई और चम्बा में भेड़े उपलब्ध न होने से भरा जा सका। स्पष्टतः 1971-72 से रूस के मेरीनो फार्म की सन्तान बढ़ रही थी जिसके कारण अन्तः प्रजनन हुआ जो कि रूद्ध विकास, मेमनों के भार में कमी और ऊन के उत्पादन में कमी के रूप में देखा जा सकता है। भेड़ प्रजनन फार्म के सहायक निदेशक ने तथ्यों को माना (अप्रैल 2000)।

इसी तरह ज्यूरी फार्म में "पौलवर्य विदेशी नस्ल का 1993 में भरा स्टॉक भी मर/बेचा गया (1996-99)। इस नस्ल की तत्कालिक सन्तान भी बढ़ रही थी क्योंकि विदेशी नस्ल का कोई मेढ़ा नहीं बचा था। फार्म के पशुचिकित्सा अधिकारी ने कहा (मार्च 2000) कि निदेशक पशुपालन से नस्ल को पुनः भरने का आवेदन किया जा रहा था।

भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ था।

(ख) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार फार्मों में भेड़ों की मृत्यु दर व्यस्कों और युवकों में क्रमशः सात और 12 प्रतिशत से बढ़नी नहीं चाहिए। यद्यपि चम्बा और कड़छम फार्मों में मृत्युदर प्रतिशतता निर्धारित मानकों के बीच थी। 1995-2000 में ज्यूरी फार्म की स्थिति निम्नानुसार थी:

नस्ल का नाम	पशुधन की औसत संख्या		मृत्यु दर		प्रतिशतता	
	व्यस्क	युवा	व्यस्क	युवा	व्यस्क	युवा
पौलवर्थ	140	81	14	13	10	16
रामविलैट	393	220	29	32	7	15

सहायक निदेशक ज्यूरी ने विदेशी नस्लों के लिए क्षेत्र की अनुकूल भौगोलिक मौसम परिस्थितियां न होने, गुणवत्ता चरागाहों की अनुपलब्धता तथा अन्तिम चार वर्षों में ब्यूरोसुलोसिस बीमारी के फैलने को उच्च मृत्यु दर को उत्तरदायी (मार्च-जुलाई 2000) ठहराया। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग को इन समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने चाहिए थे और नस्ल बदलने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए थे। यह निमोनिया और आन्त्रशोथ के सम्भाव्य थीं क्योंकि फार्म 1956 से जब इसकी स्थापना की गई थी, इस समस्या का सामना कर रहा था।

3.5.3.2 ऊन उत्पादन

भेड़ प्रजनन फार्म में विदेशी नस्लों का स्टॉफ मुख्यतः फार्म नस्लें देकर प्राईवेट पालन कर्ताओं द्वारा पालन पोषण की गईं भेड़ों के ऊन उत्पादन में सुधार करना था। तथापि फार्मों में पाली गईं भेड़ों के उत्पादन हेतु मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। 1997-2000 के दौरान विदेशी नस्लों तथा उनकी संतान से ऊन का तुलनात्मक वार्षिक उत्पादन निम्नानुसार था:-

फार्म का नाम	नस्ल	विदेशी नस्लों से औसत ऊन उत्पादन		पशुपालन ऊन उत्पादन औसत	
		भेड़े	भेड़	भेड़े	भेड़
(किलोग्राम)					
चम्बा	रामविलैट	3.85	2.43	3.00	1.9
ज्यूरी	रामविलैट	4.00	3.00	3.66	2.15
	पौलवर्थ	3.75	2.75	2.80	2.18
कड़छम	रशियन मरीनो	4.70	3.3	3.6	2.7

सम्बद्ध भेड़ प्रजनन फार्मों के सहायक निदेशकों ने विदेशी नस्लों की नस्लों से निम्न ऊन उत्पादन क्षेत्र के भू-मौसमी स्थितियों और चरने के लिए गुणवत्ता चरागाहों की अनुपलब्धता को जिम्मेवार ठहराया (मार्च-मई 2000)। तथापि विभाग ने निम्न उत्पादन की जांच, विदेशी नस्लों को बदलने तथा फार्मों को अनुकूल जगहों में ले जाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए।

भेड़ प्रजनन फार्म निजी पालन कर्ताओं को शुद्ध नस्ल और शंकर नस्ल के भेड़े प्रदान करने में विफल रहे।

3.5.3.3 मेमनों और भेड़ों का निजी पालन कर्ताओं को वितरण

भेड़ प्रजनन फार्मों का एक उद्देश्य शुद्ध नस्ल और संकर नस्ल के मेंटें शंकर प्रजनन के निजी पालनकर्ताओं को प्रदान करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1997-2000 के दौरान फार्म पालनकर्ताओं की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने में अयोग्य रहे जैसा कि नीचे विवरणित है:-

फार्म का नाम	मांग (संख्या)	आपूर्ति	गिरावट (प्रतिशतता)
भेड़ प्रजनन फार्म, चम्बा	190	148	22
भेड़ प्रजनन फार्म, ज्यूरी	365	141	61
भेड़ प्रजनन फार्म, कड़छम	80	63	21

सम्बन्धित सहायक निदेशकों ने बताया (मार्च-अप्रैल 2000) कि गिरावट फार्मों की सीमित पालनपोषण क्षमता के कारण है। विभाग ने फार्मों की पालन पोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे और इस तरह बहुत हद तक लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

विभाग ने पशुधन फार्मों के कृत्कारी सम्बन्धी कोई प्रोजेक्ट अभिलेखा तैयार नहीं किया था तथा निजी फार्मों या निजी पालनकर्ताओं में नस्ल वृद्धि की जांच हेतु कभी कोई अनुश्रवण नहीं किया गया। निदेशक ने बताया (जुलाई 2000) कि राजय में कोई भी निजी फार्म विद्यमान नहीं था और सरकारी फार्मों से पाली गई विदेशी नस्ले ही सामान्य किस्म के पालनकर्ताओं (गडरियों) को प्रदान की जाती थी। उसने यह भी कहा कि प्रतिवर्ष विभाग द्वारा किए गए आकस्मिक सर्वेक्षण के आधार पर नस्ल की बढ़ोतरी/गिरावट के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। इस प्रकार विभाग प्राईवेट पालनकर्ताओं को विदेशी नस्लों की आपूर्ति के प्रभाव को मापने में विफल रहा।

3.5.3.4 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ज्यूरी

भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी के सहायक निदेशक के समस्त नियंत्रण और नियंत्रण के अधीन भेड़ प्रजनन फार्मों से और प्राईवेट पालनकर्ताओं द्वारा पाली गई भेड़ों से एकत्रित की हुई ऊन नमूनों के विश्लेषण हेतु ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना 1960 में की गई थी। इस प्रयोगशाला पर 1997-2000 के बीच 6.19 लाख रु० का व्यय किया गया था। तथापि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि प्राईवेट पालनकर्ताओं से कोई ऊन नमूने विश्लेषण हेतु एकत्रित नहीं किए गए थे। भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी से एकत्रित किए नमूनों के सम्बन्ध में यह पाया गया कि ऊन का स्टैपल लम्बाई और रेशे के ब्यास के निर्धारण के निर्धारण के अतिरिक्त कोई संवेदनशील परीक्षण प्रयोगशाला में नहीं किया गया था। अभिलेख में यह दर्शाने हेतु कुछ भी नहीं था कि इन्वार्ज को परीक्षण देने हेतु मामला कभी उचित प्राधिकारी के साथ उठाया गया था। इस प्रकार प्रयोगशाला की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ था।

3.5.3.5 भेड़ प्रजनन फार्म चम्बा की पालन पोषण क्षमता

फार्म में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित पालन पोषण क्षमता में पशुधन का अनुसूक्षण अपेक्षित है।

भेड़ प्रजनन फार्म चम्बा में भेड़ों की अति भीड़ ने पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन को प्रभावित किया।

यह ध्यान में आया कि भेड़ प्रजनन फार्म चम्बा में 250 भेड़ों की पालन क्षमता के प्रति 1997-2000 में 460 भेड़ों की औसत संख्या का अनुरक्षण किया यद्यपि अवसंरचनात्मक सुविधाएं वहीं रहीं। फार्म की निर्धारित पालनपोषण क्षमता से अधिक भीड़ का पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन पर अनिवार्य प्रभाव पड़ा।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए सहायक निदेशक ने कहा (मई 2000) कि फार्म में अधिक पशुधन का अनुरक्षण करना पड़ा क्योंकि बेकार अधिक पशुधन को छानने में असाधारण विलम्ब हुआ। तथापि मई 2000 तक अधिक पशुधन को छानने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.5.3.6 भेड़ प्रजनन फार्म चम्बा में गऊओं का अनियमित अनुरक्षण

भेड़ प्रजनन फार्म चम्बा में 1997-2000 के दौरान 1.86 लाख ₹0 औसतन नौ गऊओं के अनुरक्षण पर विशिष्ट बजट प्रावधानों के बिना किया गया। इस तरह भेड़ों के प्रजनन हेतु आबंटित किए गए फण्ड इस उद्देश्य के लिए अनियमित रूप से प्रयोग किए गए।

सहायक निदेशक ने बताया (मई 2000) कि गऊओं का अनुरक्षण उन नये पैदा हुए मेमनों को दूध प्रदान करने हेतु किया गया जिनकी माताएं कमजोर और उन्हें पर्याप्त दूध प्रदान करने में असमर्थ थीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि चम्बा फार्म भेड़ के दूध का उत्पादन कर रहा था, यदि आवश्यक था तो नये पैदा हुए मेमनों के पोषण के लिए यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकता था। किसी भी मामले में कार्यक्रम में ऐसे प्रबन्ध का प्रावधान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त नौ गऊओं को रखने का नए पैदा हुए मेमनों की संख्या से कोई औचित्य नहीं बनता।

3.5.4 पशु प्रजनन फार्म

भंगरोटू (मण्डी जिला) तथा कोठीपुरा (जिला बिलासपुर) के दो पशु प्रजनन फार्मों के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:-

(i) विभागीय नियमपुस्तिका में प्रावधान है कि गऊओं जिनका निरन्तर तीन बियांतों में औसत दूध उत्पादन 2000 जरसी और 3000 लीटरों (हालस्टेनफ्राईसियन) से कम हैं उन्हें छांट व बेच देना चाहिए। 1997-2000 के दौरान दो फार्मों⁶ में 61 गऊओं का दूध उत्पादन मानक से नीचे रहा। ऐसी गऊओं को रखने के कारण 2.81 लाख ₹0 के 28110 लीटर⁷ दूध का कम उत्पादन हुआ। उनके अनुरक्षण पर 8.12 लाख ₹0 (प्रशासन प्रभारों रहित) का खर्च किया गया।

छटाई न होने के कारण इन फार्मों⁸ की पालन क्षमता (122) से 36 गऊएं अधिक रही।

निदेशक स्तर पर मामलों को अन्तिम रूप न देना ही गऊओं की छटाई करने और न ही उन्हें बेचने का कारण बताया (अप्रैल-मई 2000)।

(ii) अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि न तो प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए और न ही फार्मों के आरम्भ से प्रजनन और बीमारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया जैसा कि नियम पुस्तिका में प्रावधान है। सहायक निदेशक (पशु प्रजनन फार्म) ने कहा (अप्रैल-मई 2000) कि प्रदर्शन कार्यक्रम निधियों का प्रावधान न होने के कारण आयोजित नहीं किए जा सके। तथापि

प्रजनन और बीमारी समस्या पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए और न ही अध्ययन किया गया था।

⁶ भंगरोटू: पांच (1.64 लाख ₹0); कोठीपुरा: 56 (6.48 लाख ₹0)

⁷ भंगरोटू: 2,480 लीटर तथा कोठीपुरा: 25,630 लीटर

⁸ भंगरोटू: सात, कोठीपुरा: 29

प्रजनन और बीमारी समस्याओं के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययनन आयोजित न करने के कारण सूचित नहीं किए गए। इस तरह फार्मों की स्थापना का उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ था।

भंगरोट्ट और कोटीपुरा फार्मों में कृत्रिम गर्भादान की गिरावट प्रतिशतता 22 और 31 के मध्य थी।

(iii) नमूना जांच किए गए पशु प्रजनन फार्मों में अनुरक्षित विदेशी नस्लें, भंगरोट्ट सीमन बैंक द्वारा दिए गए जमे हुए सीमन स्ट्र के माध्यम से कृत्रिम गर्भादान द्वारा पैदा की जा रही थीं। यह पाया गया कि गर्भादान की सकल प्रतिशतता के लिए विभाग द्वारा मानक निर्धारित नहीं किए गए थे, 1997-2000 के दौरान उपलब्धियों में गिरावट 22 प्रतिशत (सी0बी0एफ0 भंगरोट्ट) और 31 प्रतिशत तक (सी0बी0एफ0 कोटीपुरा) थी जैसा कि नीचे विवरणित है:-

फार्म का नाम	कृत्रिम गर्भादान के लिए उचित गऊओं की संख्या	प्रयत्न संख्या	सकल मामलों की संख्या	गिरावट प्रतिशतता
भंगरोट्ट	41	92	32	22
कोटीपुरा	166	373	115	31

सहायक निदेशक ने गर्भादान में गिरावट के कारण, पशुओं का कमजोर स्वास्थ्य, हारमोनज प्रजनन समस्याओं की अस्थिरता, अनुचित कामोत्तेजन अवधि, जमे हुए स्ट्र और फार्म में सूक्ष्मदर्शियों की अनुपलब्धता बताए (अप्रैल-मई 2000)। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि फार्मों में सभी मूलाधार सुविधाएं विद्यमान थी और कभी भी सीमन की नश्वरता की जांच के प्रबन्ध हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी।

सीमन बैंक भंगरोट्ट के तरल नाइट्रोजन संयंत्र प्रयोग पूरी तरह नहीं किया गया और मांग को पूरा करने के लिए तरल नाइट्रोजन गैस बाजार से खरीदनी पड़ी।

(iv) नमूना जांच किए दो फार्मों ने प्रजनन के उद्देश्य से निजी पालनकर्ताओं (55) और पंचायतों (12) को मुफ्त 67 सांड (हास्टन 12 तथा जरसी 55) दिए (1997-2000) थे। तथापि सांडों की आपूर्ति के प्रभाव को जांचने के लिए अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए। सहायक निदेशक ने कहा (अप्रैल-मई 2000) कि फार्मों के आरम्भ से अभिलेखों के अनुक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(v) कृत्रिम गर्भाधान के लिए जमे सीमन देने के लिए सीमन बैंक भंगरोट्ट में 48.25 लाख रु० की लागत से एक तरल नाइट्रोजन संयंत्र लगाया (मई 1997) गया था और तीन पारियों में स्टॉक लगा कर इसे चलाया जा रहा था। मई 1997 से मार्च 2000 तक उपलब्ध 25,560 संचालन घण्टों के प्रति उसी अवधि में संयंत्र का 11365 घण्टे संचालन किया गया जिसके कारण 56 प्रतिशत तक अप्रयुक्ति हुई। यह भी ध्यान में आया कि 10 लीटर तरल नाइट्रोजन गैस प्रतिघण्टा निर्धारित उत्पादन की दर से 113650 लीटर अनुमानित उत्पादन के प्रति वास्तविक उत्पादन 99203 लीटर था। संयंत्र में पैदा की गई गैस का औसत मूल्य 61 रु० प्रति लीटर था। उसी अवधि में 1997-2000 में 13 रु० प्रति लीटर औसत दर पर 26650 लीटर गैस की खरीद करनी पड़ी। इस प्रकार संयंत्र का निष्पादन खर्चीला था और विभाग की मांग को पूरा करने में विफल रहा।

सहायक निदेशक ने बताया (मई 2000) कि संयंत्र बार-बार बिजली के व्यवधान तथा पुराने 50 के0वी0 जनरेटर द्वारा लोड को वहन करने में असमर्थता के कारण पूरी तरह उपयुक्त नहीं हो सका। तथापि संयंत्र के निर्विघ्न कार्य हेतु कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि कम उत्पादन का कारण संयंत्र वाले कमरे में नमी का होना तथा ठीक तापमान न रखना था। इस तरह विभाग संयंत्र का इष्टतम उपयोग करने में विफल रहा और 3.46 लाख रु० का तरल नाइट्रोजन गैस की बाजार खरीद पर परिहार्य व्यय करना पड़ा।

3.5.5 मूल्यांकन

विभाग द्वारा शुरू से ही पशुधन फार्मों के कार्यचालन का मूल्यांकन नहीं किया गया। ऐसा न करने के कारण नहीं बताए गए।

3.5.6 निष्कर्ष

राज्य में स्थापित किए पशुधन फार्म जिन उद्देश्यों के लिए शुरू किए थे उनकी उन्होंने प्राप्ति नहीं की। प्रजनन समस्याओं और पशुओं की बीमारियों पर प्रदर्शनों का न तो आयोजन किया गया और न ही इस पर अनुसंधान कार्य किया गया। स्थापना पर व्यय बहुत अधिक था और पशुधन के अनुसंधान और विकास के लिए मुश्किल से कोई निधि बचती थी। प्राइवेट पार्टियों को दी गई विदेशी नस्लों की भेड़ों और गऊओं का प्रभाव दिखाने और किस हद तक इसने ऊन और दूध का उत्पादन बढ़ाने में सहायता का निर्धारण नहीं किया गया। 1994-99 में किए गए नमूना सर्वेक्षण ने ऊन और दूध की अल्प वृद्धि दर्शाई जिससे फार्म उपलब्धियों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस फार्मों द्वारा दिए गए अंशदान के समीक्षात्मक निर्धारण की अति आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रभावी रूप से कार्य करते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं जिनके लिए इनकी स्थापना की गई थी तथा यह चलाए रखने योग्य है या नहीं।

यह तथ्य सरकार को जून 2000 में संदर्भित किए गए; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

शिक्षा विभाग

3.6 छुट्टी यात्रा रियायत दावों का अनधिकृत भुगतान

अनधिकृत एजेन्सी की बसों द्वारा रियायत उपयोग के लिए 12.99 लाख रु० के छुट्टी यात्रा रियायत दावों की अदायगी की गई।

राज्य सरकार ने 1974 में छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की स्कीम शुरू की थी उसके अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व उसका परिवार चार वर्षों की ब्लॉक अवधि में एक बार उनके ड्यूटी स्थान से भारत में किसी स्थान पर और वापसी की यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार है। कुमांऊं मण्डल विकास निगम सीमित की बसों में की गई यात्रा के सम्बन्ध में छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नहीं की गई है। नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के यात्रा प्रमाण पत्र दावों के सत्यापन के बारे में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक जांच करना अपेक्षित है।

यह लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो जिलों* में छः आहरण व संवितरण अधिकारियों के नियंत्रण में काम कर रहे 56 कर्मचारियों द्वारा कुमांऊं मण्डल विकास निगम सीमित की बसों द्वारा की गई यात्राओं के लिए 12.99 लाख रु० छुट्टी यात्रा रियायत प्रभासों के दिए गए थे। इसके अलावा दावों में गंभीर

विसंगतियां थी जैसे बिलों के साथ टिकट तथा निर्भरता प्रमाणपत्र न लगाना: 1.73 लाख ₹; कर्मचारियों द्वारा सही न दर्शाई गई यात्रा तिथियां: 0.66 लाख ₹; दौरो के घोषित स्थानों के नामों को ठीक न दर्शाना: 0.76 लाख ₹; असली रसीदों की जगह फोटो कापियां संलग्न करना: 5.18 लाख ₹ और अन्य अनियमितताओं: 4.66 लाख ₹। आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा उनकी स्वीकार्यता की जांच किए बिना पास किए गए।

इसे सरकार/विभाग को सूचित करने पर (अगस्त 1998) सरकार (वित्त विभाग) ने माना कि कुमाऊं मण्डल विकास निगम सीमित की बसों द्वारा यात्रा अधिकृत नहीं की गई थी और निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) को सलाह दी कि अनियमितताओं की छानबीन करे और परिणाम सूचित करे।

छानबीन का परिणाम दोषी कर्मचारियों से राशि की वसूली और आहरण व संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से सम्बन्धी आगामी सूचना सूचित नहीं की गई थी (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को जनवरी 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

वन कृषि एवं संरक्षण विभाग

3.7 सरकार को परिहार्य हानि

नए रोपण की बाड़ के लिए 1985-94 के बीच खरीदी/प्रयोग की हुई 1.73 करोड़ ₹ की कंटीली तार पांच वर्षों की निर्धारित अनुरक्षण अवधि के बाद पुनः प्राप्त नहीं की गई।

नये रोपण के क्षेत्र को सुरक्षा के लिए कंटीली तार और लकड़ी के बाड़ खम्बों से बाड़ लगाई जाती है। रोपण क्षेत्र का अनुरक्षण पांच वर्ष के लिए किया जाता है। रोपण के अनुरक्षण के लिए पांच साल उपरान्त कोई फण्ड नहीं दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग की गई कंटीली तार पांच साल बाद पुनः प्राप्त करनी होती है और दूसरे नये रोपण क्षेत्रों में प्रयोग करनी होती है। तथापि विभाग द्वारा कंटीली तार की कालावधि और दोबारा प्रयोग के लिए पुनः प्राप्ति के मानक निर्धारित नहीं किए हैं। यद्यपि कंटीली तार कलई की हुई लोहे तार का उत्पाद होता है। भारत सरकार ने कलई की गई (गैल्वेनाइज्ड) लोहे की तार के लिए 15 वर्ष उचित जीवन अवधि निर्धारित (मार्च 1994) की है।

छ: वन मण्डल अधिकारियों* के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (नवम्बर 1999-फरवरी 2000) नमूना जांच से पता चला कि नये रोपण की बाड़ के लिए प्रयोग की हुई कंटीली तार अनुरक्षण अवधि के उपरान्त पुनः प्राप्त नहीं की गई। क्योंकि बाड़ लकड़ी के बाड़ खम्बों के साथ लगाई गई थी जो समयानुसार अन्ततः सड़ गई और बाड़ से कोई लाभकारी उद्देश्य प्राप्त न हो सका। इस तरह बाड़ के लिए प्रयुक्त की हुई कंटीली तार की पुनः प्राप्ति अपेक्षित थी। यह पाया गया कि छ: वन मण्डलों में 1985-86 और 1993-94 के बीच नये रोपण क्षेत्रों की बाड़ के लिए 2.60 करोड़ ₹ की कंटीली तार खरीदी/प्रयोग की गई थी। पूरे पांच वर्षों की प्रयुक्ति उपरान्त भी 1.73 करोड़ ₹ की कंटीली तार की पुनः प्राप्ति और दोबारा प्रयोग नहीं किया गया।

* किन्नौर, राजगढ़, ताहन, नूरपुर, देहरा तथा मण्डी

विभाग कंटीली तार की पुनः प्राप्ति और पुनः प्रयोग का पूरा विवरण नहीं दे सका।

कंटीली तार की पुनः प्राप्ति के स्पष्ट नीति दिशानिर्देशों के अभाव में परम्परागत अनुमान से सरकार को 1.73 करोड़ ₹ की हानि हुई।

मामला सरकार को जून 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

सामान्य प्रशासन विभाग

3.8 सरकारी वाहनों का उपार्जन व उपयोग

3.8.1 परिचय

विभागीय वाहनों का अनुक्षण उन वाहनों के चालकों की सेवाओं की स्थितियों सहित और उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नियम बनाए (सितम्बर 1975) थे।

1995-2000 के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग में सरकारी वाहनों की उपलब्धि तथा उपयोग की समीक्षा जनवरी और फरवरी 2000 के मध्य की गई। दिसम्बर 1999 को विभाग के पास 81 वाहन थे।

नमूना जांच के परिणाम निम्न अनुच्छेदों में दिए गए हैं-

3.8.2 उपार्जन

(i) भण्डार नियंत्रक ने बल दिया (सितम्बर 1998) कि दर निविदा मर्कों की आपूर्ति उनके उत्पादों के सम्बन्धों में अन्य स्रोतों की बजाय दर निविदा फर्मों से ही लेनी चाहिए। इन निदेशों के विपरीत 1995-99 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 12.92 लाख ₹ की टायर, ट्यूबे और बैटरियां उच्च दरों पर शिमला की दर भिन्न निविदा फर्म से खरीदी थी जिसके कारण 2.78 लाख ₹ की अतिरिक्त अदायगी हुई। इन तथ्यों को स्वीकारते हुए अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने कहा (फरवरी 2000) कि 2.78 लाख ₹ की अतिरिक्त अदायगी फर्म से वसूल की जाएगी।

(ii) सरकार ने वायु अनुकूल टेप रिकार्डर, सीटों के फोम, खड़ कबर और वाहनों के ऊनी, नाईलोन सतह कवर्स पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया था (अगस्त 1985)। इसके विपरीत संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने मुख्य सचिव के प्रयोग के लिए दो वाहनों में अनधिकृत रूप से 0.98 लाख ₹ की प्रतिबन्धित मदें लगवाई थीं (अक्टूबर 1995 और अप्रैल 1998)।

इसी प्रकार सरकार ने निर्णय लिया था (सितम्बर 1994) कि सरकार के मंत्रियों और सचिवों की नई गाड़ियों की पूरक मर्दों पर 0.12 लाख ₹ से अधिक व्यय न किया जाए। यह पाया गया कि वर्ष 1995-99 के दौरान 55 नई गाड़ियों की पूरक मर्दों पर 6.60 लाख ₹ के प्रति विभाग ने 13.22 लाख ₹ व्यय किया।

अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने बताया (फरवरी 2000) कि व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति ली जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया था। सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति जून 2000 तक नहीं ली गई थी।

3.8.3 वाहनों का गलत इस्तेमाल

(i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी (जनवरी 1996) अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री चुनावों की घोषणा की तिथि से उसकी पूर्णतः तक किसी भी चुनाव क्षेत्र का सरकारी दौरा नहीं करेगा। मंत्री केवल अपनी सरकारी गाड़ियों का मुख्यालय में निवास स्थान से कार्यालय तक सरकारी कार्य के प्रयोग के लिए हकदार थे। 1996 और 1999 के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव निम्नानुसार हुए:-

चुनाव के दौरान वाहनों का गलत इस्तेमाल।

चुनाव के ब्यौरे	घोषणा की तिथि	मतदान की तिथि
11वीं लोकसभा	19 मार्च 1996	27 अप्रैल 1996
नूरपुर क्षेत्र का उप चुनाव	2 सितम्बर 1996	11 अक्टूबर 1996
12वीं लोकसभा और नौवीं विधानसभा के सामान्य चुनाव	1 जनवरी 1998	28 फरवरी 1998
13वीं लोकसभा	11 जुलाई 1999	25 सितम्बर 1999

राज्य सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में अनुरक्षित वाहनों की लॉग बुकों की संवीक्षा से पता चला कि 36 मंत्रियों और उनके व्यक्तिगत स्टॉफ ने चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव क्षेत्रों के दौर के लिए 56 सरकारी वाहनों का प्रयोग किया। इस सम्बन्ध में इन वाहनों ने 61471 कि०मी० यात्री की (मंत्री 40098 कि०मी० और व्यक्तिगत स्टॉफ 21373 कि०मी०)। तथापि पांच अटैचड वाहनों और 19 कवरिंग वाहनों की लॉग बुकें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई और इन गाड़ियों की चुनाव अवधि में प्रयुक्ति की जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने इन तथ्यों को मानते हुए कहा (फरवरी 2000) कि चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना के कारणों की जांच सम्बन्धित मंत्रियों और व्यक्तिगत स्टॉफ से की जा रही है। अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सम्बन्धित मंत्रियों और व्यक्तिगत स्टॉफ से चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना के लिए पूछे गए कारण (फरवरी-मार्च 2000) जून 2000 तक सूचित नहीं किए गए थे।

(ii) सरकारी अनुदेशों के अनुसार (मई 1997) दौरे हेतु ओर स्थानीय यात्राओं के लिए मंत्रियों को एक सामान्य प्रशासन विभाग का वाहन और एक विभागीय वाहन प्रयोग करने की अनुमति थी। असामान्य परिस्थितियों के इलावा जिसके कारण लॉग बुक में दिए जाने अपेक्षित थे दूसरा वाहन हमेशा प्रथम वाहन का अनुसरण करेगा।

यह पाया गया कि जून 1997 और दिसम्बर 1999 के बीच जब मंत्री मुख्यालय या मुख्यालय से बाहर दौरे पर थे तब मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टॉफ ने कवरिंग वाहनों का 39986 कि०मी० के लिए प्रयोग किया। यह यात्राएं मंत्रियों द्वारा किए गए दौरों/यात्राओं से मेल नहीं खाती और व्यक्तिगत स्टॉफ के विशिष्ट उद्देश्य और विवरण लॉग बुक में नहीं दर्शाए गए। अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने कहा कि (फरवरी 2000) कि सरकारी अनुदेशों की अनुपालना न करने के कारणों की जांच की जा रही है यदि उत्तर संतोषजनक नहीं हुए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(iii) नियमों में व्यवस्था है कि सरकारी वाहनों का प्रयोग करते समय सम्बन्धित अधिकारी प्रयोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा और केवल सरकारी उद्देश्य दर्शाना पर्याप्त नहीं होगा। अन्यथा यात्रा प्राईवेट समझी जाएगी।

यात्राओं के प्रति कार्य प्रकृति नहीं लिखी गई।

50 वाहनों की लॉग बुकों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत 1995-99 के दौरान 7.72 लाख कि०मी० यात्रा का प्रयोजन नहीं दिया गया। इस प्रकार 15.18 लाख रु० ऐसी यात्राओं पर व्यय किया गया।

अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने बताया (फरवरी 2000) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी और यात्राएं यदि प्राईवेट पाई गई तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की जाएगी।

3.8.4 वस्तुसूची नियंत्रण

टायर, ट्यूबों आदि सहित प्रयोग किए गए पुर्जों के लेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया।

यद्यपि 1995-99 के दौरान 94 वाहनों की मरम्मत के ऊपर 93.03 लाख रु० व्यय किया गया था लेकिन प्रयोग किए हुए पुर्जों, टायर और ट्यूबों सहित विभाग ने इनके लेखाकरण हेतु रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जैसा कि नियमों में अपेक्षित था। अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने बताया (फरवरी 2000) कि रद्दी माल स्टोर में रखा था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रयोग किए पुर्जों, टायर और ट्यूबों के उचित लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए और इसलिए चोरी और अन्य अनियमितताओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.8.5 वाहन दुर्घटना

मोटर वाहन एक्ट के अधीन वाहन का उस गति से चलाना जो जनता के लिए खतरनाक हो एक अपराध था।

यह पाया गया कि राजस्व मंत्री के निजी सचिव ने (अप्रैल 1997) गाड़ी नं० एच०पी०-07-0068 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में तैनात किया। वाहन से मुख्य बस अड्डे शिमला में एक स्कूली लड़के को टक्कर लगी जिसके कारण लड़के को 40 प्रतिशत अपंगता हुई। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल शिमला (फरवरी 1999) ने दुर्घटना को अन्धाधुन्ध लापरवाही से गाड़ी चलाने का कारण बताया और 1.90 लाख रु० की क्षति (ब्याज सहित अदायगी 0.40 लाख रु०) प्रदान की जो संयुक्त रूप से चालक और राज्य सरकार द्वारा दी जानी थी। तथापि अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) ने केवल समस्त क्षति की याचिकाकर्ता को अदायगी ही नहीं की बल्कि चालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

मामला सरकार को अप्रैल 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.9 वाहनों का क्रय

एक की जरूरत के प्रति 18.83 लाख रु० के पांच वाहन खरीदे गए।

राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे (नवम्बर 1982) कि सरकारी विभाग द्वारा नये वाहन की खरीद के लिए मंत्रीमण्डल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। सरकारी अनुदेशों में (मई 1983) वातानुकूल कारों की खरीद प्रतिबंधित है। राज्य सरकार ने दोहराया (जून 1998) कि स्वास्थ्य संस्थानों के लिए वाहन/रोगी वाहन विभाग की पूर्व स्वीकृति के बाद ही खरीदी जाएं।

किन्नौर जिले के प्रजोत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना में एक वाहन की खरीद की और एक चालक पद के सृजन की व्यवस्था थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अक्टूबर 1999) कि फरवरी-मार्च 1999 के दौरान मंत्रीमण्डल की स्वीकृति के बिना 18.83 लाख ₹ के पांच वाहन एक वातानुकूल कार सहित प्रजोत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना निधि से खरीदे गए। यह भी पाया गया कि नए खरीदे वाहनों के लिए कोई भी चालक भर्ती नहीं किया गया। 30 मार्च 1999 से 5 जुलाई 2000 के दौरान सभी पांच अनधिकृत रूप से खरीदे वाहन वातानुकूल कार सहित 1,15,640 कि०मी० चलाए गए। इसमें से 1,08,427 कि०मी० प्रजोत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना से भिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए किए गए। इसके अलावा 2 जून 1999 से 5 जून 2000 के दौरान 246 दिनों में वातानुकूल कार बेकार रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर ने बताया (अक्टूबर 2000) कि वाहन प्रजोत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना सदस्यों की स्वीकृति से खरीदे गए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जैसा कि अपेक्षित है वाहन खरीदने से पहले मंत्रीमण्डल की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी।

मामला सरकार को मार्च 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

3.10 निष्क्रिय उपस्कर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 39 लाख ₹ के उपस्कर बेकार पड़े थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सितम्बर 1994 से और दिसम्बर 1998 के बीच 39 लाख ₹ के खरीदे गए विभिन्न उपस्करों का लाभप्रद प्रयोग नहीं हुआ था क्योंकि इन उपस्करों को चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति तैनात नहीं किया गए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

कार्यालय का नाम	उपकरण का विवरण	खरीदने की तिथि	कीमत (लाख ₹)	कब से बेकार थी	अप्रयुक्ति के कारण
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नौर	तीन एकसरे संयंत्र	फरवरी एवं जून 1998	12.15	फरवरी एवं जून 1998	रेडियोग्राफरों की तैनाती न करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (मई 2000) कि सरकार द्वारा पद को सृजित (मार्च 2000) कर दिया है। नियमित पदधारी निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अभी तैनात किए जाने थे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा	अनस्थीसिया प्रणाली एवं शल्य चिकित्सीय उपकरण	मार्च 1998	7.95	मार्च 1998	मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1999) कि अनस्थीसिया एवं आस्थोपायोडिक शल्य चिकित्सकों आदि की तैनाती न करने के कारण संयंत्र को उपयोग में नहीं लाया जा सका। उसने आगे बताया (जुलाई 2000) कि निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा बिना मांग के उपकरण खरीदने थे।
	एकसरे संयंत्र	सितम्बर 1994	6.35	दिसम्बर 1997	मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1999) कि रेडियोग्राफर की तैनाती न करने के कारण संयंत्र अप्रयुक्त रहा।
खण्ड चिकित्सा अधिकारी, काजा	अल्ट्रासाउंड उपकरण	दिसम्बर 1998	5.15	दिसम्बर 1998	चिकित्सा अधिकारियों/तकनीशियनों की तैनाती न करना
	एकसरे संयंत्र	दिसम्बर 1998	2.00	दिसम्बर 1998	चिकित्सा अधिकारियों/तकनीशियनों की तैनाती न करना
	दंत कुर्सी यूनिट	दिसम्बर 1998	2.16	दिसम्बर 1998	दंत शल्य चिकित्सक/तकनीशियन की तैनाती न करना
	अंतरीक्षण यंत्र/ फाइब्रोपेटिक्स यंत्र	दिसम्बर 1998	3.25	दिसम्बर 1998	दंत शल्य चिकित्सक/तकनीशियन की तैनाती न करना। खण्ड चिकित्सा अधिकारी काजा ने बताया (अक्टूबर 1999) कि चिकित्सा अधिकारियों तथा तकनीशियनों के पदों को भरने के लिए मामला सरकार के साथ उठाया गया था।
	जोड़		39.01		

इसके अतिरिक्त कि पब्लिक उन लाभों से वंचित रही जिसके लिए यह उपस्कर खरीदे गए थे, उपस्करों की अप्रयुक्ति के कारण सरकारी फण्ड भी अवरूद्ध हुए।

मामला सरकार को मार्च 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

उद्योग विभाग

3.1.1 फर्म को परिहार्य अधिक भुगतान

दर अनुबन्ध की शर्तों को लागू न करने के कारण फर्म को 1.53 करोड़ ₹ का परिहार्य अधिक भुगतान और अनधिकृत सहायता हुई।

भण्डार नियंत्रक ने सोलन जिले की दाड़ला स्थित फर्म के पक्ष में एक दर संविदा की सरकारी विभागों को 2100 ₹ प्रति मीट्रिक टन के एक्स फैक्टरी दर पर सीमेण्ट आपूर्ति की स्वीकृति (जुलाई 1988) दी। सीमेण्ट आपूर्ति को जारी रखने के लिए दर संविदा पूर्वकाल 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 से कार्यशील बनाई गई क्योंकि फर्म सीमेण्ट को पिछले वर्ष की दरों पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हुई थी।

दर संविदा की शर्तों के अनुसार ठेके के सीमेण्ट का मूल्य किसी भी स्थिति में उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए था जिस पर फर्म ने दर संविदा के चालू रहने के दौरान दिए गए सभी आपूर्ति आदेशों के निष्पादन समय तक किसी व्यक्ति/संगठन/विभाग/केन्द्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम को इसी प्रकार के सीमेण्ट को बेचना था। यदि इस अवधि में ठेकेदार ने किसी व्यक्ति/संगठन आदि को ठेके में प्रभारित मूल्य से कम मूल्य पर सीमेण्ट बेचा हो तो उसे ऐसी बिक्री को भण्डार नियंत्रक को अधिसूचित करना होता था और संविदा के अन्तर्गत देय मूल्य को तदनु रूप कम करना होता था। फर्म द्वारा प्राप्त हुए आपूर्ति आदेशों की तिमाही विवरणियां भण्डार नियंत्रक को इस प्रमाणपत्र के साथ भेजनी होती है कि कहीं भी संविदा में दिए मूल्यों से कम कीमत पर वस्तुएं नहीं बेची गई अन्यथा प्रतिभूति की राशि जब्त करनी थी और भविष्य में फर्म को सरकारी व्यापार से वंचित करना था।

हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम दर संविदा के अन्तर्गत सरकारी विभागों को सीमेण्ट उपलब्धता के लिए निष्पादित एजेन्सी थी। मांग विभागों से अग्रिम अदायगियां प्राप्त करके दर संविदा के अन्तर्गत सीमेण्ट उपलब्धता हेतु अग्रिम अदायगियों सहित फर्मों के साथ मांग रखती हैं। इस व्यापार हेतु नागरिक आपूर्ति निगम 0.50 ₹ प्रति किलो अन्तर प्राप्त करता था। अतः नागरिक आपूर्ति निगम दर संविदा की शर्तों से परिचित था। इसके अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति निगम उपलब्धता और पब्लिक को सीमेण्ट की बिक्री और समय-समय पर लागू दरों पर अन्य खरीद के लिए फर्म का विक्रेता था।

भण्डार नियंत्रक के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (नवम्बर-दिसम्बर 1999) कि दर संविदा अवधि में फर्म ने 1801 ₹ प्रति मीट्रिक टन के निम्न एक्स फैक्टरी दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नागरिक आपूर्ति निगम को सीमेण्ट आपूर्ति किया था। फर्म ने घटी दरों पर बिक्री को भण्डार नियंत्रक को अधिसूचित नहीं किया और न ही दर संविदा की शर्तों के अनुसार तदनु रूप 2100 ₹ प्रति मीट्रिक टन की संविदा दर को 299 ₹ प्रति मीट्रिक टन घटाया और न ही नागरिक

आपूर्ति निगम ने जो दर संविदा के लिए परिचालन एजेन्सी थी, 1801 ₹ प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम दर से फर्म से सीमेण्ट प्राप्त के करने के शीघ्र बाद इस तथ्य को विभाग के नोटिस में लाया। यह भी ध्यान में आया कि न ही फर्म ने जरूरी प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त हुए आपूर्ति आदेशों की तिमाही विवरणी भण्डार नियंत्रक को भेजी और न ही संविदा शर्तों के अनुसार भण्डार नियंत्रक द्वारा इन विवरणियों को प्राप्त करने या फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रयत्न किए गए। तथापि नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक केवल 31 मार्च 1999 को इस तथ्य को विभाग के नोटिस में लाया। फर्म ने 1998-99 के दौरान 2100 ₹ प्रति मीट्रिक टन के वास्तविक एक्स फैक्टरी दर पर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को 51141 मीट्रिक टन सीमेण्ट बेचा था। इसके कारण फर्म को 1.53 करोड़ ₹ अधिक परिहार्य अदायगी हुई थी। दिसम्बर 1999 तक फर्म से अधिक अदायगी वसूली करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1801 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम दर से सीमेण्ट उपलब्धता इस तथ्य को भण्डार नियंत्रक के नोटिस में लाने में नागरिक आपूर्ति निगम की विफलता से और दर संविदा की शर्तों को लागू करने में भण्डार नियंत्रक द्वारा कार्रवाई न करने के कारण फर्म को अधिक परिहार्य अदायगी और अनुचित लाभ हुआ।

अतिरिक्त भण्डार नियंत्रक ने बताया (जुलाई 2000) कि फर्म को अप्रैल 1999 में बिक्री रिटर्न्स भेजने के लिए आवेदन किया गया था अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी और सरकारी लेन-देन से फर्म वंचित कर दी जाएगी। उसने यह भी बताया कि 1.53 करोड़ ₹ की अधिक अदायगी की वसूली के लिए फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया (मई 2000) गया था उसका उत्तर प्रतीक्षित था। यद्यपि आगे की कार्यवाही सरकार से प्रतीक्षित थी, उपरोक्त उत्तर भण्डार नियंत्रक द्वारा दर संविदा की शर्तों को लागू करने में विफल रहा और देय तिथियों पर तिमाही प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए या दर संविदा अवधि में दर संविदा शर्तों के अनुसार फर्म की प्रतिभूति राशि को जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई न करने के विषय में खामोश है।

मामला सरकार को जुलाई 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

3.12 निधियों का अवरोधन

एक फर्म द्वारा कांगड़ा जिला के संसारपुर टैरेस में कताई मिल की स्थापना का अनुमोदन नवम्बर 1994 में इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट अनुमोदन और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा की गई थी। विभाग ने इस उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से 77 एकड़ भूमि का आबंटन किया (दिसम्बर 1994) और फर्म ने इसकी 10 प्रतिशत कीमत 12.30 लाख ₹ जमा करवाई थी। अनुमोदित प्रोजेक्ट के अनुसार फर्म को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए पोंग में 220/66 के 0वी0, 20 एम0वी0ए0 सब-स्टेशन लगाने के लिए उद्योग निदेशक ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 1.64 करोड़ ₹ 1993-94 में (74 लाख ₹) और 1994-95 में (90 लाख ₹) अग्रिम दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने आगे फरवरी 1994 और दिसम्बर 1994 के बीच 220 के 0वी0, उपस्कर उपलब्धता और लगाने के लिए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेण्ट बोर्ड को 1.64 करोड़ ₹ दिए और उन्हें शीघ्र कार्य शुरू करने का आवेदन (दिसम्बर 1994) किया।

जिला उद्योग केन्द्र कांगड़ा के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (सितम्बर 1999) कि फर्म ने कवाई मिल लगाने का दिवार छोड़ दिया था क्योंकि विभाग अतिक्रमण मुक्त भूमि प्रदान करने में अयोग्य रहा और फर्म ने 12.30 लाख ₹ ब्याज के सहित वापस लेने का आवेदन (मार्च 1998) किया। सरकार ने 12.30 लाख ₹ वापस करने स्वीकार (अप्रैल 1999) किए।

विभाग ने 20 एमवीए की बजाय 40 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को संशोधित आकलन भेजने के लिए आवेदन (जनवरी 1996) किया। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित (जून 2000) कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेण्ट बोर्ड के प्राधिकारियों को 40 एमवीए 220/66 केवी ट्रांसफार्मर लगाने का आवेदन किया गया था उन्होंने अपने स्वच यार्ड में जगह उपलब्ध न होने के कारण इन्कार किया। संशोधित अनुमान सम्बन्धी भेजने का मामला, संसारपुर टैरेस में इस लोड को उपलब्ध कराने के लिए दोनों किनारों पर टर्मिनल उपस्कर लगाना और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेण्ट बोर्ड से पैसा वापस दिलवाने का निर्णय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास बकाया पड़ा था (जून 2000)।

जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र कांगड़ा ने बताया (सितम्बर 1999) कि ट्रांसफार्मर लगाने के प्रस्ताव का निर्णय फर्म के अनुमोदित प्रोजेक्ट के आधार पर किया गया था जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया। उन्होंने आगे यह भी कहा (जुलाई 2000) कि भविष्य में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर की अभी जरूरत है।

अतिक्रमण मुक्त भूमि की उपलब्धता की पूर्व सुनिश्चितता और शुरू में ही बिजली आवश्यकता का अनुचित निर्धारण से अविवेकपूर्ण निर्णय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को इस प्रकार फण्ड देने के कारण 1.64 करोड़ ₹ 1994-95 से अवरूद्ध हुए।

मामला सरकार को जनवरी 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था जुलाई 2000।

राजस्व विभाग

3.13 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम

3.13.1 परिचय

सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम की समीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1997 को समाप्त हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन (सिविल) में शामिल की गई थी। दो निर्वाचन क्षेत्रों⁴ के 8 जिलों¹ और 12 निष्पादन एजेंसियों² में स्कीम का 1997-2000 अवधि की समीक्षा जून-जुलाई 2000 में लेखापरीक्षा के दौरान दोबारा किया गया था। वर्ष 1997-2000 की अवधि में स्कीम की उपलब्ध निधि और कार्यान्वयन का खर्च 23.17 करोड़ ₹³ और 20.16 करोड़ ₹ क्रमशः था। दो निर्वाचन क्षेत्रों जिनकी लेखापरीक्षा की में व्यय 11.30 करोड़ ₹ था।

⁴ हमीरपुर तथा शिमला।

¹ बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन, सिरमौर तथा ऊना।

² खण्ड विकास अधिकारी अम्ब, बिलासपुर, हमीरपुर, मशोबरा, नाहन, पच्छाद, सोलन, टियोग, तथा ऊना लोक निर्माण विभाग मण्डल, कसौली तथा टियोग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, नाहन।

³ इसमें 2.43 करोड़ ₹ अथशेष तथा 1997-2000 के दौरान अर्जित 0.51 करोड़ ₹ का ब्याज सम्मिलित है।

3.13.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1993-97 की अवधि की पिछली समीक्षा में स्कीम के कार्यान्वयन में मुख्यतः निम्नलिखित कमियां और अनियमितताएं प्रकट हुई थी:-

- (i) पूरी निधियां खर्च नहीं की गई इसलिए स्कीम के पूरे लाभ नहीं मिले।
 - (ii) संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुए।
 - (iii) कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा स्कीम के निधि अमान्य कार्यों/मदों पर व्यय किए गए।
 - (iv) जिलाधीशों ने संसद सदस्यों की सिफारिशों के बिना स्कीम निधि से कार्य निष्पादन की स्वीकृति दी।
 - (v) कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया।
 - (vi) महालेखाकार को व्यय विवरणियां नहीं भेजी गईं।
 - (vii) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (डी0पी0आई0) भारत सरकार को उपयोग प्रमाणपत्र नहीं भेजे गए।
 - (viii) जिला समाहर्ता और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया गया।
- वर्तमान समीक्षा से पता चला कि इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया और अनियमितताएं और कमियां अब भी जारी थी जैसा कि निम्न से पता चला:-

क्र०	अनियमितता/कमी	अनियमितता का संक्षिप्त सार
1.	जारी की गई निधियां अप्रयुक्त रहने के फलस्वरूप वांछित लाभों की अप्राप्ति हुई।	स्कीम के लागू करने के लिए उपलब्ध किए गए 23.17 करोड़ ₹ में से केवल 20.16 करोड़ ₹ (87 प्रतिशत) ही व्यय किए गए। दो नमूना चुनाव क्षेत्रों (हमीरपुर तथा शिमला) में स्कीम को लागू करने के लिए उपलब्ध कराए गए 12.75 करोड़ ₹ में से उस अवधि के दौरान 11.30 करोड़ ₹ (89 प्रतिशत) व्यय किए गए। इसके परिणामस्वरूप स्कीम के अधीन सभी लाभों का वंचन हुआ। सूचित किया गया व्यय बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया क्योंकि इसमें निष्पादन करने वाली संस्थाओं के पास व्यय न किया गया बकाया भी शामिल था। नमूना जांच किए गए आठ में से छः जिलों में 9.02 करोड़ ₹ की बकाया राशि अव्ययित थी।
2.	संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुए।	दो निर्वाचन क्षेत्रों में 1997-2000 के दौरान संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए 918 कार्यों में से मार्च 2000 तक 841 कार्य निष्पादन के लिए स्वीकृत किए गए। इनमें से केवल 171 (20 प्रतिशत) पूरे किए गए। कार्यों की पूर्णता में कमी मुख्यतः संविदाओं को अंतिम रूप न देने, भूमि विवाद एवं अपर्याप्त निधियां आदि के कारण थी।
3.	अस्वीकृत कार्यों का निष्पादन	संसद सदस्यों की सिफारिशों पर आठ जिलाधीशों द्वारा 1997-2000 के दौरान स्कीम के दिशानिदेशों के विपरीत 457 कार्यों जैसे कि सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, खेल उपकरणों की खरीद, भरम्मत, स्कूल भवनों का नवीकरण, धार्मिक एवं पूजा स्थलों आदि से सम्बन्धित कार्यों के लिए 4.21 करोड़ ₹ स्वीकृत किए।
4.	अन्य स्कीमों के साथ निधियों का अंशदान	दिशानिदेशों में स्कीम की निधियों का अन्य स्कीमों के साथ सांझेदारी मना है। चार जिलाधीशों (हमीरपुर, सिरमौर, शिमला एवं सोलन) ने 1997-2000 के दौरान 31 चालू कार्यों के निष्पादन जैसे सड़के, भवन, जलापूर्ति स्कीमों के लिए 28.70 लाख ₹ स्वीकृत किए यद्यपि ये कार्य राज्य बजट/केन्द्रीय सरकार निधियों से वित्तपोषित किए जा रहे थे। इन कार्यों पर जून 2000 तक 9.28 लाख ₹ व्यय किए जा चुके थे।
5.	परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का अनुरक्षण न करना	दिशानिदेशों के अनुसार, जिलाधीशों या उनके प्राधिकृत अधिकारी से स्कीम के अधीन सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर तैयार किए जाना अपेक्षित था। तथापि नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में जिलाधीशों/निष्पादन संस्थाओं द्वारा ऐसे रजिस्टर बनाए हुए नहीं पाए गए।
6.	अनुश्रवण	दिशानिदेशों में प्रदत्त है कि जिलों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का भ्रमण तथा निरीक्षण करेंगे। कार्यान्वयन संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों से इन कार्यों का निरीक्षण कार्यस्थलों के नियमित भ्रमणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था कि कार्य निर्धारित प्रक्रिया तथा दिशानिदेशों के अनुसार संतोषजनक प्रगति कर रहे थे। नमूना जांच किए गए जिले के किसी भी समाहर्ता द्वारा निरीक्षण के अभिलेख नहीं बनाए गए थे।
7.	महालेखाकार को व्यय विवरणियां प्रस्तुत न करना	स्कीम के प्रावधानों के अनुसार जिलाधीशों से गई के अन्त तक महालेखाकार को व्यय विवरण भेजा अपेक्षित था। यह देखा गया कि किसी जिलाधीश से ऐसा विवरण महालेखाकार को नहीं भेजा गया था जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं थे।

3.13.3 निष्कर्ष

स्कीम के प्रत्यक्ष अनुश्रवण और समन्वय सरकार ने नाभिकीय विभाग के रूप में किसी विभाग को नामोदिष्ट नहीं किया। विशेष मापदण्ड, आवधिकता, निरीक्षण अनुसूचि नहीं निर्धारित की गई। यह कोई प्रमाण नहीं था कि जिलाधीशों ने कभी स्कीम में लिए गए कार्यों का निरीक्षण किया। इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया और निधि स्कीम के बाहर के कार्यों के लिए प्रयोग की गई। जैसा कि स्कीम के प्रावधानों में अपेक्षित था परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया गया।

यह तथ्य सरकार को जुलाई 2000 में सूचित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2000)।

3.14 विकास/राहत निधि का अपवर्तन व दुरुपयोग

स्थानीय जिला योजना सैक्टरबद्ध विकेन्द्रीकृत योजना और आपदा राहत कार्यों के लिए 2.65 करोड़ रु० दिशा निर्देशों के विपरीत संयुक्त डिप्टी कमीश्नर कार्यालय भवन और नये कार्यों के निर्माण के लिए विचलित किए गए।

(क) स्थानीय जिला योजना (एल०डी०पी०) तथा सैक्टरबद्ध विकेन्द्रीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में व्यवस्था है कि इन स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों द्वारा स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान, पशुचिकित्सा संस्थान, जल आपूर्ति सिंचाई कूहलें, ग्रामीण सम्पर्क सड़कें आदि सरकारी स्वामित्व पब्लिक परिसम्पत्तियों के पुर्नउद्धार/मरम्मत द्वारा समुदाय लाभ होना चाहिए और कम से कम पांच परिवारों को लाभ होना चाहिए।

जिला सिरमौर के डिप्टी कमीश्नर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (मार्च 1999) कि लोकल जिला योजना (14.98 लाख रु०) और सैक्टरबद्ध विकेन्द्रीकृत योजना (15.25 लाख रु०) में से 1997-99 के दौरान 30.23 लाख रु० नाहन में संयुक्त डिप्टी कमीश्नर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विचलित किए गए।

जिला योजना अधिकारी सिरमौर ने स्वीकार किया कि उपरोक्त भवन के निर्माण के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी और डिप्टी कमीश्नर ने प्राधिकारियों को टेलीफोन से अवगत करवाया था। उसने यह भी कहा कि भवन का निर्माण लोक हित में किया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना निधियों का अनधिकृत विचलन हुआ था और लाभार्थी योजनाओं के वांछित लाभों से वंचित रहे थे।

(ख) भारत सरकार के निदेशों (मई 1987) के अनुसार आपदा राहत निधियों का प्रयोग नये कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। इन निधियों का प्रयोग पुराने कार्यों पर जो आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए हो पर होना चाहिए।

(i) सिरमौर के डिप्टी कमीश्नर के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 1999) से पता चला कि डिप्टी कमीश्नर द्वारा 1997-99 के दौरान संयुक्त डिप्टी कमीश्नर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 18.80 लाख रु० की आपदा राहत निधियों का विचलन किया गया था।

डिप्टी कमीश्नर ने बताया (मार्च 1999) कि भवन की ज़रूरत थी इसलिए इस भवन निर्माण के लिए धन स्वीकृत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि क्षतियों के प्रत्यावर्तन निधियों का नए कार्य पर व्यय किया गया। इस तरह आपदा राहत कार्यों के प्रत्यावर्तन के लिए दी गई निधियों का डिप्टी कमीश्नर ने दुरुपयोग किया।

(ii) चार डिप्टी कमीश्नरों* के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 1998-जनवरी 2000) से पता चला कि 1996-97 से 1999-2000 के दौरान डिप्टी कमीश्नरों द्वारा नए कार्यों के निर्माण के लिए जैसे स्कूल, तहसील, महिला मण्डल भवन, सड़कों, पुलों, रास्तों, खेल मैदानों, पटवारखानों आदि के लिए जो आपदा राहत कार्यों से सम्बन्धित थे, के लिए 2.16 करोड़ ₹ के आपदा राहत फण्डों का विचलन किया।

डिप्टी कमीश्नरों ने बताया (नवम्बर 1998-99) कि विभिन्न भवनों के निर्माण की आवश्यकता लोकहित और लोगों में रोजगार सृजन करने को मध्यनजर किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि क्षति कार्यों के प्रत्यावर्तन फण्ड दिए गए थे और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत आपदा राहत का व्यय नए कार्यों के लिए किया गया था।

मामला सरकार को मई 2000 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

समाज और महिला कल्याण विभाग

3.15 अपात्र जम्मू और कश्मीर प्रवासियों को नकद सहायता का श्रुतान

उपमण्डल अधिकारी (सिविल) कांगड़ा द्वारा अपात्र जम्मू और कश्मीर प्रवासियों को 48 लाख ₹ की नकद सहायता

1991 से अशान्ति के कारण जम्मू और कश्मीर के विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए राज्य सरकार ने पुनर्वास के समय (एक बार) चादरें और बर्तन आदि खरीदने के लिए चार या चार से अधिक सदस्यों वाले परिवार को 460 ₹ प्रतिमास और 860 ₹ प्रति परिवार की दर से नकद सहायता स्वीकृत की। यह दर पर 460 ₹ से 15 ₹ प्रतिदिन प्रति सदस्य 2000 ₹ प्रति परिवार तक पुनः संशोधित (दिसम्बर 1992) और 860 ₹ से 2000 तक संशोधित किए गए। स्कीम के अनुसार यह राहत उस परिवार को स्वीकार्य थी जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 10,000 से कम हो और परिवार कैम्प में ठहर रहा हो। कैम्प में ठहरने की शर्त नवम्बर 1991 में हटा दी गई। नकद सहायता उन परिवारों को दी जानी थी जिनकी उचित पहचान की गई हो और सम्बद्ध उप मण्डल अधिकारी सिविल जिसमें परिवार अस्थाई तौर पर ठहर रहा था में कानूनी तौर पर पंजीकृत हो। अप्रैल 1991 से राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों की सभी पहचान/पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए डिप्टी कमीश्नरों को प्राधिकृत किया गया। उचित पहचान के लिए प्रवासी को उसके प्रवास के सम्बन्ध में एक लिखित प्रमाणपत्र या अपनी प्रवास के सम्बन्ध में शपथपत्र और एक घोषणा कि उसके परिवार का कोई सदस्य सरकार/अर्ध सरकार या प्राईवेट कार्य में कार्यरत नहीं था और उस की वार्षिक आय

* कांगड़ा, मण्डी, सिरमौर तथा सोलन

10,000 ₹ से कम थी परिवार के मुखिया ने देना होता था जिसने कि नकद सहायता के लिए आवेदन किया था।

प्रवासियों से सम्बन्धित राहत निधियों का आबंटन सम्बद्ध डिप्टी कमीश्नरों को पात्र प्रवासियों में विवरण हेतु निदेशक समाज एवं महिला कल्याण द्वारा किया जा रहा था। यह स्कीम कांगड़ा और मण्डी जिलों के चार उप मण्डलों* में कार्यचालन में थी। निदेशक समाज एवं महिला कल्याण के अभिलेखों सहित चार उपमण्डलों के अभिलेखों की जून 2000 के दौरान नमूना जांच की गई थी।

1994-2000 के दौरान कांगड़ा और मण्डी जिलों में रह रहे शरणार्थी परिवारों को निधियों का प्रावधान और उन पर किया गया व्यय निम्नानुसार था:-

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय		
	कांगड़ा	मण्डी	योग	कांगड़ा	मण्डी	योग
	(लाख रूपए)					
1994-95 तक	16.81	0.23	17.04	16.74	0.23	16.97
1995-96	12.00	0.16	12.16	11.74	0.16	11.90
1996-97	8.88	0.17	9.05	9.04	0.17	9.21
1997-98	18.05	0.16	18.21	18.23	0.16	18.39
1998-99	15.63	0.17	15.80	15.41	0.17	15.58
1999-2000	6.08	0.16	6.24	5.16	0.11	5.27
योग	77.45	1.05	78.50	76.32	1.00	77.32

निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

(i) जुलाई 1999 तक 36.05 लाख ₹ की नकद सहायता उप मण्डल अधिकारी (सिविल) कांगड़ा द्वारा अपात्र प्रवासियों को जिनकी वार्षिक आय अभिलेखों के अनुसार 10,000 ₹ से अधिक थी दी गई। उप मण्डल अधिकारी (सिविल) ने बताया (जून 2000) कि इन अदायगियों को तहसील एजेन्सियों द्वारा आय की जांच करके किया गया और इन मामलों की छानबीन एजेन्सियों द्वारा की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सहायता की अदायगी निर्धारित जांच उपरान्त की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उप मण्डल अधिकारी (सिविल) द्वारा निर्धारित जांच प्रणाली की अनुपालना न करके 36.05 लाख ₹ की अस्वीकार्य अदायगियां अपात्र परिवारों को की गई।

(ii) अनुदेशों के अनुसार नकद सहायता जम्मू और कश्मीर प्रवासियों को दी जानी थी और यह हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों को नहीं दी जानी थी। यह लेखापरीक्षा में पाया गया कि 6.44 लाख ₹ की नकद सहायत 1991-2000 के दौरान अपात्र परिवारों को दी गई थी। राजस्व अभिलेखों के अनुसार इन परिवारों की हिमाचल प्रदेश में भूमि थी और वे व्यापार उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर से वापस आने पर उनका कश्मीरी प्रवासियों के रूप में पंजीकरण किया गया था। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर उप मण्डल अधिकारी (सिविल) ने बताया (जून 2000) कि व्यक्तिगत मामलों और इसकी समूची जांच की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पंजीकरण के समय और सहायता की अदायगी से पहले जांच की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उप मण्डल अधिकारी (सिविल) कांगड़ा द्वारा अदायगियों से पहले प्रवासियों की पूर्व शर्तों की जांच में विफलता के कारण 6.44 लाख ₹ की सहायता अपात्र परिवारों को दी गई।

* धर्मशाला, कांगड़ा, मण्डी तथा पालमपुर

उपमण्डल अधिकारी (सिविल) कांगड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच से यह भी पता चला कि अभिलेखों के अनुसार पांच प्रवासी हिमाचल प्रदेश/ अन्य राज्यों को रोजगार करते बताए गए और उनको 1994-2000 के दौरान उनके नियोक्ताओं से उनकी वार्षिक आय की जांच किए बिना 5.51 लाख ₹ की नकद सहायता दी गई थी। उप मण्डल अधिकारी (सिविल) कांगड़ा ने बताया (जून 2000) कि आय की जांच उनके नियोक्ताओं से की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वार्षिक आय की जांच नकद सहायता की अदायगी से पहले की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उपमण्डल अधिकारी कांगड़ा (सिविल) द्वारा निर्धारित जांच प्रणाली की अनुपालना न करने से 5.51 लाख ₹ की नकद सहायता उस द्वारा अपात्र व्यक्तियों को की गई थी।

मामला सरकार को जुलाई 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

पर्यटन व नागरिक विमानन विभाग

3.16 शिमला में लक्कड़ बाजार से रिज तक लिफ्ट लगाना

मिट्टी की सुरक्षा धारणा क्षमता की जांच किए बिना लिफ्ट निर्माण के कारण 5.39 लाख ₹ का व्यर्थ खर्च और 14.51 लाख ₹ का अनधिकृत व्यय।

इस प्रयोजन के लिए पर्यटन और नागरिक उड्डयन (निदेशक) ने नगर निगम शिमला को 40 लाख ₹ मई 1996 (20 लाख ₹) तथा अप्रैल 1997 (20 लाख ₹) सरकार ने लक्कड़ बाजार से रिज तक तीन चरणों में लिफ्ट बनाने के लिए 1.02 करोड़ ₹ की प्रशासनिक संस्वीकृति दी। इसकी प्रतिपक्षता में अग्रिम दिया। नगर निगम ने मिट्टी की सुरक्षा धारणा क्षमता के सम्बन्ध में जांच किए बिना मार्च 1997 में कार्य शुरू किया। 5.39 लाख ₹ के व्यय के बाद जून 1997 में कार्य रोक दिया क्योंकि उस स्थान में पानी निकलने से वह निर्माण के लिए असुरक्षित हो गया। अप्रैल 1997 में राज्य भू-वैज्ञानिक से मिट्टी की सुरक्षा धारणा क्षमता की जांच करवाई गई। राज्य भू-वैज्ञानिक के आंकड़ों पर रूड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों और चीफ इंजीनियर हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने प्रस्तावित स्थान पर लिफ्ट का निर्माण अस्वीकृत किया। तदनुसार नगर निगम ने लिफ्ट के निर्माण को त्यागने का निर्णय लिया (सितम्बर 1999)।

शेष राशि में से नगर निगम शिमला ने अनधिकृत रूप से 14.51 लाख ₹ शौचालय ब्लॉक के निर्माण पर प्रयोग किए और दिसम्बर 1999 तक 20.10 लाख ₹ की बकाया राशि उनके पास पड़ी थी। नगर निगम से 20.10 लाख ₹ की अप्रयुक्त बकाया राशि वापस लेने के लिए निदेशक द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। इसे लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने (अप्रैल 1999) निदेशक ने बताया (दिसम्बर 1999) कि लिफ्ट के निर्माण का सर्वेक्षण तथा जांच नगर निगम द्वारा करवाई गई थी और शौचालय ब्लॉक और व्यय न की गई राशि के सम्बन्ध में मामला सरकार के साथ उठाया गया था।

कमीश्नर द्वारा नगर निगम शिमला लिफ्ट का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मिट्टी की सुरक्षा धारणा क्षमता की जांच में विफलता के कारण 14.51 लाख ₹ की अनधिकृत प्रयुक्ति तथा 20.10 लाख ₹ के अवरोधन के अतिरिक्त 5.39 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को मार्च 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

3.17 संगीतमय फौबारों को लगाने के लिए अनुपयुक्त कार्यस्थलों का चयन

दो संगीतमय फौबारों को लगाने के लिए अनुपयुक्त स्थानों के कारण 24.63 लाख ₹0 अवरुद्ध हुए और 1.70 लाख ₹0 का व्यय व्यर्थ हुआ।

वित्तीय नियम खजाने से अग्रिम अदायगी के लिए धन निकालने की मनाही करते हैं जिनकी आपूर्ति महीनों तक या वर्ष तक प्राप्त न होनी हो।

मार्च 1995 और मार्च 1997 के बीच मनाली (जिला कुल्लू) और धर्मशाला (जिला कांगड़ा) में दो संगीतीय फौबारों को लगाने के लिए 26.33 लाख ₹0 राज्य सरकार ने स्वीकृत किए। उसी अवधि में निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन निदेशक द्वारा राशि का आहरण किया गया। संगीतीय नृत्य फौबारों के डिजाईन, संरचना, आपूर्ति, स्थापना, जांच और प्रत्येक कार्यक्रम सम्बन्धी चालू करने का मूल्य 20 लाख ₹0 कर्नाटक के पब्लिक सैक्टर उपक्रम के साथ तय किया गया। पब्लिक सैक्टर उपक्रम एक रूण इकाई थी और दिसम्बर 1996 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित किया गया था। दो फौबारों की 50 प्रतिशत स्थापना मूल्य 20 लाख ₹0 करार हस्ताक्षरित किए बिना पब्लिक सैक्टर उपक्रम को दिया (अगस्त 1995) गया। इस दौरान 6.33 लाख ₹0 वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी मण्डल कुल्लू को मनाली में सिविल कार्यों के निर्माण के लिए दिए गए (जून 1997) थे। सिविल निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति वन विभाग द्वारा नहीं दी गई थी। सिविल कार्यों पर 1.70 लाख ₹0 खर्च उपरान्त प्रिंसीपल चीफ अरण्यपाल वन शिमला ने मनाली में फौबारा स्थापित करने की इस आधार पर आपत्ति उठाई कि यह वनों के विकास के लिए सहायक नहीं था। इसलिए वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी मण्डल कुल्लू ने कार्य बन्द कर दिया और 4.63 लाख ₹0 जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कुल्लू को वापस (जनवरी 2000) कर दिए। सरकार ने मनाली से फौबारे की स्थापना को कुल्लू में करने और अन्ततः धर्मशाला में फब्वारे के स्थान के अनुमोदन (मार्च 2000) का निर्णय लिया (अगस्त 1999)। जनवरी 2000 तक पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा फौबारों की आपूर्ति नहीं की गई थी।

इस प्रकार संगीतीय फौबारों की स्थापना के सम्बन्ध में सही स्थानों के अनिर्णय के कारण 24.63 लाख ₹0 अवरुद्ध हुए और मनाली में सिविल कार्यों पर 1.70 लाख ₹0 व्यर्थ हुआ। इसके अतिरिक्त निदेशक ने अग्रिम अदायगी से पहले पब्लिक सैक्टर उपक्रम जो कि रूण इकाई थी, की वित्तीय स्तर की पुष्टि नहीं की।

मामला सरकार को मार्च 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

शहरी विकास विभाग

3.18 शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम

3.18.1 परिचय

भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न शहरी रोजगार उत्पादन स्कीमें शुरू की। अक्टूबर 1989 में तीन उप-स्कीमों के साथ जैसा (i) शहरी माइक्रो उपक्रम और (ii) शहरी

मजदूरी रोजगार (iii) आवास और आश्रय उच्चिकरण विशेषतया शहरी गरीबों को रोजगार उत्पादन के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई। दिसम्बर 1997 से भारत सरकार ने नेहरू रोजगार योजना के बदले स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना जिस शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की दो विशेष योजनाएं सम्मिलित थीं। एक मिलियन शिक्षित बेरोजगारों को माईक्रो उपक्रम स्थापित करके स्वयं रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1993 से प्रधान मंत्री रोजगार योजना शुरू की।

नेहरू रोजगार योजना/स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन निदेशक, शहरी विकास ने शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्योग निदेशक ने जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से करना था।

1995-2000 की अवधि में विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन 49 शहरी स्थानीय निकायों⁴ में से 13 और 12 जिला उद्योग केन्द्रों⁵ में से तीन तथा तीन जिला लीड बैंक प्रबन्धक⁶ और बैंकों की 30 शाखाओं से एकत्रित सूचना के आधार पर और निदेशक शहरी विकास और उद्योग निदेशक के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा दिसम्बर 1999, मार्च 2000 में समीक्षित किया गया। जांच के दौरान ध्यान में आए तथ्य निम्नलिखित हैं-

3.18.2 योजना

(i) अनुदेशों के अनुसार जहां अपेक्षित हो नेहरू रोजगार योजना के अधीन परिवारों का सर्वेक्षण करके शहरी स्थानीय निकायों ने गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों की पहचान करनी थी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने जहां विद्यमान हों, पड़ोसी कमेटियों, शहरी वेसिक सेवा इकाइयों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेनी थी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार सूचियों को पर्याप्त प्रचार देना था। स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के अन्तर्गत स्टेट ऐजेंन्सी द्वारा शहरी स्थानीय निकायों या समुदाय स्तर पर किसी पहचान किए गए निकाय के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करनी थी। स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के अन्तर्गत सही लाभार्थियों की पहचान के लिए घर-घर का सर्वेक्षण करना था। शहरी गरीबी रेखा के आर्थिक सिद्धान्त के अतिरिक्त शहरी गरीबों की पहचान के लिए आर्थिक भिन्न मापदण्डों का भी प्रयोग करना था।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी गरीबों की पहचान और सर्वेक्षण नहीं किया गया।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि 1995-98 के दौरान माईक्रो उपक्रम स्थापित करने के लिए लाभार्थियों से ऋण प्रार्थना पत्र उनके सम्बद्ध वार्ड सदस्यों की सिफारिशों पर और उन के सम्बद्ध पटवारी द्वारा लाभार्थी का आर्थिक स्तर की जांच उपरान्त स्वीकार किए गए। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार के अन्तर्गत एक सर्वेक्षण सितम्बर-अक्टूबर 1998 में किया गया जबकि योजना दिसम्बर 1997 में शुरू की गई थी।

निदेशक, शहरी विकास ने बताया (मार्च 2000) कि भारत सरकार के दिशा निर्देश नहीं थे इस लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के शुरू करने से पहले कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिशा निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण आवश्यक था। इसके अलावा विभाग द्वारा अपनाई गई जांच प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित पहचान प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

⁴ नगर निगम शिमला; नगर परिषद धर्मशाला, कांगड़ा, मण्डी, रामपुर, सुन्दरनगर; तथा ठियोग नगर पंचायत चौपाल ज्वालामुखी, कोटखाई, नगरोटा बंगवा, राजगढ़ तथा रिवाल्सर

⁵ धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला

⁶ धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला

(ii) दिशा निर्देशों के अनुसार समुदाय विकास सोसाइटियों ने सर्वेक्षण करना था और उन्होंने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध बेसिक न्यूनतम सेवाओं की सूची तैयार करनी थी। पहले अप्राप्य बेसिक न्यूनतम सेवाओं की पहचान करनी थी और उसके बाद भौतिक मूलाधार की अन्य जरूरतों को सूचीबद्ध करना था। यह प्राथमिकता अन्तिम होनी थी और इसमें किसी अन्य एजेन्सी द्वारा परिवर्तन या रूपान्तर नहीं होना था। यह सूचियां जहां सेवाएं स्थापित होनी थी आदि के सम्बन्ध में समुदाय विकास सोसाइटियों की अभियुक्तियों के साथ वर्ष के शुरू में नगर के गरीबी उन्मूलन कक्ष को भेजनी होती थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो समुदाय विकास एजेन्सियों की स्थापना की गई और न ही अप्राप्य बेसिक न्यूनतम सेवाओं की पहचान की गई और वर्ष के शुरू में जैसा अपेक्षित था यह सूचियां नगर के गरीबी उन्मूलन कक्ष को नहीं भेजी गई थी। निदेशक ने कहा (मार्च 2000) कि योजना संदर्श शहरी स्थानीय निकाय अनुसार तैयार नहीं की गई क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों में स्टाफ की कमी के कारण शुरू में गरीबी रेखा नीचे का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

3.18.3 वित्तीय परिव्यय और व्यय

नेहरू रोजगार योजना और स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों में क्रमशः 60:40 और 75:25 आधारों पर बटवारा होना था जबकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की वित्तपोषी 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा होनी थी। 1995-2000 के दौरान नेहरू रोजगार योजना/ स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी गई 8.71 करोड़ ₹ निधियों के प्रति योजनाओं के कार्यान्वयन के समस्त राशि निदेशक, शहरी विकास द्वारा व्यय की हुई दर्शाई गई और 1995-2000 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई 47.90 लाख ₹ की समस्त राशि उद्योग निदेशक द्वारा खर्च की गई थी।

तथापि, 13 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि नेहरू रोजगार योजना/स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत उनको दी गई निधियां अधिकतम प्रतिवर्ष पांच वर्षों तक की अवधि में अप्रयुक्त रही जैसा नीचे दर्शाया गया और अधिकतम व्यय न की गई बकाया राशियां बैंक बचत खातों में रखी गई थीं।

निदेशक, शहरी विकास ने योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधियों की शतप्रतिशत प्रयुक्ति दर्शाई यद्यपि अधिकतम राशियां शहरी स्थानीय निकायों के पास अव्ययित रहीं।

वर्ष	अथशेष	निदेशक द्वारा जारी की गई निधियां	कुल व्यय	अव्ययित शेष	कुल उपलब्ध निधियों के संदर्भ सहित अव्ययित शेषों की प्रतिशतता	
(लाख रूपए)						
1995-96	32.46	14.20	46.66	6.91	39.75	85
1996-97	39.75	69.19	108.94	21.80	87.14	80
1997-98	87.14	24.06	111.20	25.80	85.40	77
1998-99	85.40	83.80	169.20	99.72	69.48	41
1999-2000	69.48	133.26	202.74	151.14	51.60	25

यह पाया गया कि निदेशक द्वारा निधियों की शतप्रतिशत प्रयुक्ति विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की सही तस्वीर को नहीं दर्शाती थी।

कमीशनर/कार्यकारी अधिकारी/शहरी स्थानीय निकायों के सचिवों ने निधियों की अप्रयुक्ति का कारण निधियों का देरी से प्राप्त होना और लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त न होना/देरी से प्राप्त होना बताया (दिसम्बर 1999-मार्च 2000)। उत्तर बाद की बात थी क्योंकि समुदाय विकास सोसाइटियों की स्थापना न करने और प्राप्य बेसिक न्यूनतम सेवाओं की सूचियां तैयार न करने से सम्भवतः निधियों का प्रयोग

नहीं हो सका। इससे अतिरिक्त इस कारण निधियों का देशी से प्राप्त न होना नहीं हो सकता क्योंकि हर साल अधिक इतिशेष उपलब्ध थे। आगामी निम्न तथ्य ध्यान में आए:-

(i) कार्यक्रम द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक लाभकारी पब्लिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए रोजगार देना था। कमीश्नर नगर निगम शिमला ने 1998-99 के दौरान स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का 14.65 लाख ₹ अनधिकृत रूप से शहर की विभिन्न सड़कों और निकासों के 32 कार्यों की बर्फ और स्लिपों को हटाने के लिए किया।

(ii) अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 55 लाख ₹ (नगर निगम शिमला 43.32 लाख ₹; नगर निगम मण्डी 11.58 लाख ₹) के उपयोग प्रमाणपत्र मार्च 1999 में निदेशक शहरी विकास को उस खर्च के भेजे गए जो नगर निगम शिमला ने अपने बजट से पहले ही किया था और नगर निगम मण्डी ने मुख्यमंत्री से प्राप्त अनुदान से किया था। कमीश्नर नगर निगम शिमला ने भारत सरकार/राज्य सरकार से अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र दिए जबकि इ0ओ0 नगर निगम मण्डी ने कहा (फरवरी 2000) कि उपयोग प्रमाणपत्र भेजा गया क्योंकि निदेशक, शहरी विकास इसकी शीघ्र प्रस्तुति के लिए जोर डाल रहा था। इस प्रकार भेजे गए उपयोग प्रमाणपत्र सही नहीं थे। अपनाए गए ढंग अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के तथ्य की ओर ध्यान केंद्रीत करते हैं क्योंकि वर्ष प्रतिवर्ष अधिकतर सीमा तक निधियां प्रयुक्त नहीं की जा रही थी।

इसी तरह 6.98 लाख ₹ स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना निधियों का अपवर्तन किया गया और 1 जुलाई 1999 के स्टॉफ के वेतन और मजदूरों की मजदूरी पर व्यय की गई और शहरी निगम मण्डी के कार्यकारी अधिकारी ने 7 सितम्बर 1999 पूर्ति की। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि (फरवरी 2000) निधियों का अपवर्तन किया गया क्योंकि निदेशक शहरी विकास से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी और न ही अन्य निधियों से राशि के आहरण की अनुमति प्राप्त हुई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम, अन्य कार्यों, जो उससे सम्बन्धित न हो, पर निधि अपवर्तन की आज्ञा नहीं देती इससे निधियों के उचित उपयोग का न्यून आदर प्रकट होता है।

(iii) 26.70 लाख ₹ (नगर निगम शिमला 19.73 लाख ₹ अप्रैल 1989 और दिसम्बर 1998; नगर निगम सुन्दरनगर 5.16 लाख ₹ मई 1999 और जुलाई 1999 के बीच और नगर निगम मण्डी 1.81 लाख ₹ अप्रैल 1999 में) जो हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को गलियों में बिजली लगाने के लिए दिए थे वह सम्बन्धित शहरी निकायों द्वारा अन्तिम व्यय माना गया और उपयोग प्रमाणपत्र निदेशक को भेजे गए थे जबकि अभिलेखों में कुछ नहीं था जिससे प्रकट हो कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा गलियों में रोशनी प्रदान की गई थी।

(iv) इन निधियों से अर्जित किया गया 31.11 लाख ₹ का ब्याज 1995-99 (दिसम्बर 1999 तक) के बीच निदेशक शहरी विकास के बचत बैंक लेखों में जमा करवाया गया जो न ही स्कीमों पर उपयोग किया गया और न ही इसे सरकारी खजाने में जमा करवाया गया। निदेशक ने भी बताया (अप्रैल 2000) कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सम्बन्धित स्कीम के कार्यान्वयन पर उपयोग किया जाना था परन्तु ब्याज को स्कीम के लिए उपयोग न करने तथा सरकारी लेखे में जमा न करने बारे कोई उत्तर नहीं दिया।

3.18.4 रोजगार का उत्पादन

क-मजदूरी रोजगार

दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में गरीबी रेखा से नीचे रहे लाभार्थियों को सामाजिक और आर्थिक लाभकारी पब्लिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का प्रयोग करते हुए उन्हें इस कार्यक्रम में मजदूरी पर रोजगार देना था।

अतिरिक्त निधि लेने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार को भेजे गए उपयोग प्रमाणपत्र सही नहीं थे।

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

स्कीम के प्रावधानों के विपरीत शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के बाहर के मजदूरों को रोजगार दिया गया।

शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को मजदूरी पर रोजगार नहीं दिया गया और शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के बाहर रह रहे श्रमिकों से कार्य करवाए गए। 13 शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-जांच में पाया गया कि इन निकायों के बाहर के क्षेत्र श्रमिकों के माध्यम से 1995-2000 के दौरान 1.54 करोड़ ₹ के 3.18 लाख कार्य दिवस उत्पादित किए गए थे।

कमीशनर/कार्यकारी अधिकारी/सचिवों ने बताया (मार्च 2000) कि गरीबी रेखा से नीचे पहचान किए गए लाभार्थी समुदाय कार्यों पर रोजगार के लिए नहीं आए। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लाभार्थियों को ही रोजगार देना था। इस तरह कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

(ii) दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा ही कार्य निष्पादन होना था। 1995-2000 के दौरान आठ शहरी स्थानीय निकायों में 54.20 लाख ₹ के 99 कार्य ठेकेदारों से करवाए गए। निदेशक का यह उत्तर (मार्च 2000) कि कार्य ठेकेदारों के माध्यम से इसलिए निष्पादित करवाए गए क्योंकि कर्मचारियों की कमी, मजदूरों की अनुपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकता थी, मान्य नहीं था क्योंकि बेरोजगारों को मजदूरी देकर यह निधि विभागीय निष्पादित कार्यों पर खर्च होनी थी। इस प्रकार स्कीम का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय को मजदूरी घटक से बांट कर न्यूनतम 40 मजदूरी: 60 सामग्री के अनुपात कार्यदिवस उत्पादन आंकड़े तैयार किए गए थे जबकि मस्टरोल के आधार पर वास्तविक कार्य दिवस सूचित किए जाने चाहिए थे। 13 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कार्यदिवस वास्तविकता के आधार पर उत्पादित तथा सरकार को सूचित जो कि निम्न अनुसार थे, में काफी भिन्नता थी:-

वर्ष	वास्तविक उत्पादित कार्य दिवसों की संख्या	सूचित किए गए कार्यदिवस (लाखों में)	अधिक/कम प्रतिवेदित
1995-96	0.07	0.60	0.53
1996-97	0.13	0.55	0.42
1997-98	0.09	शून्य	(-)0.09
1998-99	0.47	1.38	0.91
1999-2000	0.70	0.65	(-)0.05

प्रतिवेदन इस तरह गलत तथा बढ़ाए हुए थे।

(iv) कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों का सामान और श्रम का अनुपात 60:40 पर अनुरक्षित होना था। 1995-2000 के दौरान निष्पादित किए हुए 21.56 लाख ₹ के 32 कार्यों का अपेक्षित अनुपात अनुरक्षित नहीं किया गया था। अनुपात 63:37 और 100:00 के मध्य था। कमीशनर कार्यकारी अधिकारी/सचिवों ने कहा (दिसम्बर 1999-मार्च 2000) कि कार्य का पक्का स्वरूप और सामान की उच्च दरों से निर्धारित अनुपात को अनुरक्षित करना सम्भव नहीं था। परन्तु वास्तविक स्थिति कि

निर्धारित मापदण्डों का अनुसरण हुआ और कुछ मामलों में मजदूरी रोजगार का उत्पादन नहीं किया गया, वही रही।

(ख) स्वयं रोजगार

(क) नेहरू रोजगार योजना/स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

कार्यक्रम ने कम रोजगार और बेरोजगार शहरी युवकों को मरम्मत से सम्बन्धित छोटे व्यापार एवं मैनुफैक्चरिंग आदि से सम्बन्धित लघु उपक्रमों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना था। उद्देश्य के लिए स्थानीय दक्ष तथा क्राफ्ट को प्रोत्साहित करना था। हरेक शहर ने ऐसे प्रोजेक्टों/कार्यकलापों जिसमें लागत, बाजारी क्षमता और आर्थिक जीव्यता आदि हो, का संक्षेप विकसित करना था।

अभिलेखों की नमूना जांच से निम्न तथ्य प्रकट हुए:-

(i) संचय योजनाओं/प्राप्त हुए आवेदन पत्र, बैंक को सिफारिश और भेजी गई, बैंक द्वारा स्वीकृति और वितरितता का वर्ष वार विवरण, निदेशक के पास उपलब्ध नहीं था। शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच से पता चला कि यूनिटों की जीव्यता और क्या माईक्रों उपक्रमों की स्थापना से लाभार्थियों ने गरीबी रेखा से ऊपर हो गए थे, से सम्बन्धित अभिलेख का अनुसूचन नहीं किया गया। अतः कम बेरोजगार और शहरी युवकों का लघु उपक्रमों की स्थापना करने का उद्देश्य अपर्याप्त रहा।

(ii) दिशानिर्देशों के अनुसार महिला लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति और जन जाति के लाभार्थियों को विशेष ध्यान देना था। माईक्रो उपक्रम स्कीम के अन्तर्गत तीस प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होनी थीं।

स्कीम में सोसाइटी के भेद्य भाग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

नमूना जांच किए शहरी स्थानीय निकायों के लाभार्थियों की स्थिति जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं की स्थिति भी दर्शाई है, निम्नानुसार थी:-

वर्ष	योजना	पहचाने गए परिवारों की संख्या			आवृत्त लाभार्थियों की संख्या		
		कुल	अ0ज0/ अ0ज0जा 0	महिलाएं	कुल	अ0ज0/ अ0ज0जा 0	महिलाएं
(प्रतिशतता कोष्ठक में)							
1995-96	एनआरवाई	उपलब्ध नहीं था क्योंकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था			12	1 (8)	4 (33)
1996-97	एनआरवाई				101	9 (9)	10 (10)
1997-98	एनआरवाई				111	13 (12)	16 (14)
1998-99	एसजेएस आर वाई				1	1 (100)	1 (100)
1999-2000	एसजेएस आर वाई	2226	993 (38)	529 (23)	94	15 (16)	16 (17)

1995-98 और 1999-2000 के दौरान अनुसूचित जाति और जन जाति लाभार्थियों की निर्धारित प्रतिशतता बहुत नीचे थी।

निदेशक ने बताया कि (मार्च 2000) कि भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों जिनकी गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में पहचान की गई थी, भी स्कीम के अधीन आवृत्त किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन श्रेणियों से सम्बन्ध रखने

वाले लाभार्थियों के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया गया था और इस कार्यक्रम के अधीन भेद्य प्रवर्गों को विशेष ध्यान देने का लक्ष्य अपर्याप्त रहा।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना

(i) योजना के आप्रेशनल दिशानिर्देशों में व्यवस्था थी कि भारत सरकार से लक्ष्यों की प्राप्ति के शीघ्र बाद राज्य सरकार हरेक जिले के जिला बार लक्ष्यों को सूचित करेगी। राज्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों तथा उनके प्रति उपलब्धता निम्नानुसार थी:-

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत ऋणों की संख्या	उपलब्धियां वितरित ऋणों की संख्या	कमियां
1995-96	2,100	2,578	2,315	263
1996-97	2,100	2,405	2,201	204
1997-98	2,300	2,315	1,946	369
1998-99	2,400	2,405	1,916	489
1999-2000	2,500	2,472	1,969	502

स्वीकृत ऋण मामलों के प्रति वितरित ऋण मामलों की संख्या में गिरावट की बंदौतरी 1995-96 में 263 के प्रति 1999-2000 में 563 हो गई। उद्योग निदेशक ने बताया (मार्च 2000) कि स्वीकृत ऋण मामलों और वितरण किए गए में भिन्नता इस कारण थी कि कभी-कभी लाभार्थी ऋण सुविधाओं को लेने के इच्छुक नहीं थे और कुछ मामलों में औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवेदन नहीं आते थे। इस विषय में कोई उत्तर नहीं दिया गया कि उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन गठित टॉस्क फोर्स कमेटी ने क्या कदम उठाए।

(ii) दिशानिर्देशों में व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन अनुसूचित जाति और जनजाति को 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण था। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि लाभार्थियों की श्रेणीवार कोई आंकड़े नहीं थे अतः इस की जांच लेखापरीक्षा में नहीं हो सकी।

3.18.5 अनुश्रवण

नेहरू रोजगार योजना के दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए राज्य और क्षेत्र स्तरों पर सही प्रशासनिक प्रबन्धों की व्यवस्था करनी थी। इसी तरह स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के दिशानिर्देशों में शहर स्तर पर शहरी गरीबी उन्मूलन सैल जिला स्तर पर जिला शहरी विकास एजेन्सी और राज्य स्तर राज्य शहरी विकास प्राधिकरण की व्यवस्था कार्यक्रम के शहर, जिला और राज्य स्तर पर समन्वय और अनुश्रवण के लिए करनी थी।

निदेशक शहरी विकास द्वारा योजना का अनुश्रवण नहीं किया गया।

यह पाया गया कि यद्यपि राज्य सरकार ने फरवरी 1998 में सैल/प्राधिकरण शहर स्तर पर/राज्य स्तर पर निर्माण अधिसूचित किया था परन्तु किसी भी नमूना जांच की शहरी स्थानीय निकाय में यह क्रार्थचालित नहीं हुई थी। राज्य स्तर पर प्रत्येक तिमाही मीटिंग होती थी जहां स्कीम की प्रगति की समीक्षा होती थी। यह देखा गया कि कोई भी मीटिंग के मिनट तैयार तथा परिचालन नहीं किए गए थे जिससे ऐसी मीटिंग के विचार विनिमय के प्रभाव और आगामी कार्रवाई का निर्धारण किया जा सके।

निदेशक शहरी विकास ने बताया (मार्च 2000) कि भविष्य में मीटिंग के मिनट तैयार किए जाएंगे। इस प्रकार, निदेशक शहरी विकास विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन और 8 लाभार्थियों का प्रभाव का अनुश्रवण नहीं कर सका।

3.18.6 मूल्यांकन

नेहरू रोजगार योजना और स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सम्बन्ध में उद्योग निदेशक ने बताया (मार्च 2000) कि व्यवहार्य जन शक्ति संस्थान की सिफारिशों पर हिमाचल उत्पादका परिषद द्वारा 1997 में समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से यह सुझाव मिला कि खण्ड स्तर पर बैंकों के शाखा प्रबन्धक विशेष रूप से क्षेत्र अधिकारियों वाली शाखाओं में लक्ष्य के आबंटन के चरण से स्वयं को सम्बद्ध करे तथा वे ऐसी जीव्य परियोजनाओं वाले सम्भावित उद्यमियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों की लब्धि तथा पात्र युवकों को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उसने बताया कि मूल्यांकन टीम द्वारा दिए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए महा प्रबन्धकों, जिला उद्योग इकाइयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी। परन्तु लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए निदेशक द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिए गए।

3.18.7 निष्कर्ष

स्कीम के कार्यान्वयन ने वांछित इच्छा के प्रति बहुत कुछ छोड़ा। कार्यक्रम व्यय में काफी कमियां थीं और वर्ष प्रति वर्ष काफी बचतें रही। तब भी निदेशक शहरी विकास ने निधियों की शतप्रतिशत उपयोगिता दर्शाई जबकि व्यय न किए हुए बहुत बकाया थे। भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए व्यय आंकड़ों की गलत सूचना की प्रथा थी। कार्यक्रम के वास्तविक लाभार्थी छोड़े गए थे जबकि शहरी स्थानीय निकायों के बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया था। स्वयं रोजगार का लक्ष्य कार्यक्रम बुरी तरह छोड़ा गया था और सोसाईटी के भेद्य प्रभाग को विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया। लाभार्थियों का प्रभाव देखने के लिए अनुश्रवण और मूल्यांकन नहीं किया गया।

मामला सरकार को मई 2000 में भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

विविध विभाग

3.19 दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदानों की प्रयुक्ति

3.19.1 परिचय

दसवें वित्त आयोग ने 103.24 करोड़ ₹ जिला प्रशासन प्राथमिक शिक्षा आदि के उच्चीकरण के लिए और विशेष समस्याओं के प्रक्रिया ढंग समाधान के लिए अनुदान दिया।

कमीशनर एवं सचिव (वित्त कमीशनर) अनुदानों की उपयोगिता की प्रगति और भारत सरकार द्वारा कार्य योजनाओं और निधियां देने के लिए सम्पर्क प्राधिकारी था।

राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त कमेटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निरीक्षण और कार्यक्रम कार्यान्वयन करना था।

1996-2000 अवधि का विभिन्न कार्यान्वयन विभागों और कार्य योजनाओं की स्वीकृति, भारत सरकार से अनुदानों की प्राप्ति और अनुदानों के उपयोग तथा अनुश्रवण के अभिलेखों की नोडल विभाग में नमूना जांच फरवरी-अप्रैल 2000 में की गई। नीचे लिखे अनुच्छेदों में लेखापरीक्षा परिणाम दिए गए हैं-

3.19.2 वित्तीय कार्य

(क) दसवें वित्त आयोग द्वारा दी गई राशियां तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सियों को निस्सारित और 1996-2000 में किया गया व्यय निम्नानुसार था:-

क्र०	विभाग का नाम	दसवें वित्त आयोग द्वारा दिया गया	राशि		व्यय
			भारत सरकार द्वारा दी गई	राज्य सरकार द्वारा दी गई	
(करोड़ रूपए)					
1.	शिक्षा	8.62	7.76	8.52	3.70
2.	पुलिस	15.47	13.88	20.41	16.11
3.	अग्नि सेवाएं	3.00	2.70	3.00	1.98
4.	भू अभिलेख	0.72	0.65	0.72	0.63
5.	खजाने और लेखे	0.20	0.20	0.32	0.32
6.	जेल	0.23	0.20	0.23	0.23
7.	लोकनिर्माण	5.00	5.19	5.00	उ०न०
8.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	40.00	41.50	32.63	उ०न०
9.	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	30.00	15.00	17.40	उ०न०*
जोड़:		103.24	87.08	88.23	62.29

* उपलब्ध नहीं

यह पाया गया कि 16.16 करोड़ ₹ भारत सरकार द्वारा निस्सारित किए जाने बाकि थे। राज्य सरकार द्वारा निस्सारित मेंसे 25.94 करोड़ ₹ मार्च 2000 तक अव्ययित थे। संघटक अनुसार विवरण और लेखापरीक्षा परिणाम नीचे सारणी में दिए गए हैं-

अनुदान का नाम/ स्कीम	भारत सरकार द्वारा निस्सारित राशि	राज्य सरकार द्वारा निस्सारित (करोड़ रूपए)	व्यय	लेखापरीक्षा परिणाम
1	2	3	4	5
क. उच्चीकरण अनुदान				
(i) पुलिस विभाग				
क. भवन निर्माण/आउट पोस्ट	0.23	0.50	0.58	1996-2000 के दौरान निर्माण किए जाने वाले पांच पुलिस स्टेशनों/आउट पोस्ट के लक्ष्य के मुकाबले उस अवधि में 57.55 लाख ₹ व्यय करने के बावजूद मार्च 2000 तक कोई भी पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट पूर्ण नहीं किया गया।
ख. पुलिस स्टाफ के लिए आवास/ सुविधा	13.25	19.47	15.20	906 टाईप-1 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 168 आवास पूर्ण किए गए। मार्च 2000 तक व्यय किए गए 15.20 करोड़ ₹ में से 11.82 करोड़ ₹ शेष अधूरे 738 आवासों को पूरा करने पर व्यय किए गए। दिसम्बर 1999 के प्रतिवेदन में राज्य सरकार ने इन आवासों को पूर्ण कर दिया गया सूचित किया था।
ग. पुलिस स्टाफ प्रशिक्षण	0.40	0.44	0.33	1996-2000 के दौरान लक्षित 3303 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के मुकाबले केवल 2237 कर्मियों को उस अवधि में प्रशिक्षण दिया गया।
(ii) अग्नि सेवाएं				
अग्नि सेवा विकास	2.70	3.00	1.98	1996-97 के दौरान रोहड़ू तथा हमीरपुर में पांच अग्नि हाइड्रैंटों की प्रतिस्थापना के लिए 17.53 लाख ₹ स्वीकृत किए गए थे। इसके लिए सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल रोहड़ू को पांच लाख ₹ दिए गए थे जिसने इन्हें सामन की उपलब्धतापर व्यय किया। पांच अग्नि हाइड्रैंटों के पाइप विछाने तथा प्रतिस्थापना का कार्य अप्रैल 2000 तक शुरू नहीं किया गया था।
(iii) राजस्व				
अभिलेख कमरों का निर्माण	0.65	0.72	0.63	कुल्लू में अभिलेख कमरे के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए गए 3.25 लाख* ₹ को प्रस्तावित कमरे एवं तहसील भवन के स्लैब डालने पर व्यय किए गए जिसे 10 लाख ₹ की आकलित लागत पर पूरा किया जाना था। तथापि आगे निधियों का प्रावधान न होने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया (सितम्बर 1999)। इसी प्रकार, ज्वाली में अभिलेख कमरे के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए गए 3.25 लाख ₹ को उपायुक्त कांगड़ा द्वारा कांगड़ा में अभिलेख कमरे के निर्माण के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के बिना अपवर्तित कर दिया गया।

* अभिलेख कमरे के निर्माण के लिए 2.42 लाख ₹ विद्युतीकरण, 0.75 लाख ₹ रेकों की खरीद के लिए तथा विनायल फर्श के लिए 0.08 लाख ₹ सहित।

1	2	3	4	5
(iv) जेल				
जेलों में सुधार	0.20	0.23	0.23	<p>(i) कैथू उपजेल की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए दिए गए 11.20 लाख ₹0 कैथू में नये जेल भवन निर्माण के लिए परिवर्तित किए गए जो स्कीम में प्रदत्त नहीं थे।</p> <p>(ii) कुल्लू जेल के लिए गेट प्रदान करने तथा सीमा दीवार के निर्माण के लिए अधिशासी अभियन्ता (भवन एवं सड़कें) मण्डल नं० 1 को 1.20 लाख ₹0 प्रदान किए गए। यद्यपि अधिशासी अभियन्ता ने इस राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अधीक्षक उपजेल, कुल्लू को भेज दिया था तथापि व्यय के पक्ष में कोई भी अभिलेख सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 2000) कि मामला जांच के अधीन था।</p> <p>(iii) 1998-2000 के दौरान चार जेलों के लिए खरीदे गए 5.62 लाख ₹0 की कीमत के उपकरण कण्डा के केन्द्रीय भण्डार में अप्रयुक्त पड़े थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया (मई 2000) कि उपकरण जगह की कमी निर्माणधीन लघु ओटी तथा जेलों में अधिक भीड़ के कारण स्थानान्तरित नहीं किए जा सके। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों के प्रेतभूत लाभों से वंचित रहने के अलावा 5.62 लाख ₹0 की निधियों का अवरोधन हुआ।</p>
(v) कोष एवं लेखे				
कोषों का कम्प्यूटरीकरण	0.20	0.32	0.32	
(vi) शिक्षा				
लड़कियों की शिक्षा का प्रोत्साहन तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पीने के पानी एवं शौचालय सुविधाओं को प्रदान करना	7.76	8.52	3.70	<p>(i) स्कूल के अच्चों को प्रेतभूत लाभों से वंचित रखते हुए भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी क्रमशः 35 एवं 100 तथा 32 एवं 100 प्रतिशत के मध्य थी।</p> <p>(ii) दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित 80 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2000 तक पानी सुविधा प्रदान करने की प्रतिशतता वर्तमान स्कूलों के विषय में 41 थी। यह पाया गया कि एक अप्रैल 1999 तक 1469 स्कूलों में से 861 स्कूल पानी सुविधा के बिना थे।</p> <p>(iii) 1996-2000 के दौरान पात्र लड़कियों की वार्षिक सूचीबद्धता 1,12,470 पात्र लड़कियों के मुकाबले 1,02,214 थी परिणामतः 10,256 लड़कियां कम सूचीबद्ध हुईं। इस प्रकार बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या के समाधान तथा उनके स्कूल में जारी रखने को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूर्णतया उपलब्ध नहीं किया गया जैसा कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में निहित है।</p> <p>(iv) जुलाई 1998 तथा फरवरी 2000 के मध्य पांच सरकारी तकनीकी कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा लड़कियों के लिए पेय जल टैंकों/शौचालयों की संविरचना के लिए 68.32 लाख ₹0 मूल्य (56.97 लाख प्राथमिक स्कूलों के लिए तथा 11.35 लाख ₹0 उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए) की जीआई शीटें खरीदी गईं। तथापि खरीदा गया सामान मार्च 2000 तक भण्डार में अप्रयुक्त पड़ा था। विद्यार्थियों के लिए पेय जल/शौचालय की सुविधाएं जिनके लिए ये खरीदा गया उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त न करने के अलावा 68.32 लाख ₹0 का बेकार निवेश अप्रयुक्त के परिणामस्वरूप हुआ।</p> <p>(v) 1997-99 के दौरान वार्षिक वित्तीय उपलब्धियों में बहुत भिन्नताएं राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचित की गईं तथा उपलब्धियां शिक्षा निदेशक (प्राथमिक)/शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं कार्यकारी संस्थाओं के अभिलेखों के अनुसार थीं।</p>

¹ बिलासपुर, धर्मशाला, कण्डा तथा नाहन

² हमीरपुर, कण्डाघाट, कांगड़ा, सुन्दरनगर तथा रोहड़ू।

1	2	3	4	5
ख. विशेष आपदा अनुदान				
(i) लोक निर्माण				
विधायक सदन एवं पुस्तकालय का निर्माण	5.19	5.00	उपलब्ध नहीं	राज्य विधानसभा में पुस्तकालय सुविधाओं के संवर्धन के लिए प्रदत्त एक करोड़ रूपी अनुदान में से 40 लाख रूपी अक्टूबर 1997 और अक्टूबर 1999 के मध्य विधानसभा के मुख्य भवन के लिए सेंट्रल हीटिंग कार्यों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए गए।
(ii) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग				
शिमला शहर में जलापूर्ति एवं मल व्यवस्था	41.50	32.63	उपलब्ध नहीं	<p>(i) शिमला शहर की जलापूर्ति एवं मल-व्यवस्था के छः उप कार्यों 69.16 करोड़ रूपी के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (अक्टूबर 1994 एवं सितम्बर 1999 के मध्य) किए गए। एक वर्ष एवं पांच वर्षों के मध्य की निर्धारित अवधि में पूर्ण किए गए जाने वाले कार्य निष्पादन के लिए मार्च 1997 एवं जनवरी 2000 के मध्य हाथ में लिए गए। यह देखा गया कि उक्त कार्यों के लिए कार्य योजना आईएसईसी द्वारा 34.74 करोड़ रूपी के लिए अनुमोदित की गई तथा जिस पर दिसम्बर 1999 तक दसवें वित्त आयोग अनुदान में से 8.47 करोड़ रूपी व्यय किए जा चुके थे। अभी पूर्ण किए जाने थे।</p> <p>(ii) शिमला शहर की जलापूर्ति स्कीम के छः उपकार्यों के लिए अनुमोदित (दिसम्बर 1994 एवं अगस्त 1997 के मध्य) किए गए 10.43 करोड़ रूपी जनवरी 1996 तथा मार्च 1998 के मध्य विवरणित आकलनों को तैयार तथा अनुमोदन किए बिना निष्पादन के लिए हाथ में लिए गए। दिसम्बर 1999 तक उन पर 8.62 करोड़ रूपी का व्यय किया गया तथा इनमें से चार कार्य 4.22 करोड़ रूपी की लागत के अभी तक अधूरे थे।</p>
(iii) पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन				
वर्तमान तीन हवाई पट्टियों का विस्तार एवं चार हेलीपैडों का निर्माण	15.00	17.40	उपलब्ध नहीं	<p>(i) अक्टूबर 1998 में सरकार द्वारा वर्तमान तीन हवाई अड्डों जुबड़हट्टी (शिमला), गुंतर (कुल्लू) तथा गंगल (कांगड़ा) का विस्तार करने तथा चम्बा जिले में चार हेलीपैडों का निर्माण करने का निर्णय लिया। यह कार्य योजना आईईएमसी द्वारा अप्रैल 1999 में अनुमोदित की गई। तदनुसार, जुबड़हट्टी हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य तथा सम्पर्क के सुधार का कार्य क्रमशः मई 1999 तथा नवम्बर 1999 में निष्पादन के लिए हाथ में लिया गया तथा दिसम्बर 1999 तक नौ करोड़ रूपी की अनुमानित लागत के मुकाबले 80.59 लाख रूपी का व्यय किया जा चुका था। शेष दो हवाई अड्डों तथा चार हेलीपैडों के शेष कार्यों के लिए निष्पादन संस्थाओं को कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी।</p> <p>(ii) मार्च 1998 से मार्च 1999 के दौरान जिलाधीश चम्बा द्वारा बचत खाते में रखे गए 4.50 करोड़ रूपी पर अर्जित ब्याज को सरकारी खातों में जमा नहीं कराया गया था।</p> <p>(iii) इसी प्रकार निदेशक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन द्वारा जुलाई 1999 में आह्वित किए गए 5.40 करोड़ रूपी में समाप्त होने से बचाने के लिए जुलाई 1999 तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखा गया था।</p>
जोड़:	82.70	88.23	62.29	

³ नया मल व्यवस्था तंत्र, क्रेगनेनों तक पुरानी जलारोहण प्रणाली को बदलना, तीन अंचलों की वितरण प्रणाली पुनः बिछाना, दस अंचलों की वितरण प्रणाली को पुनः बिछाना, मल व्यवस्था समुपचार संयंत्र तथा विद्युत आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करना।

⁴ गुम्मा में तीसरे पम्प सैट को बदलना, गुम्मा व द्राबला में चार पम्प सैटों को बदलना, गुम्मा व द्राबला में पम्पों के परिक्रामी पुर्जों को बदलना, जगरोठी में पुराने पम्पों के परिक्रामी पुर्जों को बदलना, पम्पिंग स्टेशनों के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा चेयर में समुपचार संयंत्र का निर्माण।

(ख) 25.37 लाख रू0 का संदिग्ध गबन

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी शिमला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अप्रैल 2000) से निम्न तथ्य प्रकट हुए:-

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी शिमला द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों की अनुपालना न करने के कारण 25.37 लाख रू0 का गबन हुआ।

(i) 31 मार्च को बिल नं0 174 द्वारा 4,98,866 रू0 और बिल नं0 208 द्वारा 13145 रू0 आहरित किए हुए दर्शाए गए उसी दिन कैश बुक में झूठे बैंक ड्राफ्ट नं0 944170 दिन 31 मार्च 2000 चेन्नई आधार फर्म को दिए हुए दर्शाए गए। जबकि बैंक में जांच से पता चला कि 538670 रू0 का बैंक ड्राफ्ट चण्डीगढ़ फर्म के लिए तैयार करवाया गया था। 1998-99 की वास्तविक स्वीकृत को बदल कर 1999-2000 तक वैध करके 5,12,012 रू0 की राशि दोबारा 31 दिसम्बर 1999 को वाऊचर नं0 313 से खजाने से निकाली गई। बिल की अदायगी के लिए पास करते समय खजाना अधिकारी यह जानने में असफल रहा कि बदली गई स्वीकृति की फोटो कापी पर राशि निकाली जा रही थी। 5,12,012 रू0 31 दिसम्बर 1999 को बैंक ड्राफ्ट संख्या 039 द्वारा चेन्नई आधारित फर्म को दिए गए थे। इस प्रकार 5,12,012 रू0 जो मार्च 1999 में निकाले गए थे का संदिग्ध गबन किया गया।

(ii) 249600 रू0 और 580320 रू0 31 मार्च 1999 और 7 जुलाई 1999 को आहरित किए गए और क्रमशः बैंक ड्राफ्ट 658240 दिनांक 31 मार्च 1999 और 487356 दिनांक 7 जुलाई 1999 में बदले गए जो उन्हीं तिथियों को कैशबुक में अम्बाला आधारित फर्म को अदा किए हुए दर्शाए गए परन्तु वास्तविक में अदायगी नहीं की गई थी और वही राशियां खजाना वाऊचर 4 दिनांक 5 जनवरी 2000 को दोबारा आहरित की गई। अदायगी फर्म को बैंक ड्राफ्ट 039261 और 039262 दिनांक 5.1.2000 को दी गई। मार्च 1999 और जुलाई 1999 को आहरित किए 829920 रू0 के गबन होने की आशंका थी।

(iii) बिल नं0 96 दिनांक 22 अक्टूबर 1999 द्वारा चण्डीगढ़ फर्म को देने के लिए आहरित किए हुए 297764 रू0 कैश बुक में 25 अक्टूबर 1999 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिए हुए दर्शाए गए थे जबकि उस दिन को कोई बैंक ड्राफ्ट वास्तव में तैयार नहीं किया गया। वाऊचर नं0 32 दिनांक 10 जनवरी 2000 को दोबारा 297764 रू0 आहरित करके 10 जनवरी 2000 को बैंक ड्राफ्ट वास्तव में तैयार करवाया गया था परन्तु बैंक ड्राफ्ट की तिथि वास्तविक तिथि को मिटा कर 25 अक्टूबर 1999 कर दी गई। यह बदला हुआ बैंक ड्राफ्ट अप्रैल 2000 को कैश चेस्ट में पड़ा हुआ था क्योंकि फर्म ने अभी सामान भेजना था। इस प्रकार 25 जनवरी 1999 को आहरित किए हुए 297764 रू0 के गबन की आशंका है। उसी फर्म की अदायगी के लिए फिर वाऊचर नं0 174 दिनांक 16 फरवरी 2000 को 151387 रू0 आहरित किए। राशि कैश बुक में नहीं ली गई इस प्रकार गबन की आशंका थी।

(iv) खजाने से बिल नं0 95 दिनांक 12 नवम्बर 1999 को 548289 रू0 निकाले गए जो कैश बुक में फर्म टी को बैंक ड्राफ्ट नं0 039345 दिनांक 10.1.2000 को दिए हुए दर्शाए गए। यह बैंक ड्राफ्ट धोखाधड़ी से इतनी ही राशि का दूसरा बिल खजाने से वाऊचर नं0 31 दिनांक 10 जनवरी 2000 को आहरित करके तैयार करवाया गया जो कैशबुक में लेखाबद्ध नहीं किया गया। 12 नवम्बर 1999 को पहले की आहरित की हुई राशि के गबन की आशंका थी।

(v) 138524 रू0 चैनई आधारित फर्म को अदायगी के लिए बिल नं0 97 दिनांक 12 नवम्बर 1999 द्वारा आहरित किए गए। यह राशि अस्थायी रूप से 12 जनवरी 2000 तक दुरुपयोग की गई क्योंकि फर्म को अदायगी 13 जनवरी 2000 को की गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया कि 138524 रू0 फिर वाऊचर नं0 191 दिनांक 24 जनवरी 2000 द्वारा एक और बिल तैयार करके वाऊचर नं0 191 दिनांक 24 जनवरी 2000 द्वारा आहरित किए गए जो कि कैश बुक में लेखाबद्ध नहीं किए गए और इनके गबन की आशंका थी।

(vi) 59580 ₹ आयोजनेतर बिल नं० 103 नवम्बर 1999 द्वारा आहरित किए गए और अदायगी फर्म को दी गई। उतनी राशि दूसरा बिल 130 को तैयार करके फरवरी 2000 में आहरित की गई। यह रोकड़ वही में नहीं चढ़ाई गई और इस प्रकार गबन की आशंका थी।

नकदी के दुरुपयोग और अभिलेखों के फेरबदल से निम्नलिखित अनियमितताएं ध्यान में आईं:-

(i) 31 मार्च 1999 को आहरित किए गए 584480 ₹ फर्म को बैंक ड्राफ्ट नं० 087356 दिनांक 31 मार्च 1999 द्वारा अदा किए हुए दर्शाए गए जबकि वास्तव में फर्म को अदायगी बैंक ड्राफ्ट नं० 037511 और 037513 दिनांक 22.11.99 द्वारा की गई थी। वास्तविक बैंक ड्राफ्ट दोबारा मान्य नहीं करवाया गया और इस अवधि में कैशियर द्वारा आहरित करने की आशंका थी राशि का लगभग सात महीने दुरुपयोग किया गया।

(ii) 45760 ₹ 31 मार्च 1998 को आहरित फेर बदल किए हुए दो बैंक ड्राफ्ट नं० 339362 और 339363 नकद पेटी में पड़े थे क्योंकि फर्म सामान देने में असमर्थ थी। तथापि जिस राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाए गए थे स्पष्ट नहीं थे क्योंकि फर्म का नाम, बैंक ड्राफ्ट की वास्तविक राशियां, बैंक का नाम आदि वास्तविक विवरण मिटा कर बदले गए थे। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी स्थिति जानने के लिए कहा (अप्रैल 2000) गया था उसने मई 2000 तक सूचना नहीं दी थी।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी ने तथ्यों के मानते हुए कहा (अप्रैल 2000) कि 5 अप्रैल 2000 को कैशियर के विरुद्ध 8.61 लाख ₹ के गबन की एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई थी और न्यायालय के निर्णय के अनुसार गबन की हुई राशि दोषी से वसूल की जाएगी। 16 अप्रैल 2000 को लेखापरीक्षा छानबीन से 25.37 लाख ₹ का गबन विभाग को सूचित किया गया था और मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा 5 मई 2000 को 16,75,973 की पूरक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी। प्रमुख अग्नि शमन अधिकारी ने बताया कि खजाना शैड्यूल लगातार प्राप्त किए गए थे लेकिन कैशियर द्वारा सौंपे नहीं गए और रोकड़ वही में सत्यापन वास्तविक अभिलेखों से किया गया था लेकिन बाद में अभिलेख कैशियर द्वारा फेर बदल किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा कैश बुक में सत्यापन करते समय चैन्सई फर्म को 512011 ₹ का झूठा इन्दराज पकड़ा जा सकता था क्योंकि वही बैंक ड्राफ्ट नं० दो विभिन्न फर्मों को अदायगी समय उसी दिन दर्शाए गए थे। कैशियर द्वारा खजाना शैड्यूल को न देने का मुख्य अग्नि शमन अधिकारी का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि आगामी महीने की 15 तारीख तक पिछले महीने की अदायगियों के सम्बन्ध में शैड्यूल एकत्रित करना आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा अपेक्षित है तथा लेखापरीक्षा में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभिलेखों में यह कहीं भी नहीं था कि कैश बुक में इंदराज खजाना शैड्यूलों के आधार पर की गई थी। कैशियर के प्रति मुख्य अग्निशमन अधिकारी इतने जरूरी अभिलेख को न देने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता था। जिसके परिणाम स्वरूप कैशियर द्वारा की गई धोखाधड़ी प्रथम लेने देन से ही पकड़ी नहीं गई। इस प्रकार मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कोषागार से धन प्रत्याहरण व नकदी के संचालन पर निगाह रखने तथा रोकड़ पुस्तिका के सत्यापन सम्बन्धी वित्तीय नियमों की अनुपालना करने में विफल रहा जिससे ऐसे गबन सुगम हुए।

दसवें वित्त आयोग के अधीन दी गई इन निधियों के गबन के कारण मार्च 2000 के अन्त तक प्रस्तावित सुरक्षा उपकरण खरीदे नहीं जा सके। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी ने कहा (अप्रैल 2000) कि बचे उपकरण की उपलब्धता के लिए दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया जाएगा। महानिदेशक पुलिस, होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा और अग्नि सेवाओं ने

कहा (जून 2000) कि पुलिस द्वारा मामला छानबीन में था और छः* अधिकारी/कर्मचारी न्यायिक हिरासत में थे और चालान अभी न्यायालय को प्रस्तुत करने को थे।

3.19.3 अनुश्रवण और मूल्यांकन

दसवें वित्त आयोग अवार्ड के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों की समीक्षा के लिए 1966 में राज्य सरकार से अधिकार प्राप्त कमेटी बनाई गई थी जिसने प्रत्येक 2 महीने में एक बार सभा करनी थी।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि 24 अपेक्षित सभाओं के प्रति 1996-2000 के दौरान छः सभाएँ की गई थी। सरकार ने कहा (मई 2000) कि राज्य सरकार से अधिकार प्राप्त कमेटी ने छः सभाएँ की जब उनकी जरूरत थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार से अधिकार प्राप्त कमेटी की सभाएं निर्धारित अनुसार होनी चाहिए थीं।

तथ्य सरकार को जून 2000 में संदर्भित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जुलाई 2000)।

3.20 पेंशन लाभों का दोहरा/अधिक भुगतान

1997-2000 के दौरान 12 विभागों के 31 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा 12.97 लाख रु० के पेंशन लाभों की दुगुनी अदायगी की गई।

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि अधिक प्रभार की प्रथमिक जिम्मेवारी बिल आहरणकर्ता की होगी। वेतन भत्ते, आकस्मिक और अन्य व्ययों का बिल आहरणकर्ता अधिक प्रभारों, धोखाधड़ी और दुरुपयोजन के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इसलिए उसको विभिन्न वित्तीय जांच के बारे में पता होना चाहिए जो उससे अपेक्षित है ताकि वह तुरन्त धोखाधड़ी को ढूंढने की स्थिति में हो और उन तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहां धोखाधड़ी की सम्भावना हो। कार्यालयाध्यक्ष को यह जांचने के लिए कि सभी खजाने से आहरित राशियां रोकड़ वही में चढ़ाई गई है, प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक खजाना अधिकारी से पिछले महीने में आहरित बिलों की सूची लेगा और राशियों की रोकड़ वही से जांच करेगा।

वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान, पेंशन कम्प्यूटेशन और नियमित पेंशन के वाऊचरों का इंदराज करते समय यह पाया गया (दिसम्बर 1997-मार्च 2000) कि 12 विभागों के 31 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा अधिकृत पेंशन अदायगी आदेशों से अधिक पेंशन लाभों के 12.97 लाख रु० अधिक आहरित किए थे जैसा कि परिशिष्ट-XV में विवरणित है। उसी राशि के लिए डुप्लीकेट बिल तैयार करके या अधिकृत राशि से अधिक बिल तैयार करके यह राशि आहरित की गई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर विभागों ने 4.58 लाख रु० वसूल कर लिए थे।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित वितरण प्रणाली का अनुपालन न करने के कारण सेवा निवृत्त/परिवार पेंशनरों को 12.97 लाख रु० की दुगुनी/अधिक अदायगी हुई।

मामला सरकार को जुलाई 2000 में भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जुलाई 2000)।

* दो मुख्य अग्नि शमन अधिकारी; एक कार्यालय अधीक्षक, एक कैशियर; एक स्टोरकीपर तथा एक लीडिंग फॉयरमैन

3.21 उत्तरदायित्व व सरकार के हित साधन को लागू करवाने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

लेखापरीक्षा निष्कर्षों और टिप्पणियों के प्रति गैर-जिम्मेवारी के कारण जवाबदेही की कमी

महालेखाकार लेखापरीक्षा विभागों की आवधिक निरीक्षणों द्वारा लेन देनों की नमूना जांच और नियमों व प्रक्रिया द्वारा निर्धारित जरूरी लेखा व अन्य अभिलेखों के अनुसंधान की जांच करता है। इन निरीक्षणों का अनुकरण निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा करते हैं। निरीक्षण में खास अनियमितताएं आदि जिनका समाधान उसी समय नहीं होता वह निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा कार्यालय अध्यक्षों को भेजी जाती है और इसकी एक प्रति उच्च प्राधिकारी को भेजी जाती है। सरकार के वित्तीय नियम/आदेशों के अनुसार महालेखाकार द्वारा भेजे गए निरीक्षण प्रतिवेदनों का कार्यकारी द्वारा शीघ्र उत्तर देना होता है ताकि निर्धारित नियमों के अनुसार सकारात्मक अनुपालना की जाए तथा निरीक्षण में आई कमियों, चूक आदि की उत्तरदायित्व निर्धारित की जा सके। कार्यालयाध्यक्ष और उससे उच्च प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना अपेक्षित है जो त्रुटियों और चूकों को ठीक करेंगे और उनकी अनुपालना महालेखाकार को भेजेंगे। महालेखाकार द्वारा गंभीर अनियमितताएं विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती हैं। प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वित्तीय कमीशनर एवं सचिव (वित्त) को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुश्रवण के लिए भेजी जाती है।

1971-72 से जून 2000 तक 160 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन जो 160 कार्यालयों से सम्बन्धित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (114 डीडीओ) और उद्यान (46 डीडीओ) की समीक्षा से पता चला कि जून 2000 तक 609 निरीक्षण प्रतिवेदन से सम्बन्धित 2461 पैराग्राफ बकाया थे। इनमें से 161 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 519 पैराग्राफ 10 सालों से समाधान नहीं किए गए थे। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट- XVI में दी गई है।

यद्यपि आरम्भिक उत्तर प्रतिवेदन जारी करने से छः सप्ताह के बीच कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षित थे 1993 और 2000 के बीच जारी 52 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 52 कार्यालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 45, उद्यान 7) परिणामस्वरूप इन प्रतिवेदनों में दर्शाई गंभीर अनियमितताओं के ऊपर की गई कार्रवाई के बारे में लेखापरीक्षा विभाग अवगत न था:

अनियमितता की प्रकृति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		बागवानी		सकल योग	
	परिच्छेद	राशि (करोड़ रुपए)	परिच्छेद	राशि (करोड़ रुपए)	परिच्छेद	कुल राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	86	5.75	62	30.93	148	36.68
आकस्मिक अग्रिमों का असमायोजन	70	34.83	12	0.04	82	34.87
संस्वीकृतियों के कारण अधिक/अनियमित व्यय	493	27.75	71	3.12	564	30.87
व्यर्थ/निर्र्थक/निष्फल व्यय	67	11.39	27	2.12	94	13.51
निधियों का विचलन	7	4.86	3	0.01	10	4.87

1	2	3	4	5	6	7
अधिक अदायगी किराये की अवसूली, अग्रिम/विविध वसूलियां	589	3.64	105	0.30	694	3.94
वास्तविक भुगतान प्राप्तियों का प्रस्तुत न करना	61	2.40	13	0.46	74	2.86
बकाया ऋण	1	0.01	16	2.92	17	2.93
बेकार संयंत्र/उपकरण खराब वाहनों सहित	48	1.85	15	0.64	63	2.49
भण्डार/रोकड़ आदि का लेखाकरण न करना/कम लेखाकरण करना	107	1.09	28	0.32	135	1.41
व्यय की आपूर्ति न करना	10	1.73	10	1.73
भण्डारों/रोकड़/निधियों का दुर्विनियोजन	69	1.07	13	0.35	82	1.42
अधूरे/अवरुद्ध कार्य	4	0.36	1	0.06	5	0.42
क्षति/चोरी/गबन/व्यपहरण, आदि	55	0.33	24	0.24	79	0.57
उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत न करना	4	0.50	4	0.50
भण्डार के बेकार सामान का निपटान न करना	93	0.27	22	0.07	115	0.34
कोष/बैंकों के साथ मिलान न करना	20	0.09	4	0.03	24	0.12
अनुदानों की अप्रयुक्ति	1	0.01	3	0.05	4	0.06
ब्याज को कोष में जमा न करना	3	0.02	3	0.02
विविध अनियमितताएं	214	8.14	40	0.50	254	8.64
जोड़	1,992	104.36	469	43.89	2,461	148.25

बकाया पड़े निरीक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और उद्यान विभागों से सम्बन्धित बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि सम्बद्ध कार्यालयध्यक्षों और विभागाध्यक्षों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक और उद्यान निदेशक ने बहुत से निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का उत्तर नहीं दिया जिससे महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित त्रुटियों चूकों और अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन द्वारा कार्रवाई शुरू करने में विफलता प्रदर्शित हुई इस प्रकार वह अपने देय उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहे।

उपरोक्त विफलता से दोषी अधिकारियों के प्रति कार्रवाई की कमी भी प्रदर्शित हुई और इससे गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और सरकार को हानि जारी रखने में सुविधा हुई यद्यपि ये लेखापरीक्षा में इंगित की गई थी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को इस बात की छानबीन करनी चाहिए और सुनिश्चित करे कि इनके लिए प्रक्रिया विद्यमान है (क) निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का उत्तर न भेजने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई (ख) सम्बद्ध ढंग से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक अदायगियों की वसूली की कार्रवाई और विभाग में लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उचित उत्तर सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सुदृढीकरण।

मामला सरकार को मई 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

3.22 दुर्विनियोग, गबन आदि

सरकारी धन के दुर्विनियोग के मामलों की स्थिति 31 मार्च 2000 तक लेखापरीक्षा को रिपोर्ट किए गए जिनके ऊपर जून 2000 तक अन्तिम कार्रवाई बकाया थी निम्न अनुसार थे:-

व्योरे	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)
31 मार्च तक प्रतिवेदित और 30.6.99 तक बकाया मामले	77	58.32
1999-2000 में प्रतिवेदित मामले	05	7.55
जून 2000 तक निपटाए गए मामले	10	3.81
30 जून 2000 तक बकाया मामले	72	62.06

इनमें से 11 मामले (राशि 3.90 लाख ₹) जैसे सामान की कमी, खुदाई के दौरान दुर्घटना, कूहल/पुलो का बह जाना, नकदी, मशीनरी, कोलतार, डेटोनेटरज, एमएसप्लेटें आदि की चोरी से सम्बन्धित 20 वर्षों से ज्यादा समय से बकाया थे। 32 मामलों के 16 लाख ₹ के लोक निर्माण विभाग, 18 मामले 28.78 लाख ₹ के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और पांच मामले 1.35 लाख ₹ के वन खेती और संरक्षण विभाग से सम्बन्धित थे। इन तीन विभागों में 55 बकाया मामलों में से 36 मामलों के 13.70 लाख ₹ विभागीय जांच के अन्तिम रूप के लिए पड़े थे (तीन साल तक; 6 मामले: राशि 0.77 लाख ₹; तीन साल से पांच वर्ष तक; तीन मामले; राशि 0.25 लाख ₹; पांच वर्ष से 10 वर्ष तक, 10 मामले; राशि 7.57 लाख ₹; 10 वर्ष से 15 वर्ष तक 10 मामले; राशि 2.61 लाख ₹; 15 वर्ष से और 20 वर्ष तक, एक मामला; राशि 0.82 लाख ₹ और 20 वर्ष से अधिक छः मामले; राशि 1.68 लाख ₹)।

समयबद्ध रूप से मामलों को अंतिम निपटारे हेतु सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

चौथा अध्याय


प्रवर्ग-क

समीक्षा

पृष्ठ

• लघु सिंचाई स्कीमें

133-145



चौथा अध्याय

निर्माणकार्य व्यय

प्रवर्ग-क-समीक्षाएं

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.1 लघु सिंचाई स्कीमें

मुख्य बातें

प्रोग्राम मास्टर प्लान के बिना चलाया गया था तथा सही तरीके से इसका अनुश्रवण नहीं किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण समय तथा मूल्य वृद्धि थी। स्कीमें आकलनों की स्वीकृति के बिना निष्पादित की गई थी तथा स्कीमों की मुरम्मत एवं रख रखाव पर आकलनों की स्वीकृति के बिना बड़ी राशियां व्यय की गई थी। सृजित सिंचाई क्षमता की उपयोगिता बहुत कम थी तथा कुछ स्कीमों से कोई भी सिंचाई नहीं हुई। आबियाना प्रभारों का एकत्रीकरण इस लक्ष्य के लिए लगाए गए स्टाफ के वेतन पर व्यय की तुलना में नाममात्र था। लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर स्कीमों के प्रभाव के निर्धारण का मूल्यांकन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत थे:-

** छः मण्डलों में 1.08 करोड़ रु० के सामान की फर्जी बुकिंग तथा व्यय पर उपयुक्त किए गए दिखाए गए थे।

(परिच्छेद 4.1.4(क))

** लघु सिंचाई स्कीमों के सम्बन्ध में 5.40 करोड़ रु० के ऊर्जा प्रभारों का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान का स्कीमवार विवरण दिए बिना किया गया था।

(परिच्छेद 4.1.4(ख))

** 17.75 करोड़ रु० स्कीमों के प्रचालन तथा रखरखाव पर या तो आकलनों की स्वीकृति के बिना या स्वीकृत आकलनों से अधिक व्यय किए गए थे।

(परिच्छेद 4.1.4(च))

** छः मण्डलों में 428 हेक्टेयर कल्चरेबल कमाण्ड क्षेत्र नौ स्कीमों के वास्तविक प्रतिस्थापन के पूर्व सूचित किया गया था।

(परिच्छेद 4.1.5)

** 15 पूर्ण/जारी स्कीमों के सम्बन्ध में 3.20 करोड़ रु० की मूल्य वृद्धि थी तथा दो से 18 वर्षों के मध्य समयवृद्धि थी।

(परिच्छेद 4.1.6.1(क))

** 64 स्कीमों के निष्पादन पर नौ मण्डलों द्वारा 18.91 करोड़ ₹ तकनीकी स्वीकृतियों को प्राप्त किए बिना व्यय किए गए।

** नौ मण्डलों में 22 स्कीमों के सम्बन्ध में 2.12 करोड़ ₹ स्वीकृत आकलनों से अधिक व्यय किए गए थे।

(परिच्छेद 4.1.6.2)

** छः स्कीमों के त्रुटिपूर्ण निष्पादन के कारण 4.12 करोड़ ₹ का व्यय अन्ततः निष्फल रहा।

(परिच्छेद 4.1.6.3)

** छः मण्डलों में नौ स्कीमों पर 1.36 करोड़ ₹ का व्यय किया गया जो निष्क्रिय हो चुकी थी अथवा अवरूद्ध थी।

(परिच्छेद 4.1.6.4)

** 11 मण्डलों में 420 स्कीमों की सिंचाई क्षमता के उपयोग में कमी 63 तथा 90 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 1991-98 के दौरान 1.29 करोड़ ₹ की लागत से निर्मित सात स्कीमों द्वारा कोई सिंचाई नहीं की गई।

(परिच्छेद 4.1.7.1)

** 11 मण्डलों में 7.04 लाख ₹ के आबियाना प्रभारों के निर्धारण के लिए 66.21 लाख ₹ व्यय किए गए थे। तथापि 1976 में निर्धारित पानी की दरें संशोधित नहीं की गईं।

(परिच्छेद 4.1.8)

** लघु सिंचाई स्कीमों के कार्यचालन का मूल्यांकन लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर उसके प्रभाव के लिए निर्धारित नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 4.1.10(ग)(ii))

4.1.1 परिचय

राज्य के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 10.14 लाख हैक्टेयर जुताई योग्य था तथा 5.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बीजाई की गई थी। राज्य सरकार ने राज्य की सिंचाई क्षमता 3.35 लाख हैक्टेयर आंकी है जिसमें से 2.85 लाख हैक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों के लिए उपलब्ध है। मार्च 2000 तक लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 1.82 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था जिसमें से 1669 स्कीमों द्वारा 0.89 लाख हैक्टेयर का सृजन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया तथा शेष (0.93 लाख हैक्टेयर) अन्य विभागों द्वारा किया गया।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने राज्य की पूर्ण आकलित सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए कोई भी परियोजना प्रतिवेदन अथवा मास्टर प्लान नहीं बनाई थी। फिर भी सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार की जा रही थी।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख अभियन्ता स्कीमों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी था। विभाग के तीन जोन¹ थे, प्रत्येक मुख्य अभियन्ता द्वारा संचालित था। विभाग का समग्र

¹ धर्मशाला स्थित उत्तरी अंचल, मण्डी स्थित केन्द्रीय अंचल तथा शिमला स्थित दक्षिण अंचल

नियंत्रण राज्य सरकार के वित्तायुक्त एवं सचिव के अधीन था। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम लघु सिंचाई सांख्यिकी युक्तिकरण भी 1987-88 से निदेशक भू-अभिलेख के अधीन प्रचलित था। राज्य के कबायली क्षेत्रों में सिंचाई स्कीमों के निष्पादन के लिए निधियां सम्बन्धित जिलाधीशों के माध्यम से दी जा रही थी।

4.1.3 लेखापरीक्षा परिधि

1995-2000 अवधि के लिए प्रमुख अभियन्ता 11 मण्डलों² तीन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत्तों³, तीन उपायुक्त कार्यालयों⁴ तथा निदेशक भू-अभिलेख के अभिलेखों की लघु सिंचाई स्कीमों के निर्माण एवं रख रखाव की समीक्षा नमूना-जांच (अक्टूबर 1999-मार्च 2000) द्वारा की गई। इसकी अनुपूर्ति विभिन्न अन्य मण्डलों की सावधि निरीक्षण के दौरान पाए गए तथ्यों द्वारा की गई। पाए गए महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

4.1.4 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

1.08 करोड़
रु० जाली तौर
पर लघु सिंचाई
स्कीमों पर
प्रयुक्त किए
गए दिखाए गए
थे।

(क) वर्ष 1995-2000 के दौरान बजट आबंटित 245.21 करोड़ रु० (पूँजीगत:103.84 करोड़ रु० तथा राजस्व: 141.37 करोड़ रु०) की तुलना में, 290.78 करोड़ रु० (पूँजीगत:120.53 करोड़ रु० तथा राजस्व: 170.25 करोड़ रु०) लघु सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा रखरखाव पर व्यय किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल अव्ययित राशि को वर्ष के अन्त में सिंचाई कार्यों पर बुकिंग करने में संलिप्त थे तथा अगले वर्ष प्रविष्टि को राशि व्यय करने के लिए बाद में उल्टे रहे थे। इस प्रकार लेखाओं में बुक की गई व्यय की राशियां कार्य की प्रगति को सही प्रतिबिम्बित नहीं करती थी। अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि ऐसी जाली बुकिंग में 1.08 करोड़ रु० की राशि शामिल थी।

उपरोक्त मामलों में सामान की जाली बुकिंग सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने इसकी पुष्टि की थी।

स्कीमवार
विवरण प्रदर्शित
किए बिना
5.40 करोड़
रु० लघु
सिंचाई स्कीमों
को प्रभारित
किए गए थे

(ख) अधिशासी अभियन्ता शिमला मण्डल नं० 1 ने राज्य में विभिन्न स्कीमों की बकाया विद्युत प्रभारों की निकासी के लिए 31 मार्च 1999 को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 20 करोड़ रु० (जल आपूर्ति स्कीम: 17 करोड़ रु०, लघु सिंचाई स्कीम: 3 करोड़ रु०) की अदायगी की। इसी प्रकार, मण्डल द्वारा जनवरी 2000 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 15 करोड़ रु० (जल आपूर्ति स्कीम: 12.60 करोड़ रु०, लघु सिंचाई स्कीम: 2.40 करोड़ रु०) का भुगतान किया गया। दोनों मामलों में अदायगियों को "विविध कार्य अग्रिम" को अदायगियों के समायोजन होने तक प्रभारित करने के बजाय अन्तिम लेखा शीर्ष को प्रभारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्कीमवार परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय को मण्डल द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सका। तथापि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए समायोजनों का स्कीमवार विवरण अपेक्षित था (जुलाई 2000)।

अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2000)।

(ग) इसके अतिरिक्त, नौ मण्डलों⁵ में 3.95 करोड़ रु० 1995-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 96 स्कीमों को विद्युत आपूर्ति के लिए अदा किए गए तथा राशियों को "विविध कार्य अग्रिम" के अधीन रखने के बजाय बोर्ड से लेखों की प्राप्ति पर उनके समायोजन होने तक अन्तिम लेखा शीर्ष को डेबिट कर दिया गया। जबकि मार्च 2000 तक 58 स्कीमों (राशि:2.13 करोड़ रु०)

² अकी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, ज्वाली, नूरपुर, पूह, सरकाघाट, शिमला-1, सुन्दरनगर तथा ऊना-1।

³ हमीरपुर, सुन्दरनगर तथा ऊना

⁴ हमीरपुर, शिमला तथा ऊना

⁵ अकी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, ज्वाली, नूरपुर, सरकाघाट, सुन्दरनगर तथा ऊना-1।

प्रतिस्थापित की गई थी, 38 स्कीमें (राशि:1.82 करोड़ ₹) अभी प्रतिस्थापित की जानी थी। मार्च 2000 तक दिए गए अग्रिमों की उपयोगिता के विवरणित लेखे बोर्ड द्वारा नहीं दिए गए थे।

(घ) तीन मण्डलों⁶ में 1996-99⁷ के दौरान पिछड़ा क्षेत्र सब-प्लान के अधीन प्राप्त हुए 68.38 लाख ₹ में से केवल 27.29 लाख ₹ प्रयुक्त किए गए तथा शेष 41.09 लाख ₹ लोक निर्माण जमा में अप्रयुक्त (फरवरी 2000) पड़े थे। मार्च 1998 तथा मार्च 1999 के अन्त तक क्रमशः 13.35 लाख ₹ तथा 27.74 लाख ₹ का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक अपेक्षित अभ्यर्षण भी नहीं किया गया बल्कि अगले वित्तीय वर्षों की प्रयुक्ति के लिए ले लिया गया जो योजना विभाग के आदेशों के विपरीत था।

(ड.) वर्ष 1996-2000 के दौरान जिलाधीशों ऊना तथा हमीरपुर द्वारा जिला योजना विकास एवं 20 सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति से पुनर्विनियोजन अनुमोदित किए बिना 27.09 लाख ₹ जो पिछड़ा क्षेत्र सब-प्लान के अधीन लघु सिंचाई स्कीमों के निष्पादन के लिए थे को जलापूर्ति स्कीमों, सड़कों तथा पुलों आदि के निष्पादन के लिए परावर्तित कर दिया गया।

जबकि जिलाधीश ऊना ने बताया (मार्च 2000) कि उपरोक्त समिति की मीटिंग वर्ष 1996-97 से नहीं हुई थी तथा वर्ष 1999-2000 के लिए कोई भी समिति नहीं बनाई गई थी, जिलाधीश हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2000) कि 16.97 लाख ₹ की राशि के परावर्तन के पुनर्विनियोजन को नियमित करने का अनुमोदन शीघ्र प्राप्त कर लिया जाएगा।

(च) नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में 17.75 करोड़ ₹ स्कीमों के परिचालन तथा अनुरक्षण पर या तो आकलनों को तैयार किए बिना (10.60 करोड़ ₹) या स्वीकृत आकलनों (7.15 करोड़ ₹) से अधिक अनियमित रूप से व्यय (1995-2000) किए गए थे। स्वीकृतियों के बिना बहुत व्यय किया जाना तथा स्वीकृतियों से अधिक व्यय किया जाना इस प्रकार अनियमित था।

स्कीमों के परिचालन तथा अनुरक्षण पर आकलनों के बिना या आकलनों से अधिक 17.75 करोड़ ₹ व्यय किए गए

4.1.5 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1995-2000 के दौरान 9,120 हैक्टेयर* की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था जिसके मुकाबले मार्च 2000 तक 9,342 हैक्टेयर* क्षमता का सृजन किया गया।

अभिलेखों की जांच पड़ताल से निम्न तथ्य पाए गए:-

मुख्य अभियन्ता (डिजाइन तथा अनुश्रवण) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य के नवम्बर 1995 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार एक सिंचाई स्कीम, लाभार्थियों को सिंचाई प्रारम्भ होने के पश्चात तथा उनके द्वारा सृजित क्षमता को उपयोगिता के पश्चात ही पूर्ण समझी जाएगी। उठाऊ सिंचाई स्कीम, सोलधा (कागड़ा जिला) जो 192 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए अभिकल्पित की गई थी। मण्डलीय अधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को भेजी (जनवरी 1998) गई थी। इसके निर्माण पर 1.16 करोड़ ₹ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1997-98 से नवम्बर 1999 तक 3.69 लाख ₹ मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय किए गए। यह पाया गया कि स्वीकृत कार्य क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए 16,792 मीटर फील्ड चैनलों का जुलाई 2000 तक निर्माण नहीं किया गया था।

⁶ अर्की, सुन्दरनगर तथा नेरवा स्थित चौपाल

⁷ 1996-97: 23.53 लाख ₹; 1997-98: 27.19 लाख ₹ तथा 1998-99: 17.66 लाख ₹

* विभागीय आंकड़े

गलत रिपोर्ट के कारण स्कीम पर 1.20 करोड़ ₹ का अपरिहार्य व्यय हुआ।

अधिकांसी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1999-जुलाई 2000) कि स्कीम समयबद्ध थी तथा इस प्रकार इसकी कार्यपूर्णता पम्पिंग मशीनरी तथा राइजिंग मेन की जांच के पश्चात प्रतिवेदित की गई तथा फील्ड चैनलों की पूर्णता के लिए 18 लाख ₹ की निधियां अपेक्षित थी। रबी 2000 के दौरान लगभग तीन हैक्टेयर क्षेत्र की ही सिंचाई की जा सकती थी। परिणामस्वरूप फील्ड चैनलों की पूर्णता के लिए उपयुक्त निधियां प्राप्त न होने से 1.20 करोड़ ₹ का व्यय अधिकतर निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त 9.85 लाख ₹ ऊर्जा प्रभार का दायित्व स्कीम के विद्युतीकरण इसके पूर्ण होने के बिना करने के कारण परिहार्य था।

इसी प्रकार पांच मण्डलों⁸ में वर्ष 1997-2000 के दौरान सात सिंचाई स्कीमों तथा एक ट्यूबवेल के सम्बन्ध में 236 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र का सृजन प्रतिवेदित किया गया था। तथापि इसमें से चार स्कीमों तथा एक ट्यूबवेल बाद में (सीसीए:159 हैक्टेयर) प्रतिस्थापित किए गए थे। वास्तविक प्रतिस्थापना से पूर्व कृष्य कमाण्ड क्षेत्र के सृजन का प्रतिवेदित किया जाना/स्कीमों का नियमित कार्यचालन मुख्य अभियन्ता के अनुदेशों के विपरीत था।

4.1.6 स्कीमों का निष्पादन

मार्च 2000 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में 1,669 लघु सिंचाई स्कीमों का निर्माण किया था। इनमें से 1440 मार्च 1995 तक तथा शेष 229 स्कीमों के 1995-2000 के दौरान निर्मित की गई थी। नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में 44.17 करोड़ ₹ (84 स्कीमें छोड़कर जिनकी लागत उपलब्ध नहीं थी) की लागत से 539 लघु सिंचाई स्कीमें (सीसीए:25,574 हैक्टेयर) पूरी की जा चुकी थी। इससे आगे 130 स्कीमें (सीसीए:4828 हैक्टेयर) इन मण्डलों में प्रगति में थी तथा उन पर 16.83 करोड़ ₹ का व्यय किया जा चुका था।

4.1.6.1 स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब

(क) 658 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित वर्ष 1980-94 के दौरान स्वीकृत 12 स्कीमें छः मण्डलों⁹ में निष्पादन के लिए 1981-94 के दौरान 1.22 करोड़ ₹ की आकलित लागत पर एक से तीन वर्षों के भीतर पूरा करने के उद्देश्य से उठाई गई। फिर भी ये स्कीमें 1996-99 के दौरान 3 करोड़ ₹ की लागत पर पूर्ण की गई। इन स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब 1.78 करोड़ ₹ की लागत वृद्धि सहित दो से 14 वर्ष के मध्य रहा। इसी प्रकार, 1122 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित 1.25 करोड़ ₹ की आकलित लागत पर तीन स्कीमों का निष्पादन 1978-79 तथा 1994-95 के मध्य किया गया। ये स्कीमें इनके शुरु होने की तिथि से तीन से चार वर्षों के मध्य पूरी की जानी निर्धारित थी जो दो से 18 वर्षों के मध्य विलम्ब सहित मार्च 2000 तक प्रगति में थी तथा 1.42 करोड़ ₹ की लागत वृद्धि थी जो परिहार्य थी। विलम्ब के परिणामस्वरूप ही लाभार्थियों को समय पर सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं हुईं। सम्बन्धित अधिकांसी अभियन्ता ने विलम्ब को मुख्यतः स्कीमों के मार्गदर्शन में पहुंच न होना, अपर्याप्त निधियां तथा सीमित कार्य अवधि बताया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आकलनों में इन स्कीमों के पूर्णता के लिए समय निर्धारण करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखा गया था।

(ख) 254 हैक्टेयर भूमि के सिंचाई प्रदान करने के लिए परिशिष्ट XVII में विवरणित 4 स्कीमें 1.28 करोड़ ₹ की अनुमानित लागत पर अप्रैल 1982 मई 1997 के दौरान चार मण्डलों द्वारा निष्पादन के लिए ली गईं उन पर 66.58 लाख ₹ व्यय करने के पश्चात वे अधूरी पड़ी थी। ये स्कीमें दो से चार वर्षों में पूरी की जानी निर्धारित की गई (एक मामले के अतिरिक्त जिसमें पूर्णता की अवधि

⁸ देहरा, घुमारवीं, नूरपुर, शिमला-। तथा ऊना-।।

⁹ अर्की, देहरा, घुमारवीं, पूह तथा शिमला-।

प्रदर्शित नहीं की गई थी) प्राईवेट भूमि के आ जाने के कारण अवरूद्ध थी (तीन मामले) तथा गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग के लिए भारत सरकार की अनुमति के कारण अवरूद्ध थी (एक मामला)।

कार्य प्रारम्भ पूर्व विभाग की प्राईवेट भूमि को अर्जन करने तथा वन संरक्षण अधिनियम की शर्तों के अनुसार गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के प्रयोग के लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप जनता को अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा तथा 66.58 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

4.1.6.2 कार्यों पर अनियमित व्यय

तकनीकी स्वीकृति लिए बिना 64 स्कीमों के निर्माण पर 18.91 करोड़ ₹ व्यय किए गए।

वित्तीय नियमावली के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य शुरू नहीं किए जा सकते थे।

इन नियमों के विपरीत नौ मण्डलों¹⁰ में 1982-2000 के दौरान 64 स्कीमों (अनुमानित लागत: 36.10 करोड़ ₹) शुरू की गई तथा नवम्बर 1999-मार्च 2000 तक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना 18.91 करोड़ ₹ उनके निष्पादन पर व्यय किए गए।

2.12 करोड़ ₹ 22 स्कीमों पर अनुमोदित आकलनों से अधिक व्यय किए गए।

इसके अतिरिक्त नौ मण्डलों¹¹ में 22 स्कीमों (अनुमानित लागत: 2.03 करोड़ ₹) पर 2.12 करोड़ ₹ अनुमोदित आकलनों से अधिक व्यय किए गए। इन स्कीमों पर अधिक व्यय की प्रतिशतता 17 और 676 के मध्य थी। संशोधित आकलन तैयार नहीं किए गए थे।

4.1.6.3 स्कीमों का त्रुटिपूर्ण निष्पादन

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि छः स्कीमों (सीसीए:720 हैक्टेयर) के निर्माण/अनुसंधान पर व्यय किए गए 4.12 करोड़ ₹ अधिकतर निष्फल रहे जैसा कि नीचे विवेचित है:

प्रतिकूल पाइपों के प्रावधान से 2 स्कीमों पर व्यय किए गए 2.39 करोड़ ₹ उनकी न्यून प्रयुक्तता के कारण अधिकतर निष्फल रहे।

(क) उठाऊ सिंचाई स्कीमों गाहर स्वार पाधियां और धार जरोट प्रतिकूल पाइपों का बिछाया जाना

220 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित उठाऊ सिंचाई स्कीम, गाहर स्वार पाधियां (बिलासपुर जिला) 76.76 लाख ₹ की लागत से प्रतिस्थापित (मार्च 1992) की गई तथा 1992-99 के दौरान इसके अनुसंधान पर 22.49 लाख ₹ व्यय किए गए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 147 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र में जहां आरसीसी पाइप प्रदान किए गए थे स्कीम अकार्यशील रही क्योंकि पाइप के साइफन वाला हिस्सा पानी का दबाव सहन करने में विफल रहा। 15 हैक्टेयर भूमि में स्कीम को कार्यशील करने के लिए 0.92 लाख ₹ की लागत से बिछाए गए 350 मीटर आरसीसी पाइपों के स्थान पर (1995-98) 10.33 लाख ₹ की लागत पर एसी पाइप बिछाए गए। 125 हैक्टेयर भूमि में 435 मीटर आरसीसी पाइपों को बदलने के लिए 5.35 लाख ₹ का अन्य आकलन जनवरी 2000 में जिलाधीश बिलासपुर को भेजा गया जो फरवरी 2000 तक अनुमोदित नहीं हुआ था।

अधिकांसी अभियन्ता ने बताया (फरवरी-जुलाई 2000) कि आरसीसी पाइपें आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध कराई गई थी। उसने यह भी कहा कि इन पाइपों की विनिर्माता परिसर में जांच हुई थी तथा क्योंकि यह कार्यशील दबाव को सहन करने में सक्षम थी इसलिए लगाई गई थी। तथापि क्षेत्र में पाइपें अनुकूल

¹⁰ अकी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, ज्वाली, नूरपुर, पूह, सरकाघाट, शिमला-1, सुन्दरनगर तथा ऊना-1।

¹¹ अकी, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, ज्वाली, नूरपुर, पूह, सरकाघाट, शिमला-1, सुन्दरनगर तथा ऊना-1।

नहीं पाई गई तथा साइफन वाले हिस्से में विफल रही। इसके अतिरिक्त पाइपें क्षेत्र में नहीं जांची गई क्योंकि इसे लम्बी विधि कहा गया। स्पष्टतया साइफन वाले हिस्से में फील्ड जांच के बिना इन पाइपों का प्रावधान तथा उनके दबाव सहन करने की अनुकूलता को स्थापित किया जाना इस तथ्य का द्योतक था कि पाइपें घटिया किस्म की थी। इसके परिणामस्वरूप स्कीम अकार्यशील हुई तथा 1.10 करोड़ ₹ का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

इसी प्रकार प्रस्तावित 173 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र के लिए 72.66 लाख ₹ की लागत से उठाऊ सिंचाई स्कीम धार जरोट (कांगड़ा जिला) नवम्बर 1991 में प्रतिस्थापित की गई थी। इसके अनुक्षण पर 1991-नवम्बर 1999 के दौरान 24.81 लाख ₹ भी व्यय किए गए। नवम्बर 1995 में इस स्कीम के सुधार के लिए 23.52 लाख ₹ का आकलन स्वीकृत किया गया था। 59 हैक्टेयर भूमि में जहां स्कीम इसके प्रतिस्थापना से ही अकार्यशील रही। वितरण प्रणाली के साइफन वाले हिस्से में उपलब्ध कराए गए आरसीसी पाइपों के स्थान पर 1970 मीटर एमएसईआरडब्ल्यू/एसी प्रैसर पाइपों के बदलने के लिए 19.30 लाख ₹ आकलन में सम्मिलित थे। 3.22 लाख ₹ की लागत पर बिछाए गए आरसीसी पाइपों को 0.61 लाख ₹ की लागत पर उखाड़ा जाना था। 1125 मीटर आरसीसी पाइपों को उखाड़ने तथा 20 मीटर पाइपों को बदलने के अतिरिक्त सुधार कार्य 31.98 लाख ₹ की लागत पर पूर्ण (अगस्त 1999) हुआ क्योंकि रेलवे प्राधिकारियों ने पुल के नीचे से उनको बदलने की अनुमति नहीं दी जिसके लिए 0.58 लाख ₹ जमा कराए जाने अपेक्षित थे।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2000) कि जांच किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पाइपें आईएसआई स्तर की थी तथा फैक्टरी में पहले जांची जा चुकी थी। इस प्रकार पाइपों के घटिया स्तर से उनके आईएसआई मार्किंग के बावजूद इन्कार नहीं किया जा सकता था।

इस प्रकार स्कीम पर किया गया 1.29 करोड़ ₹ का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

(ख) उठाऊ सिंचाई स्कीम नागान भागान

100 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई के लिए 42.19 लाख ₹ की लागत पर उठाऊ सिंचाई स्कीम, नागान भागान (मण्डी जिला) पूर्ण (1991-92) की गई थी। स्कीम की जल स्रोत सुकेती खड्ड था। 1991-92 के दौरान स्कीम के फील्ड चैनलों के निर्माण तथा अनुक्षण पर 11.54 लाख ₹ का व्यय भी किया गया था। स्कीम के स्वीकृत आकलन में सिल्ट निकालने के टैंक के निर्माणार्थ भी प्रावधान सम्मिलित था फिर भी जिसका निर्माण नहीं किया गया।

यह देखने में आया (सितम्बर 1999) कि 1991-96 के दौरान 2 से 9 प्रतिशत कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई उपलब्ध कराई गई तथा उसके बाद सुकेती खड्ड के पानी में अधिक मात्रा में गाद (सिल्ट) के कारण कुछ भी क्षेत्र की सिंचाई नहीं हुई।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 1999-मई 2000) कि भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड द्वारा खड्ड में गाद फेंकने के कारण सुकेती खड्ड के पानी की गुणवत्ता धीरे-धीरे बदल गई तथा आकलन में प्रस्तावित गाद निकालने के टैंक के निर्माण को तकनीकी समाधान नहीं समझा गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गाद का पहलू पहले ही विभाग के नोटिस में था तथा गाद निकालने के टैंक के निर्माण के लिए कोई कार्यवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा समस्या के समाधान के लिए कोई विकल्प नहीं ढूँढा गया।

इस प्रकार स्कीम के निर्माण तथा अनुक्षण पर किया गया 53.73 लाख ₹ का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

चार स्कीमों के निर्माण, अनुक्षण आदि पर व्यय किए गए 1.73 करोड़ ₹ विभिन्न कारणों जिनसे नाममात्र कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई हुई की बजह से अधिकतर निष्फल हुए।

(ग) प्रवाह सिंचाई स्कीम लीओ

41 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 12.14 लाख ₹ की लागत पर प्रवाह सिंचाई स्कीम लीओ (किन्नौर जिला) प्रतिस्थापित (मार्च 1984) की गई थी। 42 हैक्टेयर अतिरिक्त कृष्य कमाण्ड क्षेत्र को प्रावरणित करने के लिए इसके संवर्धन का कार्य (सितम्बर 1995) किया गया तथा 44.94 लाख ₹ की लागत पर पूरा किया (अगस्त 1997) गया।

पूह मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया (नवम्बर 1999) कि अनुमोदित आकलन के अनुसार 0.90 मीटर की गहराई में 2,937 उच्च घनत्व पोलीथीन पाइपें बिछाई जानी चाहिए थी। ठेकेदार द्वारा वास्तव में पाइपें खुली (310 मीटर) तथा 0.30 मीटर तथा 0.90 मीटर के मध्य गहरी खाइयों में बिछाई (2627 मीटर) गई (अगस्त 1996)। आकलन के प्रावधानों के अनुसार 36.80 लाख ₹ मूल्य के कार्य निष्पादन की विफलता इस प्रकार निम्न स्तर तथा क्षति प्रवृत्त थी। यह भी देखा गया कि स्कीम के संवर्धन के पश्चात भी किसी अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई नहीं की जा सकी। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (नवम्बर 1999) कि लाभार्थियों द्वारा भूमि का विकास न करने के कारण सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम के संवर्धन का कार्य करने से पूर्व लाभार्थियों द्वारा भूमि के विकास के पहलू का पूर्वावलोकन किया जाना चाहिए था। इस प्रकार स्कीम के संवर्धन पर किया गया 44.94 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा।

(घ) ऊठाऊ सिंचाई स्कीम, शकरा

71 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की स्कीम 6.42 लाख ₹ की लागत पर 1981 में पूर्ण की गई थी। लेखापरीक्षा ने इसकी कम उपयोगिता को पहले 1986¹² में सूचित किया था जब लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा हुई थी विभाग ने लोक लेखा समिति को अवगत कराया था कि कम उपयोगिता किसानों द्वारा कम मांग तथा फील्ड चैनलों के निर्माण न करने के कारण थी।

बाद में 1155 मीटर लम्बे फील्ड चैनलों का निर्माण भी 2.17 लाख ₹ की लागत से किया गया। 1983-99 के दौरान स्कीम की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर 16.42 लाख ₹ का व्यय भी किया गया। तथापि 1981 तथा 1997 के मध्य नाममात्र क्षेत्र (शून्य से 7 प्रतिशत) की सिंचाई की गई। लेखापरीक्षा द्वारा आगे जांच करने पर अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत कराया कि सतलुज नदी के जल स्तर में उतार-चढ़ाव तथा उच्च गाद तत्व के कारण स्कीम निम्न उपयोग में रही। उसने यह भी कहा कि शुरू में स्कीम का डिजाइन बनाते समय यह तथ्य शायद ध्यान में नहीं रखा गया होगा।

स्कीम का डिजाइन बनाते समय इन विशेष तथ्यों को ध्यान रखने की विभाग की विफलता से 25.01 लाख ₹ का व्यय अधिकतर निष्फल हुआ।

(ड.) ऊठाऊ सिंचाई स्कीम, सरोल

115 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित ऊठाऊ सिंचाई स्कीम सरोल (जिला चम्बा) 1988 के दौरा 41.78 लाख ₹ की लागत से प्रतिस्थापित की गई थी तथा 1988-जुलाई 1999 के दौरान इसकी मरम्मत पर 7.49 लाख ₹ व्यय किए गए थे। स्कीम का स्रोत रावी नदी था।

सलूनी मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1999) कि 21 फसल मौसमों में से रबी: 1989 एवं रबी: 1999 के मध्य कोई भी सिंचाई उपलब्ध (16 मौसम) नहीं कराई

¹² भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-(सिविल)-1985-86-हिमाचल प्रदेश सरकार का पैरा 4.18

गई तथा शेष पांच मौसमों में 0.08 तथा 0.94 हैक्टेयर के मध्य सिंचाई उपलब्ध कराई गई। पम्पिंग मशीनरी का उपयोग सितम्बर 1998 के बाद नहीं किया गया।

अधिशाली अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1999) किसानों ने सिंचाई व्यवस्था को इस डर से प्रयोग नहीं किया गया कि इससे भूमि अनुपजाऊ हो सकती थी क्योंकि कच्चे पानी में गाद तथा रेत था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि गाद को अलग करने के लिए चैम्बर का निर्माण नहीं किया गया था यद्यपि इसके लिए स्वीकृत आकलन में उपबन्ध था तथा गाद से कृषि योग्य क्षेत्र को क्षति भी पहुंची। अधिशाली अभियन्ता ने आगे बताया (जुलाई 2000) कि इसके निर्माण न करने के कारणों को सुनिश्चित किया जा रहा था।

इस प्रकार, स्वीकृत आकलन के अनुसार गाद निरोधक चैम्बर का निर्माण न करने के कारण स्कीम पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाई जा सकी तथा 49.27 लाख ₹ का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

4.1.6.4 निष्क्रिय स्कीमें

नीं स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर व्यय किए गए 1.36 करोड़ ₹ विभिन्न कारणों से निरर्थक हुए।

पांच मण्डलों में 8 सिंचाई स्कीमें जैसे कि परिशिष्ट-XVIII में विवरणित है 400 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित की गई तथा जुलाई 1985 और अप्रैल 1997 के मध्य 1.03 करोड़ ₹ की लागत से पूर्ण/प्रतिस्थापित की गई। उनके अनुरक्षण पर 3.61 लाख ₹ भी व्यय किए गए। यह देखा गया कि ये सभी स्कीमें मुख्यतः दोषपूर्ण निर्माण कार्य स्थान के चयन के बारे में विस्तृत अन्वेषण न करने, क्षतियों के होने तथा चमेरा परियोजना की कृत्रिम झील में जलमग्न होने के कारण 1992 एवं अगस्त 1998 के मध्य निष्क्रिय हो गई। इन स्कीमों के पूरा होने/प्रतिस्थापना से लेकर इनसे कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं की गई। ये स्कीमें फिर से चालू भी नहीं की गई।

टाण्डी सुमनाम कूहल (लाहौल एवं स्पिती जिला) की निष्क्रियता के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 सिविल हिमाचल प्रदेश सरकार परिच्छेद 4.20 में भी सूचित किया गया था। उस समय तक स्कीम पर 13.89 लाख ₹ का व्यय किया जा चुका था। यह भी सूचित किया गया कि स्कीम एक गलत प्रोजेक्ट था क्योंकि सर्दी के मौसम में भारी बर्फ गिरने से यह बहुत क्षतियुक्त थी जिससे कूहल को प्रतिवर्ष मई जून में पुनः चालू करने के लिए विशेष मरम्मत की आवश्यकता पड़ती थी। लोक लेखा समिति ने अपने सातवीं विधानसभा के (16 दिसम्बर 1993 को प्रस्तुत) 105वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि स्कीम को पूर्ण करने के लिए विशेष मरम्मत कार्य विभाग के पास उपलब्ध सीमित साधनों से किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच में आगे यह पाया (जुलाई 1999) गया कि स्कीम को कार्यशील करने के लिए 1991-92 तक स्कीम पर 29.21 लाख ₹ का कुल व्यय किया गया लेकिन फिर भी यह निष्कार्य रही। मुख्य अभियन्ता (उत्तर क्षेत्र) ने अगस्त 1990 के दौरान स्कीम का निरीक्षण किया और सुझाव दिया कि कार्यस्थल की स्थिति के कारण कार्य बन्द कर दिया जाए। मुख्य अभियन्ता (केन्द्रीय क्षेत्र) ने आगे कहा कि कार्य को बन्द करने का फैसला कूहल में महसूस की गई समस्याओं के लम्बे अनुभव पर आधारित था।

इस प्रकार स्कीम जो प्रारम्भ से ही गलत धारणायुक्त प्रोजेक्ट थी पर किया गया 15.32 लाख ₹ का व्यय अनुचित था।

4.1.7 सिंचाई क्षमता की उपयोगिता

420 स्कीमों की सिंचाई क्षमता की उपयोगिता में 63 एवं 90 प्रतिशत के मध्य गिरावट रही।

4.1.7.1 विभिन्न सिंचाई स्कीमों की कम उपयोगिता के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन सिविल हिमाचल प्रदेश सरकार (परिच्छेद 4.9.8.1) में

जिक्र किया गया था। लोक लेखा समिति ने नौवीं विधानसभा के 72वें प्रतिवेदन जो विधानसभा में अगस्त 1999 में प्रस्तुत किया गया था में सिफारिश की थी कि स्कीमों की सही कार्यशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त पग उठाए जाएं तथा कम उपयोगिता की समस्या को हल करने के लिए दूरगामी समाधान ढूंढे जाएं। तथापि विभाग द्वारा (मार्च 2000) तक कोई पग नहीं उठाए गए थे। नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों जिनमें अभिलेख रखे गए थे कि 420 लघु सिंचाई स्कीम के सम्बन्ध में सिंचाई क्षमता की उपयोगिता निम्नवत् थी:

वर्ष	सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र		सिंचाई किया गया क्षेत्र		प्रतिशतता में गिरावट	
	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
1995-96	19,732	19,732	7,091	3,338	64	83
1996-97	20,173	20,173	7,558	3,536	63	82
1997-98	20,723	20,723	5,431	2,756	74	87
1998-99	21,545	21,641	4,449	2,125	79	90
1999- 2000	21,708	21,829	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

यह देखा गया कि 1995-99 के दौरान सिंचाई क्षमता की उपयोगिता में कमी की प्रतिशतता 63 तथा 79 (रबी) एवं 82 तथा 90 (खरीफ) के मध्य रही। जबकि कृष्य कमाण्ड क्षेत्र में 9.19 प्रतिशत (रबी:1995-99) तथा 9.67 प्रतिशत (खरीफ: 1995-99) की वृद्धि हुई तो सिंचाई किए गए क्षेत्र की प्रतिशतता में क्रमशः 36 से 21 (रबी) तथा 17 से 10 (खरीफ) की कमी हुई।

पांच मण्डलों¹³ में 296 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 1.29 करोड़ ₹ की लागत पर 1991-98 के दौरान अभिकल्पित सात सिंचाई स्कीमों प्रतिस्थापित की गई। उनके अनुसंधान पर 8.28 लाख ₹ भी व्यय किए गए लेकिन इन स्कीमों के अधीन इनकी प्रतिस्थापना से लेकर कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई के कारण प्रत्येक स्कीम के सामने दिए गए हैं। जैसा कि परिशिष्ट-XIX में विवरणित है।

आठ मण्डलों¹⁴ में 7.59 करोड़ ₹ की लागत पर 76 स्कीमों (कृष्य कमाण्ड क्षेत्र: 2670 हैक्टेयर) का निर्माण किया गया। 1995-2000 के दौरान कोई भी सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी प्रकार तीन मण्डलों¹⁵ में 2.57 करोड़ ₹ की लागत पर 43 स्कीमों (कृष्य कमाण्ड क्षेत्र: 1076 हैक्टेयर) का निर्माण किया गया (पांच स्कीमों की लागत को छोड़कर जो उपलब्ध नहीं थी) कराई गई सिंचाई का विवरण उपलब्ध नहीं था।

सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ताओं ने (अक्टूबर 1999-मार्च 2000) सिंचाई क्षमता की कम उपयोगिता का कारण मुख्यतः सिंचाई के लिए पानी की कम मांग, लाभार्थियों द्वारा वांछित फसल नमूना न अपनाया जाना, वितरण व्यवस्था खेत की नालियां का न होना लाभार्थियों द्वारा भूमि का विकास न किया जाना तथा विस्तार सेवाओं की कमी आदि बताया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि सिंचाई क्षमता की कमी के लिए विभिन्न पैरों में दर्शाए गए कारकों जैसे क्षति/निष्क्रिय स्कीमों का लम्बी अवधि से पुनः चालू न किया जाना (आठ स्कीमों) गाद निकालने की समस्या (तीन स्कीमों) वितरण प्रणाली में प्रतिकूल पाइपों का बिछाया जाना (दो स्कीमों) तथा भूमि का आबंटन न किया जाना (दो स्कीमों) भी उत्तरदायी थे।

¹³ चम्बा, घुमारवीं, हमीरपुर, पद्दर व सरकाघाट

¹⁴ देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, ज्वाली, पूह, सरकाघाट, शिमला-। तथा ऊना-।।

¹⁵ अर्की, हमीरपुर तथा नूरपुर

4.1.7.2 अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाए गए सिंचाई क्षमता की कम उपयोगिता सम्बन्धी कुछ प्रतीकात्मक मामले निम्नवत थे:

(क) प्रवाह सिंचाई स्कीम चाला बंजार रिशलिंग

61 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पूह मण्डल द्वारा 22.41 लाख ₹ की लागत से प्रवाह सिंचाई स्कीम चाला बंजार रिशलिंग (किन्नौर जिला) पूरी की गई थी (दिसम्बर 1997)। स्कीम के अनुसूक्षण पर 2.75 लाख ₹ व्यय किए गए थे।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (नवम्बर 1999) कि 1998 तथा 1999 के दौरान प्रत्येक फसल मौसम में केवल चार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई थी। शेष 57 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं करवाई गई क्योंकि सरकार की यह भूमि निवासियों को राजस्व विभाग द्वारा आबंटित की गई थी।

इसी प्रकार, 119 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई के लिए रिंकागपिओ मण्डल द्वारा 1995-96 के दौरान 11.34 लाख ₹ की लागत से किन्नौर जिले में प्रवाह सिंचाई स्कीम कोटा (कून्नु) प्रतिस्थापित की गई थी। मार्च 1999 तक इसके अनुसूक्षण पर 1.17 लाख ₹ व्यय किए गए थे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून-जुलाई 1999) कि स्कीम की प्रतिस्थापना से ही कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1999) कि 72 हैक्टेयर भूमि लाभार्थियों से सम्बन्धित थी तथा शेष 47 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र जो सरकार से सम्बन्धित था गांव वालों को आबंटित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्राइवेट भूमि सरकारी भूमि के बाद थी तथा उसका सिंचाई सरकारी भूमि के स्थानान्तरण की अनुपस्थिति में नहीं की जा सकती थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सरकारी भूमि से पानी को चेनेलाइज करने में कोई समस्या नहीं थी।

इस प्रकार लाभार्थियों को सरकारी भूमि का आबंटन करने से पूर्व स्कीमों का निर्माण करने के सम्भाव्य सिंचाई क्षमता का कम उपयोग हुआ।

(ख) प्रवाह सिंचाई स्कीम, जौंद भजानू

100 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई के लिए जुब्बल मण्डल द्वारा यूएस सहायता परियोजना के अधीन 31.51 लाख ₹ की लागत से प्रवाह सिंचाई स्कीम, जौंद भजानू (शिमला जिला) का निर्माण पूरा किया (जून 1992)। तथापि, स्कीम से 1992-95 के दौरान 2 हैक्टेयर (2 प्रतिशत) कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई की गई। इसके अनुसूक्षण पर भी 1992-95 के दौरान 3.20 लाख ₹ का व्यय किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि निवासी अधिक लाभकारी सेब फसलों की ओर परिवर्तित हुए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही बागवानी क्षेत्र था तथा विभाग इस तथ्य से अवगत था जब स्कीम कल्पित की गई थी। स्कीम के निर्माण से पहले भूमि की वास्तविकताओं की जानकारी एकत्रित करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप इसकी व्यय उपयोगिता हुई।

4.1.8 पानी दरें

पानी की दरें हिमाचल प्रदेश लघु नहरें अधिनियम, 1976 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार नियमित की जा रही थी। अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि प्रणाली के लिए परिचालन प्रभारों तथा अनुसूक्षण

तथा पानी की दरों को एकत्रित करने की लागत को ध्यान में रखते हुए पानी की दरें निर्धारित की जाएगी।

7.04 लाख ₹0
के आबियाना
प्रभारों को
निर्धारित करने पर
66.21 लाख ₹0
व्यय किए गए।

नमूना जांच किए गए 11 मण्डलों में 30.31 करोड़ ₹0 परिचालन तथा अनुरक्षण पर 1995-2000 के दौरान व्यय किए गए जिनमें आबियाना प्रभारों के निर्धारण के लिए लगाए गए स्टाफ के वेतन के 66.21 लाख ₹0 भी सम्मिलित थे। यह देखा गया कि आबियाना प्रभारों के लिए केवल 7.04 लाख ₹0 निर्धारित किए गए। यह भी देखा गया कि कुल 13.06 लाख ₹0 के आबियाना प्रभारों के मुकाबले जिनमें 31 मार्च 1995 तक बकाया 6.02 लाख ₹0 सम्मिलित थे 1995-2000 के दौरान 3.70 लाख ₹0 की वसूली की गई जिससे मार्च 2000 तक 9.36 लाख ₹0 के बकाया लम्बित रहे जिनको वसूलने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त, आबियाना प्रभारों के निर्धारण तथा एकत्रीकरण इस कार्य के लिए लगाए गए स्टाफ के वेतन पर किए गए के साथ आनुपातिक नहीं था क्योंकि 1976 में तय की गई दरें संशोधित नहीं की गई थी।

4.1.9 अन्य रुचिकर प्रसंग

प्रवाह सिंचाई स्कीम, अन्नू बल्ह भलान (मण्डी जिला) की पतरा कटिंग के लिए सुन्दरनगर मण्डल ने बग्गी मण्डल से एक एयर कम्प्रेसर अगस्त 1997 से जून 1998 तक किराये पर लिया। यह देखा गया कि इस पूरी अवधि के दौरान कम्प्रेसर बेकार रहा तथा 1.74 लाख ₹0 के किराया प्रभार की अदायगी (मार्च 1999) की गई।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1999) कि भू-स्खलन के कारण कम्प्रेसर को कार्य स्थल तक नहीं ले जाया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मशीनरी को केवल उसी अवधि के दौरान किराए पर लिया जाना चाहिए था जब इसे कार्यस्थल तक ले जाया जाना सम्भव था। बिना किसी कार्य के 11 महीनों के लिए मशीनरी के अनावश्यक अवरोधन के फलस्वरूप 1.74 लाख ₹0 के किराया प्रभारों की परिहार्य अदायगी हुई तथा स्कीम पर अनावश्यक व्यय वृद्धि हुई।

4.1.10 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

(क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण' राज्य में 1987-88 से निदेशक, भू-अभिलेख के माध्यम से पंचवर्षीय आधार पर लघु सिंचाई गणना करने के लिए लघु सिंचाई स्कीमों पर त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों को एकत्रित करने, नये सिंचाई प्रोजेक्टों आदि की स्थापना के कारण उत्पादकता में वृद्धि के आकलन के नमूना सर्वेक्षण करने के लिए कार्यान्वित की गई थी।

अभिलेखों की जांच से पाया गया कि लघु सिंचाई स्कीमों की दूसरी गणना का कार्य जून 1995 के दौरान किया गया तथा 1995-98 के दौरान 22.27 लाख ₹0 व्यय किए गए। राज्य सरकार द्वारा जून 1999 में अनुमोदित गणना कार्य मुद्रणाधीन था। निदेशक भू-अभिलेख ने गणना पूर्ण होने में विलम्ब को भारत सरकार से निदेशों/निधियों का विलम्ब से प्राप्त होना, फार्मों आदि का विलम्ब से मुद्रण किया जाना, बताया (नवम्बर 1999) 1993-94 के लिए लगभग पांच वर्ष पहले शुरू की गई गणना अभी तक अधूरी थी।

(ख) विभिन्न परिच्छेदों में दर्शाई गई विभिन्न त्रुटियों से यह स्पष्ट है कि प्रमुख अभियन्ता/निदेशक, भू-अभिलेख के स्तर पर स्कीमों का पूर्ण अनुश्रवण नहीं किया गया।

(ग) राज्य में लघु सिंचाई स्कीमों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न फसलों, कृषि उत्पादन तथा औसत पैदावार बढ़ाना था।

यद्यपि इन स्कीमों के निष्पादन के कारण उत्पादन पर सही प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया निदेशक भू-अभिलेख द्वारा कृषि उत्पादन से सम्बन्धित की गई जांच की सूचना से निम्नलिखित तथ्य पाए गए:-

(i) 1989-92 के दौरान राज्य में पांच मुख्य फसलों (धान, मक्की, गेहूं, आलू तथा जौ) का कुल उत्पादन क्रमशः 1578, 1512 तथा 1472 हजार टन था। तथापि 1992-98 के दौरान इन फसलों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं थी जैसाकि निम्नलिखित विवरण से प्रदर्शित हुआ है:-


वर्ष	मुख्य फसलों का उत्पादन (हजार टनों में)
1992-93	1,432
1993-94	1,369
1994-95	1,492
1995-96	1,458
1996-97	1,442
1997-98	1,548

(ii) राज्य में लघु सिंचाई स्कीमों के कार्यचालन का मूल्यांकन निर्धारण लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा भविष्य के लिए उपचारिक पग उठाने के लिए नहीं किया गया था।

4.1.11 निष्कर्ष

विभाग ने पूरी सम्भाव्य सिंचाई क्षमता को आवृत्त करने के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं की तथा स्कीमों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का अनुश्रवण नहीं किया। विभिन्न स्कीमों का निष्पादन तकनीकी त्रुटियों तथा निष्फल व्यय से बचाव के लिए प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षित नहीं किया गया। सम्भाव्य सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं किया गया। दीर्घ व्यय स्कीमों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर आकलनों की स्वीकृति के बिना अथवा स्वीकृत आकलनों से अधिक किया गया। तकनीकी स्वीकृति लिए बिना स्कीमों का निष्पादन किया गया। राज्य में 1992-98 के दौरान 1988-92 की तुलना में पांच मुख्य फसलों के उत्पादन में प्रसशंनीय वृद्धि नहीं की थी।

ये तथ्य मई 2000 में सरकार को संदर्भित किए गए थे; उत्तर मान्य नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।



चौथा अध्याय

प्रवर्ग-ख

लेखापरीक्षा परिच्छेद

प्रवर्ग-ख लेखापरीक्षा परिच्छेद

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.2 संविदाओं की अविवेक प्रक्रिया के कारण परिहार्य अतिरिक्त दायित्व

विभाग द्वारा दरों के औचित्य का गलत निर्धारण तथा संविदाओं की अविवेक प्रक्रिया के फलस्वरूप 29.07 लाख रुपए का परिहार्य दायित्व हुआ।

उठाऊ सिंचाई स्कीम, हमीरपुर के संवर्धन के लिए कार्यचालन आकलन का मुख्य अभियंता (केन्द्रीय क्षेत्र), मण्डी द्वारा 6.98 करोड़ रुपए के लिए तकनीकी अनुमोदन (मार्च, 1999) किया गया। आकलन में अन्य बातों के साथ 355.6 किलोमीटर बाह्य व्यास के 6.40 तथा 9.50 मिलीमीटर के मध्य मोटी 15,495 मीटर एमएस सीवन रहित पाइपों को बिछाने का प्रावधान था तथा मुख्य जलारोहण का तीन चरणों पर 45 किलोग्राम/सैं.मी. वर्ग से 66 किलोग्राम/सैं.मी. वर्ग जांच दबाव का प्रावधान था।

हमीरपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (जनवरी-फरवरी 2000) कि अधिशाषी अभियंता ने मुख्यतः संहिता प्रावधानों का उल्लंघन करके, मुख्य अभियंता द्वारा आकलन और निविदा आमंत्रित ड्राफ्ट नोटिस के अनुमोदन से पहले ही कार्य के लिये निविदाएं मांगी थी (फरवरी 1999) क्योंकि निविदा आमंत्रित ड्राफ्ट नोटिस का अनुमोदन मार्च, 1999 में किया गया था। निविदाकारों को मात्रा अनुसूची में विनिर्दिष्ट एम.एस.सीवनरहित पाइपों के आकार तथा घनत्व के समकक्ष अधिकतम जांच दबाव को सहन करने के लिए संविशेष पाइपों को दर्शाने का विकल्प दिया गया था। यह देखा गया कि निविदाओं ने अमेरिकन पेट्रोलियम संस्थान पाइपों ए.पी.आई-5 एल 42 ग्रेड जिनकी मोटाई 5.60 मिलीमीटर थी तथा बाह्य व्यास 355.6 मिलीमीटर था जिसमें 77 किलोग्राम/सैंटीमीटर वर्ग जांच दबाव सहन करने की क्षमता थी सिवाये एक मामले में जिसमें 2415 लम्बाई मीटर (आर.डी. 7560 से 9975 तीसरी स्टेज) के जलारोहण विछाने तथा उपलब्ध करवाने के लिए एम.एस.ई. आर.डब्ल्यू पाइपों के लिए दरों का सीवनरहित पाइपों के समकक्ष विनिर्देशन किया गया था। तथापि, निविदा समिति ने कोई कारण दर्ज किये बिना निविदा आमंत्रित ड्राफ्ट नोटिस में अनुमोदित एम.एस.सीवनरहित पाइपों के स्थान पर सब से कम दर की ए.पी.आई. पाइपों के अनुमोदन की सिफारिश की।

तदनुसार, 15,195 मीटर लम्बे दूसरे तथा तीसरे चरण के मुख्य जलोदग्रहण में ए.पी.आई.-5 एल-42 ग्रेड पाइपों जिनका बाह्य व्यास 355.6 मि.मी. था तथा दीवार की एक समान मोटाई 5.6 मि.मी. थी जिसमें 77 किलोग्राम/सैं.मी. वर्ग जांच दबाव सहन करने की क्षमता वाली पाइपें लगाने का कार्य तीन ठेकेदारों को 4.78 करोड़ रुपए में दिया गया (जून-जुलाई, 1999)।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग की हैंड बुक के अनुसार 4.8 मि.मी. मोटाई के 355.6 मि.मी. बाह्य व्यास के ए.पी.आई.-5 एल.-42 ग्रेड के पाइपों में 66 किलोग्राम/सैं.मी.वर्ग जांच दबाव को सहन करने की क्षमता होती है। जबकि उपलब्ध तथा बिछाई जाने वाली पाइपों का अधिकतम अभिकल्पित दबाव 66 कि.ग्रा./सैं.मी. वर्ग था इसलिये कि.ग्रा./सैं.मी.वर्ग का जांच दबाव सहन करने वाली एक समान मोटाई की दीवार वाली पाइपों के लिए कार्य दिये जाने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि इसका पाइपों की कीमत पर सीधा प्रभाव था। अनुमोदित अपेक्षित परिकल्पना से विचलन से इस प्रकार 29.07 लाख रुपए का अतिरिक्त दायित्व हुआ जो परिहार्य था।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि ठेकेदारों द्वारा दी गई दरों के औचित्य को तैयार करते समय 5.6 मिलीमीटर मोटाई के पाइपों की सही दर को सुनिश्चित किये बिना 6.40 मि.मी. से 9.5 मि.मी. मोटाई के पाइपों की औसत कीमत को ध्यान में रखा गया, जिसके लिए कार्य ठेकेदारों को दिया गया। इस प्रकार औचित्य तथ्यों पर आधारित नहीं था तथा इसे बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया था क्योंकि 5.6 मि.मी. मोटाई के पाइपों की दरें 6.4 मि.मी. मोटाई के पाइपों की तुलना में यकीनन कम होनी थी।

मुख्य अभियंता केन्द्रीय क्षेत्र, मण्डी ने बताया (जुलाई, 2000) कि 5.6 मि.मी. एक समान दीवार मोटाई के पाइपों का कार्य ठेकेदारों को उपलब्ध कराया गया क्योंकि एक समान मोटाई के पाइप अपेक्षित पानी दबाव तथा पहाड़ों का मुश्किल स्तह के कारण क्षति अवरोधन दोनों के लिए अनुकूल थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम की परिकल्पना तथा निविदाओं को आमंत्रित करने से पहले तकनीकी कारणों का पूर्ववलोकन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तर अनुमोदित परिकल्पना से विचलन तथा दस्तावेजी प्रमाणिकता के लिए बिना आकलन के औचित्य के लिए बाद की बात थी।

मामला अप्रैल, 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई, 2000)।

4.3 जलापूर्ति पाइप लाइन की समय पूर्व विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय

घटिया पाइपों के प्रयोग के फलस्वरूप 10.98 लाख रूपए के अतिरिक्त व्यय के अलावा जलापूर्ति स्कीम की समयपूर्व विफलता

2332 व्यक्तियों की मूल आबादी को 30 वर्षों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए भूम्याकर्षण जलापूर्ति स्कीम, मूलधार कथांडा (कुल्लू जिला) अभिकल्पित की गई थी तथा 8.62 लाख रूपए की लागत से 1987-88 के दौरान आनी मण्डल द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी। 1987-99 के दौरान स्कीम की वार्षिक मरम्मतों तथा अनुसंधान पर 14.86 लाख रूपए व्यय किये गये।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (सितम्बर 1999) कि स्कीम के कार्यचालन में इसकी प्रतिस्थापना के छः वर्षों के अन्दर दोष पैदा हो गये यानी 32 मि.मी. व्यास का मुख्य भूम्याकर्षण पाइप स्रोत से अपेक्षित जल बहाव भण्डारण तालाब को आयसन आक्साइड आदि की जंगयुक्त स्तह के कारण नहीं दे रहा था तथा पाइप का अन्दर का व्यास 50 से 60 प्रतिशत तक की सीमा तक घट गया था। परिणामस्वरूप 3100 मीटर 32 मि.मी. व्यास की जंगयुक्त मुख्य जी.आई. पाइप को 40 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाइपों से 6.47 लाख रूपए की लागत पर मार्च 1994 में बदला गया। इसी प्रकार वितरण व्यवस्था में खराबी को विशेष मरम्मत के माध्यम से मार्च 1999 में 4.51 लाख रूपए की लागत पर ठीक किया गया।

इसी तरह 30 वर्षों के लिए अभिकल्पित स्कीम केवल लगभग छः वर्षों की अवधि के लिए ही लाभार्थियों को अपेक्षित जल की मात्रा की आपूर्ति कर सकी तथा विशेष मरम्मत के माध्यम से 10.98 लाख रूपए व्यय करने के पश्चात कार्यशील की जा सकी। इससे निर्दिष्ट हुआ कि पहले ही विछाई गई पाइप घटिया थी। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती थी कि स्कीम के स्रोत से लिए गये तथा जून, 1999 में जांचे गये पानी के नमूने दर्शाते थे कि रासायनिक तत्व मान्य सीमा में थे।

जांच की पुष्टि करते समय अधिशाषी अभियंता ने बताया (सितम्बर 1999) कि पाइपों के जंग के लिए विशेष कारणों की समय पर पहचान की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग को पाइपों के जंग के लिए कारणों का निरीक्षण पहले ही 1994 में जब समस्या शुरू में सामने आई थी कर लेना चाहिए था।

मामला फरवरी, 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई, 2000)।

4.4 विभागीय पर्यवेक्षण की कमी के कारण अधूरी उठाऊ जलापूर्ति स्कीम

ठेकेदारी प्रावधानों को लागू करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप निधियों की 23.58 लाख रूपए की राशि के अवरोधन के अलावा उठाऊ जलापूर्ति स्कीम अधूरी रही।

ग्राम पंचायत जनेड़ (मण्डी जिला) में स्थित चार गांव¹ में 1312 व्यक्तियों की मूल जन आबादी तथा स्कूल के 238 विद्यार्थियों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 11.98 लाख रूपए की उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (अक्टूबर 1988) किया गया। चार वर्षों में पूरी करने के लिए निर्धारित स्कीम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना 1988-89 के दौरान निष्पादन के लिए हाथ में ली गई तथा 25.41 लाख रूपए के बजट प्रावधान के मुकाबले 23.58 लाख रूपए इस पर व्यय किये जा चुके थे (जुलाई 1999 तक)।

बागी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (सितम्बर, 1999) कि पम्पिंग मशीनरी को लगाना तथा प्रतिस्थापना, पम्प हाऊस के हिस्से का निर्माण, मुख्य जलोद्ग्रहण का बिछाया जाना तथा विद्युत कनेक्शन के दिये जाने के अलावा स्कीम के सभी अंगों को 1988-96 के दौरान पूरा कर लिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि स्कीम के 1,140 मीटर लम्बे मुख्य जलोद्ग्रहण का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया (मार्च 1994) कार्य परिधिनुसार नहीं था तथा विनिर्देशों से निम्न स्तर पर निष्पादित किया गया था। मामला अगस्त 1994 से सतर्कता विभाग की जांच के अधीन था। इसी बीच मामले की छानबीन के लिए बिटाई गई विभागीय जांच (अक्टूबर 1994) में भी कनिष्ठ अभियंता से अधिशाषी अभियंता स्तर तक पर्यवेक्षण में पूर्ण विफलता पाई गई (सितम्बर, 1998)। इसके अतिरिक्त, अधीक्षण अभियंता ने मुख्य अभियंता को फरवरी, 1999 में जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय घटिया कार्य के निष्पादन की अवस्था में संविदा के प्रावधानों के अंतर्गत ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रभारी अभियंता की विफलता को भी सूचित किया। रिपोर्ट में आगे यह सूचित किया गया कि वर्तमान में उपर्युक्त पड़ी 23.58 लाख रूपए की परिसम्पत्तियां समाप्त होने वाली थी तथा इस कारण सरकार को आगे और नुकसान होगा।

अधिशाषी अभियंता ने तथ्यों की पुष्टि करते समय बताया (सितम्बर, 1999) कि सतर्कता विभाग ने मुख्य जलोद्ग्रहण के कार्य के निष्पादन के लिए मण्डल को इस तर्क पर अनुमति नहीं दी कि प्रमाण नष्ट हो जाएंगे। उसने यह भी बताया कि विवादित मुख्य जलोद्ग्रहण के तुल्य एक अस्थाई मुख्य जलोद्ग्रहण को 2.60 लाख रूपए की लागत पर उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 1998 में प्रस्ताव मुख्य अभियंता को भेजा गया था जिस पर फैसला नहीं हुआ था।

इस प्रकार विभाग द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण की कमी के कारण तथा ठेकेदार तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में विफलता तथा अस्थाई मुख्य जलोद्ग्रहण उपलब्ध कराने में समयोपरि निर्णय में देश के फलस्वरूप लाभार्थियों को अपेक्षित लाभों से वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त, स्कीम पर किया गया 23.58 लाख रूपए का व्यय अभी तक निष्फल रहा।

मामला मार्च 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई, 2000)।

¹ छैड, गनहेर, मजेहर तथा धार

4.5 ठेकेदार को अनुचित सहायता

वृत्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 266 प्रतिशत असाधारण विचलन के फलस्वरूप 16.54 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय तथा ठेकेदार को अनुचित सहायता।

कसुम्पट्टी (जिला शिमला) में वृत्त कार्यालय के भवन निर्माण (कुरसी क्षेत्र: 2417.14 वर्ग मीटर) के लिए 36.97 लाख रुपए का प्रशासनिक अनुमोदन (फरवरी, 1987) किया गया। भवन का निर्माण कार्य (कुरसी क्षेत्र: 390.29 वर्ग मीटर) अप्रैल 1993 में 14.06 लाख रुपए में निर्धारित समय में नवम्बर, 1993 तक पूर्ण करने के लिए एक ठेकेदार को दिया गया। कार्य मई 1993 में शुरू किया गया तथा भवन 1200 वर्गमीटर कुरसी क्षेत्र सहित जून, 1999 में पूरा किया गया। ठेकेदार को 23 वें चालू बिल तक कुल 51.45 लाख रुपए की नवम्बर 1997 में अदायगी की गई थी।

शिमला मण्डल नं० 1 के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च, 2000) तथा जुलाई, 2000 में एकत्रित की गई आगामी सूचना में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

(i) कार्य के लिए निविदायें जुलाई, 1992 में आमंत्रित की गई जबकि अधीक्षण अभियंता द्वारा 16.50 लाख रुपए का कार्य आकलन सितम्बर 1992 में अनुमोदित किया गया। कार्य आकलन के अनुमोदन पूर्व निविदायें आमंत्रित करना संहिता प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था।

(ii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कुरसी कार्य क्षेत्र 390.29 वर्ग मीटर से 1200 वर्गमीटर तक बढ़ा दिया गया। ठेकेदार को 14.06 लाख रुपए प्रदत्त राशि के मुकाबले 51.45 लाख रुपए की राशि की अदायगी की गई। 266 प्रतिशत के असाधारण विचलन तथा अंश बाजारी दरों पर 40.13 लाख रुपए की अदायगी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। इस प्रकार विभाग प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ उठाने में विफल रहा।

(iii) संविदा में सम्मिलित कार्य की 17 मदों के लिए ठेकेदार को बाजार दरों पर अदायगी की गई जिससे 10.85 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि इन मदों की मात्रायें संविदा में दी गई विचलन सीमा से अधिक थी। यदि पूर्ण कार्य के लिए आरम्भिक स्तर पर निविदायें आमंत्रित की जाती तो इससे बचा जा सकता था।

(iv) अक्तूबर 1997 तक निष्पादित कार्य की चार मदों के लिए ठेकेदार को नवम्बर, 1997 तक बाजार दरों पर 3.25 लाख रुपए की अदायगी की गई जो एच.पी.एस.आर. 1999 (मई, 1999 से लागू) में समाविष्ट दरों से अधिक थी। इस प्रकार अदायगी दरों का सही विश्लेषण नहीं किया गया।

अधिशाषी अभियंता ने बताया (जुलाई, 2000) कि बिल को अंतिम रूप देने के पहले दरों को विश्लेषित किया जाएगा। बाजार दरें सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाई जायेगी और तदनुसार अदायगी नियमित करवाई जायेगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दरों के उचित विश्लेषण उपरान्त और अदायगी देने से पहले सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही अदायगी की जानी चाहिये थी।

(v) संविदा के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य की सभी मदें निविदाओं में दी गई दरों पर विचलन की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत तक निष्पादित की जानी अपेक्षित थी तथा कार्य की विभिन्न

मदों की 25 प्रतिशत से अधिकतम विचलित मात्राओं की दरों का निर्धारण संविदा की मानक धारा 12-क में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना था।

कार्य की नौ मदों के लिए बाजार दरों पर 1.82 लाख रुपए का भुगतान विचलन की 25 प्रतिशत सीमा को ध्यान रखे बिना किया गया। इसके अतिरिक्त सात मदों के लिए 0.62 लाख रुपए का भुगतान संविदा में निर्धारित दरों के अलावा किया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 2.44 लाख रुपए की अनुचित सहायता हुई।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2000) कि चालू लेखा बिल की विस्तृत जांच नहीं की गई। इस प्रकार अधिकांश अभियन्ता संविदा के प्रावधानों के अनुसार भुगतानों का नियमन करने तथा सरकार के वित्तीय नियमों में प्रतिष्ठापित वित्तीय नियंत्रण करने में विफल रहा।

इस प्रकार विभाग के प्रारम्भिक स्तर पर पूरा कार्य प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 5.69 लाख रुपए की परिहार्य अदायगी के अलावा 10.85 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला मई, 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई, 2000)।

4.6 पंजेहड़ा उठारु जलापूर्ति स्कीम का आवर्धन

स्कीम के स्रोत पर प्राइवेट भूमि के अर्जन के लिए आरम्भिक समयोपरि कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप 35.16 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

9 गांव के 4,525 व्यक्तियों तथा 425 विद्यार्थियों की आबादी को 15 वर्षों के लिए पेय जल उपलब्ध कराने के लिए उठारु जलापूर्ति स्कीम, पंजेहड़ा (सोलन जिला) अभिकल्पित की गई तथा 9.98 लाख रुपए की लागत पर 1980-81 के दौरान पूरी की गई। तथापि 1989 के दौरान जनसंख्या वृद्धि तथा स्रोत में पानी की कमी के कारण लाभार्थियों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हुआ तथा 5,844 व्यक्तियों और 1033 विद्यार्थियों की मूल आबादी को आवृत करने के लिए 34.84 लाख रुपए का स्कीम के संवर्धन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन किया गया (जनवरी, 1996) चार वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा किए जाने का कार्य मार्च 1996 में निष्पादन के लिए लिया गया।

नालागढ़ मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (नवम्बर, 1999) कि स्कीम के सभी मुख्य घटक, पम्पिंग संयंत्र के प्रतिष्ठापन एवं उत्थापन तथा वितरण व्यवस्था में गेलवानाइजड माइलड स्टील ट्यूबों को बिछाने के अलावा 35.16 लाख रुपए की लागत पर मार्च 1998 तक पूर्ण कर लिया गया था। जांच से पाया गया कि नवम्बर, 1999 तक स्कीम प्रतिस्थापित नहीं की गई थी क्योंकि पानी के स्रोत के स्थान पर प्राइवेट भूमि में आने से विवाद था जिससे पम्पिंग संयंत्र प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। फरवरी 1998 में प्राप्त हुए संयंत्र की आश्वासन अवधि भी समाप्त हो चुकी थी।

अधिकांश अभियन्ता का भू-अर्जन कागजों को सक्षम अधिकारी को अनुमोदन के लिए समय पर भेजने की विफलता ही विलम्ब का मुख्य कारण था। उसने इन कागजों को केवल फरवरी 2000 में भेजा यद्यपि इसके लिए जनवरी 1996 में स्वीकृत आकलन में प्रावधान था। भू-अर्जन प्रक्रिया को पूरा करने

के लिए अधिसूचना के जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि अपेक्षित है तथा स्कीम की प्रतिष्ठापना की कम से कम और दो वर्षों तक सम्भावना नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों का बंचन हुआ यद्यपि स्कीम पर 35.16 लाख रूपए व्यय किये जा चुके थे।

मामला मार्च 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई, 2000)।

4.7 लाभार्थियों को असुरक्षित पेय जल की आपूर्ति

92 हैंड पम्पों द्वारा लाभार्थियों को 43 से 108 महीनों तक असुरक्षित पेय जल की आपूर्ति की गई।

जलापूर्ति एवं उपचार की संहिता के अनुसार विभारा को सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों को आपूर्ति जल रोगोत्पादक जीवाणुओं से मुक्त हो तथा स्वच्छ, स्वादिष्ट, अवांछनीय स्वाद एवं गन्धमुक्त, सही तापमान का हो, न तो संक्षारक हो न ही स्केल फॉर्मिंग हो तथा खनिजों जो अवांछनीय शारीरिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकें, से भी मुक्त हो।

पालमपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (जनवरी, 2000) कि 1991-92 तथा 1996-97 के मध्य 2.38 करोड़ रूपए की लागत से 306 हैंड पम्पों को प्रतिस्थापित किया गया। इनमें से 55.85 लाख रूपए की लागत से प्रतिस्थापित 92 हैंड पम्पों का पानी मानक स्तर का नहीं था। जनवरी, 1992 तथा जुलाई, 1996 के मध्य विभागीय प्रयोगशाला में किये गये पानी की जांच में मानक स्तर सीमा से अधिक गंदलापन तथा लौह तत्वों की मौजूदगी पाई गई। इस प्रकार लाभार्थियों को 43 और 108 महीनों के मध्य की अवधि के लिए असुरक्षित पेय जल की आपूर्ति की गई।

अधिकांश अभियंता ने बताया (जनवरी, 2000) कि 23 पम्पों के पानी में अधिक लोहे की मात्रा भौतिक स्वरूप पर आधारित थी जिसे यह जानने के लिए पक्का यकीन नहीं माना जा सकता कि पानी पीने के लिए असुरक्षित था। 69 हैंड पम्पों के सम्बन्ध में यह बताया गया कि जनता से शिकायत मिलने पर लाभार्थियों को लौह मुक्त पानी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतरालों पर हैंड पम्पों का प्रक्षालन किया जाता था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिक लोहे तथा गंदलेपन की मौजूदगी भौतिक स्वरूप पर आधारित नहीं थी बल्कि प्रयोगशाला द्वारा पानी के नमूनों की जांच द्वारा पुष्टित थी। इसके अतिरिक्त, नियमित अंतरालों पर हैंड पम्पों का प्रक्षालन करना, जैसा कि तर्क दिया गया समस्या के समाधान के लिए केवल अस्थाई समाधान था तथा विभाग द्वारा किसी स्थाई समाधान को नहीं ढूंढा गया था।

मामला अप्रैल, 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई, 2000)।

लोक निर्माण विभाग

4.8 विनिर्देश से निम्न कार्य के प्रतिग्रहण के कारण निष्फल व्यय

विनिर्देशों के अनुसार कार्य को निष्पादित कराने में विभाग की विफलता तथा ठेकेदार को अनुचित सहायता देने के फलस्वरूप 48.01 लाख रूपए का निष्फल व्यय हुआ।

रंगरीक समदू सड़क (लाहौल एवं स्थिति जिला) में ताबो नाला पर 75 मीटर प्रभावी लोहे के ढांचे के पुल के निर्माण के लिए 41.34 लाख रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर 1983) दी गई। पुल से सम्बन्धित उप ढांचे का कार्य काजा मण्डल द्वारा दिसम्बर, 1986 में 13.14 लाख रूपए की लागत में पूरा किया गया। पुल की उपरिसंरचना का कार्य 30 लाख रूपए की एकमुश्त बोली पर जम्मू आधारित फर्म को दो वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए सौंपा (जून, 1984) गया। फर्म ने जुलाई 1984 में कार्य आरम्भ किया तथा अक्टूबर 1988 तक पुल के हिस्से को खड़ा करने के बाद कार्य अधूरा छोड़ दिया। मार्च, 1999 तक पुल के दोनों घटकों पर 48.01 लाख रूपए का कुल व्यय किया गया जिसमें फर्म को किया गया 29.16 लाख रूपए का भुगतान शामिल था।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच पर पाया गया (अक्टूबर, 1999) कि नवम्बर 1989 में आंशिक खड़ी की गई परिसंरचना गिर गई। फर्म ने माना कि पुल ऊपरी तार की कम जकड़ के कारण गिरा तथा क्षतिग्रस्त ढांचे को अक्टूबर, 1990 तक फालतू लागत के बिना ठीक करने की जिम्मेवारी उसने मानी। तथापि फर्म ने अपेक्षित परिशोधन नहीं किया तथा ढांचे को फरवरी, 2000 तक भी पूरा करने में विफल रही। यह भी देखा गया कि मण्डल ने कम जकड़न को प्रतिग्रहण करने के अतिरिक्त फर्म को 3.02 लाख रूपए की अधिक अदायगी अनिष्पादित मदों (1.80 लाख रूपए) के लिए मूल्य वृद्धि प्रभारों (0.33 लाख रूपए) की अदायगी के लिए गलत फार्मूले अपनाने तथा आबकारी कर (0.89 लाख रूपए) के लिए की। तथापि, विभाग ने मई, 1995 तक एकपक्षीय समझ-वृद्धि की मंजूरी दी। संविदा, ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर विभिन्न धाराओं के अधीन समाप्त (मई, 1995) कर दी गई।

विभाग के अभियंताओं की एक टीम ने मई, 1996 तथा नवम्बर, 1996 में संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात् सूचित किया कि वर्तमान स्थिति में ढांचे का परिशोधन मानव जीवन को पूर्ण खतरा था। विभाग द्वारा किसी अन्य विशेषज्ञ संस्था से फर्म के जोखिम तथा लागत पर कार्य पूर्ण करने के लिए कोई ठोस पग नहीं उठाये गये। बल्कि, विभाग नवम्बर 1997 में पंचाट के लिए चला गया। इसी बीच फर्म का छठा एवं अंतिम बिल 32.45 लाख रूपए की नकारात्मक धन राशि के लिए पारित किया गया जिसमें अधूरे (26.96 लाख रूपए) छोड़े गये संरचना कार्य का मूल्य, बकाया प्रतिभूत अग्रिम, (1.00 लाख रूपए) सामान की वसूली (0.74 लाख रूपए) तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति (3.75 लाख रूपए) शामिल थे। विवाचक ने जून, 1999 में की गई पांचवी सुनवाई में फर्म को पंद्रह दिनों के अंदर कार्य दोबारा शुरू करने के निदेश दिये परन्तु फर्म विवाचक के निदेशों की अनुपालना करने में विफल रही। जब कि मार्च, 2000 तक विवाचक का अंतिम निर्णय अपेक्षित था तथा नाले में भारी बाढ़ के कारण पुल जुलाई, 1999 में और गिर पड़ा।

विभाग द्वारा फर्म को विनिर्देशन से निम्न कार्य के प्रतिग्रहण तथा अधिक अदायगी के फलस्वरूप 48.01 लाख रूपए का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा 13 वर्षों से अधिक समय तक अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

मामला अप्रैल 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.9 संपर्क मार्गों का निर्माण न करने के कारण पुलों का प्रयोग नहीं किया गया

संपर्क मार्गों का निर्माण न करने के कारण अप्रैल, 1997 तथा मार्च 1999 में 94.34 लाख रु० की लागत से बनाये गये दो पुलों को वाहन यातायात के लिए नहीं खोला जा सका।

बैजनाथ-लडभडोल-कंडापतन सड़क (मण्डी जिला) और पठानकोट चक्की मण्डी सड़क (राष्ट्रीय उच्चमार्ग 20) के थाना खड्ड और दंग नाला पर दो पुलों का निर्माण उच्चमार्ग मण्डल जोगिन्द्रनगर द्वारा क्रमशः अप्रैल 1997 एवं मार्च, 1999 में 94.34 लाख रूपए की लागत पर निम्न विवरणानुसार पूर्ण किया गया:

क्रम संख्या	सड़क का नाम जिस पर पुल का निर्माण किया गया	पुल की किस तथा खड्ड/नाला जिस पर निर्माण किया गया	प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति का विवरण		पूर्णता का मास एवं वर्ष	किया गया व्यय (लाख रूपए)
			मास एवं वर्ष	राशि (लाख रूपए)		
1.	बैजनाथ-लडभडोल कंडापतन सड़क 25/900 कि.मी.	थाना खड्ड पर आर.सी.सी.टी.टी. पुल	जुलाई 1987	6.13	अप्रैल 1997	14.91
2.	पठानकोट-चक्की-मण्डी सड़क (एन.एच.20) 190/577 कि.मी.	दंग नाला पर आर.सी.सी.वाक्स गार्डर पुल	(i) मार्च 1995 (ii) मार्च 1998 (संशोधित)	48.56 83.25	मार्च, 1999	79.43

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 1999) कि इन पुलों को उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि संपर्क मार्गों का प्राइवेट भूमि एवं घरों के अर्जन न किये जाने (दंग नाला पुल) तथा निधियों की कमी के कारण (थाना खड्ड पुल) का निर्माण नहीं किया गया। थाना खड्ड पुल के निर्माण के लिए 13.96 लाख रूपए का अगस्त 1997 में तैयार किया गया एक अन्य आकलन जून, 2000 तक अनुमोदनार्थ पड़ा था। दंग नाला पुल के बारे 15.26 लाख रूपए का आकलन संरेखण में आने वाली प्राइवेट भूमि तथा मकानों के अर्जन के लिए अधिशाषी अभियंता द्वारा भेजा (अप्रैल, 1999) गया था जो जून, 2000 तक सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया था।

अधिशाषी अभियंता ने बताया (जून 2000) कि थाना खड्ड पुल के संपर्क मार्गों का कार्य प्रगति पर था तथा दिसम्बर 2000 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

इस प्रकार, दोषयुक्त योजना तथा संपर्क के संरेखण में पड़ने वाली प्राइवेट भूमि एवं मकानों के अर्जन हेतु समयबद्ध कार्रवाई में विफलता के परिणामस्वरूप 94.34 लाख रूपए का व्यय निष्फल हुआ।

मामला जनवरी 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई, 2000)।

4.10 पुल का निर्माण न करने के कारण सड़क पर निष्फल व्यय

दोषयुक्त आकलनों से पुल के निर्माण एवं सड़क के दो भागों में प्रयोग में विलम्ब हुआ।

लागू से जमरेला (कांगड़ा जिला) तक 5.500 किलोमीटर (कि.मी. % से 5/500) लम्बी सम्पर्क सड़क के निर्माण के लिए 14.62 लाख रूपए इन गांवों के निवासियों को अपने कृषि उत्पाद तहसील/जिला मुख्यालयों तक ले जाने में समर्थ करने के लिए अनुमोदित (जनवरी 1989) किये गये। पांच वर्षों में पूरा किया जाने का कार्य बैजनाथ मण्डल द्वारा अप्रैल 1991 में निष्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति के बिना हाथ में लिया गया तथा मार्च, 2000 तक 18.79 लाख रूपए की लागत पर 3.165

किलोमीटर (कि.मी.% से 2/935 तथा 3/033 से 3/263) वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया गया।

तथापि, मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जून 1999) कि चलोट नाला पर 98 मीटर सपैन पुल के निर्माण के लिए 2/935 किलोमीटर सड़क पर आंकलन का प्रावधान नहीं किया गया था। पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता को भेजा (मई 2000) गया था लेकिन जून 2000 तक उसका अनुमोदन नहीं किया गया था।

अधिशायी अभियंता ने बताया (जून 1999 एवं जनवरी 2000) कि पुल का निर्माण कार्य निधियों की अनुपलब्धता तथा अलग प्रशासनिक अनुमोदन के कारण पहले हाथ में नहीं लिया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मण्डल ने पुल के निर्माण को आकलन में शामिल नहीं किया था तथा पुल का आकलन बनाते समय मूलाधार डाटा एकत्रित करने के लिए सड़क कार्य के अनुमोदन के पश्चात् लगभग दस वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

जबकि अभी तक सड़क % से 2/935 एवं 3/033 से 3/263 के भागों में जनता के उपयोग के लिए योग्य घोषित नहीं किया गया। इस प्रकार अधिशायी अभियंता द्वारा दोषयुक्त आकलनों के बनाने से जिनसे पुल निर्माण नहीं हुआ, के परिणामस्वरूप जनता अभिप्रेत लाभों से वंचित रही तथा अब तक 18.79 लाख रूपए का निष्फल व्यय हुआ।

मामला फरवरी 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.11 सड़क पर सतह समतल एवं नवीनीकरण तह पर परिहार्य व्यय

टियोग मण्डल द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुकरण के विफलता के परिणामस्वरूप सड़कों पर 10.61 लाख रूपए का परिहार्य व्यय।

भूतल परिवहन मंत्रालय के मई, 1987 के अनुदेशों के समक्ष कि पानी युक्त स्तह पर समतल या पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर बिछाई जानी चाहिए क्योंकि स्तह समतल तथा पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर तारकोल के कोर्स है। विनिर्देशों में पूर्व विद्यमान काली स्तह के 10 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 5 किलोग्राम की दर पर तारकोल की मजबूत पर्त बिछाई जाने का प्रबन्ध भी था।

इन विनिर्देशों के विपरीत टियोग मण्डल में दो सड़कों* पर 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर के अतिरिक्त 7.22 लाख रूपए की लागत पर स्तह समतल भी की गई। अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि मूल टेका संविदाओं में केवल पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर बिछाने का ही प्रबन्ध था तथा स्तह समतल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त मद के रूप में बिछाई गई। यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22 पर 163/0 तथा 196/0 के मध्य मई, 1996 तथा मई 1998 के दौरान नयी पर्त बिछाने का कार्य करते समय 46,203 वर्गमीटर वर्तमान काली स्तह पर 5 किलोग्राम प्रति 10 वर्गमीटर की बजाए 10 किलोग्राम प्रति 10 वर्गमीटर की दर पर मजबूत पर्त बिछाई गई जिसके परिणामस्वरूप 3.39 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ (जलाने की लकड़ी की कीमत सहित)।

* राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 तथा छेला मोहरी सड़क

तथ्यों की पुष्टि करते समय अधिशाषी अभियंता ने बताया (मई 1999) कि सतह, समतल नाथपा झाखड़ी परियोजना की भारी मशीनरी को लाने के बावजूद अपथर्षण को रोकने तथा सड़कों के अधिकतर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई से गुजरने पर यातायात के कारण टूट-फूट को रोकने के लिए की गई थी। उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि केवल सतह समतल पानी के रिसाव को रोकने तथा सड़क की फिसलने न देने की गुणवत्ता को सुधारती है तथा भूतल परिवहन मंत्रालय विनिदेश विषय पर स्पष्ट थे।

इस प्रकार अनुमोदित विनिदेशों का अनुकरण पर्याप्त औचित्य के बिना करने में विफलता के परिणामस्वरूप 10.61 लाख रूपए का कुल अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मार्च, 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.12 सड़कों पर नवीनीकरण परत डालने पर परिहार्य व्यय

सड़कों पर नवीनीकरण परत डालने के लिए मितव्ययी विनिदेशों को न अपनाने के परिणामस्वरूप 13.83 लाख रूपए का परिहार्य व्यय

भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़कों के अनुरक्षण मानदण्डों के अद्यतन के लिए नियुक्त (मई 1988) अध्ययन दल का मत था कि सील कोट की तह जो पूर्वमिश्रित कंकरीट चादर पर बिछाई गई, उखड़ जाती है तथा समयोपरांत विशेषकर वर्षाऋतु के दौरान बहुत से गड्ढे विकसित हो जाते हैं क्योंकि दोनों ऊपर की काली परतों में कोई प्रभावी अंतःरोक या बन्धक नहीं था जैसे पूर्वमिश्रित कंकरीट चादर एवं सील कोट। इसके दृष्टिगत भूतल परिवहन मंत्रालय ने सड़कों के नवीनीकरण उपचार के लिए अध्ययन दल के सुझाव को अलग से पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर तथा सील कोट के स्थान पर एक बार बिछाई गई मिश्रित सील तल या पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर द्वारा निष्पादित किये जाने को अपनाया। अपनाये गये विनिदेश मितव्ययी होने की बजह से अप्रैल, 1990 से प्रभावी किये गये तथा राष्ट्रीय उच्चमार्गों के अतिरिक्त राज्य उच्चमार्गों एवं जिला सड़कों के लिए अनुसरित किये गये। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विनिदेशों, 1990 में भी मिश्रित सील तल के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

तथापि पालमपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में इन विनिदेशों का उल्लंघन पाया गया (सितम्बर 1999)। यह देखा गया कि सड़क के 91,277 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 1996-97 तथा 1999-2000 के मध्य 15 मामलों में 54.95 लाख रूपए की लागत पर पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर तथा सील कोट सहित नवीनीकरण कोट निष्पादित किया गया। सही विनिदेशों को अपनाने में विफलता के कारण परिणामित अतिरिक्त व्यय 13.83 लाख रूपए हुआ।

सही विनिदेशों को न अपनाये जाने के लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं थे। अधीक्षण अभियंता ने बताया (जनवरी 2000) कि पहाड़ी क्षेत्र एवं भारी वर्षा के कारण मिश्रित सील तल की तुलना में पूर्व मिश्रित कंकरीट चादर एवं सील कोट अधिक अनुकूल पाये गये। कथन मान्य नहीं था क्योंकि सील कोट लगाने से सड़क के पक्का होने में कोई मदद नहीं मिलती है। वास्तव में सील कोट सड़क जल सतह पर रिक्त स्थानों को बन्द करने के लिए सतह को जलसह बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।

मामला फरवरी, 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.13 अनुचित आयोजना के कारण पुल के निर्माण पर बेकार निवेश

जीपयोग्य सड़क के रेखांकन में आने वाली प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप 20.49 लाख रूपए की लागत पर निर्मित पुल अनुपयुक्त रहा।

दुनाली से बरेही (चम्बा जिला) तक बरेही नाला पर 12 किलोमीटर (10% से 12 तक) लम्बे जीप योग्य सड़क के 6/785 किलोमीटर पर 60 मीटर लम्बे रज्जु मार्ग पुल के निर्माण के लिए 3.91 लाख रूपए प्रशासनिक अनुमोदित (जुलाई 1979) किये गये। दो वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा किये जाने का कार्य दिसम्बर, 1979 में हाथ में लिया गया तथा 20.49 लाख रूपए की लागत पर मार्च 1998 में पूरा किया गया। इसी मध्य, मजदूरों के वेतन, सामन की मूल्य में वृद्धि तथा पुल के लकड़ी के ढांचे को स्टील के ढांचे में बदलने के कारण दिसम्बर, 1996 में आकलन 24.53 लाख रूपए के लिए संशोधित किया गया। कार्य को पूरा करने में असाधारण विलम्ब को अधिशाषी अभियंता द्वारा निधियों की कमी बताया (अप्रैल 2000) गया। कथन मान्य नहीं था क्योंकि मण्डल को 1979-92 के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि 4.23 लाख रूपए में से केवल 0.83 लाख रूपए कार्य पर व्यय किये गये थे। अभिलेख में भी ऐसा कुछ नहीं था जो प्रदर्शित करता कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने की दृष्टि से मण्डल ने पर्याप्त निधियों की मांग की थी।

चम्बा मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अक्टूबर 1999) कि मण्डल की ओर से विफलता के कारण पुल को वाहन यातायात के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि सड़क के रेखांकन में आने वाली प्राइवेट कृषि योग्य भूमि के कारण सड़क का हिस्सा 4/720 से 5/0,5/073 से 5/390 तथा 5/520 से 7/0 के मध्य का निर्माण नहीं किया जा सका। आकलन दोषपूर्ण था क्योंकि प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण का स्वीकृत आकलन में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त इसके अधिग्रहण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

अधिशाषी अभियंता ने बताया (अक्टूबर, 1999) कि भूमि अधिग्रहण के लिए मामला अभी भेजा जाना था तथा भू-अधिग्रहण के लिए प्रावधान संशोधित आकलन में रखे जा रहे थे। उसने आगे बताया कि पुल से दुनाली एवं बरेही गांवों के मध्य का खोया सम्पर्क स्थापित हो गया था। कथन मान्य नहीं था क्योंकि दोनों गांवों के मध्य सम्पर्क, सड़क के निर्माण को सुनिश्चित किये बिना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त जन हित में वांछित प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण के लिए लोक निर्माण विभाग संहिता में शामिल अनुदेशों की शर्तों के अनुसार कार्रवाई सड़क के निर्माण करने से पूर्व नहीं की गई।

प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई शुरू करने में लापरवाही युक्त विभाग की विफलता के फलस्वरूप पुल पर 20.49 लाख रूपए का गैर उत्पादक व्यय हुआ तथा लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा। यह सरकार द्वारा छानबीन को विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए आकर्षित करती है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना अप्रयुक्त रही।

मामला मार्च 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.14 पुल की अनुचित आयोजना के कारण अतिरिक्त परिहार्य दायित्व

अनुचित योजना एवं पुल के निर्माण के प्रकार को तय करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 12.26 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य दायित्व हुआ।

कार्य स्थल पर ब्यवहार्य अध्ययन (जुलाई, 1995) के आधार पर मुख्य अभियंता (उत्तर) ने धकोग स्थित रावी नदी पर धकोग बंदगाम सड़क (चम्बा जिला) पर 44 मीटर लम्बे आर.सी.सी. बॉक्स की सहायता से प्लेट गार्डर पुल का निर्माण 23.76 लाख रुपए की आंकलित लागत पर अनुमोदित (मार्च, 1996) किया।

प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए भरमौर मण्डल द्वारा मार्च, 1996 में निविदायें आमंत्रित की गईं तथा ठेकेदार "क" की सबसे कम तय की गई निविदायें 88.95 लाख रुपए के लिए मुख्य अभियंता (उत्तर) द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं की गईं कि क्षेत्र में निर्माण किये जा रहे आम किस्म के पुलों के साथ प्रस्तावित पुल की लागत तुलनीय नहीं थी तथा स्टील ट्रस पुल का निर्माण मितव्ययी होगा। इसके अतिरिक्त, कार्य स्थल पर जटिल परिस्थितियों, सीमित कार्य स्थान तथा कार्य स्थल के साथ दरारों के कारण प्लेट गार्डर पुल को पर्याप्त मजबूत नहीं पाया गया।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अक्तूबर 1999) कि स्टील ट्रस पुल की 48.77 मीटर लम्बी उप संरचना का निर्माण कार्य 62.79 लाख रुपए पर छः मास की निर्धारित अवधि में इसे पूर्ण करने के लिए फरवरी, 1997 में आमंत्रित निविदाओं के आधार पर ठेकेदार "क" को सौंपा गया (अप्रैल 1997)। उप संरचना मार्च, 2000 तक पूर्ण की गई थी तथा तीसरे चालू लेखा बिल तक ठेकेदार को 60.51 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। पुल का अभिरचना कार्य भी निविदाओं के आधार पर उसी ठेकेदार को छः मास की निर्धारित अवधि में इसे पूरा किये जाने के लिए 47.98 लाख रुपए में सौंपा गया (मार्च 1998)। अभिरचना का सत्तर प्रतिशत बढ़ाई कार्य जून 2000 तक पूरा भी कर लिया गया था तथा ठेकेदार को प्रतिभूत अग्रिम के रूप में 14.09 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस प्रकार स्टील ट्रस पुल की कुल कीमत कार्य सौंपने की अवस्था तक 110.77 लाख रुपए आंकी गई जो पहले प्रस्तावित पुल से 21.82 लाख रुपए अधिक थी। प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर पूरे कार्य के लिए निविदायें एक ही बार क्यों नहीं आमंत्रित की गईं इसके लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं पाया गया।

अधिशाषी अभियंता ने बताया (अक्तूबर 1999) कि पहले ठेकेदार की निविदायें इस आधार पर रद्द की गईं थी कि 44 मीटर लम्बा प्लेट गार्डर पुल कार्य योग्य नहीं था क्योंकि कार्यस्थल परिस्थितियां जटिल थीं तथा चट्टान भी मजबूत नहीं पाई गईं तथा अन्ततः 48.77 मीटर लम्बे स्टील ट्रस पुल के लिए मुख्य अभियंता (उत्तर) द्वारा डिजाइन अनुमोदित कर दिया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 44 मीटर लम्बे प्लेट गार्डर पुल के निर्माण के लिए निविदायें आमंत्रित किये जाने का निर्णय मार्च 1996 में कार्य स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण तथा व्यवहार्य अध्ययन करने के पश्चात् लिया गया था। तत्पश्चात् प्लेट गार्डर पुल के स्थान पर स्टील ट्रस पुल निर्मित करने का निर्णय जो पहले तकनीकी रूप से व्यवहार्य माना गया था इस प्रकार न्यायोचित नहीं था। पुल की बढ़ाई हुई लम्बाई को ध्यान में रखने के पश्चात् विभाग ने 12.26 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य दायित्व का व्यय किया।

मामला फरवरी 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.15 नई मुम्बई में राज्य अतिथि गृह का निर्माण बेकार परित्यग एवं अधिक भुगतान

नई मुम्बई में मई 1996 में अधिगृहीत किये गए प्लॉट पर राज्य अतिथि गृह के निर्माण के बारे में सरकार के अनिर्णय के फलस्वरूप 95.67 लाख रूपए का बेकार निवेश हुआ।

नई मुम्बई में राज्य अतिथिगृह के निर्माण के लिए शिमला मण्डल न011 ने शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम महाराष्ट्र, नई मुम्बई को राज्य सरकार के निदेश पर प्लॉट अधिग्रहण करने के लिए 87.57 लाख रूपए के प्रीमियम की अदायगी (फरवरी 1995) की। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1994 में 8.10 लाख रूपए की धरोहर राशि की अदायगी भी की गई जो प्रीमियम की पूर्ण अदायगी से समायोजित होनी थी।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (दिसम्बर 1999) कि शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम ने नवम्बर, 1995 में 90 सालों के पट्टे पर 2159.800 वर्ग मीटर माप का प्लॉट, बंशी (नई मुम्बई) में आबंटित किया तथा मई, 1996 में संविदा पट्टे के निष्पादन के पश्चात् अगस्त, 1996 में मण्डल ने प्लॉट का भौतिक कब्जा ले लिया। संविदा पट्टे की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार ने नई मुम्बई नगर निगम को छः महीनों के अन्दर भवन प्लान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना था तथा भवन का निर्माण पट्टा संविदा के निष्पादन से पांच वर्षों के अन्दर पूर्ण करना था जिसके विफल होने पर पट्टाधारक को भूमि प्रवेश के लिए दिया गया लाइसेंस बिना सूचना के निरस्त किया जाना था। यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1996 एवं जनवरी 1997 में दिये गये निदेशों के आधार पर मुख्य वास्तुकार ने बंशी में राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए अक्टूबर, 1997 में अंतिम नक्शों सरकार को प्रस्तुत किये जिनका दिसम्बर 1999 तक अनुमोदन अपेक्षित था। इसी मध्य शहरी एवं विकास निगम द्वारा नई मुम्बई नगर निगम को भवन प्लान प्रस्तुत करने के लिए फरवरी, 1997 तक बढ़ाई गई समयावधि भी समाप्त हो गई।

तथ्यों की पुष्टि करते समय अधिशाषी अभियंता ने बताया (दिसम्बर 1999) कि सरकार के स्तर पर निष्पादन एजेंसी के चयन करने के बारे में निर्णय न लेने के कारण नई मुम्बई नगर निगम को निर्माण प्लान प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा अन्य दलों को पट्टे पर प्लॉट दिये जाने के लिए कानूनी सलाह प्राप्त की जा रही थी। उसने आगे बताया कि 8.10 लाख रूपए के अधिक भुगतान का समायोजन भूल के कारण पहले नहीं किया जा सका तथा धन वापसी के लिए कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिकारों का स्थानान्तरण या सौंपना तथा अन्य दलों को प्लॉट आबंटित करने के बारे में अभिरूचि शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम के आबंटन आदेश की शर्तों के अधीन स्वीकार्य नहीं था।

स्पष्टतया, राज्य अतिथिगृह के निर्माण के बारे में अनिर्णय इस तथ्य का सूचक था कि वित्तीय जीव्यता एवं प्रयुक्ति के कारक को सावधानीपूर्वक समझे बगैर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यद्यपि अब प्लॉट शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम को अभ्यर्पित किया जा चुका है फिर भी 25 प्रतिशत 21.89 लाख रूपए लागत राशि अभ्यर्पित करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, धरोहर राशि के रूप में भुगतान किये गये 8.10 लाख रूपए प्रीमियम का पूरा भुगतान करते समय असमायोजित छोड़ दिये गये तथा अब तक वसूल नहीं किये गये थे।

मामला मार्च 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.16 परामर्शकारी सेवाओं पर निरर्थक व्यय

रंगरीक खुरीक में हवाई पट्टी के निर्माण के पश्चात परामर्शकारी सेवाओं पर 13.78 लाख रूपए का व्यय व्यवहारिक नहीं पाया गया, निरर्थक रहा।

31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 4.13 में रंगरीक (लाहौल व स्पिति जिला) हवाई पट्टी के निर्माण पर 7:47 लाख रूपए के निरर्थक व्यय के बारे में उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की (दिसम्बर, 1999) कि यदि विभाग रंगरीक हवाई पट्टी के निर्माण कार्य करने का इच्छुक है तो कार्य आरम्भ करने से पहले कार्य की अन्ततः बन्द होने की सम्भावना से बचने के लिए भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग से पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकार के दल ने जून, 1994 में व्यवहार्य अध्ययन करने के बाद रंगरीक में कार्यस्थल को हवाई पट्टी निर्माण के अनुकूल नहीं पाया। तथापि, राज्य सरकार के निवेदन पर राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकारण की अन्य टीम ने हवाई पट्टी के निर्माण के लिए कार्यस्थल व्यवहार्य अध्ययन करने के लिए अगस्त, 1994 में स्पीति घाटी का दौरा किया। टीम द्वारा दौरा किये गये पाँच कार्यस्थलों में से काजा के समीप रंगरीक तथा खुरीक गांवों के मध्य स्थित खुरीक कार्यस्थल को उपयुक्त पाया गया था। टीम ने हवाई पट्टी के निर्माण से पहले हवाई सर्वेक्षण करवाने का भी सुझाव दिया। तथापि, हवाई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया। हवाई सर्वेक्षण करवाने की बजाय जैसा कि भारत के राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकारण द्वारा परामर्श दिया गया था, राज्य सरकार ने परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु 11.50 लाख रूपए की लागत पर रंगरीक खुरीक में हवाई पट्टी के निर्माणार्थ संविस्तृत परियोजना को तैयार करने के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अक्तूबर 1995)। कार्य 11.50 लाख रूपए में एक फर्म को तीन महीनों में पूरा किये जाने के लिए सौंपा गया (नवम्बर 1995) और नवम्बर 1996 में फर्म को 9.08 लाख रूपए का भुगतान किया गया था। 3.12 लाख रूपए के अंतिम बिल का भुगतान निधियों की कमी के कारण नहीं किया गया था (सितम्बर, 1999)। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कार्य पर 1.58 लाख रूपए व्यय किये गये थे।

लाहौल एवं स्पिति मण्डल काजा स्थित के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (सितम्बर, 1999) कि फर्म ने नवम्बर 1995 में कार्य आरम्भ किया तथा अप्रैल, 1996 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर हवाई पट्टी के पहले चरण के निर्माण के लिए पूर्व आकलन तैयार किया गया तथा जून 1996 में 33.29 करोड़ रूपए के लिए प्रशासनिक अनुमोदन किया गया। अगस्त 1998 में राज्य सरकार ने तकनीकी एवं आर्थिक कारणों से हवाई पट्टी का निर्माण न करने का निर्णय लिया।

अधिकांश अभियंता ने बताया (सितम्बर, 1999) कि उस समय के मुख्यमंत्री द्वारा काजा में जनसभा में दिये गये ब्यान (अक्तूबर, 1999) के दृष्टिगत कार्य शुरू किया जाना था। लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भारत के राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकारण द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप हवाई सर्वेक्षण न करने, तकनीकी कारणों तथा भारत सरकार के नागरिक उड्डयन उत्तर विभाग का अनुमोदन प्राप्त न करने के दृष्टिगत मान्य नहीं था। परामर्शकारी सेवाओं पर किया गया 13.78 लाख रूपए (3.12 लाख रूपए के दायित्व सहित) का व्यय निरर्थक रहा।

मामला फरवरी 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

4.17 सड़कों के निर्माण पर निष्फल व्यय

छ: सड़कों के निर्माण पर व्यय किये गये 81.37 लाख रूपए अधिकतर निष्फल रहे क्योंकि सड़क कार्य वन/प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण न करने से अवरूद्ध थे।

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में वन भूमि का प्रयोग गैर वन प्रयोजना के लिए भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना मना है। भारत सरकार ने मार्च 1982 में भी स्पष्ट किया था कि वन भूमि का परावर्तन गैर वन कार्यकलापों के लिए अनुमोदन से पहले स्वीकार्य नहीं था तथा कार्योंतर अनुमोदन के लिए निवेदन मान्य नहीं होगा।

भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लिये बिना तीन मण्डलों में 1981 एवं 1994 के मध्य चार सड़कों का कार्य किया गया जहां इन सड़कों के रेखांकन के साथ विभिन्न जगहों पर आने वाली वन भूमि का प्रयोग आवश्यक था। सड़क कार्य जिन पर 59.11 लाख रूपए व्यय किये जा चुके थे गैर वन प्रयोजना के लिए वन भूमि का प्रयोग करने के लिए भारत सरकार की अनुमति न लेने के कारण अधूरे पड़े थे जिनका विवरण निम्नांकित है:

क्र०	मण्डल का नाम	सड़क का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन एवं स्वीकृति का विवरण मास	व्यय राशि (लाख रूपये में)	पूर्णता की निधारित अवधि वर्ष	शुरू करने का वर्ष	अध्यतन व्यय (लाख रूपए)	महीना/वर्ष जब से कार्य अवरूद्ध है
1.	भरमौर	मधेतार-चनौता रोड (5कि.मी.)	मई 1984	3.60	नहीं दिया गया	1985	32.58	अप्रिल 1997
		गयौला-उलांसा सड़क (8 कि.मी.)	अगस्त 1988	28.26	—तदैव—	1994	5.45	अप्रिल 1999
2.	फतेहपुर	मोटली-सीरत मलोट रोड (10 कि.मी.)	दिसम्बर 1980	22.32	3	जुलाई 1981	12.84	1992-93
3.	निरमंड	रानाबाग लगीती रोड (15 कि.मी.)	अक्तूबर, 1983	10.95	3	नवम्बर 1989 से पहले	8.24	मार्च, 1995
		योग		65.13			59.11	

इस प्रकार तीन से सात वर्षों की अवधि तक सड़क निर्माण कार्य अवरूद्ध पड़े थे और भारत सरकार से अनुमोदन लेने के लिये मामले प्रक्रियाधीन थे। इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व गैर वन प्रयोजना के लिये वन भूमि का प्रयोग करने के लिये भारत सरकार की अनुमति लेने में विभाग की विफलता के कारण 59.11 लाख रूपए के उन के आंशिक निर्माण पर निष्फल व्यय हुआ।


(ख) चचोली से खरोला (शिमला जिला) 2.250 किलोमीटर लम्बी सम्पर्क सड़क के निर्माण के लिये 10.32 लाख रूपए का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था (नवम्बर 1992)। कार्य जो एक वर्ष में पूर्ण किया जाना था कुमारसेन मण्डल द्वारा तकनीकी संस्वीकृति के बगैर फरवरी 1992 के दौरान शुरू किया गया और 11.47 लाख रूपए का व्यय कार्य के आंशिक निष्पादन पर किया जो जून, 1998 में, 1/250 किलोमीटर से आगे आने वाली प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण न करने के कारण, जिसके मालिक सड़क के निर्माण की अनुमति नहीं दे रहे थे तथा सड़क के रेखांकन में परिवर्तन की मांग कर रहे थे, के कारण स्थगित कर दिया गया। तथापि, मण्डल द्वारा जून 2000 तक भूमि के अधिग्रहण के लिए मामला नहीं उठाया गया। यह विभाग की कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण का सुनिश्चित करने की विफलता का सूचक था।

इसी प्रकार, पालसर गांव (शिमला जिला) की जामेशी से पालसर सड़क (किलोमीटर 0/0 से 1/500 तक) के निर्माण के लिए 16 लाख रूपए का प्रशासनिक अनुमोदन (अक्तूबर 1996) किया गया। एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा किये जाने का कार्य जनवरी 1995 के दौरान तकनीकी स्वीकृति के बिना निष्पादन के लिए हाथ में लिया गया तथा कार्य के आंशिक निष्पादन पर 10.79 लाख रूपए का

व्यय किया गया तथापि सड़क के रेखांकन किलोमीटर 0/350 एवं किलोमीटर 0/555 के मध्य आने वाली प्राईवेट भूमि के अधिग्रहण न करने के कारण फरवरी 1998 से अवरुद्ध पड़ा था। अधीक्षण अभियंता ने बताया (जुलाई 2000) कि धारा-4 के अधीन भू अधिग्रहण कागज प्रक्रियारत थे।

इस प्रकार, इन कार्यों पर किये गये 22.26 लाख रूपए निष्फल रहे तथा लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।


मामला अप्रैल 2000 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।



पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

लेखापरीक्षा परिच्छेद



पांचवाँ अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

लोक निर्माण विभाग

5.1 सामग्री व्यवस्था एवं वस्तु सूची नियंत्रण (दक्षिणी अंचल)

5.1.1 प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण व रख-रखाव, जिन के लिये विविध प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है के लिये उत्तरदायी है। सामान भण्डार क्रय संगठन, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एच.पी.सी.एस.सी.), हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम (एच.पी.ए.आई.सी.) द्वारा या फिर सीधा विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध किया जाता है। वर्ष 1997-2000 के मध्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों पर 1073.16 करोड़ रूपए के कुल व्यय में से भण्डारों की उपलब्धता पर (36 प्रतिशत) 389.12 करोड़ रूपए व्यय किये गये।

मुख्य अभियन्ता (दक्षिण अंचल) की अध्यक्षता वाले दक्षिण अंचल के 10 मण्डलों¹ एवं दो परिमण्डलों² के 1997-2000 वर्षों के भण्डार उर्पाजन, अभिरक्षण व निपटान से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी (दिसम्बर, 1999-मार्च, 2000)। इसे हिमाचल प्रदेश एग्रोइन्डस्ट्रीज निगम एच.पी.ए.आई.सी. एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एच.पी.सी.एस.सी. से प्राप्त सूचना से अनुपूरित किया गया। लेखापरीक्षा में ध्यान में आये मुख्य तथ्य निम्नलिखित परिच्छेदों में दिये गये हैं।

5.1.2 भण्डार की उपलब्धता

(i) हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम के माध्यम से तारकोल उपलब्धता में अनियमिततायें

तेल शोधक कारखानों से विभाग द्वारा तारकोल की उपलब्धता जून 1997 तक करवाई गई। जुलाई 1997 में आयुक्त एवं सचिव (बागवानी) से प्राप्त निवेदन पर यह कार्य हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम को सौंपा गया। हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से 1997-2000 वर्षों के दौरान (दिसम्बर, 1999 तक) 18.57 करोड़ रूपए के मूल्य का 22,193 टन तारकोल विभाग ने उपलब्ध किया। इस के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम को पाँच प्रतिशत संचालन प्रभार (रूपए 92.84 लाख), सामान्य बिक्री कर (रूपए 77.98 लाख), व परिवहन प्रभार (रूपए 2.79 करोड़) के सम्बन्ध में 4.50 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। विभागीय अभिलेखों एवं हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुये:

(क) पाँच प्रतिशत हस्तांतरित प्रभार किसी वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। यह केवल हिमाचल प्रदेश विकास औद्योगिक निगम की मांग पर आधारित था एवं बातचीत के उपरान्त विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। अभिलेख में कुछ इंगित नहीं था जिस के आधार पर विभाग ने उचित विशलेषण के बिना स्वयं को संतुष्ट किया।

तारकोल की प्राप्ति हेतु रूपए 66.28 लाख हस्तांतरित प्रभार बिना किसी औचित्य के हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम को दिए गये।

¹ अर्की, कल्पा, कसौली, कुमारसैन, नाहन, रामपुर, राजगढ़, रोहडू, शिमला मण्डल न0॥ व टियोग।
² रामपुर व सोलन।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीमेंट की एक बोरी के लिये विभाग हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को रूपए 1.50 हस्तांतरित प्रभार के रूप में दे रहा था। जुलाई 1998 के दौरान अंतिम रूप में दिये गये दर संविदा के अनुसार एक बोरी सीमेंट की दर (रूपए 105) के आधार पर संचालन प्रभार 1.43 प्रतिशत बनते हैं। इस प्रकार 5 प्रतिशत की दर से हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम को तार कोल की प्राप्ति के लिये संचालन प्रभारों का भुगतान अधिक लगता था एवं इस में रूपए 66.28 लाख (लगभग) का अनुचित व्यय सम्मिलित था जैसा कि जुलाई, 1997 से पूर्व किया जाता था। यदि विभाग द्वारा तारकोल स्वयं प्राप्त किया होता तो 92.84 लाख रूपए के समस्त भुगतान से बचा जा सकता था।

(ख) तारकोल की उपलब्धता के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम के शामिल होने के कारण विभाग द्वितीय क्रेता बन गया एवं इस केन्द्रीय बिक्री कर के अतिरिक्त 77.98 लाख रूपए का सामान्य बिक्री कर चुकाना पड़ा। यदि विभाग द्वारा यह तारकोल सीधा तेल शोधक कारखानों से खरीदा गया होता तो सामान्य बिक्री कर का भुगतान बचाया जा सकता था।

(ग) हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के जनवरी 2000 के प्रस्ताव के आधार पर, विभाग द्वारा अपेक्षित तारकोल और तारकोल इमलसन उपलब्धता को हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम (केन्द्रीय अंचल व उत्तर अंचल) व हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम (दक्षिण अंचल एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग शाखा) को सौंपने का सरकार ने निर्णय लिया (मार्च 2000)। उपरोक्त निर्णय के अनुसार, हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम एवं हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम सरकारी विभागों से वाणिज्यक/सेवा प्रभार प्रभारित नहीं करेगा। इस के अतिरिक्त दोहरे कराधान से बचने के लिये मार्गस्थ बिक्री की अवधारणा की शुरुआत की जानी थी।

यह सत्य है कि 1997-2000 वर्षों के मध्य विभाग द्वारा हस्तांतरित प्रभार एवं सामान्य बिक्री कर की अदायगी की गई, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब कि दोनों निगमों ने तेल शोधक कारखानों से तारकोल की उपलब्धता हेतु अपनी जन शक्ति का प्रयोग करना था और उसे विभाग को आपूरित करना था।

यह भी ध्यान में आया कि प्रमुख अभियन्ता ने कोल तार/कोल तार इमलसन उपलब्धता पर हस्तांतरित प्रभारों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए सरकार को तारकोल एवं तारकोल इमलसन की उपलब्धता की समानता के आधार पर सीमेंट की उपलब्धता (30 रूपए प्रति टन की दर से) पर हस्तांतरित प्रभारों की समीक्षा करने का आवेदन किया (जनवरी 2000)। यद्यपि, मार्च 2000 में सरकार द्वारा निर्णय सूचित करते समय सीमेंट की उपलब्धता पर हस्तांतरित प्रभारों की अदायगी का कोई निर्णय जून 2000 तक नहीं लिया था। इस के दौरान अप्रैल 2000 से जून 2000 के दौरान विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से 9,627 टन सीमेंट प्राप्त किया एवं इस के लिये 2.89 लाख रूपए हस्तांतरित प्रभार चुकाया। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को हस्तांतरित प्रभार देने के लिए सरकार द्वारा समय पर निर्णय न लेने के कारण रूपए 2.89 लाख का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम द्वारा खुली निविदायें एवं प्रतिस्पर्धा दरों के लाभ प्राप्त न करने के फल स्वरूप तारकोल के परिवहन प्रभार हेतु 1.12 करोड़ का अतिरिक्त अनुचित भुगतान किया गया।

(घ) वर्ष 1997-2000 के दौरान विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम को तारकोल के परिवहन प्रभार हेतु 2.79 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। भण्डार क्रय अधिकारी (मई 2000) ने बताया कि तेल शोधक कारखाने से राज्य में विभिन्न स्थानों तक तारकोल पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम द्वारा विभाग से परामर्श के अंतर्गत दर तय नहीं किये गये थे। महाप्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम ने (मई 2000) कहा कि भाड़ा दर तय करने हेतु मुख्य वित्त अधिकारी, मुख्य क्रय अधिकारी एवं हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम के विपणन अधिकारी की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

यह भी बताया गया कि अगस्त 1997 में मथुरा स्थित भारतीय तेल निगम के अनुमोदित परिवहन कर्ताओं से निविदा प्राप्त की और वार्तालाप के उपरान्त दरें तय की गईं। इस प्रकार यह पाया गया कि कार्य की अधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुये प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ उठाने के लिये खुली निविदायें आमंत्रित नहीं की गईं।

अभिलेख की संवीक्षा से विदित हुआ कि विभाग द्वारा सितम्बर 1997 के बाद ड्रमों में बन्द तारकोल हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से मथुरा से प्रदेश के विभिन्न भागों में लाए जाने के लिये न्यूनतम परिवहन प्रभार लगभग 2 रूपए प्रति टन प्रति किलोमीटर दिये गये। उसी कालावधि में निदेशक जनरल आपूर्ति एवं निपटान द्वारा निर्धारित दर संविदा के अनुरूप तार कोल घोल जो कि ड्रमों में बन्द था के परिवहन के लिये विभाग द्वारा जो भुगतान किया गया वह 1.20 रूपए प्रति टन प्रति किलोमीटर बनता था। इस आधार पर रूपए 1.12 करोड़ (लगभग) का अतिरिक्त अन्यायोचित भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निगम के माध्यम से तारकोल उपलब्धता के कारण 2.56 करोड़ रूपये की कार्य व्यय वृद्धि हुई जिसमें 77.98 लाख रूपये के जाली राजस्व का सृजन सम्मिलित था।

हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम के उपरोक्त मामलों में सम्मिलित होने के कारण, अनुरक्षण प्रभार, सामान्य बिक्री कर तथा परिवहन प्रभारों के अनुचित भुगतान से सामग्री की लागत 2.56 करोड़ रूपए (11 प्रतिशत) बढ़ी और परिणामतः कार्यों पर व्यय वृद्धि हुई, वर्ष 1997-2000 के दौरान 77.98 लाख रूपए की अतिरिक्त जाली राजस्व वृद्धि हुई। इस के इलावा विभाग के अनुरक्षण प्रभारों के औचित्य को जाँचने में विफल रहने के कारण 66.28 लाख रूपए का अनुचित भुगतान एवं उस सीमा तक हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

(ii) तारकोल इमलसन की उपलब्धता पर अतिरिक्त अपरिहार्य व्यय

तारकोल इमलसन के क्रय में विभाग द्वारा पूर्ण सतर्कता एवं मितव्ययिता बरतने में विभाग की विफलता के कारण 10.22 लाख रूपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

विभाग ने दिल्ली तथा सोलन स्थित फर्म महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान के साथ दर संविदा और राज्य नियंत्रक भण्डार से क्रमशः फरवरी 1997 तथा जून 1999 के मध्य विभिन्न दरों पर 65.21 लाख रूपए मूल्य के एक वर्ष की मियाद सहित 641 टन इमलसन तारकोल (200 किलो ग्राम की पैकिंग की नये ड्रमों में ध्वायाविक श्रेणी) की खरीद की। दिल्ली स्थित फर्म की दरें 8800 रूपए तथा 9592 रूपए प्रति टन के मध्य एवं सोलन फर्म की 10452 रूपए प्रति टन थी। यह देखा गया कि उसी विनिर्देशन और उसी मियाद का इमलसन तारकोल उपरोक्त दिल्ली की फर्म के पास भी 7675 रूपए और 7770 रूपए प्रति टन (200 किलोग्राम एम.एस.बैरल पैकिंग में जो रेल मार्ग परिवहन के जोखिम का सामना करने के लिए उपयुक्त थे) की दरों तथा समय-समय पर लागू आबकारी शुल्क उपलब्ध था। एम.एस. बैरलों में पैकिंग के स्थान पर ड्रमों में इमलसन तारकोल की खरीद के कारणों को सूचित नहीं किया गया (मई 2000)।

स्पष्टतः तारकोल इमलसन के क्रय में विभाग द्वारा पूर्ण सतर्कता एवं मितव्ययता नहीं बरती गई। परिणाम स्वरूप 10.22 लाख रूपए परिहार्य व्यय हुआ (समय-समय पर की गई दो प्रकार की पैकिंग के आधार पर संगणित)।

(iii) सीमेंट की उपलब्धता हेतु फर्म को अधिक अदायगी

दर संविदाओं की शर्तों को कार्यान्वित न करने के कारण फर्म को 56.30 लाख रूपए की अधिक अदायगी

रूपए 2100 प्रति टन की दर से एक्स फैक्टरी दर पर सरकारी विभागों को सीमेंट उपलब्ध करवाने के लिये भण्डार नियंत्रक ने (जुलाई 1998) दाड़लाघाट की फर्म (जिला सोलन) से ठेका किया। ठेका मार्च 2000 तक मान्य था। दर संविदा की शर्तों के अनुसार सीमेंट के लिये प्रभारित किये जाने वाले मूल्य को उस न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए था जिस पर फर्म ने दर संविदा के अस्तित्व में रहते हुये उसके पूर्ण होने तक दिये गये सभी आपूर्ति आदेशों के निष्पादन तक की अवधि के दौरान इसी प्रकार के सीमेंट को यथास्थिति किसी व्यक्ति/संगठन/विभाग/राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के

उपक्रम को बेचना था। क्रय करने वाले प्रत्येक विभाग को फर्म द्वारा हर दावे पर यह प्रमाण पत्र व्यक्त करना था कि दर संविदा को ध्यान में रखते हुये निश्चित अवधि के अंतर्गत फर्म द्वारा किसी अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार/संगठन को निर्धारित मूल्य से न्यूनतम मूल्य पर सामान भण्डार की उपलब्धि नहीं करवाई गई। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को सीमेंट उपलब्ध करवाने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम नामकीय अभिकरण था। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम एवं क्रय करने वाले विभाग द्वारा भण्डार नियंत्रक/सरकार को आपूर्तिकर्ता द्वारा दर संविदा के उल्लंघन के विषय में बताया जा सकता था।

नमूना जाँच किये गए मण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से एकत्र की गई सूचना (अप्रैल 2000) से विदित हुआ कि फर्म द्वारा 21 सितम्बर 1998 से हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को लोक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1801 रूपए प्रति टन के न्यूनतम एक्स फैक्टरी दर के हिसाब से सीमेंट उपलब्ध करवाया जबकि इस दौरान उपरोक्त दर संविदा भी वैध थी। फर्म द्वारा न तो 2,100 रूपए प्रति टन की दर से घटा कर मूल्य रूपए 1,801 प्रति टन किया गया और न ही दर संविदा के अनुसार अपेक्षित आवश्यक प्रमाण पत्र दिया गया। 1999-2000 के दौरान 2100 रूपए प्रति टन की दर से हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम को उपलब्ध करवाये गये 3.95 करोड़ रूपए के 18,830 टन के कुल सीमेंट में से नमूना जांच किये गये मण्डलों द्वारा 7616 टन सीमेंट उपलब्ध किया गया था। दर संविदा की धारा लागू करने तथा फर्म द्वारा अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने पर जोर देने के लिये भण्डार नियंत्रक/सरकार के ध्यान में यह मामला लाने में विभाग तथा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम की विफलता के परिणाम स्वरूप 56.30 लाख रूपए का अधिक भुगतान हुआ।

दर संविदा की सम्बद्ध खण्ड के अनुरूप फर्म के विरुद्ध और अधिक भुगतान की वसूली हेतु मई 2000 तक कारवाई नहीं की गई थी।

(iv) परिवहन पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

भण्डार नियंत्रक के साथ तय दर संविदा के आधार पर वर्ष 1997-2000 के दौरान बरमाणा (जिला बिलासपुर) व राजवन (जिला सिरमौर) स्थित दो फर्मों से पाँच मण्डलों³ में 1,052 टन सीमेंट उपलब्ध किया गया था। यह ध्यान में आया कि भण्डार नियंत्रक के साथ दर संविदा की दाड़लाघाट स्थित (जिला सोलन) की एक अन्य फर्म का सीमेंट परिवहन सस्ता था क्योंकि बरमाणा और राजवन फर्मों के मुकाबले दाड़लाघाट से मण्डलीय भण्डारों के स्थानों की दूरी बहुत कम थी। परिवहन प्रभार में 69 से 278 रूपए प्रति टन के मध्य हुई भिन्नता के कारण 1.57 लाख रूपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार भण्डार नियंत्रक के साथ तय दर संविदा की निकटतम फर्म से सीमेंट का प्रबन्ध करने के लिये विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को निर्देश देने में विफल रहा।

(v) अन्यायोचित भण्डार की उपलब्धता

(क) रामपुर मण्डल में दलोग नाले के ऊपर पुल के निर्माण के लिये 15.49 लाख रूपए के मूल्य का सामान प्राप्त किया (मार्च 1997) गया जो कि प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मार्च 2000 तक अप्रयुक्त है।

³ कुमारसैन, रामपुर, रोहडू, शिमला मण्डल नं० II एवं शिमला मण्डल नं० III

(ख) नमूना जांच किये गये मण्डलों में 1.03 करोड़ रूपए के मूल्य का भण्डार प्राप्ति से (अप्रैल 1990 से मई 1999 की अवधि में) जैसे ह्यूम पाईप, जी आई पाईप, रोड मैटल, सी जी आई शीट्स, ईटों आदि भण्डारों में या कार्य स्थलों पर अप्रयुक्त पड़ा था।

उपरोक्त मामलों में अनावश्यक भण्डार की उपलब्धता के कारण 1.19 करोड़ रूपए का अवरोध हुआ।

5.1.3 भण्डार प्राप्ति एवं निर्गम

(क) बिन कार्ड जिन में भण्डार सम्बन्धी प्राप्ति एवं निर्गम का इन्द्राज किया जाता है अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा जारी किये जाने अपेक्षित हैं। वन्य किये बिन कार्ड उप मण्डलों द्वारा मण्डलीय कार्यालयों को वापिस दिये जाने चाहिए।

नमूना जांच किये गये मण्डलों में पाया गया कि 10,589 बिन कार्डों में से 7,104 बिन कार्ड उप मण्डलों में ही रखे गये थे एवं मार्च 2000 तक मण्डलीय कार्यालय को वापिस नहीं किये गये थे।

नमूना जांच किये गये सभी दस मण्डलों के मूल्यांकित बही खाते अधूरे थे एवं नियमानुसार बिन कार्डों के शेष मूल्यांकित खातों से नहीं मिलाये गये थे।

(ख) मार्च 1997 से मार्च 1999 के दौरान वित्तिय नियमों के विपरीत 11 मण्डलों⁴ द्वारा 73 कार्यों के प्रति रूपए 2.43 करोड़ मूल्य का भण्डार पुस्तांकित किया गया।

73 कार्यों के लिये रूपए 2.43 करोड़ का भण्डार पुस्तांकित किया गया जबकि इन कार्यों के लिये इस की आवश्यकता नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यों के स्वीकृति आकलनों में इस सामग्री का प्रावधान नहीं था या कार्य पूर्ण हो चुके थे या सामग्री के शीघ्र उपभोग हेतु जरूरत नहीं थी इस लिये यह स्टॉक को पुनर् आंकित किया गया या आगामी वित्तीय वर्षों अप्रैल 1997 और दिसम्बर 1999 के दौरान अन्य कार्यों को स्थानान्तरित किया।

इस प्रकार बजट अनुदान के झूठे उपयोग के उद्देश्यों से समायोजन किया गया।

5.1.4 अन्य अनियमिततायें

(i) क्रय आदेशों का खंडित करना

नमूना जाँच किये गये मण्डलों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 1997-2000 के दौरान उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिये 97.83 लाख रूपए का सामान भण्डार के लिये आपूर्ति आदेशों को खण्डित कर के क्रय किया गया। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा दरों के लाभ से सरकार वंचित रही।

(ii) उच्च दरों पर खरीद

दस मण्डलों की नमूना जाँच के अंतर्गत पाया गया कि वर्ष 1997-2000 के दौरान दर संविदा भण्डार मर्दाने उन आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई जो दर संविदा में सम्मिलित नहीं थे, फलस्वरूप 9.80 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(iii) नाकार वस्तुओं का निपटान न करना

नमूना जाँच किये गये दस मण्डलों द्वारा अप्रैल 1990 से फरवरी 2000 के मध्य 60.34 लाख रूपए का सामान नाकार घोषित किया गया जिस का निपटारा मार्च 2000 तक नहीं किया गया।

⁴ अर्की, कसौली, काज़ा, कुमारसैन, नाहन, रामपुर, राजगढ़, रोहड़ू, शिमला डिवीजन न0II, शिमला डिवीज़न न0III एवं ठियोग

(iv) भण्डारों में कमी

रामपुर मण्डल के कनिष्ठ अभियन्ता को स्थानांतरण के फल स्वरूप 6 लाख रुपए के भण्डार को सौंपे बिना (अगस्त 1998) में भार मुक्त कर दिया गया। भण्डार में पाई गई कमी की वसूली हेतु मार्च 2000 तक कोई कारवाई नहीं की गई।

ये तथ्य मई 2000 में सरकार को प्रेषित किये गये उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

5.2 मुख्य अभियन्ता द्वारा भण्डार का अन्यायोचित एवं अव्यवस्थित क्रय

मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय क्षेत्र मण्डी द्वारा आवश्यकता से अधिक/अनावश्यक भण्डार का क्रय एवं तारकोल इमलसन के क्रय पर अपरिहार्य व्यय किया।

लोक निर्माण विभाग में भण्डार क्रय संगठन (एस.पी.ओ.) भण्डार के क्रय मामलों को निपटाने के लिये कार्य कर रहा था। भण्डार क्रय संगठन का कार्य केवल दक्षिणी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था और दो अन्य क्षेत्रों के भण्डारों की खरीद का कार्य सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा था। भण्डार क्रय संगठन के कार्य के विचलन का कोई कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

मुख्य अभियन्ता (मु0अ0) (केन्द्रीय क्षेत्र) मण्डी द्वारा अप्रैल-दिसम्बर 1999 के दौरान की गई खरीद की नमूना जाँच के अर्न्तगत (दिसम्बर 1999) निम्न तथ्य पाये गये:-

(i) अनावश्यक भण्डार की खरीद

(क) वित्तीय नियमों में निर्धारित है कि अनावश्यक भण्डार/आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की खरीद नहीं की जानी चाहिये। मुख्य अभियन्ता ने अप्रैल से दिसम्बर 1999 के दौरान 103.76 लाख¹ रुपए के मूल्य की आठ मर्दों की खरीद के लिये आदेश जारी किये। इस में से 31.55 लाख रुपए के सामान के क्रय आदेश मण्डलों की मांग के बिना जारी किये एवं 10.71 लाख रुपए मूल्य के सामान के आदेश मण्डलों से प्राप्त आवश्यकता से अधिक जारी किये गये।

(ख) तीन मण्डलों² के लिए ऊना वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता ने (सितम्बर, 1999) 1,000 टन तारकोल के लिये माँग पत्र भेजा गया। जबकि मुख्य अभियन्ता, द्वारा भारतीय तेल निगम को 1,400 टन तारकोल आपूर्ति करने के लिये आदेश जारी किया। उसी मास में 400 टन तारकोल ऊना वृत्त के मण्डलों को भेज दिया गया और शेष 1,000 टन तारकोल क्षेत्र के अन्य पाँच मण्डलों³ को माँग पत्रों के बिना विचलित किया गया। इस प्रकार ऊना वृत्त को आवश्यकता के अनुसार सामान उपलब्ध नहीं करवाया गया, जब कि अन्य मण्डलों को 86.86 लाख रुपए मूल्य का तारकोल बिना आवश्यकता के उपलब्ध करवाया गया एवं इस प्रकार 34.74 लाख मूल्य का 400 टन तारकोल बिना आवश्यकता के खरीदा गया।

¹ प्रधान विनिर्माता (एक मर्द रुपए 5.59 लाख) और जो फर्में राज्य भण्डार नियंत्रक की दर संविदा पर विद्यमान थीं (सी.ओ. एस.) (सात मर्दें 98.17 लाख रुपए)

² बंगाणा (100 एम.टी.) भरवाई (700 एम.टी.) और ऊना (200 एम.टी.)।

³ बिलासपुर (200 एम.टी.); धर्मपुर (200 एम.टी.); जोगेन्द्रनगर (200 एम.टी.); कुल्लू (200 एम.टी.) और सुन्दर नगर (200 एम.टी.)

(ग) अप्रैल-दिसम्बर 1999 के दौरान 16.93 लाख रूपए मूल्य के तारकोल के 996 ड्रम 80/100 एवं 2.48 लाख रूपए मूल्य के तारकोल इमलसन के 110 ड्रम मण्डी मण्डल-1 के भण्डार से क्षेत्र के अन्य मण्डलों को जारी/स्थानांतरित किए गए। परिणाम-स्वरूप, 19.41 लाख रूपए का तारकोल और इमलसन प्रारम्भ में मण्डलों की आवश्यकता के बिना विचलित किया गया और मुख्य अभियन्ता द्वारा दिया गया तर्क कि सामान मण्डलों की आवश्यकता के अनुसार भेजा गया, मान्य नहीं था।

इसी तरह दो मण्डलों⁴ की तारकोल इमलसन जैलांटीन एवं सुरक्षा फ्यूज कोआईलज की जरूरत 250 टन, 1475 किलो और 1,200 टुकड़े क्रमशः थी। तथापि अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त मण्डी ने (अप्रैल 1999) 550 टन, 4425 किलो एवं 3,600 टुकड़ों की क्रमशः बढ़ी हुई मांग मुख्य अभियन्ता को भेजी। इस के फलस्वरूप 33.12 लाख⁵ रूपए के भण्डारों की अन्यायपूर्ण उपलब्धता हुई।

मुख्य अभियन्ता ने (दिसम्बर 1999) बताया कि क्षेत्र का मुखिया होने के कारण, अपने कार्यालय में प्राप्त अभिलेख एवं समय-समय पर किये गये निरीक्षण के आधार पर मांग पत्रों के बिना भी आवश्यकता वाले वृत्तों/मण्डलों के सामान का प्रबन्ध करना एवं सामान उपलब्ध करवाने के लिये वह पूर्णतः जिम्मेवार था। तारकोल इमलसन की अधिक आवश्यकता के विषय में अधीक्षण अभियन्ता वृत्त मण्डी ने बताया (दिसम्बर 1999) कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं से परामर्श के उपरान्त ही मुख्य अभियन्ता को मांग भेजी गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मण्डलों द्वारा सामान की मांग न्यायोचित औचित्य के बिना बढ़ा दी गई थी। इस के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने असाधारण प्रथा अपनाई थी जो सरकार द्वारा बनाई गई क्रय प्रणाली के अर्न्तगत नहीं थी। मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई अधिक खरीददारी की सरकार छान-बीन करे और जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

(ii) तारकोल इमलसन की उपलब्धता पर अतिरिक्त व्यय

वित्तीय नियमों में व्यय से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों और पाब्दियों में निर्धारित है कि राज्य के राजस्व में से व्यय स्वीकृत करते समय हर सरकारी कर्मचारी वित्तीय औचित्य के उच्च मानक का मार्ग दर्शन करेगा और प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक कदम पर मित्तव्ययता वित्तीय आदेश को लागू करने के लिये उत्तरदायी है और लोक धन के व्यय से सम्बन्धित आवश्यक सतर्कता का प्रयोग करेगा।

मुख्य अभियन्ता ने (अप्रैल-दिसम्बर 1999) में 1643 टन तारकोल इमलसन (कैटिओनिक टाईप) विशिष्ट नमूना आई एस 8887/95 के अनुरूप सोलन आधारित फर्म जो राज्य के भण्डार नियंत्रक की दर संविदा पर विद्यमान थी से उपाजित किया जिसकी मियाद छः महीने थी। फर्म को आबकारी शुल्क एवं बिक्री कर सहित 10,452 रूपए प्रति टन की दर से भुगतान किया गया। यह ठेका 31 दिसम्बर, 1999 तक वैध था। यह भी मालूम हुआ कि इसी प्रकार का तारकोल-इमलसन जिस की मियाद एक वर्ष थी देहली स्थित एक अन्य फर्म के पास उपलब्ध था यह फर्म डायरेक्टर जनरल सप्लाइ व डिस्पोजल की दर संविदा पर विद्यमान थी जिस का मूल्य 2 अगस्त, 1999 तक 7,770 रूपए प्रति टन था एवं उस के पश्चात् 200 किलोग्राम एम.एस. बैरल में भरे हुये जमा 15 प्रतिशत आबकारी शुल्क सहित दर संविदा में लिखी गई शर्त के अनुसार रेल/सड़क तक 7,170 रूपए प्रति टन की दर से उपलब्ध था। दोनों मामलों में आपूर्ति कर्ता के स्थान से प्राप्तकर्ता के स्थान तक का परिवहन प्रभार अतिरिक्त देय था। इस प्रकार परिवहन प्रभार के लिये दिल्ली स्थित फर्म के कारखाने से मण्डी के विभिन्न भागों का औसतन अन्तर 600 किलोमीटर की दर से सम्मिलित करने के बाद, मूल्य में 1222.50 रूपए एवं 1912.50 रूपए प्रति टन का अन्तर बनता था। दिल्ली स्थित फर्म से तारकोल प्राप्त करने में विफल रहने के कारण सोलन स्थित फर्म को कम मियाद वाले सामान के लिये 21.47

⁴ मण्डी-1 व मण्डी-11

⁵ तारकोल इमलसन (31.36 लाख रूपए); गेलटाईन (1.33 लाख रूपए) व सेफटी फ्यूज क्वाइलज (0.43 लाख रूपए)

लाख रूपए का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान किया गया। इस से स्पष्ट है कि मुख्य अभियन्ता भण्डार के क्रय में मित्तव्ययता के लिये एवं सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में सतर्कता सिद्धान्तों का प्रयोग करने में असफल रहा। इस चूक के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने की जरूरत है।

यह भी देखा गया कि सोलन स्थित फर्म को 1,643 टन तारकोल के लिये दिये गये मूल्य में 6.60 लाख रूपए बिक्री कर भी दिया गया था यह बिक्री कर फर्म द्वारा जनवरी 2000 तक सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया।

यह मामला मई 2000 में सरकार को सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

5.3 जाली सामग्री का निर्गम

नियमों का उल्लंघन करते हुए बजट को प्रयुक्त किया दर्शाने के लिये निर्माण कार्यों के अन्तर्गत फर्जी बुकिंग की गई।

सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत फर्जी स्टॉक समायोजन का निषेध है जैसे ऐसी सामग्रियां जो अपेक्षित नहीं हैं या जो वास्तविक आवश्यकता से अधिक हैं की लागत को निर्माण कार्य के नामें डालना, ऐसे निर्माण कार्यों जिन के लिये कोई आबंटन संस्वीकृत नहीं किया गया है के लिये प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री के मूल्यों को ऐसे विशिष्ट निर्माण कार्य के नामें डालना था विनियोजन से अधिक परिव्यय के परिहार हेतु एक निर्माण कार्य पर प्रयुक्त हुई सामग्रियों के मूल्यों को पुनरांकित करना।

इन नियमों के विपरीत 7 मण्डलों¹ के मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मार्च 1996 से मार्च 1999 के दौरान 41 कार्यों के लिये 2.29 करोड़ रूपए का सामान बिना किसी आवश्यकता के जाली तौर पर कार्यों के नामें डाला गया 32 मामलों में आने वाले वित्तीय वर्षों जनवरी 1997 एवं मई 1999 के मध्य (1.52 करोड़ रूपए) की कीमत का सामान या तो भण्डार में वापिस लिया गया (151.75 लाख रूपए) या अन्य कार्यों को हस्तारित किया गया (0.25 लाख रूपए) रोहडू मण्डल द्वारा हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम को सीमेंट की आपूर्ति हेतु 76.16 लाख रूपए का अग्रिम भुगतान किया गया (मार्च 1999) इस को उच्चन्त शीर्ष “विविध कार्य अग्रिम” लम्बित भण्डार प्राप्ति के खाते में नहीं दिखाया गया, अपितु लेखाओं में सीधा नौ कार्यों के लिए प्रभारित किया गया। सामान की कीमत को कार्यों को प्रभारित करने के कारण अधिशासी अभियन्ता द्वारा नहीं दिये गये।

इस प्रकार उपलब्ध धन को खर्च करने के प्रयोजन से, सामान को लेखाबद्ध करना नियमाविरुद्ध था। कार्यों के लिये सामान को जाली तौर पर बुक करने के परिणाम-स्वरूप लेखाओं को वास्तविक व्यय में अतियुक्ति हुई।

मामला मार्च 2000 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

¹ घुमारवीं, नालागढ़, नूरपुर, पाँटा साहिब, रिकाँग पिओ, रोहडू एवं थुरल।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5.4 भण्डार में कमी

फार्मसिस्ट द्वारा 25.14 लाख रूपए के भण्डार सुपेद न किये गये।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) कांगड़ा स्थित धर्मशाला, के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (अक्टूबर 1999) जिला औषधि स्टोर के फार्मसिस्ट प्रभारी ने अपने जोनल अस्पताल धर्मशाला को स्थानांतरण (मार्च 1999) उपरान्त स्टोर प्रभार नहीं सौंपा। उस के उत्तराधिकारी ने (मार्च 1999) में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में भण्डार की गणना की और नये स्टाक रजिस्ट्रों में लेखाबद्ध किया। जबकि पुराने स्टाक रजिस्ट्रों के भण्डारों के अंत शेषों और नये स्टाक रजिस्ट्रों के अथ शेषों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त-अक्टूबर 1999) से प्रकट हुआ कि 25.14 लाख रूपए की औषधियां एवं अन्य भण्डारों का कम लेखाकरण नये स्टाक रजिस्ट्रों में किया गया। यह दर्शाने के लिये अभिलेख में कुछ भी नहीं था कि क्या भण्डारी ने इस को प्राधिकारियों के ध्यान में लाया था और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इन कमियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह इस सीमा तक यह भण्डारों की कमियों में परिणित हुई।

लेखापरीक्षा के कहने पर तथापि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कमियों का व्याख्यान देने के लिये फार्मशिष्ट को ज्ञापन जारी किया, (नवम्बर 1999)। इस के उपरान्त मई 2000 में कर्मचारी को निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं ने निलम्बित किया।

संवीक्षा में भी पाया गया कि भण्डार में कमी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक जाँच न करने के कारण संभव हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वतन्त्र रूप से भण्डारों का सत्यापन सुनिश्चित किये बिना कर्मचारी को कार्य भार-मुक्त कर दिया।

इस प्रकार, सुचारु रूप से भण्डार के सत्यापन के बिना फार्मशिष्ट को कार्य भार मुक्त करने के कारण भण्डार में 25.14 लाख रूपए की कमी हुई जिस की छान-बीन की जरूरत है।

मामला फरवरी 2000 में सरकार के ध्यान में लाया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।




छठा अध्याय

प्रवर्ग-क

समीक्षा

जल प्रदूषण से सम्बन्धित पर्यावरण अधिनियमों
व नियमावली की लेखापरीक्षा

पृष्ठ
173-190



छठा अध्याय

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

प्रवर्ग क-समीक्षा

विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

6.1 जल प्रदूषण से सम्बन्धित पर्यावरण अधिनियमों तथा नियमावली की लेखापरीक्षा

मुख्य बातें

प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या इसे कम करने हेतु विधायी निदेशों की अधिकांशतः प्राप्ति नहीं की गई थी और विधि-निर्माण के 25 वर्ष उपान्त भी जल की समग्र गुणवत्ता निकृष्ट रही थी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड) गतिविधियां सामान्यतः चयनात्मक उद्योगों तक सीमित थी और प्रभावी समन्वय सहित किन्हीं अनुवर्ती प्रयत्नों तथा अनुपालना सम्बन्धी ढांचे के अभाव में पारम्परिक जीव-अवशेष इकट्ठे होते रहे। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा तथा कथित नीतियों का अनुश्रवण भी अपेक्षित स्तर तक नहीं था। कुछ प्रमुख बातें निम्नवत् थी।

◇ 1994-99 के दौरान अप्रयुक्त बकाए 1.08 करोड़ रूपए तथा 3.59 करोड़ रूपए के परिक्षेत्र में थे। विभिन्न बैंक लेखों में पड़ी निधियों के कार्यक्रमवार ब्यारे बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे। (परिच्छेद 6.1.4)

◇ राज्य में नदियों तथा कुओं के प्रदूषण-नियंत्रण हेतु सविस्तृत कार्यक्रम बनाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण प्रारम्भ नहीं किए गए थे। प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रदान करने हेतु कथित नीतियां तथा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के लिए व्यवहार प्रक्रिया तथा दिशःनिर्देश बनाने के लिए भी अनुसरण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 6.1.5 तथा 6.1.6)

◇ राज्य में 58 करखों में 1994-99 के दौरान विभिन्न नालों, नदियों तथा पहाड़ी ढलानों में नगर का औसतन 30.04 लाख टन कूड़ा-करकट इकट्ठा हुआ पड़ा था तथा इसके पृथक्करण इसे नष्ट करने तथा प्रयुक्त करने हेतु कोई निवारक उपाय नहीं उठाए गए थे। ठोस क्षेप्य-प्रबन्धन हेतु 1995-96 में प्राप्त 25 लाख रूपए का अनुदान मई 2000 तक अप्रयुक्त पड़ा था।

(परिच्छेद 6.1.7 (i))

1994-99 के दौरान जलोत्पन्न रोगों के 24.81 लाख तथा मृत्यु के 444 मामले थे। मृत्यु/जलोत्पन्न रोगों की घटनाओं को कम करने हेतु बोर्ड अपने वैधानिक कार्य निष्पादित करने में असफल रहा था।

(परिच्छेद 6.1.7 (iii))

मल निराकरण पद्धति तथा मलाशयों के प्लावन के अभाव में 90 प्रतिशत से अधिक मल जल-मार्गों में निस्सारित हो रहा था, जो जल स्रोतों के 80 प्रतिशत प्रदूषण को प्रभावित कर रहा था।

(परिच्छेद 6.1.7 (iv))

जीव-चिकित्सकीय छीजन स्वास्थ्य संस्थाओं के परिसर में इकट्ठी की जा रही थी या इसे स्थानीय क्षेत्र में फेंका जा रहा था तथा इसको नष्ट करने हेतु कुछ नहीं किया जा रहा था। बोर्ड ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस तो जारी किए थे परन्तु सुरक्षा उपायों को प्रवृत्त करने के लिए जीव-चिकित्सकीय सुविधा में जुटी हुई संस्थाओं/प्रचालकों की न तो शिनाख्त की गई थी और न ही इन्हें प्राधिकृत किया गया था, जैसाकि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था।

(परिच्छेद 6.1.8)

मल निरस्सार आदि के लिए स्वीकृति प्राप्त किए बिना बोर्ड ने न तो प्रदूषित हो रहे उद्योगों की कुल संख्या की शिनाख्त की थी और न ही इसे कार्य कर रही इकाइयों की संख्या ज्ञात थी। प्रदूषित हो रही दस इकाइयां तथा सात परिवहन कर्मशालाएं अपेक्षित मल निवारण संयंत्रों की व्यवस्था के अभाव में कार्य कर रही थी। प्रतिदर्श एकत्रित करने हेतु कोई आवृत्ति नियत नहीं की गई थी और 1996-99 के दौरान 53 मामलों में कोई नमूने एकत्रित नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 6.1.9)

औद्योगिक इकाइयों/स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड द्वारा सांविधिक प्रावधान प्रवृत्त नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण लेखापरीक्षा के उद्देश्य निष्फल रहे।

(परिच्छेद 6.1.11)

1987-99 के 2.10 करोड़ रूपए के जल शुल्क की मई 2000 तक उगाही नहीं की गई थी। जैसाकि अपेक्षित था, जनवरी 1994 तथा जनवरी 1999 के मध्य वसूल किए गए 42.44 लाख रूपए भारत सरकार को जमा नहीं करवाए गए। वसूली हेतु 14.60 लाख रूपए का स्वीकृति/नवीकरण शुल्क 1987-88 से 1998-99 तक बकाया था।

(परिच्छेद 6.1.12 तथा 6.1.13)

जल परियोजनाओं का 138 करोड़ रूपए का जल शुल्क जमा नहीं करवाया जा सका, चूंकि इसके लिए प्रस्तुत मामले भारत सरकार द्वारा सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अभाव में न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए।

(परिच्छेद 6.1.14)

राज्य सरकार तथा आन्तरिक या बाह्य अभिकरणों द्वारा जल गुणवत्ता प्रबन्धन की किसी समीक्षा के अभाव में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन की कमी पाई गई।

(परिच्छेद 6.1.16)

6.1.1 परिचय

प्रदूषण मुख्यतः तीन प्रकार का है अर्थात् जल प्रदूषण वायुमण्डलीय प्रदूषण तथा भू-प्रदूषण। जल चार प्रकार के तत्वों अर्थात् पारस्परिक जीव अवशेषों से सम्बन्धित छीजन, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न छीजन, उर्वरकों से सम्बन्धित रसायनों तथा फसल-संरक्षण से सम्बन्धित कीटनाशकों तथा निम्नीकृत स्रवण क्षेत्रों की गाद से प्रदूषित होता है। वायुमण्डलीय प्रदूषण वाहनों के निस्सार तथा घुए, कारखानों तथा निपीड़ीय भोंपुओं के शोर तथा उद्योगों से उत्पन्न होता है। भू-प्रदूषण खतरनाक रसायनों की छीजन जो इतने अधिक दृष्टिगोचर नहीं होते परन्तु विषैली प्रकृति के होते हैं, से होता है। वास्तव में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तत्व एक दूसरे के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं कि वे न केवल प्रदूषण की एक किस्म उत्पन्न करते हैं, परन्तु इनके परिणामस्वरूप एक श्रृंखलात्मक प्रतिक्रिया होती है और प्रदूषण की एक विशिष्ट किस्म का केवल मात्र एक कारण बताना कठिन हो जाता है।

जबकि यह आंका जाता है कि मात्रा के रूप में छीजन जल का 3/4 भाग नगर स्त्रोंतों से उत्पन्न होता है, औद्योगिक छीजन, यद्यपि लघु मात्रा में, कुल प्रदूषण भार के 1/2 भाग से अधिक प्रदूषण में अंशदान हेतु उत्तरदायी है और इसका मुख्य भाग भारी तथा मध्यम उद्योगों से आ रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का समग्र स्तर निर्धारित करने हेतु राज्य में किसी प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किए गए हैं।

तथापि कुछ चयनित नदियों की घाटियों के अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि जल स्त्रोंतों का 80 प्रतिशत प्रदूषण नगर के मल के कारण होता है तथा शेष 20 प्रतिशत प्रदूषण औद्योगिक स्त्रोंतों से होता है। इसी प्रकार 1998-99 के दौरान चार केन्द्रों पर सब दिशाओं की वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण ने निलंबित विविक्त पदार्थ का स्तर निर्धारित स्तरों से अधिक दर्शाया। वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर रखने हेतु कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाए गए हैं। भू-प्रदूषण का स्तर भी निर्धारित नहीं किया गया था।

प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण तथा प्रदूषण के निम्नीकरण की जांच करने हेतु संसद द्वारा “जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974” बनाया गया। इस अधिनियम के अर्न्तगत जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थापकीय अभिकरणों को संस्थात्मक बनाया गया। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा व्यवस्थापकीय अभिकरणों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु एक अन्य सम्बन्धित कानून “जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) शुल्क अधिनियम, 1977” बनाया गया। इसके अतिरिक्त प्रदूषण हेतु एक व्यापक कानून “प्रदूषण (नियंत्रण) अधिनियम, 1986” भी बनाया गया। इन कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अनुसरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड) गठित किया गया (दिसम्बर 1974)। बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नवत् थे:-

राज्य में नदियों तथा कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा इसमें कमी लाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के संदर्भ में योजना बनाना;

जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा इसमें कमी लाने से सम्बन्धित किसी भी मामले में राज्य सरकार को परामर्श देना;

जल प्रदूषण से सम्बन्धित सूचना एकत्रित तथा इसका प्रचार करना तथा इसका निवारण, नियंत्रण तथा इसे कम करना;

उद्योग/उपचार संयंत्र की संस्थापना हेतु स्वीकृति देना तथा मल एवं व्यवसायों से सम्बन्धित निःस्त्रवण कार्यों तथा संयंत्रों का निरीक्षण करना;

मल तथा व्यवसायों से सम्बन्धित निस्सारों के उपचार हेतु मानक निर्धारित करना तथा मल एवं व्यवसायों से सम्बन्धित निस्सारों के उपचार/पुनः प्रयुक्त करने के लिए मितव्ययी तथा विश्वसनीय रीतियां बनाना तथा राज्य की नदियों, नहरों, कुओं इत्यादि का वर्गीकरण करना;

राज्य सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य कार्य करना; तथा

विशेष उद्योगों/स्थानीय प्राधिकरणों से जल उपभोग पर शुल्क उद्ग्रहण तथा संग्रह करना;

भारत सरकार ने प्रदूषण चेतना लाने के अपने प्रयास में 1992 में राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति बनाई तथा प्रदूषण के पर्यावरण तथा प्रदूषण में कमी लाने के लिए अपनी नीति सम्बन्धी वक्तव्य जारी किया ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपाय प्रारम्भ करने के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं जुटाई जा सकें।

6.1.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण बोर्ड का पदेन अध्यक्ष था। बोर्ड एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव, राज्य सरकार के पांच नामीतियों, स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार नामांकित सदस्यों, राज्य निगमों/बोर्डों के दो अधिकारियों तथा चार गैर-सरकारी सदस्यों से समाविष्ट था। बोर्ड के दस क्षेत्रीय कार्यालय³, परवाणु में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं⁴ थीं।

6.1.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

जल प्रदूषण से सम्बन्धित पर्यावरण अधिनियमों तथा नियमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित 1994-99 की अवधि की बोर्ड की गतिविधियों की मार्च-मई 2000 के दौरान समीक्षा की गई। इन्हें चार प्रादेशिक कार्यालयों⁵ तथा दो प्रयोगशालाओं⁶ के अभिलेखों की नमूना-जांच के द्वारा अनुपूरित किया गया। ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

6.1.4 वित्तीय व्यवस्थाएं

बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित राज्य/केन्द्रीय सरकारों द्वारा सहायता अनुदान के रूप में अंशदान, जल-शुल्क, स्वीकृति प्रदान करने, नमूना परीक्षण आदि हेतु प्राप्त शुल्क थे। मई 2000 तक बोर्ड के वार्षिक लेखे केवलमात्र मार्च 1996 तक तैयार किए गए थे। सदस्य सचिव ने बताया(मई 2000)कि 1996-97 से आगे के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि 1996-98 के अभिलेख दिसम्बर 1997 से प्रवर्तन विभाग के पास थे जिसके लिए, वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित जांच चल रही बताई गई थी। जल-प्रदूषण के नियंत्रण तथा निवारण से

³ बदी, बिलासपुर, चम्बा, जस्सूर, कूल्लू, पाँटा साहिब, परवाणू, रामपुर, शिमला और ऊना

⁴ जस्सूर, पाँटा साहिब और सुन्दरनगर

⁵ बदी, जस्सूर, परवाणु तथा ऊना

⁶ जस्सूर तथा परवाणु

सम्बन्धित किसी प्रकार के पृथक लेखों का अनुसूक्षण नहीं किया गया था। 1994-96 के दौरान बोर्ड की आय तथा व्यय निम्नवत् थी:

वर्ष	आदि शेष	प्राप्त अनुदान		आय		योग	व्यय	अन्त शेष	
		केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	अन्य स्रोत				
(लाख रुपयों में)									
1994-95	107.89	19.60	69.00	3.00	71.12	3.81	274.42	69.57	204.85
1995-96	204.85	39.58	62.00	10.48	82.55	0.68	400.14	122.35	277.79

3.59 करोड़ रुपए के अव्यथित बकाए के कार्यक्रमवार ब्यौरे बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नवत् तथ्य दृष्टिगत हुए:

(i) 31 मार्च 1994 को 1.08 करोड़ रुपए के अन्त शेष के प्रति 31 मार्च 1999 को 3.59 करोड़ रुपए का अन्त-शेष था जो विभिन्न बैंकों में सावधि जमा रसीदों या बचत बैंक लेखों के रूप में पड़ा था। विभिन्न बैंक लेखों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों के कार्यक्रमवार ब्यौरे बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे। इन ब्यौरों के अभाव में बोर्ड इन निधियों से सम्बन्धित स्कीमों का प्रभावशाली रूप से कार्यान्वयन नहीं कर सका।

(ii) भारत सरकार के निदेशों के अनुसार जल शुल्क का प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा इस संदर्भ में औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाना था। तथापि, बोर्ड ने इन गतिविधियों के लिए जल शुल्क की राशि को चिन्हित/उपयोग करने का निर्णय नहीं लिया था। सदस्य सचिव ने बताया(मई 2000) कि शुल्क की अल्प राशि को मध्यदृष्टि रखते हुए जल शुल्क का पूर्वोक्त प्रयोजनों हेतु उपयोग व्यावहारिक नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संग्रहित नहीं किए गए जल शुल्क की राशि लगभग 2.10 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा संग्रहित किए गये 42.44 लाख रुपयों भारत सरकार के पास जमा नहीं करवाए गए थे तथा बोर्ड द्वारा इन का उपयोग किया जाना था जैसाकि भारत सरकार के निदेशों के अन्तर्गत निर्धारित था।

6.1.5 औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण

(क) प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों को प्रवृत्त करने हेतु नदियों तथा कुओं के प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की एक योजना तैयार करने के लिए बोर्ड द्वारा राज्य की औद्योगिक इकाइयों तथा शहरों/कस्बों का एक सर्वेक्षण करना अपेक्षित था। बोर्ड ने एक चरणबद्ध रीति से उन पर्यावरणात्मक परिसम्पत्तियों का भी निर्धारण करना था जिन्हें प्रदूषण से संरक्षण प्रदान/सुधार किया जाना था। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि बोर्ड द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। जल गुणवत्ता प्रबन्धन तथा पर्यावरण परिसम्पत्तियों की सुरक्षा/निर्धारण हेतु भी कोई व्यापक रणनीति तैयार नहीं की गई थी।

सदस्य सचिव ने स्वीकार किया (मई 2000) कि औद्योगिक इकाइयों का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया था और न ही किन्हीं पर्यावरणात्मक परिसम्पत्तियों का निर्धारण किया गया था, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट सर्वेक्षण किए गए थे।

(ख) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए (सितम्बर 1988) दिशा निदेशों के अनुसार प्रदूषण-नियंत्रण के संदर्भ में विभिन्न सांविधियों के प्रावधान कार्यान्वित करने के लिए निगरानी/निरीक्षण के प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाइयों को उनकी प्रदूषण परिस्थिति के अनुसार लाल (उच्च प्रदूषण सम्भावित), संतरी (मध्यम प्रदूषण सम्भावित) तथा हरा (निम्न/महत्वहीन प्रदूषण सम्भावित) के रूप में वर्गीकृत किया जाना था।

स्थापित की गई कुल औद्योगिक इकाइयों तथा जल प्रदूषण के लिये उत्तरदायी इकाइयों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे

इकाइयों के व्यापक तथा वास्तविक वर्गीकरण हेतु विद्यमान इकाइयों, स्वीकृति प्रक्रिया के अन्तर्गत आवृत्त इकाइयों तथा स्वीकृति की प्राप्ति के उपरान्त वास्तविक रूप में स्थापित इकाइयों तथा जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी इकाइयों के संदर्भ में बोर्ड द्वारा आंकड़ों का अनुसूक्षण किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बोर्ड ने निरीक्षण हेतु मार्च 1994 तक 496 इकाइयों का वर्गीकरण किया था (लाल: 82, संतरी: 124 तथा हरी: 290) परन्तु स्थापित की गई कुल औद्योगिक इकाइयों तथा जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी इकाइयों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए गए। तदनन्तर बोर्ड ने 1,401 औद्योगिक इकाइयों के प्रति 193 इकाइयों (लाल: 57, संतरी: 54 तथा हरी: 82) का वर्गीकरण किया, जिसके लिए मार्च 1999 तक संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी। इन तीन श्रेणियों के अन्तर्गत इकाइयों की संख्या में आई कमी के कारण अभिलेखित नहीं थे। इसके अतिरिक्त शेष 1,208 इकाइयों का न तो कोई संकेत दिया गया था और न ही राज्य की कुल विद्यमान इकाइयों के ब्यौरे बोर्ड के पास उपलब्ध थे। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि 1988 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण की प्रकृति विशाल तथा सामान्य थी तथा बोर्ड ने राज्य के अनुरूप अपना एक पृथक वर्गीकरण अपनाया था। लेखापरीक्षा को यह तर्क स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण सुरक्षणों के संदर्भ में पृथक रूप से वर्गीकरण के अनुसरण के द्वारा निगरानी, विशेषतया लाल श्रेणी से सम्बन्धित निगरानी प्रभावित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा के दौरान संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्तमान में शिनाख्त की गई इकाइयों तथा निरीक्षणार्थ नियत की गई बारंबारता के आधार पर 5,450 निरीक्षण किए जाने अपेक्षित थे, जिसके प्रति बोर्ड द्वारा 1994-99 के दौरान केवल 3,735 निरीक्षण किए गए। सदस्य सचिव ने कमी का कारण मनुष्य शक्ति तथा संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव बताया (जून 2000)। तथापि, उन्होंने आगे बताया कि प्रचालन के वर्तमान स्तर पर इस प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रस्तुत किए गए कारण विरोधी थे और इस प्रकार तर्कसंगत नहीं थे। ऊपर दिए गए ब्यौरों तथा किए गए किसी सर्वेक्षण के अभाव में यह पाया जाएगा कि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सभी इकाइयों को कड़ी निगरानी के अंतर्गत लाने सम्बन्धी उद्देश्यों की अभी प्राप्ति की जानी थी।

6.1.6 मानदण्ड

पारम्परिक जीव-अवशेषों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न छीजन, उर्वरकों से उत्पन्न रसायनों तथा फसल संरक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जीवनाशकों जैसे तत्वों से जल प्रदुषित होता है। राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति तथा पर्यावरण एवं विकास पर नीति सम्बन्धी वक्तव्य, 1992 के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि मात्रा के आधार पर उत्पन्न छीजन जल का 3/4 भाग नगर स्त्रोतों से आता है तथा औद्योगिक छीजन कुल प्रदुषित भार में 1/2 से अधिक अंशदान हेतु उत्तरदायी है।

मल तथा व्यवसाय बहिःस्त्रावों के वर्तमान मानक प्रदूषितत्वों के बहिःस्त्रावों तथा निस्सरणों में एकत्रित हो जाने पर आधारित हैं। भारत सरकार ने अपने पूर्वाक्त नीति वक्तव्य में प्रौद्योगिक उन्नयन को बढ़ावा देने हेतु मानक निर्धारित करने के लिए मानकों के परिशोधन पर बल दिया था जो छीजन को न्यूनतम करने, उनकी रीसाइकलिंग तथा पुनः उपयोग करने तथा प्राकृतिक संसाधनों, विशेषतया जल के संरक्षण को उत्साहित करने के लिए विशिष्ट सीमाएं निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रक्रियाओं हेतु व्यवहार-प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देशों का निर्माण किया जाना था जिन्हें प्रदूषण से बचने, संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा छीजन का उपयोग करने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि परिशोधित मानक निर्धारित करने हेतु बोर्ड द्वारा शिनाख्त किए गए क्षेत्रों के अन्तर्गत कोई अध्ययन नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि उपलब्ध न्यूनतम तनूकरण और ऐसे बहिःस्त्रावों के बह जाने के उपरांत अनुमत प्रदूषण को सहन करने की सीमा को मध्यदृष्टि रखते हुए बोर्ड ने बहिःस्त्रावों/मल तथा व्यवसाय निस्सारों के उपचार के लिए मानक निर्धारित या संशोधित नहीं किए थे जैसाकि जल अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था। विशिष्ट प्रक्रियाओं हेतु कोई दिशानिर्देश तथा व्यवहार संहिताएं नहीं बनाई गई थी। जैसाकि पूर्वाक्त नीति-वक्तव्य में निर्धारित था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2000) कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुसरण किया जा रहा था। इस प्रकार जल की विद्यमान विशेषताओं के संदर्भ में स्थानीय आवश्यकताओं तथा शर्तों जैसाकि जल अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 तथा कथित नीतियों के अन्तर्गत अपेक्षित था, को मध्यदृष्टि रखते हुए बोर्ड मानक निर्धारित करने में विफल रहा तथा व्यापक आधार पर मानक अपनाते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन करना कार्यवाही न किए जाने के कारण अपेक्षित रहा।

व्यवहार-संहिता तथा विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश नहीं बनाए गए तथा कथित नीतियां अपेक्षित रही

जहां तक व्यवहार-संहिता तथा विशिष्ट प्रक्रियाओं हेतु दिशानिर्देश बनाने का सम्बन्ध है, सदस्य सचिव ने बताया (जुलाई 2000) कि मानक नियत करना एक गतिशील प्रक्रिया थी तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियमों के द्वारा इसका आवश्यक उन्नयन किया जा रहा था। विवाद तर्कसंगत नहीं था चूंकि नीति वक्तव्य में दिए गए मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। भविष्य में समस्याओं के समाधान हेतु भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

6.1.7 जल गुणवत्ता प्रबन्ध

जल प्रदूषण अधिनियमों के अन्तर्गत बोर्ड इस बात के लिए उत्तरदायी था कि निकृष्ट ठोस क्षेप्य प्रबन्ध के कारण जल की गुणवत्ता हानिदायक न हो। राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति तथा पर्यावरण एवं विकास नीति, 1992 ने भी प्रदूषण-निवारण तथा भविष्य में जल-गुणवत्ता की बिगड़ती हुई हालत पर नियंत्रण हेतु बल दिया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- (i) राज्य में 58 नगरपालिकाएं अधिसूचित क्षेत्र समितियां थी। राज्य के विभिन्न कस्बों में कूड़ा-प्रवाह परिस्थिति पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

मल, व्यवसाय-
बहिःस्त्रावों,
कूड़ा-कर्कट
आदि के प्रत्यक्ष
प्रवाह के कारण
जल की गुणवत्ता
बिगड़ी

तथापि भारत सरकार द्वारा प्रदुषित भू-खण्डों के रूप में शिनाख्त करने (मार्च 1993) के उपरान्त मण्डी, कुल्लू तथा मनाली में व्यास नदी के किनारे पर स्थित तीन भू-खण्डों के अध्ययन के आधार पर जून 1994 में बोर्ड द्वारा इन्हें हाथ में लिया गया। अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार प्रदुषित भू-खण्डों में जल की गुणवत्ता सभी परिमाणों अर्थात् टोटल कौलिफार्म, फिकल कौलीफार्म तथा जीव-रसायन आक्सीजन मांग के संदर्भ में बिगड़ चुकी थी। नदी में मल का प्रत्यक्ष प्रवाह, व्यवसाय-बहिःस्त्राव, कूड़ा-कर्कट इत्यादि जल की गुणवत्ता बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी थे। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि परियोजना के अर्थपोषण हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था (सितम्बर 1995) परन्तु अनुमोदन अभी तक प्रतिक्षित था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रस्ताव के शीघ्र अनुमोदन हेतु इसका अनुसरण किया जाना चाहिए था और अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह इंगित कर सके कि क्या मामले का इस प्रयोजनार्थ कमी अनुसरण किया गया था।

इस प्रकार बोर्ड द्वारा स्कीम का अनुसरण न करने के कारण जल की गुणवत्ता प्रदुषित होती गई। आगामी जांच में सदस्य सचिव ने बताया (जुलाई 2000) कि अभी हाल में नई दिल्ली में हुई राज्य पर्यावरण तथा वन मंत्रियों के सम्मेलन में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित हिमालय राज्यों के लिए पृथक रूप से स्कीम तैयार करने का वचन दिया था। तथापि आयुक्त एवं सचिव ने सूचित किया (जुलाई 2000) कि यह स्कीम में राज्य सरकार के माध्यम से अग्रेषित नहीं की जा रही थी।

अध्ययनों के परिणामों से आगे उद्घाटित हुआ कि पूर्वाक्त कस्बे प्रतिदिन लगभग 63 टन (मण्डी: 17; मनाली: 24 तथा कुल्लू: 22) कूड़ा-कर्कट पैदा कर रहे थे जिसे नदियों/खण्डों के किनारों पर इकट्ठा किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी कस्बे में कूड़े/मल के उपचारार्थ कोई समुचित सुविधा नहीं थी। आगे बोर्ड द्वारा 1995-96 तथा 1997-98 के दौरान किए गए शहरी ठोस क्षेप्य प्रबन्ध के अनुसार पांच शहरों में प्रतिदिन औसतन 164 टन कूड़ा उत्पादित हो रहा था। तथापि समितियां केवल 58 टन कूड़ा नष्ट करने में सक्षम थी जिसके परिणामस्वरूप नष्ट किए जाने वाले कूड़े के संदर्भ में असन्तुलन पैदा हुआ था। फिर नष्ट किए गए ठोस कूड़े को भी बिना निवारक उपाय उठाते हुए इकट्ठा किया जा रहा था जिससे जल/पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हुआ।

विभिन्न नालों,
नदियों तथा पहाड़ी
ढलानों आदि पर
गत पांच वर्षों में
58 कस्बों में
30.04 लाख टन
कूड़ाकर्कट इकट्ठा
किया गया

प्रतिदिन 227 टन की दर से या प्रति वर्ष 82,855 टन⁷ की दर से नगर का कूड़ाकर्कट केवल पूर्वाक्त आठ कस्बों में इकट्ठा होता गया या गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न नालों, नदियों तथा पहाड़ी ढलानों आदि पर 58 कस्बों का औसतन 30,03,530 टन कूड़ाकर्कट एकत्रित किया गया जिससे जल प्रदूषण हुआ। बोर्ड द्वारा कूड़ा-कर्कट के पृथक्करण, कूड़ा-कर्कट को न्यूनतम करने तथा कूड़ा-कर्कट का उपयोग करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि यह प्रतिवेदन पहले ही भारत सरकार को भेजे जा चुके थे और उन्होंने 50: 50 भाग के आधार पर शिमला में ठोस क्षेप्य प्रबन्ध के लिए 25 लाख रूपए का अनुदान संस्वीकृत किया था (1995-96) परन्तु परियोजना निष्पादित नहीं की गई थी तथा मई 2000 तक राशि अप्रयुक्त पड़ी थी। उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड द्वारा अपने हिस्से के रूप में व्यय की जाने वाली निधियों के अभाव में परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। प्रारम्भ में डैमो परियोजना शिमला कस्बे के लिए थी परन्तु

⁷ चम्बा, धर्मशाला, नालागढ़, शिमला तथा सोलन

⁸ प्रतिदिन 227 टन x 365 दिन = 82,855 टन 82,855 + 8 टन = 10,357 टन 10,357 x 58 स्थानीय निकाए = 6,00,706 प्रतिवर्ष 6,00,706 x 5 वर्ष = 30,03,530 टन

शिनाख्तकृत प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता के अभाव में (तापमान बाधाओं के कारण), भारत सरकार ने इसका हस्तान्तरण नाहन के लिए अनुमोदित किया (अगस्त 1998)। आगे यह भी पाया गया कि निदेशक, नगर विकास ने अंतिम प्रयोगकर्ता होने के नाते परामर्शदाता, योजना के सुझाव पर परियोजना निष्पादित करने तथा 50 प्रतिशत लागत वहन करने के लिए सहमत हुआ था (नवम्बर 1998) परन्तु राशि अभी तक स्थानान्तरित नहीं की गई थी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्राप्त (सितम्बर 1998) एक जनहित मुकदमेंबाजी सम्बन्धी मामले के सारांशित विवरण के अनुसार नगर की ठोस छीजन/कूड़ा-कर्कट के कुप्रबन्ध के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न प्रदूषण सम्बन्धी समस्याओं पर बोर्ड ने विचार नहीं किया तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत समुचित निदेश जारी नहीं किये गये। इन तथ्यों को गम्भीरता से लेते हुए स्वच्छतापूर्वक रीति से छीजन/कूड़ाकर्कट को नष्ट करने के लिए बोर्ड ने एक कार्य योजना तैयार की तथा इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य बोर्ड तथा नगर स्थानीय निकायों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किया (नवम्बर 1998) परन्तु निष्पादक अभिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों द्वारा वर्गीकृत कार्यों पर वास्तविक रूप से कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था (मई 2000)। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि कार्य योजना सम्बन्धित विभागों को भेज दी गई थी परन्तु निधियों के अभाव में कार्यान्वयन अवरूद्ध हो गया था। तथापि नगर निगम, शिमला तथा नगरपालिका, सोलन के अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि उनके पास जून 2000 तक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई थी, अतः उस पर कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। यह बोर्ड, स्थानीय निकायों तथा सम्बन्धित सरकारी विभागों में समन्वय का अभाव दर्शाता था।

नगर के कूड़ाकर्कट को नष्ट करने के लिए भूमि में स्वच्छता खड्डों की व्यवस्था करने हेतु सभी नगरपालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों को जारी किये गये राज्य सरकार के निदेशों (सितम्बर 1977) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि 58 स्थानीय निकायों में से केवल एक स्थानीय निकाय ने अनुपालन प्रतिवेदन किया था।

बोर्ड ने जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा कमी से सम्बन्धित सूचना का प्रचार नहीं किया जिससे मृत्यु तथा जलोत्पन्न रोगों की घटनाएं हुईं।

(iii) निदेशक, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार 1994-99 के दौरान 444 मृत्यु तथा 24,80,549 मामले जलोत्पन्न रोगों के थे। बोर्ड का एक मुख्य कार्य राज्य सरकार को परामर्श देना तथा जल, प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा इसमें कमी लाने से सम्बन्धित सूचना का प्रचार करना था। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जो यह इंगित कर सके कि मृत्यु/जलोत्पन्न रोगों से सम्बन्धित घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए बोर्ड ने ये कार्य निष्पादित किए थे।

(iv) बोर्ड द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि राज्य में विद्यमान स्वच्छता पद्धति के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों से उत्पन्न 90 प्रतिशत से अधिक मल बिना किसी उपचार के जल में प्रवाहित किया जा रहा था जिससे जल संसाधनों का लगभग 80 प्रतिशत प्रदूषण तथा शेष 20 प्रतिशत प्रदूषण औद्योगिक स्रोतों का प्रभावित हुआ।

बोर्ड ने नगर निगम, शिमला को इस आशय से अनुमति प्रदान की (सितम्बर 1980) कि वह स्वीकृति की तिथि से 12 मास के भीतर मल के प्रस्तावित उपचार की व्यवस्था तथा उसका निष्पादन करे।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि उपचार संयंत्रों की व्यवस्था करने का कार्य मई 2000 तक भी सम्पन्न नहीं हुआ था।

शिमला कस्बे की विद्यमान मल-परनालियां 25000 व्यक्तियों की जनसंख्या के लिए 1880 में बिछाई गई और मल के वर्तमान भार को वहन करने के लिए अतिरिक्त मल बिना किसी उपचार के प्राकृतिक जल मार्गों में प्रवाहित किया जा रहा था। मल नष्ट करने के विद्यमान कार्य केवल साधारण रूप के अवरोधक हौजों/टंकों से युक्त थे जिनमें केवल तलछटीकरण प्रक्रिया होती थी। शिमला में मल परनालियों के निर्माण का कार्य सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया (मार्च 1998) परन्तु मई 2000 तक प्रत्यक्ष रूप से इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई थी। अधिशासी अभियन्ता, मल-व्यवस्था नेटवर्क निर्माण मण्डल तथा मल-व्यवस्था उपचार संयंत्र निर्माण मण्डल ने बताया (मई 2000) कि सामग्री-उपार्जन, भू-अर्जन इत्यादि के लिए 1997-2000 के दौरान विभिन्न फर्मों/अभिकरणों को भुगतान किए गए अग्रिमों पर 16.06 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे। परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना था।

शिमला में मल-उपचार/विद्यमान मलाशयों के प्लावन के कारण मल को सीधे नालियों तथा प्राकृतिक जल-मार्गों में बहाया गया।

सात कस्बों⁹ में शहरी ठोस कूड़ाककर्ट/छीजन सम्बन्धी प्रास्थिति प्रतिवेदनों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि मल उपचार पद्धति/विद्यमान मलाशयों के प्लावन के अभाव में मल सीधे नालियों तथा प्राकृतिक जल मार्गों में प्रवाहित किया जा रहा था। मई 2000 तक अन्य कस्बों में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया था। इस प्रकार प्राकृतिक जल मार्गों के प्रदूषित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था। अनुपचारित मल को नष्ट किए जाने सम्बन्धी तथ्य को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव ने बताया (जून 2000) कि सभी नगरीय निकायों को नोटिस जारी किए गए थे और पालन न किए जाने सम्बन्धी तथ्य को मध्यदृष्टि रखते हुए सरकार के साथ मामला उठाया गया।

(v) जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण करने की दृष्टि से समस्त देश में जल-प्रदूषण की जांच करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1980 के मध्य में "भारतीय राष्ट्रीय एकुआटिक संसाधन पद्धति का अनुश्रवण" स्कीम प्रारम्भ की थी तथा इसके लिए 23 जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र संस्वीकृत किए।

बोर्ड 23 केन्द्रों में त्रैमासिक आधार पर मुख्य नदियों से जल के नमूने ले कर जल-गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहा था तथा इस प्रयोजनार्थ दिसम्बर 1995 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य 6.70 लाख रूपए व्यय किए गए। जांच किए नमूनों के विश्लेषण प्रतिवेदनों ने इंगित किया कि नगरीय मल तथा ठोस कूड़ाककर्ट के कारण औट, भाखड़ा, बिलासपुर, देहरा, कूल्छू, मण्डी, रामपुर तथा सलापड़ जैसे नदी के निचले आवासीय स्थानों में फीकल कोलीफार्म तथा टोटल कोलीफार्म के परिमाण निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं थे। 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत बोर्ड की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई विदित नहीं थी (मई 2000)।

इस प्रकार निकृष्ट ठोस क्षेप्य प्रबन्ध से जल प्रदूषित हुआ।

⁹ चम्बा, धर्मशाला, कूल्छू, मनाली, मण्डी, नालागढ़ तथा सोलन

6.1.8 जीव-चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट

“भारत में शहरी ठोस क्षेप्य प्रबन्ध” पर एक प्रतिवेदन में योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि चिकित्सालय प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1-2 किलोग्राम छीजन/कूड़ाकर्कट पैदा कर रहे थे जिसमें से 85 प्रतिशत खतरनाक नहीं था तथा शेष संक्रामक तथा खतरनाक था। चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट को नष्ट करने हेतु मानक जीव-चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट (प्रबन्ध तथा संचालन) नियमावली, 1998 के रूप में अधिसूचित किए गए जिसके लिए समनुदेशित नियामक प्राधिकारी बोर्ड था। जीव-चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट उत्पन्न पैदा करने वाला प्रत्येक अधिभोक्ता तथा जीव-चिकित्सीय सुविधा में जुटे प्रत्येक प्रचालक को प्राधिकार प्राप्त करना तथा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि इस प्रकार की छीजन/कूड़ा-कर्कट का संचालन मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाए।

जीव-चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट स्वास्थ्य संस्थाओं के परिसर में एकत्रित किया जाता रहा और इसे समुचित रूप से नष्ट नहीं किया गया।

(i) राज्य में 3,734 स्वास्थ्य संस्थाएं (चिकित्सालय: 67; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र: 55; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र: 312; औषधालय: 1,231 तथा उप-केन्द्र: 2069) थे। चिकित्सालयों में ठोस कूड़ाकर्कट का मुख्य स्रोत पट्टियां, कपड़ा एवं रूई, रबड़ के दस्ताने तथा डिसपोज़ेबल सिरिंज सैट आदि जैसी निरर्थक रूप में फेंकी गई मरहम-पट्टी से सम्बन्धित सामग्रियों के अतिरिक्त विकृति-विज्ञान तथा सूक्ष्मजीव विज्ञान प्रयोगशालाएं तथा शल्य-कक्ष थे। चिकित्सालयों/निदानशालाओं में उपलब्ध होने वाले भाप-विसंक्रमकों/माइक्रोवेव/निर्दाहकों जैसी सुविधाओं के अभाव में छीजन/कूड़ाकर्कट पर्यावरण तथा जल में रहने वाले जीवों जो दूषित हो रहे थे, के लिए एक गम्भीर खतरा बन रहे थे।

जीव-चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट की प्रास्थिति को सुनिश्चित करने तथा इसके पृथक्करण तथा इसे नष्ट करने हेतु अनुश्रवणार्थ बोर्ड द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, 1995-96 में बोर्ड द्वारा शिमला तथा मण्डी शहरों के चिकित्सालयों पर किए गए एक यदृच्छ्या अध्ययन में चिकित्सालयों की छीजन/कूड़ाकर्कट के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी स्तरों पर जागृति का अभाव तथा उदासीनता को प्रकाशमय किया था। छीजन/कूड़ाकर्कट परिसर में एकत्रित किया जा रहा था या इसे स्थानीय क्षेत्रों में फेंका जा रहा था तथा इसे नष्ट करने हेतु कुछ नहीं किया जा रहा था।

सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2000) कि जीव-चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट (प्रबन्ध तथा संचालन) नियमावली, 1998 के अनुपालनार्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निदेश जारी किए गए थे (मई तथा अगस्त 1999)। इससे आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

(ii) अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि बोर्ड ने न तो जीव चिकित्सीय छीजन/कूड़ाकर्कट उत्पन्न करने वाली संस्थाओं तथा जीव-चिकित्सीय सुविधा में जुटे प्रचालकों की शिनाख्त की थी और न ही किसी प्रकार से प्राधिकृत ही किया गया था जैसाकि पूर्वोक्त नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित था। बोर्ड को राज्य में संचालित निजी उपचर्या गृहों/निदानशालाओं, पशु-चिकित्सा संस्थाओं, पशु गृहों या प्रचालकों तथा उन स्थानों जहां पर यह इकाइयां छीजन/कूड़ाकर्कट एकत्रित कर रही थी का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण किस सीमा तक प्रभावित हुए। किसी प्रकार से प्राधिकृत नहीं किया गया था से सम्बन्धित तथ्य को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल-जून 2000) कि बोर्ड उपचर्या गृहों की

सूची तैयार कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रकार की सुविधाएं अधिकांशतः सरकारी क्षेत्र में थी जिनकी शिनाख्त की जा रही थी ताकि ये प्राधिकार प्राप्त कर सकें।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि जीव-चिकित्सीय छीजन/कूड़ाककर्ट की जल-प्रदूषणनार्थ उत्तरदायी होने के रूप में शिनाख्त की गई थी, बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग/स्थानीय निकायों से परामर्श करके प्रदूषण-निरोधी उपायों को प्रवृत्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

6.1.9 औद्योगिक प्रदूषण

(i) जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी ऐसा उद्योग स्थापित नहीं करना चाहिए जिससे बहिःस्त्राव या व्यवसाय निस्सरण के बहने की सम्भावना हो। जल-प्रदूषण के नियंत्रण तथा निवारण हेतु ऐसे उद्योगों को अन्य बातों के साथ-साथ बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र संस्थापित करना अपेक्षित है।

दस औद्योगिक इकाइयों ने बहिःस्त्राव उपचार संयंत्रों की व्यवस्था नहीं की।

नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि बोर्ड ने प्रदूषित उद्योगों की कुल संख्या की शिनाख्त नहीं की थी जिन्हें बहिःस्त्राव उपचार संयंत्रों की आवश्यकता थी, परन्तु मार्च, 1999 तक 1,401 औद्योगिक इकाइयों को इस प्रयोजनार्थ अनुमति प्रदान की गई थी। बोर्ड को ऐसी इकाइयों की संख्या भी ज्ञात नहीं थी जो बिना अनुमति प्राप्त किए कार्य कर रही थी। यह भी पाया गया कि 10 इकाइयों⁸ ने 1968 तथा 1992 के मध्य अपनी संस्थापना से बहिःस्त्राव उपचार संयंत्रों की व्यवस्था नहीं की थी। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि दोषी इकाइयों को नोटिस जारी किए गए थे परन्तु बहिःस्त्राव उपचार संयंत्रों की संस्थापना में असाधारण विलंब के कारण अभिलिखित नहीं थे। इस प्रकार बोर्ड राज्य की प्रदूषित इकाइयों की शिनाख्त करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा और व्यवसाय निस्सरण निरन्तर रूप से नालियों/प्राकृतिक जलमार्गों में प्रवाहित किया जा रहा था, जिससे जल प्रदूषण हुआ।

(ii) (क) क्षेत्रीय कार्यालयों बड़ी, जस्सूर, परवाणु तथा ऊना के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि सोलन जिला में चार भारी इकाइयों में प्रदान किए गए निःस्त्रवण उपचार संयंत्र संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रहे थे जिससे जल तत्व प्रदूषित हुए। यह भी पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा कांगड़ा जिला की दो औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त जस्सूर तथा ऊना के प्रादेशिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली सात कर्मशालाएं बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना क्रमशः गत 16 तथा 10 वर्षों से कार्य कर रही थी। दोषी इकाइयों के विरुद्ध अभी तक अधिनियम में अपेक्षित दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रादेशिक कार्यालयों के पर्यावरण अभियन्ताओं, ने बताया (अप्रैल-मई 2000) कि निरीक्षणों के द्वारा प्रदूषण स्तर में कमी सुनिश्चित की जा रही थी तथा नोटिस जारी किए जा रहे थे।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए (नवम्बर 1995) कि प्रदूषण नियन्त्रण विधाओं को प्रतिष्ठापित करने वाले उद्योगों में उत्पादन पद्धति को प्रदूषण नियन्त्रण विधाओं से परस्पर संयोजित करने की व्यवस्था कर ली गई थी। बोर्ड ने अगस्त-सितम्बर 1999 के दौरान ही नोटिस जारी कर दिए थे लेकिन अनुपालना पर निगाह नहीं रखी गई थी। सदस्य

⁸ फल विधायन इकाइयां : आठ तथा दुग्ध प्रसंघ इकाइयां : दो

सचिव ने बताया (मई 2000) कि यद्यपि मुख्य सीमेन्ट संयंत्रों में परस्पर संयोजन सुविधा थी लेकिन चेतावनीसूचक अन्य श्रेणी की इकाइयों में इस सुविधा का विस्तार प्रक्रियाधीन थे।

(ग) औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपनाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की दक्षता के निर्धारणार्थ बोर्ड द्वारा संविस्तृत विश्लेषण हेतु वहिःस्त्रावों के नमूने एकत्रित करने अपेक्षित थे।

क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि नमूना-संग्रह हेतु कोई बारंबारता नियत नहीं की गई थी। 1994-99 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक वर्ष में एक औद्योगिक इकाई के संग्रह तथा विश्लेषण किए गए अधिकतम नमूने एक और 12 के पक्षेत्र में थे। केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय कार्यालय, जसूर, परवाणु तथा ऊना के अभिलेखों से आगे उद्घाटित हुआ कि 53⁹ मामलों में 1994-99 के दौरान बोर्ड द्वारा कोई नमूने एकत्रित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार नमूने संग्रहित न किए जाने के कारण व्यवसाय वहिःस्त्राव का मानक निश्चित नहीं किया जा सका तथा उपचार रीतियों के उन्नयन हेतु निवारक उपाय नहीं किए जा सके। सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि नमूनों की बारंबारता नियत की जा रही थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बोर्ड द्वारा काफी समय पूर्व राज्य की औद्योगिक इकाइयों में नमूने की एक स्वावलम्बी पद्धति विकसित करनी चाहिए थी।

(घ) बड़ी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र (सोलन जिला) सिरसा नदी के किनारे पर स्थित था जो मार्ग के साथ-साथ रहने वाले लोगों के लिए पेय जल का मुख्य स्रोत था। प्रादेशिक कार्यालय, बड़ी के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि औद्योगिक कस्बे विकसित करते समय बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप सिविल सुख-सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मल तथा कूड़ाककर्ट को बिना किसी उपचार के खुले स्थान में एकत्रित किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप नदी के स्रवण-क्षेत्र में जल-गुणवत्ता में कमी आई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सहायक पर्यावरण अभियन्ता, बड़ी ने बताया (अप्रैल 2000) कि मुख्य प्रदूषित इकाइयों के जन्म लेने से पूर्व प्रादेशिक कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण पद्धतियों के संस्थापन तथा इन्हें प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रगति का अनुश्रवण कर रहा था। उसने आगे बताया कि औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण-भार में कमी लाने हेतु पग उठाए जा रहे थे। तथापि, सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा मल नष्ट करने तथा कूड़ाककर्ट को एकत्रित करने सम्बन्धी जांच के लिए कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाए गए थे यद्यपि सांविधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को मल तथा कूड़ाककर्ट को नष्ट करने हेतु परामर्श देना तथा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि नदी का पानी प्रदूषित न हो पाए।

9 53 मामलों के ब्योरे:

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	योग
परवाणु	6	5	6	7	6	30
ऊना	3	-	4	5	4	16
जसूर	-	-	-	3	4	7
योग	9	5	10	15	14	53

मल तथा कूड़ाककर्ट को बिना किसी उपचार के खुले स्थान में एकत्रित किया गया था

6.1.10 अन्य स्रोतों से प्रदूषण

महामारी नाशक, कीटनाशक तथा उर्वरकों जैसे कृषि निवेशों के उपयोग के कारण प्रदूषण बढ़ रहा था जो न केवल जल-तत्वों को बल्कि जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहा था। यह पाया गया कि सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकी समाधानों को उत्साहित, विकसित या लागू करने हेतु बोर्ड ने कोई अध्ययन नहीं किया था यद्यपि यह समस्या प्रदूषण में कमी हेतु राष्ट्रीय नीति विवरण, 1992 में दर्शाई गई थी।

सदस्य सचिव ने बताया (अप्रैल 2000) कि इस प्रकार के प्रदूषण हेतु कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि कोई भी प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगत नहीं था। यह विवाद तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि बोर्ड 1997-98 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि बागबानी गतिविधियों में महामारी नाशकों तथा कीटनाशकों का व्यापक उपयोग पंडोह जलाशय के जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। इस प्रकार सदस्य सचिव का उत्तर सम्भाविक आकस्मिकताओं से निपटने में दिखाए जा रहे ढीलेपन का सूचक था।

6.1.11 पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस विचार से कि औद्योगिक इकाइयों तथा स्थानीय निकायों को यह अनुभव करना चाहिए कि प्रदूषण कम करना उनका उत्तरदायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति जो एक ऐसा उद्योग, प्रचालन या प्रतिक्रिया संचालित कर रहा था जिसके लिए जल अधिनियम, 1974 की धारा 26 के अंतर्गत स्वीकृति अपेक्षित थी, वह पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रति वर्ष की मई के 15 वें दिन को या इससे पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जल तथा कच्चा माल के उपभोग, उत्पन्न प्रदूषण, ठोस कूड़ाकच तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्रभाव इत्यादि पर सूचना से समाविष्ट पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

यह पाया गया कि बोर्ड द्वारा किसी भी अभिलेख का समुचित रूप से अनुसंधान नहीं किया जा रहा था जिसके कारण औद्योगिक इकाइयों/स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं की जा सकी। सांविधिक प्रावधान प्रवृत्त नहीं किए जा रहे थे और केवल कुछ एक औद्योगिक इकाइयां दिनचर्या के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही थी जिन्हें किसी पर्यावरण लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित तक नहीं किया गया था और उनकी नीतियों, प्रचालनों तथा गतिविधियों का पर्यावरण पर हुए प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कुछ नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण लेखापरीक्षा के उद्देश्य निष्फल रहे।

अभिलेखों का अनुसंधान न किए जाने सम्बन्धी तथ्य को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि जल, अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी।

6.1.12 जल शुल्क का निर्धारण तथा संग्रह

जल शुल्क अधिनियम, 1977 किसी विशिष्ट उद्योग का संचालन कर रहे प्रत्येक उपभोक्ता तथा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण से भी समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारण दरों पर जल शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रह करने हेतु बोर्ड को अधिकृत करता है। जल अधिनियम, 1977 तथा जल नियमावली में आगे यह व्यवस्था है कि बोर्ड द्वारा संग्रहित जल-शुल्क की यह परिलब्धियां उस मास

जिसमें उपभोक्ता से इसका संग्रह किया गया के अनुवर्ती पंचांग मास के 10 वें दिन से पूर्व वेतन तथा लेखा अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के पास जमा करवाया जाना था। तदोपरान्त 25 प्रतिशत राशि अपने पास रख कर शेष 75 प्रतिशत की बोर्ड को प्रतिपूर्ति की जानी थी। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि निर्धारितियों की वर्ष-वार सूची का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। तथापि, बोर्ड द्वारा मार्च 1999 तक 228 निर्धारितियों (औद्योगिक: 180 तथा स्थानीय निकाय: 48) की शिनाख्त की जा चुकी थी।

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

(i) 82 इकाइयों से दिसम्बर 1987 से फरवरी 1999 की अवधि का 41.84 लाख रूपए का जल-शुल्क वसूल किया जाना था। इसके अतिरिक्त जनवरी 1995 से मार्च 1999 की कालावधि से सम्बन्धित 9.70 लाख रूपए का शुल्क 27 स्थानीय निकायों के प्रति बकाया था और जैसाकि बताया गया, जल-विवरणियां प्राप्त न होने के कारण चार स्थानीय निकायों से कोई मांग नहीं उठाई गई थी। मई 2000 तक ब्याज सहित बकाया राशि वसूल करने हेतु बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ii) (क) 1994-97 के दौरान बोर्ड द्वारा संग्रहित 20.44 लाख रूपए का जल-शुल्क सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारत सरकार के पास जमा नहीं करवाया गया था।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से वसूल किया जाने वाला अप्रैल 1993 से अक्टूबर 1993 की अवधि का निर्धारित किया गया 1.80 करोड़ रूपए के जल-शुल्क के प्रति जनवरी 1994 तथा जनवरी 1999 के मध्य केवल 22 लाख रूपए का शुल्क वसूल किया गया। 1.58 करोड़ रूपए का शेष शुल्क मई 2000 तक वसूल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 22 लाख रूपए की राशि भारत सरकार के पास जमा नहीं करवाई गई थी जैसाकि अपेक्षित था।

(iii) उपभोक्ताओं द्वारा प्राधिकारी को प्रत्येक पंचांग मास के 5वें दिन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित जल कर विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। 101 इकाइयों में दो मास से बारह वर्ष के मध्य के परिक्षेत्र में विलम्ब पाया गया जिसके प्रति बोर्ड द्वारा अप्रैल 2000 तक शास्तियां अधिरोपित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

बोर्ड ने बताया (मई 2000) कि सही स्थिति का ज्ञान केवल तभी हो पाएगा जब प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करने के उपरान्त सभी दावों की खाता प्रविष्टियां पूर्ण की जाती हैं, क्योंकि मानवशक्ति की कमी तथा लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण खाते अपूर्ण थे। यह उत्तर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित करता था।

6.1.13 स्वीकृति शुल्क का उद्ग्रहण तथा वसूली

हिमाचल प्रदेश जल (प्रदूषण तथा नियंत्रण) स्वीकृति नियमावली, 1979 के अनुसार उद्योगों, स्थानीय निकायों तथा चिकित्सालयों को गन्दा पानी, बहिःस्त्राव या मल को नदियों, कुओं आदि में प्रवाहित करने के लिए स्वीकृति हेतु आवेदन करते समय, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर स्वीकृति शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है। स्वीकृति के वार्षिक नवीकरण के समय भी निर्धारित दरों पर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था।

2.10 करोड़ रूपए का जल शुल्क वसूल नहीं किया गया।

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

(i) 1987-99 में 350 इकाइयों के मामले में 14.60 लाख रूपए के स्वीकृति/नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई। यह भी पाया गया कि 950 इकाइयों से वसूल किए गए स्वीकृति/नवीकरण शुल्क के ब्यौरे इकाई-वार खातों, जिन्हें इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया गया था, में प्रविष्ट नहीं किए गए थे। इन ब्यौरों के अभाव में वसूल किए गए स्वीकृति/नवीकरण शुल्क की परिशुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

सदस्य सचिव ने बताया (मई 2000) कि अधिकतर मामलों में यद्यपि स्वीकृति शुल्क की वसूली की गई थी, परन्तु मानवशक्ति के अभाव में खाते में अपेक्षित प्रविष्टियां नहीं की जा सकी। यह उत्तर स्वीकृति शुल्क की वसूली के संदर्भ में अधिप्रमाणित अभिलेखों का अनुरक्षण न किए जाने में विभागीय विफलता को प्रकट करता था।

(ii) 58 नगरपालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों में से केवल एक नगरपालिका को स्वीकृति प्रदान की गई थी। सदस्य सचिव ने बताया (जून 2000) कि शेष समितियों के संदर्भ में मामला स्थानीय स्वशासन विभाग के साथ उठाया जा रहा था। 122 सरकारी चिकित्सालय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र भी थे, परन्तु किसी भी मामले में स्वीकृति आवेदित/प्रदान नहीं की गई थी। इस के परिणामस्वरूप अधिनियमों तथा नियमावलियों के प्रावधानों का अपालन हुआ तथा स्वीकृति शुल्क की न्यूनतम दर पर की गई गणना के आधार पर 1994-99 के दौरान 5.25 लाख रूपए के स्वीकृति शुल्क तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क की हानि भी हुई।

6.1.14 अभियोजनों का प्रारम्भ

जल प्रदूषण तथा देयों की वसूली के लिए उत्तरदायी दोषी पाए जाने वाले उद्योगों/स्थानीय निकायों इत्यादि के विरुद्ध बोर्ड कानूनी कार्यवाई प्रारम्भ करता है। सदस्य सचिव द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2000) कि 1998-99 की समाप्ति पर विभिन्न न्यायालयों में 42 मामले लम्बित थे। लम्बित मामलों के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत् थे:

वर्ष	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	अधीनस्थ न्यायालय
1994-95	2	6	1
1995-96	3	5	1
1996-97	-	4	3
1997-98	-	9	4
1998-99	-	3	1
योग	5	27	10

यह पाया गया कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) शुल्क अधिनियम, 1977 की धारा 16 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 16 अप्रैल 1993 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जल परियोजनाएं (विद्युत उत्पन्न करने वाली) जल शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आवृत्त थी। तदनुसार अप्रैल 1993 से अक्टूबर 1993 की कालावधि का जल-शुल्क 160.26 करोड़ निर्धारित किया गया जिसे विभिन्न बोर्डों/निगमों से वसूल किया जाना था। यद्यपि हिमाचल प्रदेश

राज्य विद्युत बोर्ड ने शुल्क का भुगतान करना प्रारम्भ कर दिया था (जनवरी 1994), बोर्ड ने शुल्क की वसूली हेतु शेष बोर्डों/निगमों को नोटिस जारी किए (फरवरी 1995)।

वर्ष 1997-99 के दौरान जल-शुल्क के उद्ग्रहण सम्बन्धी निर्णय से व्यथित पक्षों ने 138.02 करोड़ रूपए की राशि से ग्रस्त 10 रिट-याचिकाएं न्यायालय में प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 1999 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 1993 खारिज कर दिया था तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि निर्णय प्रस्तावित करना तथा निर्धारित अवधि में अधिसूचना का संसद से अनुमोदन करवाने सम्बन्धी दूसरी आवश्यकता (उप-धारा:2) का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार विरोधी अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 1993 कालातीत हो गई थी तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से प्रारम्भ करके 15 दिन की समाप्ति पर अधिसूचना निरसन हो गई थी। तथापि महाधिवक्ता ने प्रस्तावित किया (जनवरी 2000) कि इस मामले का अंतिम रूप से समाधान करने हेतु भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए। इस मामले में आगामी परिणाम प्रतीक्षित थे (मई 2000)।

6.1.15 सूचना का प्रचार

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार लोगों को पर्यावरण जोखिमों के संदर्भ में जनता को शिक्षित करने हेतु बोर्ड द्वारा जल-प्रदूषण सूचना एकत्रित तथा उसका प्रसार करना अपेक्षित था।

कानून के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समस्या की प्रकृति के सम्बन्ध में जागृति अपेक्षित थी तथा उसकी सांझेदारी तथा सूचना तक पहुंच नियमन पद्धति को अनुपूरक बनाएगी। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि इन निदेशों के संदर्भ में अनुसरण का अभाव था तथा केवल चुनिन्दा अवसरों पर ही पर्यावरण गतिविधियों पर जल-जागृति लाने हेतु शिविर/बैठकें आयोजित की गईं।

सदस्य सचिव ने बताया (मार्च 2000) कि अपेक्षित मानवशक्ति, जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव में प्रदान नहीं की जा सकी, के अभाव में जनजागृति कार्यक्रम तथा पर्यावरण गुणवत्ता सामग्री का प्रचार गम्भीर रूप से प्रभावित हुए। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सूचना के प्रचार हेतु प्रभावशाली रणनीति बनाई जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा द्वारा आगामी पूछताछ में वित्तीय आयुक्त एवं सचिव ने बताया (जुलाई 2000) कि इस संदर्भ में बोर्ड से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

6.1.16 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

(i) जल अधिनियम की धारा 8 के अनुसार तीन मास में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक होनी अपेक्षित थी। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1995-96 के दौरान कोई बैठकें आयोजित नहीं की गईं तथा 1994-95 से 1998-99 के दौरान वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों की अपेक्षा के प्रति केवल एक से दो वार्षिक बैठकें आयोजित की गईं। इस प्रकार बैठकों के द्वारा प्रभावशाली अनुश्रवण नहीं किया गया।

(ii) जल गुणवत्ता प्रबन्ध तथा सम्बन्धित मामलों की समीक्षा हेतु कोई आंतरिक या बाह्य अभिकरण संस्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रारम्भ से किसी निष्पादन सम्बन्धी समीक्षा के अभाव में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभाव की कार्यकुशलता तथा प्रभावशालिता तथा बोर्ड की गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। सरकार ने बताया (मई 2000) कि राज्य सरकार या बोर्ड के किसी अन्य अभिकरण/निकाय द्वारा इस प्रकार की कोई समीक्षा नहीं की गई थी।

(iii) सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत जल-प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की गतिविधियों/कार्यों के अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार बोर्ड को निदेश जारी कर सकती थी।

नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड के कार्यों का अनुश्रवण करने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही कोई विशेष निदेश जारी नहीं किए गए थे।

(iv) जल-प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा इसे कम करने सम्बन्धी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु बोर्ड द्वारा कोई कक्ष या समिति गठित नहीं की गई थी।

6.1.17 निष्कर्ष

राज्य के उद्योगों की शिनाख्त तथा जल गुणवत्ता के उन्नयन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए राज्य के जल स्रोतों का वर्गीकरण करने के लिए सविस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। विभिन्न नालों, नदियों तथा पहाड़ी ढलानों पर इकट्ठा हुआ नगर का ठोस कूड़ाककर्ट धरातल के जल को प्रदूषित कर रहा था तथा कोई निवारक कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभिन्न सरकारी विभागों, शिनाख्त किए गए अभिकरणों तथा बोर्ड में प्रभावंशाली समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण निवारण, नियंत्रण तथा इसमें कमी करने हेतु वैधानिक आदेशों की अधिकांशतः प्राप्ति नहीं की जा सकी सेप्टिक टैंकों के प्लावन तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के परिसरों में जीव-चिकित्सीय कूड़ाककर्ट के इकट्ठा किए जाने के कारण जल प्रदूषित हुआ तथा इस संदर्भ में कोई ठोस पग नहीं उठाए गए।


सरकार को ये तथ्य जून 2000 में संदर्भित किए गए, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

छठा अध्याय

प्रवर्ग-ख

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

लेखापरीक्षा परिच्छेद



प्रवर्ग-ख- लेखापरीक्षा परिच्छेद

6.2 सामान्य

(क) स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों की संस्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ जनोपयोगी सेवाओं सम्बन्धी गैर-वाणिज्यिक कार्य करने के लिए की जाती है। ये निकाय/प्राधिकरण सरकार से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत अन्य संस्थान भी राज्य सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु सरकार से भारी अनुदान प्राप्त करते हैं।

1999-2000 के दौरान विभिन्न स्वायत्त निकायों तथा अन्यो जिन्हें मुख्यतः निम्नवत् प्रकार से समूहीकृत किया गया है, को 167.43 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता का भुगतान¹ किया गया:-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	अदा की गई सहायता राशि (करोड़ रूपयों में)
1.	विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थाएं	68.84
2.	नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	16.77
3.	जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाएं	20.57
4.	विकास अभिकरण	21.94
5.	चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	0.11
6.	अन्य संस्थाएं (सांविधिक निकायों सहित)	39.20
योग:		167.43

(ख) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

जिन मामलों में सरकार द्वारा विशेष प्रयोजनों हेतु अनुदान दिए जाते हैं वहां विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के उपरांत इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

1982-83 से 1998-99 की अवधि के दौरान अदा किए गए 358.02 करोड़ रूपए की सकल राशि के अनुदानों तथा ऋणों के संदर्भ में देय 4,513 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से केवल 132.39 करोड़ रूपए के 1260 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 30 जून, 2000 तक प्रस्तुत किए गए थे तथा 225.63 करोड़ रूपए के 3,253 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागावार विखंडन

¹ स्रोत: लेखा व हकदारी कार्यालय

निम्नवत् प्रकार से था:

विभाग	प्रस्तुत न किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रूपयों में)
ग्राम विकास	661	55.45
शिक्षा	726	78.42
स्थानीय स्वशासन/शहरी विकास	713	20.92
न्याय प्रशासन	7	0.09
पशु पालन	7	1.09
सहकारिता	281	3.28
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	124	5.09
पर्यटन	20	6.33
उद्योग	170	9.13
वन कृषि तथा संरक्षण	18	38.94
भाषा, कला तथा संस्कृति	468	2.67
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	20	1.17
कृषि	36	2.98
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2	0.07
योग:	3,253	225.63

निम्नवत् सारणी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की सीमा दर्शाती है:

	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रूपयों में)
तीन वर्ष तक	2,491	198.82
तीन वर्ष से अधिक, परन्तु पांच वर्ष तक	433	23.28
पांच वर्ष से अधिक, परन्तु दस वर्ष तक	231	3.18
दस वर्ष से अधिक	98	0.35
योग:	3,253	225.63

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया जिनके लिए यह अपेक्षित थे।

(ग) लेखों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

जिन संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत अपेक्षित है उनकी शिनाख्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, जिस प्रयोजन के लिए सहायता संस्वीकृत की गई तथा संस्थाओं का कुल व्यय के संदर्भ में संविस्तृत सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 61 निकायों तथा प्राधिकरणों के 1999-2000 तथा पूर्व वर्षों के 131 वार्षिक लेखे जिनका ब्यौरा परिशिष्ट-xx में दिया गया है, महालेखाकार को जुलाई 2000 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

61 निकायों/प्राधिकरणों में से 58 निकायों तथा प्राधिकरणों को 1999-2000 के दौरान 108.16 करोड़ रूपए के अनुदान, 12.47 करोड़ रूपए के ऋण तथा 0.09 करोड़ रूपए की इमदाद निस्तारित की गई। शेष तीन निकायों तथा प्राधिकरणों को निस्तारित की गई राशियों के ब्यौरे सम्बन्धित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं कए गए (जुलाई 2000)।

(घ) लेखापरीक्षा व्यवस्था

स्थानीय निकायों (जिला परिषदें, नगरपालिकाएं, करबा क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियां), शिक्षा संस्थाओं तथा अन्यो की लेखापरीक्षा परीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा की जाती है तथा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, पंचायती राज द्वारा की जाती है।

34 निकायों/प्राधिकरणों से जिनके लेखे जुलाई, 2000 तक प्राप्त हुए, में से 21 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत अपेक्षित है। इसमें से 16 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जुलाई, 2000 तक सम्पन्न की गई।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए रोचक तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित किए जाते हैं।

सहकारिता विभाग

6.3 उच्च दरों से सेबों के परिवहन के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

प्रतियोगिता निविदाओं के आमन्त्रित किए बिना एक परिवहाक को सेबों का परिवहन कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप 11.13 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ

राज्य सरकार की वित्तीय नियमावली में यह व्यवस्था है कि कार्य सौंपने हेतु खुली प्रतियोगितात्मक निविदा पद्धति अपनाई जानी चाहिए तथा कार्य न्यूनतम निविदादाता को ही सौंपा जाना चाहिए जब तक कि इसके विरुद्ध अभिलिखित कारण न हों। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता प्रसंघ (हिम फैंड) ने बाजार हस्तक्षेप स्कीम 1998 के अंतर्गत शिमला तथा कूल्जू जिला के आउटर सेराज क्षेत्र के किसी भी संग्रह केन्द्र से 65 रूपए प्रति क्विंटल पर उपाजित सेबों को परवाणु को परिवहन करने हेतु निविदाओं को आमन्त्रित किए बिना शिमला की परिवहन कम्पनी "क" (परिवाहक) के साथ अनुबन्ध किया (अगस्त 1998)।

हिमफैंड के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 1999) कि परिवहाक "क" के पास अपने नाम पर पंजीकृत कोई बेड़ा नहीं था तथा उसने नंगल की एक सहकारी परिवहन समिति द्वारा चलाए जा रहे कई ट्रकों की एक सूची की आपूर्ति की। जैसाकि परिवहाक "क" अगस्त 1998 तथा नवम्बर 1998 के मध्य केवल 1,331 ट्रकों से माल की व्यवस्था कर सका, हिमफैंड को संग्रह केन्द्रों पर सेबों को खराब होने से बचाने के लिए इन्हें 30 रूपए प्रति क्विंटल (ढली, ठियोग तथा संघु

क्षेत्रों में) तथा 70 रूपए प्रति क्विंटल (टिक्कर, नन्दपुर तथा धमवाड़ी क्षेत्रों में) के मध्य दर पर सेबों के परिवहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। यह पाया गया कि परिवहक “क” द्वारा परिवहन किए गए सेबों के 1,331 ट्रकों में से 1,17,931 क्विंटल सेबों के भार से ग्रस्त 1,192 ट्रक ऐसे क्षेत्रों से चलाए गए जहां पर हिमफैड द्वारा अन्य परिवहकों को 30 रूपए तथा 65 रूपए प्रति क्विंटल के मध्य परिवहन प्रभारों का भुगतान किया गया। 65 रूपए प्रति क्विंटल की फ्लैट दर पर निविदाएं आमन्त्रित किए बिना परिवहन प्रभारों की परिवहक “क” को अदायगी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 11.13 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

हिमफैड के प्रबन्ध निदेशक ने सूचित किया (जनवरी 2000) कि परिवहक “क” को उसी दर तथा उन्हीं शर्तों पर कार्य सौंपा गया था, जिस पर हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम (एच.पी.एम.सी.) ने उसी परिवहक के साथ अंतिम रूप से दर निर्धारित की थी। फिर हिमफैड को आबंटित किए गए संग्रह केन्द्र एच.पी.एम.सी. को आबंटित किए गए केन्द्रों की तुलना में सुदूर तथा कठिन क्षेत्रों में स्थित थे।

दलील तर्कसंगत नहीं थी क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा जिन अन्य परिवहकों की व्यवस्था की गई थी उन्हें अनुमत की गई दरें उनसे बहुत कम थी जिन्हें परिवहक “क” के साथ प्रतियोगात्मक निविदाओं को आमन्त्रित किए बिना अंतिम रूप दिया गया था।

मामला मार्च, 2000 में सरकार को प्रेषित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)

6.4 परित्यक्त फल तथा सब्जी परियोजनाओं पर अपव्यय

अनुमोदित योजना के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन करने में विफल रहने के कारण 92.17 लाख रुपये का अपव्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश के छः जिलों¹ में फल तथा सब्जियों के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा मार्च 1992 में एक परियोजना संस्वीकृत की गई। परियोजना जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता प्रसंग सीमित (हिमफैड) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था को पांच वर्षों की अवधि के तीन चरणों में 4.57 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत, जिसे भारत सरकार (60 प्रतिशत), राज्य सरकार (20 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार के अतिरिक्त सहकारिताओं के सदस्यों द्वारा शेयर पूंजी (20 प्रतिशत) द्वारा परस्पर बांटा जाना था, पर पूर्ण किया जाना था।

प्रथम चरण में 1.16 करोड़ रूपए की परियोजना लागत पर दो जिले² आवृत्त किए जाने थे। परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने राज्य सरकार को 92.80 लाख रूपए संस्वीकृत किए (मार्च 1992) तथा राज्य सरकार ने 1992-93 (34.80 लाख रूपए) तथा 1993-94 (67.04 लाख

¹ चम्बा, किन्नौर, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

रूप) के दौरान हिमफंड को 101.84 लाख रूपए निस्तारित किए। भारत सरकार द्वारा तदनन्तर निस्तारण परियोजना पर किए जा रहे व्यय को मध्यदृष्टि रखते हुए किया जाना था। अगस्त, 1997 तक 92.17 लाख रूपए का व्यय करने के उपरान्त वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नवत् थीं:

संघटक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां		अभ्युक्तियां
	प्रत्यक्ष (संख्या में)	वित्तीय (लाख रूपयों में)	प्रत्यक्ष (संख्या में)	वित्तीय (लाख रूपयों में)	
संग्रह केन्द्र	38	22.80	16	16.05	(i) 6.95 लाख रूपए की लागत पर निर्मित सात केन्द्रों का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि पार्श्वस्थ राज्यों के कृषकों को सुलभ परिवहन सुविधाएं तथा विभिन्न बाजार उपलब्ध थे। (ii) 9.10 लाख रूपए पर निर्मित दर्शाए गए नौ केन्द्र स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से निर्मित नहीं किये गये थे। वास्तव में स्थान की व्यवस्था परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व विश्व बैंक स्कीम के अंतर्गत निर्माण किए गए उर्वरक गोदामों-एवं चौकीदार आवासों में की गई थी तथा नौ केन्द्रों का मिथ्या निष्पादन दर्शाते हुए आनुपातिक लागत परियोजना को प्रभारित की गई थी।
कोटीकरण तथा पैकिंग गृह	1	10.00	—	9.20	उत्पादन क्षेत्रों में एक पृथक गृह का निर्माण करने की बजाय हिमफंड ने सोलन में एरिया प्रबन्धक के कार्यालय के लिए पहाड़ी के शिखर पर निर्मित (लागत: 24 लाख रूपए) भवन में एक बड़ा कमरा चिन्हित किया। परियोजना को 9.20 लाख रूपए प्रभारित किए गए। यह कमरा फलों तथा सब्जियों के कोटीकरण व पैकिंग हेतु कभी भी प्रयुक्त नहीं किया गया।
अतिरिक्त धनराशि	—	35.00	—	35.00	अतिरिक्त धनराशि हिमफंड की समग्र व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने हेतु प्रयुक्त की गई तथा फल-एवं-सब्जी परियोजना के अंतर्गत 1996-2000 के दौरान फल तथा सब्जियों का कोई विपणन नहीं किया गया।
परिवहन वाहन	5	11.85	मोटर-साईकिल: 1 जिप्सी: 1 ट्रक: 2	17.74	वाहनों का उपयोग हिमफंड की उन गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो फल-एवं-सब्जी परियोजना से सम्बन्धित नहीं थी।

इसके अतिरिक्त 14.18 लाख रूपए कठोर प्लास्टिक के क्रेट बनाने (11.94 लाख रूपए), प्रशिक्षण तथा विस्तार (1.06 लाख रूपए) तथा आकस्मिकताओं (1.18 लाख रूपए) पर व्यय किए गए।

अगस्त 1997 के पश्चात् परियोजना के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि परियोजना का अनुमोदित योजना के अनुसार कार्यान्वयन नहीं किया जा सका, अतः राज्य सरकार ने भारत सरकार को संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 1997) जोकि परियोजना की असंतोषजनक प्रगति के कारण अस्वीकृत कर दिया गया (दिसम्बर 1997)। हिमफैड के प्रबन्ध निदेशक ने अब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को परियोजना को बन्द करने हेतु निवेदन किया है (जून 2000)।

इस प्रकार अनुमोदित योजना के अनुसार परियोजना कार्यान्वित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 92.17 लाख रूपए का अपव्यय हुआ था।

सरकार को मामला मई 2000 में प्रेषित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

6.5 चार गोदामों पर निरर्थक निवेश

मार्च 1987 तथा मार्च 1992 के दौरान 18.45 लाख रूपए की लागत पर निर्मित चार गोदामों का उपयोग नहीं किया गया।

उर्वरकों के सुरक्षित संचयन की व्यवस्था करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता प्रसंघ (हिमफैड) ने राज्य स्तरीय भंडार संचयन समिति की सिफारिश पर मार्च 1987 तथा मार्च 1992 के मध्य 18.45 लाख रूपए की लागत पर चार जिलों¹ में चार गोदाम निर्मित किए।

हिमफैड के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (जनवरी 2000) कि स्थल के चयन के संदर्भ में सम्भाव्यता प्रतिवेदन तथा इसकी व्यवहार्यता पर विचार किए बिना गोदाम निर्मित किए गए। इस प्रकार एकाकी स्थानों पर स्थित होने, पहुंच-मार्गों के साथ जुड़े हुए न होने (एक मामला), क्षेत्रों की मांग का निकट के भण्डारों से पूरा होना (दो मामले) तथा निवासियों से उर्वरक की मांग की प्राप्ति न होने (एक मामला) के कारण इनके निर्माण से लेकर इनका उपयोग नहीं किया जा सका।

इस प्रकार गोदामों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 18.45 लाख रूपए का निरर्थक निवेश हुआ।

प्रबन्ध निदेशक (हिमफैड) ने बताया (जुलाई 2000) कि क्योंकि क्षेत्र की मांग नाहन स्थित एक गोदाम से पूर्ण की जा रही थी अतः जमटा स्थित गोदाम का उपयोग नहीं किया गया। शिलारू स्थित भण्डार को उर्वरक-संचयन हेतु कभी भी प्रयुक्त नहीं किया गया था। क्योंकि क्षेत्र की मांग ठियोग से पूरी की जा रही थी। उर्वरक तथा अन्य मदों के संचयनार्थ हिमफैड काजा भण्डार को प्रयुक्त करने हेतु विचार कर रहा था। कुथेड़ा स्थित भण्डार को सड़क से जोड़ दिया गया था तथा इसका उर्वरकों के संचयनार्थ

¹ जमटा (सिरमौर: 4.30 लाख रूपए); काजा (लाहौल तथा स्पिति: 4.84 लाख रूपए); कुथेड़ा (बिलासपुर: 4.76 लाख रूपए) तथा शिलारू (शिमला: 4.55 लाख रूपए)

उपयोग किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था। क्योंकि गोदामों के निर्माण हेतु सम्भाव्यता तथा व्यवहार्यता पहलुओं पर स्थलों के चयन से पूर्व विचार किया जाना चाहिए था।

सरकार को मामला फरवरी 2000 में प्रेषित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

शिक्षा विभाग

6.6 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

जिला में एक इलाका विशेष दृष्टिकोण को योजना की इकाई के रूप में अपनाते हुए प्राथमिक शिक्षा पद्धति को पुनः शक्तियुक्त बनाने तथा प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने सम्बन्धी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया। राज्य में यह कार्यक्रम 1996-97 में चरण-II के अंतर्गत शिक्षा में पिछड़े हुए चार¹ जिलों में प्रारम्भ किया गया। राज्य स्तर पर मानक निर्धारित करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी, एक स्वायत्त निकाय जिसका आयुक्त-एवं-सचिव, शिक्षा अध्यक्ष था उत्तरदायी था। राज्य परियोजना निदेशक ने उप परियोजना अधिकारियों के माध्यम से राज्य में कार्यक्रम का निष्पादन करना था। 1996-2000 की अवधि के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित उप परियोजना अधिकारियों, चम्बा तथा सिरमौर के अभिलेखों तथा राज्य परियोजना निदेशक के अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए (जनवरी-अप्रैल 2000):

(i) दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना लागत का 85 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 15 प्रतिशत भाग की राज्य सरकार द्वारा पूर्ति की जानी थी।

1995-2000 के दौरान राज्य सरकार ने 1.85 करोड़ रूपए का अपना भाग निस्तारित नहीं किया।

तथापि निम्नवत् सारणी में दिए गए ब्यौरों से यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने 1995-2000 के दौरान 1.85 करोड़ रूपए का अपना भाग कम निस्तारित किया। इसके अतिरिक्त, 1996-2000 के दौरान 0.45 करोड़ रूपए तथा 13.75 करोड़ रूपए के परिक्षेत्र के भारी अव्ययित बकाए बचत बैंक

¹ चम्बा, कूल्तू, लाहौल एवं स्पिति तथा सिरमौर

खातों में पड़े थे। मार्च 2000 को 4.96 करोड़ रूपए का अव्ययित बकाया था।

वर्ष	द्वारा निधियां निरस्तारित की गईं			वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त बकाया
	भारत सरकार	राज्य सरकार	योग		
	(करोड़ रूपयों में)				
1995-96	0.50	--	0.50	0.05	0.45
1996-97	7.29	--	7.29	1.56	6.18
1997-98	18.74	3.75	22.49	14.92	13.75
1998-99	9.76	0.85	10.61	17.36	7.00
1999-2000	15.00	2.60	17.60	19.64	4.96
योग	51.29	7.20	58.49	53.53	4.96

(ii) प्रबन्ध लागत पर अनधिकृत व्यय

निर्धारित छः प्रतिशत मानक से 1.30 करोड़ रूपए का अधिक व्यय 1996-2000 के दौरान प्रबन्ध पर किया गया।

दिशानिर्देशों के अनुसार स्टाफ, आवास, उपस्कर, वाहन, अन्य कार्यालय व्यय तथा अनुरक्षण एवं प्रचालन लागतों सहित प्रबन्ध लागत/कार्यक्रम के प्रशासकीय ऊपरी व्यय न्यूनतम होंगे जिन्हें परियोजना लागत की छः प्रतिशत तक सीमित किया जाना है।

यह पाया गया कि प्रबन्ध लागत परियोजना लागत के छः प्रतिशत तक सीमित नहीं थी तथा 1996-2000 के दौरान मानक से 1.30 करोड़ रूपए बढ़ गई। प्रबन्ध लागत पर हुए अधिक व्यय के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निदेशक से पूछे गए कारण (मई 2000) सूचित नहीं किए गए थे।

(iii) पाठशाला भवनों के निर्माण के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

दिशानिर्देशों के अनुसार नई प्राथमिक पाठशालाओं, कक्षाओं के नए कमरों, मुख्य मुरम्मतों तथा पाठशालाओं के पुनर्वास इत्यादि जैसे सिविल निर्माण कार्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भ किए जाने थे।

1996-2000 के दौरान पाठशालाओं के नए भवनों के निर्माण की स्थिति निम्नवत् थी:

1996-2000 के दौरान उप परियोजना अधिकारियों चम्बा तथा सिरमौर ने 391 के लक्ष्य के प्रति केवल 114 (29 प्रतिशत) पाठशाला भवनों

मद	चम्बा	सिरमौर
मार्च, 2000 तक निर्माण किए जाने वाली पाठशालाओं की कुल संख्या	191	200
मार्च, 2000 तक निर्मित अपूर्ण निर्माणकार्य	38	76
	153	124

मार्च, 1999 तक चम्बा तथा सिरमौर जिलों में 391 नई पाठशालाओं के भवनों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति मार्च, 2000 तक 114 भवन सम्पन्न किए गए जिसके परिणामस्वरूप 277(71 प्रतिशत) पाठशाला भवनों का कम निर्माण हुआ। उप परियोजना अधिकारियों ने बताया (फरवरी-मार्च 2000) कि स्थल विकास कठिनाइयों तथा प्रशासनिक समस्याओं के कारण पाठशाला भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्थल विकास तथा प्रशासनिक समस्याओं आदि का समाधान उप परियोजना अधिकारियों द्वारा इन भवनों के लिए निधियां संस्वीकृत करने से पूर्व किया जाना चाहिए था।

(iv) कार्यक्रम निधियों में से वेतनों का अग्राह्य भुगतान

कार्यक्रम निधियों में से 2.30 करोड़ रूपए के वेतनों का अग्राह्य भुगतान किया गया।

(क) दिशानिर्देशों के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा नई पाठशालाओं में अध्यापकों के वेतन परियोजना प्रथम दो वर्षों में 90 प्रतिशत से प्रारम्भ करके तीसरे से पांचवें वर्ष में 80 प्रतिशत की कमी तथा छठे तथा सातवें वर्ष में 65 प्रतिशत की घटती हुई प्रवृत्ति के आधार पर वित्तपोषित किए जाने थे। यह पाया गया कि वास्तव रूप में भरे गए पदों की बजाय अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या के आधार पर परिकल्पित अध्यापकों के 100 प्रतिशत वेतन उप परियोजना अधिकारियों, चम्बा तथा सिरमौर द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम निधियों के नामे डाले गए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम निधियों से 1.44 करोड़ रूपए का अग्राह्य भुगतान हुआ।

उप परियोजना अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पाठशालाओं में वास्तविक रूप में भरे हुए अध्यापकों के पदों की संख्या तथा समय-समय पर उन्हें अदा किए गए वेतनों तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नामे डाले गए वेतनों का ज्ञान नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वास्तविक रूप में अध्यापकों के भरे गए पदों के संदर्भ में उप परियोजना अधिकारियों द्वारा सूचना प्राप्त की जानी चाहिए थी तथा निर्धारित मानकों के अनुसार व्यय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नामे डाला जाना चाहिए था।

इस प्रकार दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण उपपरियोजना अधिकारियों, चम्बा तथा सिरमौर द्वारा 1.44 करोड़ रूपए का व्यय मानकों से अधिक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम निधियों के नामे डाला गया।

(ख) नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि उप परियोजना अधिकारी, कुल्लू ने 1997-99 के दौरान अध्यापकों के वेतनों सहित 250 जलवाहकों को 42 लाख रूपए के वेतनों का भुगतान किया। इसी प्रकार उप परियोजना अधिकारी, सिरमौर ने 1997-99 के दौरान 300 कहराओं को 44 लाख रूपए के

कहरा: जलवाहक

वेतनों का भुगतान किया। जलवाहकों तथा कहारों के 86 लाख रूपए के वेतनों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम निधियों के नामे डालना दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवृत्त नहीं था। उप परियोजना अधिकारी, सिरमौर ने बताया (फरवरी 2000) कि लक्ष्य निदेशक से आदेशों की प्राप्ति होने पर भुगतान किया गया था। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के संदर्भ में लक्ष्य निदेशक से पूछे गए कारण (मई 2000) सूचित नहीं किए गए थे।

(v) सुधार अनुदान तथा अध्यापक अधिगम सामग्री का अनियमित निस्तारण

दिशानिर्देशों में पाठशाला सुविधाओं में सुधार लाने हेतु प्रतिवर्ष प्रति पाठशाला 2000 रूपए की दर पर सुधार अनुदान तथा प्रति अध्यापक 500 रूपए की दर से अध्यापक अधिगम सामग्री अनुदान की व्यवस्था है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आवृत्त न हुए पाठशालाओं को दिए गए अनुदान निषिद्ध थे। नमूना जांच से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आवृत्त न हुई पाठशालाओं को 1.99 करोड़ रुपये के अनुदान दिए गए

(क) 1996-2000 के दौरान उप परियोजना अधिकारियों, चम्बा तथा सिरमौर द्वारा 198.91 लाख रूपए के अनुदान (सुधार अनुदान: 107.26 लाख रूपए तथा अध्यापक अधिगम अनुदान: 91.65 लाख रूपए) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आवृत्त न हुई पाठशालाओं को दिए गए। इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आवृत्त न हुई पाठशालाओं के अनुदान संवितरण करने के संदर्भ में उप परियोजना अधिकारियों से पूछे गए कारण (फरवरी-मार्च 2000) सूचित नहीं किए गए थे।

(ख) 1997-98 के दौरान उप परियोजना अधिकारी चम्बा द्वारा खण्डों के माध्यम से 61.78 लाख रूपए के अनुदान (सुधार अनुदान: 35.46 लाख रूपए तथा अध्यापक अधिगम अनुदान: 26.32 लाख रूपए) पाठशालाओं में संवितरित किए गए। इसमें वर्ष 1997-98 के 33.26 लाख रूपए के अनुदानों सहित वर्ष 1996-97 के 28.52 लाख रूपए (सुधार अनुदान: 15.74 लाख रूपए तथा अध्यापक अधिगम सामग्री: 12.78 लाख रूपए) के अनुदान सम्मिलित थे। उप परियोजना अधिकारी ने बताया (मार्च 2000) कि 1996-97 के अनुदान वर्ष के बिल्कुल अंत में प्राप्त किए गए तथा इन संवितरणों पर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। विभाग का विवाद सही नहीं था, क्यों कि एक वर्ष में उसी प्रयोजनार्थ अनुदान के दो बार भुगतान के परिणामस्वरूप 28.52 लाख रूपए के अनुदानों का अनियमित/अधिक संवितरण हुआ था।

(vi) मौलिक शिक्षा तथा परिकलन सक्षमता की उपलब्धि को सुनिश्चित करते हुए सभी प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों द्वारा मापे गए आधार रेखा स्तरों से ऊपर औसत उपलब्धि स्तरों में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा अन्य सक्षमताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत उपलब्धि स्तर करना कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक था। तथापि उप परियोजना अधिकारियों के पास लिंग-बार तथा सामाजिक समूह-बार अधिगम उपलब्धि के संदर्भ में कोई पृथक सूचना उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस सीमा तक इस उद्देश्य की प्राप्ति की गई थी।

2800 लड़कियों को निशुल्क अधिगम सामग्री का वितरण नहीं किया गया।

(vii) दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना जिलों की लड़कियों में अधिगम सामग्री का निःशुल्क संवितरण किया जाना था। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि सिरमौर जिला में 1997-98 के दौरान 18,086 लड़कियों में से 2,800 लड़कियों को पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की गई। उप परियोजना अधिकारी ने बताया कि एक खण्ड स्त्रोत केन्द्र ने पाठ्य पुस्तक बिक्री डिपो से पुस्तकें नहीं उठाई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में जिला परियोजना की लड़कियों में निःशुल्क अधिगम सामग्री के संवितरण की व्यवस्था थी। इस प्रकार उप परियोजना अधिकारी द्वारा पुस्तकों के संवितरण के अनुश्रवण में विफल रहने के कारण 2,800 लड़कियां निःशुल्क अधिगम सामग्री से वंचित रही।

(viii) नियुक्तियां

दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षक/भर्ती में सुधार लाने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी योजना में एक विन्हित लिंग फोकस सम्मिलित किया जाना था।

दो जिलों जिनकी नमूना-जांच की गई में 31 मार्च, 2000 को आयोजित अध्यापकों की नियुक्ति, भरे गए पदों तथा रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् ब्यौरे के अनुसार थी:

क्रम संख्या	पद का नाम	चम्बा			सिरमौर		
		आयोजित	भरे गए	रिक्त	आयोजित	भरे गए	रिक्त
1.	प्राथमिक शिक्षा अध्यापक	470	470	—	600	600	—
2.	कलस्टर अध्यापक	133	109	24	126	72	54
3.	डाइट प्रशिक्षण स्टाफ	4	4	—	4	4	—
4.	इ.सी.सी.इ.सी.प्रशिक्षक	416	—	416	25	—	25
योग:		1023	583	440	755	676	79

निम्नवत् तथ्य दृष्टिगत हुए:

(क) नमूना जांच से उदघाटित हुआ कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पाठशालाओं में महिला अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कोई मानक नियत नहीं किए गए थे। महिला प्राथमिक पाठशाला अध्यापकों, कलस्टर अध्यापकों इत्यादि की नियुक्ति 2 तथा 42 प्रतिशत के मध्य के परिक्षेत्र में थी। इस प्रकार, जैसाकि दिशानिर्देशों में निर्धारित था, अध्यापक प्रशिक्षण तथा भर्ती में सुधार लाने हेतु राज्य परियोजना निदेशक द्वारा लिंग फोकस का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(ख) चम्बा जिला में आयोजित अध्यापकों के 1,023 पदों में से 440 पद रिक्त रहे जबकि सिरमौर जिला में अध्यापकों के 755 आयोजित पदों में से 79 पद रिक्त थे। राज्य परियोजना निदेशक से पूछे गए (अप्रैल 2000) रिक्त पदों को न भरने तथा स्कीम के कार्यान्वयन पर इसका प्रभाव सम्बन्धी कारण सूचित नहीं किए गए थे।

(ग) एक अध्यापक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता कनिष्ठ मौलिक प्रशिक्षण सहित मैट्रिक थी। यह पाया गया कि चम्बा जिला में 14 (मैट्रिक:12 तथा मिडल:2) अध्यापक नियुक्त किए गए, जिनकी निर्धारित न्यूनतम अर्हता नहीं थी। अपेक्षित अर्हता के बिना अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में पूछे गए (मार्च 2000) कारणों का उप परियोजना अधिकारी द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

(ix) अनधिकृत भुगतान

दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि विश्व बैंक तथा ऋणी द्वारा आबंटन के मूल उद्देश्य तथा सामान्य कार्यक्षेत्र पर सहमत हो जाने के उपरान्त अनुसंधान कार्य हेतु विचारणीय विषय की शर्तें तथा लागत प्राक्कलन ऋणी द्वारा तैयार तथा विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। तदुपरान्त, एक परामर्शदाता की शिनाख्त की जानी थी जिसे अनुसंधान परामर्श समिति द्वारा मूल्यांकनार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने

के लिए कहा जाना था। अंत में परामर्शदाता का नाम तथा प्रारूप को संविदा बैंक के पास अनुमोदनार्थ भेजा जाना था।

नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि जिला परियोजना निदेशक ने निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना एक प्रोफेसर को मध्यावधि निर्धारण सर्वेक्षण करने लिए कहा (मार्च 1999)। उसने 15.21 लाख रूपए के मूल्य का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 1999) जिसे तदोपरान्त उसने कम करके 13.90 लाख कर दिया। लागत प्राक्कलन तैयार करने की बजाय परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के आधार पर जिला परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना का 13.90 लाख रूपए मूल्य का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया (जुलाई 1999) तथा तदनुसार भुगतान कर दिया गया। इस मामले में अनुसंधान परामर्श समिति द्वारा न तो टी.ओ.आर./लागत प्राक्कलन तैयार किए गए और न ही परामर्शदाता के प्रस्ताव का मूल्यांकन करवाया गया। परामर्शदाता तथा संविदा का नाम भी विश्व बैंक से अनुमोदित नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त परामर्शदाता के साथ कोई ठेका नहीं किया गया और एक साधारण पत्र जारी करके (अगस्त 1999) उसे काम आंबटित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित प्रक्रिया से विचलित होने के अतिरिक्त परामर्शदाता को 13.90 लाख रूपए का अनधिकृत भुगतान हुआ। जिला परियोजना निदेशक से निर्धारित प्रक्रिया से विचलित होने के संदर्भ में पूछे गए (जून 2000) कारण सूचित नहीं किए गए थे।

(x) परामर्शदाता को अनुचित सहायता

टी.ओ.आर. तथा परामर्शदाता के साथ की गई संविदा के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा उनके अनुसंधान कार्य समयबद्ध अवधि में प्रस्तुत किए जाने थे तथा कार्य करने में कोई चूक होने पर वे प्राप्त अनुदानों के प्रत्यर्पण हेतु दायी थे।

नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि नौ परामर्शदाताओं को विभिन्न अनुसंधान कार्य आंबटित किए गए। परामर्शदाताओं द्वारा अनुसंधान कार्य नवम्बर, 1998 तथा मई 1999 के मध्य सम्पन्न किए जाने थे। इनमें से केवल तीन ने 4 तथा 12 मास के मध्य के परिक्षेत्र के विलम्ब के उपरांत अपने कार्य प्रस्तुत किए थे। शेष छः परामर्शदाताओं ने मई 2000 तक कोई अनुसंधान कार्य प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि यह 12 मास से अधिक समय से अतिदेय हो चुका था। अनुसंधान कार्य में हुए विलम्ब के कारण विभाग को ज्ञात नहीं थे।

इस प्रकार छः परामर्शदाताओं को 3.92 लाख रूपए का किया गया भुगतान विचारणीय विषय की शर्तों का उल्लंघन था तथा इसका प्रत्यर्पण अपेक्षित था। परामर्शदाताओं को अनुचित सहायता के संदर्भ में राज्य परियोजना निदेशक से पूछे गए (जून 2000) कारण सूचित नहीं किए गए थे।

1996-2000 के दौरान जिला परियोजना अधिकारियों चम्बा तथा सिरमौर द्वारा अध्यापकों को दिए गए प्रशिक्षण में 59 प्रतिशत की कमी थी।

(xi) प्रशिक्षण

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए रणनीतियों में से एक रणनीति प्रशिक्षण था तथा उन्नत अध्यापन के द्वारा अध्यापक सक्षमता तथा अधिगम सक्षमता को बढ़ाने के लिए भी यह अनिवार्य था।

जिला परियोजना अधिकारियों, चम्बा तथा सिरमौर के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1996-2000 के दौरान 53,300 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के प्रति इन दो जिलों में केवल 21,866 (41 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया।

जिला परियोजना अधिकारियों ने बताया (मार्च 2000) कि अध्यापकों के पहले से अन्य गतिविधियों में जुटे होने के कारण ऐसा हुआ था तथा प्रशिक्षण अगले वर्षों में दिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अध्यापकों का प्रशिक्षण लक्ष्यानुसार आयोजित किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार जिला परियोजना अधिकारी अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ नियत किए गए लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे।

यह तथ्य मई 2000 में सरकार को प्रेषित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

उद्योग विभाग

6.7 अनुदान

उद्योग विभाग ने 1995-2000 के दौरान 22.95 करोड़ रूपए के अनुदान हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम (7.28 करोड़ रूपए), हिमाचल प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (6.76 करोड़ रूपए) तथा रेशम-उत्पादन, औद्योगिक विकास स्कीमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभभोगियों (8.91 करोड़ रूपए) को संस्वीकृत किए।

संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए (अप्रैल-मई 2000)

(i) वित्तीय नियमावली में यह अपेक्षित है कि जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर बिल का आहरण किया जाए उसे निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। 1997-99 के दौरान संस्वीकृत किए गए अनुदानों के संदर्भ में 2.06 करोड़ रूपए के अनुदान ग्राही संस्थाओं से प्रतीक्षित नौ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे (मार्च 2000)। तथ्यों की पुष्टि करते हुए उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया (अप्रैल-मई 2000) कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों पर शीघ्र कार्रवाई हेतु आवश्यक पग उठाए जा रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि उपयोगिता प्रमाणपत्र भुगतान की तिथि के उपरांत एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे।

(ii) हिमाचल प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम को किए जाने वाले भुगतान को नियमित करने वाले नियमों में यह व्यवस्था है कि जिस उद्देश्य के लिए राशि संस्वीकृत की गई हो, यदि वह राशि अप्रयुक्त रहती है तो उसे उपयोगिता अवधि की समाप्ति के तीन मास के भीतर सरकार को प्रत्यार्पित करना अपेक्षित है। 1995-99 के दौरान संस्वीकृत किए गए तथा अप्रैल, 2000 तक अप्रयुक्त पड़े 42.20 लाख रूपए का सरकार को प्रत्यर्पण नहीं किया गया जैसाकि अपेक्षित था। संयुक्त निदेशक ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम तथा हिमाचल प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अव्ययित बकाया के कारण सूचित करने के लिए कहा जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि उपयोगिता अवधि की समाप्ति के तीन मास के भीतर अव्ययित राशि प्रत्यार्पित की जानी थी।

(iii) वित्तीय नियमावली में यह व्यवस्था है कि एक बार सहायता अनुदान संस्वीकृत होने पर अनुदानग्राही संस्था को बिल तैयार करना चाहिए तथा इसे प्रतिहस्ताक्षरी प्राधिकारी को हस्ताक्षरार्थ तथा कोषाधिकारी को भुगतानार्थ प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी मामले में संस्वीकृति प्राधिकारी के कार्यालय को अनुदानग्राही की ओर से यह कार्य नहीं करना था। तथापि, विभाग द्वारा स्वयं सभी सहायता अनुदान बिल तैयार किए जा रहे थे तथा कोष से राशि का आहरण किया जा रहा था तथा इसके उपरांत इसे अनुदानग्राही संस्था को निस्तारित किया जा रहा था, जोकि निर्धारित प्रक्रिया के प्रतिकूल था। संयुक्त निदेशक ने बताया कि यह प्रथा काफी लम्बे समय से प्रचलन में थी। संयुक्त निदेशक का विवाद निर्धारित वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था।

(iv) उपयोगिता प्रमाणपत्र के मानक प्रपत्र में यह व्यवस्था है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया गया है, जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी, के लिए नियंत्रणों का प्रयोग तथा उन्हें अभिलिखित किया जाए। तथापि विभाग द्वारा आवश्यक नियंत्रणों का प्रयोग/ को अभिलिखित किए बिना सामान्य पद्धति से उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजे जा रहे थे। संयुक्त निदेशक ने बताया कि सचिवों (उद्योग तथा वित्त) ने बोर्ड आफ गवर्नरों की बैठकों में आवश्यक नियंत्रणों का प्रयोग किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि प्रयुक्त किए गए नियंत्रण उपयोगिता प्रमाणपत्रों में अभिलिखित किए जाने थे, जैसाकि अपेक्षित था।

(v) (क) अनुदान रजिस्ट्रों का निर्धारित प्रपत्रों में अनुक्षण नहीं किया गया था और अनुदानों के प्रयोजन अनुदान की शर्तें, अनुदानग्राही से बिल प्राप्ति की तिथि, शर्तों की स्वीकृति, प्रतिहस्ताक्षरी प्राधिकारी के दिनांकित अल्पाक्षर, लेखाविवरण प्रस्तुत करने की तिथि, जिस तिथि तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना था, उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण तथा अव्ययित बकायों इत्यादि के संदर्भ में ये अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण सूचना से अतिविष्ट नहीं थे। संयुक्त निदेशक ने बताया कि सहायता अनुदान रजिस्टर के खाली रखे गए स्तम्भों को सम्बन्धित बोर्ड/निगम से सूचना प्राप्त होने पर भरा जाएगा। स्पष्टतः रजिस्टर के अनुक्षणार्थ निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

(ख) सरकारी अनुदानों से उपाजित स्थायी तथा अर्धस्थायी परिसम्पत्तियों के परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का न तो अनुक्षण किया गया और न ही स्थायी अभिलेखार्थ संस्वीकृति प्राधिकारी को वार्षिक रूप से कभी इसकी प्रतियां ही प्रस्तुत की गईं, जैसाकि वित्त नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित था। विभाग ने यह देखने के लिए कोई भी पद्धति नहीं निकाली थी कि अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा किन परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया था तथा सहायता अनुदानों में से इस प्रकार सृजित की गई परिसम्पत्तियों को क्या अपेक्षित प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जा रहा था। संयुक्त निदेशक ने बताया (मई 2000) कि अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रों का अनुक्षण किया गया था तथा वार्षिक रूप से इसकी प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी किए जा रहे थे जैसाकि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा परिसम्पत्तियों के स्थायी अभिलेख का अनुक्षण करना अपेक्षित था।

(vi) वित्तीय नियमावली में यह व्यवस्था है कि किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की केवल उतनी राशि का भुगतान करना चाहिए जितनी राशि की वर्ष के दौरान व्यय किए जाने की सम्भावना हो।

मार्च 1996 में हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम को सात बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए 30 लाख रूपए का अनुदान संस्वीकृत किया गया। एक वर्ष के भीतर प्रयुक्त किया जाने वाला अनुदान मार्च 1997 को 10.14 लाख रूपए का अव्ययित बकाया छोड़ते हुए 19.86 लाख रूपए की सीमा तक प्रयोग किया गया। इस प्रकार 1997-98 के दौरान उसी प्रयोजनार्थ और अनुदान संस्वीकृत नहीं किया जाना था। यह पाया गया कि मार्च 1998 में बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु 35.10 लाख रूपए का और अनुदान संस्वीकृत किया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम के पास 1997-98 के दौरान 45.24 लाख रूपए का उपलब्ध अनुदान था। इसमें से हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम मार्च 1999 को 17.74 लाख रूपए का अप्रयुक्त अनुदान छोड़ते हुए 27.50 लाख रूपए प्रयुक्त कर सका जिसका नियमों के अनुसार सरकार को प्रत्यर्पण करना अपेक्षित था। हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम ने इसे प्रत्यर्पित करने की बजाय 7.60 लाख रूपए का अव्ययित बकाया छोड़ते हुए 10.14 लाख रूपए का अनंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम निर्धारित समय में अपेक्षित प्रयोजनार्थ संस्वीकृत अनुदानों का उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा था।

अंतर सचिव (उद्योग) ने स्वीकार किया (मई 2000) कि प्रत्येक स्कीम की अवधि एक वर्ष थी और बताया कि समयबद्ध रीति से संस्वीकृत निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम को अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

मई 2000 में मामला सरकार को भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

युवा सेवाएं तथा क्रीड़ा विभाग

6.8 अनुदान

युवा सेवाएं तथा खेलकूद विभाग ने 1995-2000 में 8.95 करोड़ रूपए के अनुदान राज्य युवा बोर्ड (2.33 करोड़ रूपए), राज्य खेलकूद परिषद (4.19 करोड़ रूपए) को तथा शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डा0वाई0एस0परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय सेवा स्कीम (2.43 करोड़ रूपए) के लिए संस्वीकृत किए।

संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के अभिलेखों की नमूना-जांच (अप्रैल-मई 2000) से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

(i) अनुदान रजिस्ट्रों का निर्धारित प्रपत्रों में अनुस्क्षण नहीं किया गया था और अनुदानों के प्रयोजन अनुदान की शर्त, अनुदानग्राही से बिल प्राप्ति की तिथि, शर्तों की स्वीकृति, प्रतिहस्ताक्षरी प्राधिकारी के दिनांकित अत्याक्षर लेखा विवरण, प्रस्तुत करने की तिथि, जिस तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था, उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण तथा अव्ययित बकायों इत्यादि के संदर्भ में ये अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण सूचना से अंतर्विष्ट नहीं थे। उप निदेशक, युवा सेवाएं तथा खेलकूद विभाग ने बताया (अप्रैल 2000) कि भविष्य में रजिस्ट्रों में छोड़े गए स्तम्भों का अनुस्क्षण किया जाएगा। आवश्यकतानुसार सहायता अनुदान रजिस्ट्रों का अनुस्क्षण न किए जाने के परिणामस्वरूप निर्धारित प्रक्रिया का अपालन किया गया।

(ii)(क) राज्य युवा बोर्ड के सहायता अनुदान नियमों में अनुदान का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करना जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था, की व्यवस्था है। 1998-99 के दौरान राज्य युवा बोर्ड ने सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना सभी प्रकार की नियमित युवा गतिविधियों को चलाने हेतु संस्वीकृत किए गए अनुदान में से 3.30 लाख रूपए की एक अम्बेसेडर कार खरीदी। उप निदेशक, युवा सेवाएं तथा खेलकूद विभाग ने बताया (अप्रैल 2000) कि अध्यक्ष, राज्य युवा बोर्ड, जिसे किसी भी प्रावधान में छूट प्रदान करने का अधिकार है, के पूर्व अनुमोदन से ही कार खरीदी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि सभी मामलों को राज्य युवा बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाने की शर्त के आधार पर अध्यक्ष को आपात मामलों में 0.50 लाख रूपए की अधिकतम सीमा तक व्यय प्राधिकृत करने का अधिकार था।

(ख) 1995-96 के दौरान राज्य खेलकूद परिषद के पक्ष में इसकी नियमित गतिविधियों के लिए संस्वीकृत किए गए 12.69 लाख रूपए में से परिषद द्वारा 2.45 लाख रूपए का भुगतान (फरवरी 1996) भारत की शीत कालीन खेल फ़ेडरेशन को जापान तथा ईरान में शीतकालीन खेलों में भाग लेनेके लिए नौ स्काइअरज़ के विमान-भाड़े पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया गया। यह भुगतान परिषद की नियमित गतिविधियों के अंतर्गत आवृत्त नहीं था। फ़ेडरेशन ने दो स्काइअरज़ के विमान-भाड़े पर 0.55 लाख रूपए व्यय किए तथा बकाया 1.90 लाख रूपए का प्रत्यर्पण नहीं किया

था। उप-निदेशक, युवा सेवाएं तथा खेलकूद विभाग ने बताया (अप्रैल 2000) कि युवा सेवा व क्रीड़ा के उपनिदेशक ने बताया (अप्रैल 2000) कि यह मामला भारतीय शीतकालीन क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष का उत्तर प्राप्त होने पर निर्णीत किया जाएगा। इस प्रकार राज्य क्रीड़ा परिषद के नियमित क्रियाकलापों से 2.45 लाख ₹ का अपवर्तन अनियमित था।

(iii) वित्तीय नियमावली में व्यवस्था है कि अप्रयुक्त अनुदान या तो अभ्यर्पित कर दिए जाने चाहिए या फिर उन्हें आगामी वर्ष के सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जाना चाहिए। यह पाया गया कि 1995-2000 वर्षों में राज्य क्रीड़ा परिषद व राज्य युवा बोर्ड द्वारा विभिन्न क्रीड़ा संघों तथा जिला युवा सेवाओं व क्रीड़ा अधिकारियों से वापस प्राप्त 12.75 लाख ₹ का अव्ययित अनुदान न तो सरकार के पास अभ्यर्पित किया गया था और न इसे आगामी वर्षों के सहायता अनुदान में समायोजित करवाया गया था।

इसी प्रकार 1996-98 वर्षों के दौरान निर्माण क्रियाकलापों के लिए प्राप्त 58.72 लाख ₹ में अप्रयुक्त पड़े थे और इन्हें अप्रैल 2000 तक सरकार के पास अभ्यर्पित नहीं किया गया था। युवा क्रीड़ा सेवा उपनिदेशक ने बताया (मई 2000) कि यह राशि संस्वीकृति वाले प्रयोजनों पर प्रयुक्त होगी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह राशि नियमों के उपबन्धानुसार प्रत्यर्पित की जानी थी।

(iv) भारत सरकार ने मण्डी जिला में तैरने के तालाब के निर्माणार्थ 50.28 लाख रूपए की अनुमानित लागत के प्रति 30 लाख रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता संस्वीकृत की (सितम्बर 1995)। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस सहायता का दावा तथा अधिक से अधिक जनवरी 2000 तक इसका उपयोग किया जाना था तथा समय में और बढ़ोतरी अनुमत नहीं की जानी थी। इसमें से भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत (जनवरी 1998) 15 लाख रूपए राज्य सरकार द्वारा विभाग को निस्तारित किए गए (मार्च 1998)। शेष 15 लाख रूपए भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा प्रगति प्रतिवेदन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के बाद निस्तारित किए जाने थे। तथापि, अप्रैल, 2000 तक कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार भारत सरकार से 15 लाख रूपए का शेष अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी।

उप-निदेशक ने बताया (अप्रैल 2000) कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग जोकि निष्पादक अभिकरण था, से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि समस्त अनुदान का दावा किया जाना तथा अधिक से अधिक जनवरी, 2000 तक इसका उपयोग करना अपेक्षित था।

(v) वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर बिल का आहरण किया गया हो, उसे निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने चाहिए। यह पाया गया कि निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने की बजाय विभाग प्रयुक्त किए गए नियंत्रणों को उन पर अभिलिखित किए बिना उन्हें नित्यचर्या रीति से जारी कर रहा था। उप-निदेशक, युवा सेवाएं तथा खेलकूद विभाग ने बताया (अप्रैल 2000) कि प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र लगभग वैसे ही थे जो वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रयुक्त किए गए नियंत्रणों को अभिलिखित करके उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किए गए।

(vi) सरकारी अनुदानों से उपाजित स्थायी तथा अर्द्धस्थायी परिसम्पत्तियों के परिसम्पति रजिस्ट्रों का न तो अनुक्षण किया गया और न ही स्थायी अभिलेखार्थ संस्वीकृति प्राधिकारी को वार्षिक रूप से कभी इसकी प्रतियां ही प्रस्तुत की गईं जैसाकि वित्त नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित था। विभाग ने यह

देखने के लिये कोई भी पद्धति नहीं निकाली थी। उप-निदेशक, युवा सेवाएं तथा खेलकूद विभाग ने बताया (अप्रैल 2000) कि भविष्य में परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का अनुसूक्षण किया जाएगा।

(vii) वित्तीय नियमावली में संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को यह देखने के लिए कि अनुदानग्राही की वित्तीय स्थिति को मध्यदृष्टि रखते हुए सहायता अनुदान उचित है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्व अनुदान अपेक्षित प्रयोजनार्थ व्यय किया गया; निकाय या संस्था के लेखों का परीक्षित विवरण प्राप्त करना अपेक्षित है। 1995-2000 के दौरान लेखों का विवरण प्राप्त किये बिना राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अंतर्गत शिक्षा विभाग को 1.25 करोड़ रूपए (1997-98 जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, के अतिरिक्त) निस्तारित किए गए जिन्हें अंतिम रूप न दिए जाने का कारण स्टाफ का अभाव बताया गया।

(viii) वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर बिल का आहरण किया गया हो, उसे निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने चाहिए। 1995-99 के दौरान संस्वीकृत किए गए अनुदानों के संदर्भ में फरवरी 1997 तथा मार्च 2000 के मध्य अनुदानग्राही संस्थाओं से प्रतीक्षित 1.19 करोड़ रूपए के 16 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। इन्हें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए।

मई 2000 में मामला सरकार को प्रेषित किया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2000)।

शिमला
दिनांक:

18 JAN 2001

रेवती बेदी

(रेवती बेदी)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित


नई दिल्ली
दिनांक:

25 JAN 2001


विजय शुंगल

(विजय कृष्ण शुंगल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट - I

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1, पृष्ठ.1)

क. सरकारी लेखे

1. संरचना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

2. भाग- I समेकित निधि

भारत सरकार के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के राज्य, ऋण तथा उनकी वसूली से सम्बद्ध सभी प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा होती हैं। सभी सरकारी व्यय इस निधि से वहन होता है और राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना इस निधि से किसी भी राशि का प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता। इसके दो मुख्य भाग अर्थात् राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा ऋण इत्यादि) हैं।

भाग - II आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान 267 (2) के अन्तर्गत सृजित आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय निधि है जिसे अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु राज्य के राज्यपाल के नियंत्रणाधीन रखा गया है और इसे राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत करना अपेक्षित होता है। तदनन्तर ऐसे व्यय के लिए राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और इतनी ही राशि समेकित निधि से अन्तरित करके आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। इस वर्ष विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत इस निधि से पांच करोड़ रु० प्राधिकृत किए गए।

भाग - III लोक लेखा

लघु बचतें, भविष्य निधियां, निक्षेप, आरक्षित निधियां, उचन्त प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि में नहीं आती, उन प्राप्तियां तथा वितरणों को लोक लेखा में लेखाबद्ध किया जाता है तथा इन पर राज्य विधानमण्डल में मतदान नहीं होता।

II. वार्षिक लेखों के फार्म

राज्य सरकार के लेखे में दो खण्डों, अर्थात् वित्त लेख और विनियोजन लेखे में तैयार किए जाते हैं। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में समुचित वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राप्तियां एवं व्यय से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर विनियोजन लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्ययित राशियों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए व्यय का विधानमण्डल से नियमन अपेक्षित होता है।

परिशिष्ट II

(संदर्भ; परिच्छेद 2:3.4 (क); पृष्ठ.37)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत		(करोड़ रूपए)			
1.	3- न्याय प्रशासन	21.04	0.83	20.11	1.76
2.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	84.82	0.40	75.10	10.12
3.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	5.84	0.25	5.26	0.83
	जोड़	111.70	1.48	100.47	12.71

परिशिष्ट III

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.4 (ख); पृष्ठ.37)

वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधानों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान	मूल प्रावधान	व्यय	अतिरिक्त आवश्यकता	अनुपूरक प्रावधान	बचत
राजस्व-दत्तमित						
1.	1-विधान सभा एवं चुनाव	6.98	11.02	4.04	4.84	0.80
2.	2-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	3.80	4.94	1.14	1.58	0.44
3.	5-भू-राजस्व	77.55	78.46	0.91	1.99	1.08
4.	13-भू एवं जल संरक्षण	21.19	21.98	0.79	2.93	2.14
5.	14-पशुपालन तथा डेरी विकास	47.79	49.61	1.82	6.89	5.07
6.	15-आपूर्ति उद्योग तथा खनिज	39.54	67.22	27.68	30.18	2.50
	जोड़	196.85	233.23	36.38	48.41	12.03

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.4 (ग); पृष्ठ.37)

अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान/विनिर्गता	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	कुल प्रावधान के प्रति आधिक्य
(करोड़ रुपए)					
राजस्व-दत्तभत्त					
1.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	613.27	79.35	775.96	83.34
2.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	215.84	7.61	228.50	5.05
3.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	67.81	4.34	80.36	8.21
4.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	185.73	39.44	252.34	27.17
5.	31-जनजातीय विकास	152.21	10.38	176.44	13.85
	जोड़	1234.86	141.12	1513.60	137.62
पूँजीगत-दत्तभत्त					
6.	4-सामान्य प्रशासन	0.24	*	35.79	35.55
7.	17-सड़कें एवं पुल	165.79	5.14	181.53	10.60
8.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	97.19	34.94	138.00	5.87
	जोड़	263.22	40.08	355.32	52.02
	सकल जोड़	1498.08	181.20	1868.92	189.64

केवल 1000 रु०

परिशिष्ट-V

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.5; पृष्ठ.37)

निरन्तर बचत/आधिक्य के ब्यौरे

क्रमांक	अनुदान	1997-98	1998-99	1999-2000
		(बचत/आधिक्य की प्रतिशतता)		
I-बचत				
क-राजस्व दत्तमत				
1.	4-सामान्य प्रशासन	17	18	42
2.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	6	7	12
3.	21-सहकारिता	11	11	12
ख-पूजीगत-दत्तमत				
4.	5-भू-राजस्व	28	44	36
ग-राजस्व-प्रभारित				
5.	3-न्याय प्रशासन	5	10	8
II-आधिक्य				
घ-राजस्व-दत्तमत				
6.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	17	8	12
7.	10-लोक निर्माण	67	82	73
8.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	13	11	11
9.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासीय तथा शहरी विकास	15	22	12
10.	31-जनजातीय विकास	8	6	9
ड. पूजीगत दत्तमत				
11.	17-सड़कें एवं पुल	23	10	6
पूजीगत प्रभारित				
12.	29-वित्त	1395*	969*	1723*

ओवरड्राफ्ट व अर्थोपाय अग्रिम के सम्बन्ध में अदायगियां शामिल होती हैं।

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ.37)

मुख्य कारणों सहित पर्याप्त बचतों का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बचत की राशि (बचत प्रतिशतता में) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
			राजस्व-दत्तमत
1.	2.	3.	4.
1.	1-विधानसभा एवं चुनाव	0.80 (7)	साज-सज्जा के ऊपर कम व्यय, रिक्त पदों का न भरना, कार्यालय सामग्री की कम खरीद, यात्रा भत्तों के दावों की कम प्राप्ति
2.	3-न्याय प्रशासन	1.76 (8)	रिक्त पदों का न भरा जाना, पेट्रोल, तेल स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय
3.	4-सामान्य प्रशासन	107.25 (42)	रिक्त पदों को न भरने, व्यवसायिक व्यक्तियों की तैनाती न करने, दैनिक मजदूर स्टाफ की तैनाती न करने, वाहनों की मरम्मत एवं अनुक्षण पर कम व्यय, मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जों की खरीद न करना, तेल, पेट्रोल एवं स्नेहकों पर कम व्यय, भाड़ा प्रभारों पर कम व्यय, टेलीप्रिंटर बिलों की कम प्राप्ति के कारण।
4.	5-भू-राजस्व	1.08 (1)	रिक्त पदों को न भरने, टेलीफोन बिलों पर कम व्यय, अतिरिक्त महंगाई भत्तों की अदायगी न करने के कारण
5.	6-आबकारी एवं कराधान	0.71 (3)	वर्ष के दौरान रिक्त पदों को न भरने तथा व्यवसायिकों की नियुक्ति न करने, पेट्रोल, तेल व स्नेहकों की कम खरीद और स्टाफ से कम चिकित्सा दावों को प्राप्त करने के कारण।
6.	11-कृषि	4.70 (4)	रिक्त पदों, दैनिक भोगी कर्मियों की कम नियुक्ति तथा मशीनरी की कम खरीद, सैमिनार/प्रशिक्षण कैम्पों के कम आयोजन, कच्चे माल, इत्यादि की कम खरीद के कारण।
7.	13-भू-एवं जल संरक्षण	2.14 (9)	रिक्त पदों को कम भरने, स्टाफ कम भ्रमण तथा सामग्री की कम खरीद, सैमिनारों के कम आयोजन, लाभग्राहियों से सहायता अनुदान की कम मांग, कार्यालय सामग्री के कम क्रय तथा स्टाफ द्वारा कम भ्रमण, इत्यादि करने के कारण।
8.	14-पशुपालन एवं डेरी विकास	5.07 (9)	दैनिक भोगी स्टाफ की कम नियुक्ति, मितव्ययित, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने, किराये दर तथा करों, इत्यादि की कम प्राप्ति के कारण।

1.	2.	3.	4.
9.	16-वन एवं वन्य प्राणी	60.23 (25)	रिक्त पदों को न भरने, नक्शों के बनाने पर खर्च न करने, सरकार द्वारा मितव्ययिता आदेशों के कारण, मंहगाई भत्ते को विमुक्त करने, सामग्री की कम खरीद तथा कम कर्मी लगाए।
10.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	2.49 (4)	रिक्त पदों, मितव्ययी पग उठाने व चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति, औद्योगिक केन्द्र (ग्रामीण) को बन्द करने, लघुस्तर औद्योगिक इकाइयों से उपदान दावों की कम प्राप्ति, वर्दी सामग्री की कम खरीद, कम अस्थाई कर्मियों की नियुक्ति, कम प्रदर्शनियों के आयोजन इत्यादि के कारण।
11.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	10.12 (12)	रिक्त पदों को न भरने, कम दैनिक भोगी स्टॉफ की नियुक्ति, कम से कम बैठकों के करने तथा वर्दियों के कम क्रय, स्वैच्छिक संगठनों से सहायता अनुदान हेतु प्रस्ताव की कम प्राप्ति, किराए, दरों तथा टैक्सों के कम दावों के कारण।
12.	20-ग्रामीण विकास	16.10 (19)	रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति, मितव्ययिता और व्यवसायिक सेवाओं की नियुक्ति न करने के कारण, मानदेय की घटी दरों पर भुगतान करने के कारण
13.	21-सहकारिता	1.44 (12)	उपभोक्ता सहकारिता से उपदान मामलों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने, भ्रमण पर कम व्यय तथा दैनिक कर्मियों की कम नियुक्ति के कारण
14.	22-खाद्य एवं भाण्डागार आवास	8.26 (48)	रिक्त पदों, भ्रमण, मरम्मत, पेट्रोल, तेल व रनेहकों पर कम व्यय, हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अद्यतन दावों के अप्रस्तुतीकरण, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की कम नियुक्ति, अतिरिक्त जिला फोर्म को न खोलने, इत्यादि के कारण।
15.	24-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.50 (5)	लेखन सामग्री तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, नगरपालिका से टैक्सों के बिल प्राप्त न होने, कम दैनिक भोगी स्टॉफ लगाए जाने तथा वर्दियों, रिक्त पदों को न भरने, इत्यादि के कारण।
16.	26-पर्यटन आतिथ्य संगठन	0.82 (13)	सरकार के मितव्ययी आदेशों के कारण, कम दैनिक कर्मियों को लगाए जाने तथा वर्दी के सामान की कम खरीद, उपदान के कम मामलों के कारण।
17.	27-श्रम एवं रोजगार	2.38 (19)	रिक्त पदों, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति, वर्दी के सामान पर कम व्यय, सहायता अनुदान के मामलों को न निपटाये जाने, निर्माण व्यायों के कम निष्पादन तथा दैनिक कर्मियों की कम नियुक्ति, निजी भवनों को किराए पर कम लेने के कारण

1.	2.	3.	4.
पूँजीगत दत्तमत			
18.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	1.97 (18)	मुख्य कार्यों के निष्पादनार्थ संहिता सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण न करने तथा योजना सीमा कटौती के कारण।
19.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.65 (7)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2000)।
20.	10-लोक निर्माण कार्य	1.43 (8)	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2000)।
21.	11-कृषि	1.43 (6)	कम निवेश तथा मशीनरी की कम खरीद के कारण
22.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.58 (11)	प्रत्याशा की तुलना में कार्यों के कम निष्पादन, मितव्ययिता, स्कीमों को देशी से संस्वीकृत करने के कारण।
23.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	2.28 (75)	सरकार द्वारा अनुसूचित जाति विकास निगम में निवेश हेतु संस्वीकृत रोकने के कारण।
24.	21-सहकारिता	2.24 (12)	मछुआरा सहकारिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में कम निवेश के कारण।
25.	22-खाद्य एवं भाण्डागार आवास	16.87 (50)	गेहूं की कम मांग तथा कम उपार्जन, कुछ गोदामों के किराए बिलों को समय पर प्रस्तुत न करने के कारण तथा गोदामों के दैनिक वेतन भोगी चौकीदारों को नियमित न करने तथा कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
26.	23-जल एवं विद्युत विकास	177.94 (98)	124.25 करोड़ ₹ की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए। शेष बचत विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में निवेश हेतु सरकार द्वारा संस्वीकृति रोके जाने के कारण थी।
27.	30-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	2.29 (6)	मोटर कार/स्कूटर अग्रिम के कम मामलों की प्राप्ति के कारण।
28.	31-जनजातीय विकास	5.28 (7)	लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयनार्थ भारत सरकार से संस्वीकृति न होने, स्कीमों के अक्रियान्वयन, आवास ऋणों के कम मामलों की प्राप्ति के कारण।
	जोड़:	443.81	

परिशिष्ट VII

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ.37)

निधियों का अभ्यर्पण

- I. एक करोड़ से अधिक बचत से सम्बन्धित मुख्य विभिन्नताएं जिन्हें पूर्णतया प्रत्यार्पित नहीं किया गया का विवरण

क्रमांक	अनुदान	कुल बचत	प्रत्यार्पित राशि	अप्रत्याशित राशि	प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत					
1.	4-सामान्य प्रशासन	107.25	38.79	68.46	64
2.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	10.12	9.68	0.44	4
3.	20-ग्रामीण विकास	16.10	15.74	0.36	2
जोड़:		133.47	64.21	69.26	
पूजीगत दत्तमत					
4.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.65	--	1.65	100
5.	10-लोक निर्माण	1.43	--	1.43	100
6.	11-कृषि	1.43	0.73	0.70	49
7.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	2.28	1.33	0.95	42
8.	23-जल एवं विद्युत विकास	177.94	53.69	124.25	70
9.	30-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	2.29	1.19	1.10	48
10.	31-जनजाति विकास	5.28	0.48	4.80	91
जोड़:		192.30	57.42	134.88	
सकल जोड़		325.77	121.63	204.14	

II. उपलब्ध बचत से अत्यधिक निधियों से प्रत्यार्पित दर्शाने वाले विवरण

क्रमांक	अनुदान	बचत की राशि	प्रत्यार्पित राशि
		(करोड़ रूपए)	
राजस्व-दत्तमत			
1.	3-न्याय प्रशासन	1.76	1.82
2.	11-कृषि	4.70	6.51
3.	13-भू एवं जल संरक्षण	2.14	2.91
4.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	2.49	2.72
5.	21-सहकारिता	1.44	1.68
जोड़:		12.53	15.64
राज्य-दत्तमत			
6.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.58	5.37
7.	21-सहकारिता	2.24	2.26
जोड़:		6.82	7.63

III. समग्र अत्यधिक व्यय के बावजूद निधियों के प्रत्यार्पण के विवरण

क्रमांक	अनुदान	अत्यधिक व्यय की राशि	प्रत्यार्पित राशि
		(करोड़ रूपए)	
राजस्व-दत्तमत			
1.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.06	0.25
2.	10-लोकनिर्माण	93.51	0.12
3.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	8.21	0.06
4.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आतिथ्य एवं शहरी विकास	27.17	14.89
5.	31-जनजाति विकास	13.85	6.55
जोड़:		147.80	21.87

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ.38)

वसूलियों से मुख्य विभिन्नता

व्यय की कमी के कारण वसूलियों तथा वास्तविक समायोजित राशियों में मुख्य भिन्नताओं का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियाँ	विभिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता
				(करोड़ रूपए)	
1.	10-लोकनिर्माण	94.45	187.03	(+) 92.58	98
2.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	31.79	35.75	(+) 3.96	12
3.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	43.00	79.05	(+) 36.05	84
4.	31-जनजाति विकास	12.22	25.88	(+) 13.66	112
	बजट अनुमानों के प्रति कम वसूलियाँ				
	पूजीगत				
5.	23-खाद्य एवं भाण्डागार	30.18	19.55	(-) 10.63	35

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ.38)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामले

I. अप्रयोज्यता के कारण अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

क्रमिक	अनुदान	लेखांकन इत्यादि का मुख्य/ लघु/उपशीर्ष	उपशीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजन पर उपशीर्षाधीन अन्तिम बचत की राशि
			(लाख रूपए)	
1.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2204-800-02	9.08	9.09
2.	10-लोक निर्माण	4059-01-04 4059-01-05 4059-01-07	2.05 5.60 23.10	22.53 39.38 73.06
3.	11-सिंचाई	2401-108-01 2401-109-02 2401-109-07 2401-800-09	0.19 0.34 0.07 0.12	5.39 1.13 5.25 8.89
4.	13-भू एवं जन संरक्षण	2402-102-01	11.23	49.89
5.	17-सड़कें एवं पुल	5054-80-001-01	6.38	7.25
6.	28-जल, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4216-01-106-01	3.00	117.59
		जोड़	61.16	

II. अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजन जिनके कारण निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत में अन्तिम आधिक्य हुए

क्रमांक	अनुदान	लेखांकन इत्यादि का मुख्य/ लघु/उपशीर्ष	उपशीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजन पर उपशीर्षाधीन अन्तिम बचत की राशि
			(लाख रूपए)	
1.	4-सामान्य प्रशासन	2052-091-01	1.61	4.41
2.	5-भू-राजस्व	3454-02-110-01 2029-102-01	4.45 36.06	4.89 76.75
3.	7-पुलिस एवं सहायक संगठन	2055-108-01	16.71	313.38
4.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2202-01-101-01	197.50	1834.07
5.	11-कृषि	2401-105-02 2401-111-04 2401-113-04 2401-113-05 2401-119-26 2435-01-101-01	47.00 2.52 1.01 2.33 10.96 1.36	77.53 29.92 4.19 34.43 11.99 2.49
6.	13-भू एवं जल संरक्षण	2402-102-15	0.15	1.99
7.	21-सहकारिता	2425-003-01	1.96	2.02
8.	28-जल, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2217-80-001-04	1.79	2.16
9.	29-वित्त	2047-103-02	2.66	96.04
10.	31-जनजाती विकास	2029-796-03 2202-01-796-03 2210-04-796-04 2401-796-02 2406-01-796-06 2505-01-796-03 4215-01-796-01 5054-03--796-01	2.27 92.39 1.50 0.21 7.88 30.00 6.29 9.00	6.10 219.69 28.18 5.92 15.73 57.19 22.88 9.98
		जोड़:	477.61	

परिशिष्ट-X

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ.39)

लोक निधि को अनधिकृत रूप से सरकारी लेखे से बाहर रखने को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	विभाग/कार्यालय	आहरित राशि (लाख रूपए)	उद्देश्य	आहरित वर्ष	अप्रयुक्त राशि (लाख रूपए)	विभाग द्वारा दिए गए कारण
राजस्व विभाग						
1.	उपायुक्त, लाहौल एवं स्पिती, केलंग	15.00	भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	1996-97	14.85	स्टॉफ की नियुक्ति न होने के कारण राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका। रूपया बैंक में पड़ा था।
		60.00	क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत/जीर्णोद्धार	1998-99	38.96	सीमित कार्यकारी मौसम के कारण राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका। रूपया बैंक में रखा हुआ था।
2.	उपायुक्त, बिलासपुर	15.00	भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	1996-97	13.30	राशि का निदेशक भू-राजस्व शिमला से विस्तृत अनुदेश अप्राप्ति के कारण प्रयोग नहीं किया जा सका। राशि बैंक में रखी थी।
ग्रामीण विकास विभाग						
3.	खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर	9.55	विविध विकास कार्यों हेतु	1997-98 1998-99	9.55	राशि का सीमित कार्यकारी मौसम तथा कुशल श्रमिकों की कमी के कारण प्रयोग नहीं किया जा सका। राशि बैंक में रखी हुई थी।
4.	खण्ड विकास अधिकारी, पूह	16.85	विविध विकास कार्यों हेतु	1995-96 1997-98 1998-99	16.85	भूमि की उपलब्धता के कारण 3.65 लाख रु० का उपयोग नहीं किया जा सका। शेष राशि की प्रयोज्यता में विलम्ब के कोई कारण नहीं बताए गए। रूपया बैंक में रखा हुआ था।
पंचायती राज विभाग						
5.	जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी	10.00	जिला परिषद भवन का निर्माण	1998-99	10.00	स्थल पर अन्तिम निर्णय न लिए जाने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। रूपया बैंक में रखा था।
परिवहन विभाग						
6.	परिवहन निदेशक, शिमला	4.93	अर्की में बस अड्डे का निर्माण	1996-97	4.93	स्थल का चुनाव न करने के कारण राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका। राशि मुख्य अभियन्ता, राज्य आवास बोर्ड, शिमला के पास पड़ी थी।
		13.00	ठियोग में बस अड्डे का निर्माण	1994-95	11.50	पशुपालन विभाग द्वारा स्थल को खाली न करने के कारण राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका। रूपया मुख्य अभियन्ता (परियोजना) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड शिमला के पास पड़ा था।
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग						
7.	अधिसारी अभियन्ता मण्डल संख्या-1 कुल्लू	1420.00	भुन्तर और कुल्लू शहरों में सीवरेज स्कीम का निष्पादन	1998-99	1304.00	अधिसारी अभियन्ता ने सारा रूपया 31 मार्च 1999 को निकाल लिया और अन्तिम लेखाशीर्ष में डेबिट करके पोस्ट आफिस बचत लेखा में जमा करा दिया।
संरक्षित निर्माण विभाग						
8.	भू-अर्जन-अधिकारी, कांगड़ा	386.00	भूमि का मुआवजा	1997-99	384.04	भू-अर्जन अधिकारी कांगड़ा को देय 386 लाख रु० में से भू-अर्जन अधिकारी द्वारा मुआवजे के तौर पर केवल 1.96 का ही भुगतान किया गया और 384.04 लाख रु० की शेष राशि नवम्बर 1999 तक विभिन्न बैंकों में अप्रयोज्य पड़ी थी।
	जोड़	1950.33			1807.98	

परिशिष्ट-XI

(संदर्भ परिच्छेद 3.1.9; पृष्ठ.55)

अदालती मामले दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	जिलों के नाम	लिए गए नमूनों की संख्या	मिलावट/ गलत छाप किए गए नमूनों की संख्या	मामलों की संख्या जिनके लिए अभियोजन किया गया	न्यायालय द्वारा निमित्त मामलों की संख्या	दोषी सिद्ध मामलों की संख्या (प्रतिशतता)		दोषमुक्त मामलों की संख्या (प्रतिशतता)		वर्ष के अन्त में लब्धित मामलों की संख्या	अभिणीतो की समग्र सीमा		
						एक वर्ष से कम	एक से तीन वर्षों के मध्य	तीन वर्षों से अधिक					
1995	बिलासपुर	12	6	4	22	9	(41)	13	(59)	52	4	45	3
	मण्डी	--	--	--	11	3	(27)	8	(73)	19	--	17	2
	सोलन	229	37	28	16	3	(19)	13	(81)	106	28	76	2
	योग	241	43	32	49	15		34		177	32	138	7
1996	बिलासपुर	11	6	11	24	15	(63)	9	(37)	39	10	27	2
	मण्डी	78	30	10	11	2	(18)	9	(82)	18	10	6	2
	सोलन	149	28	28	18	6	(33)	12	(67)	116	28	64	24
	योग	238	64	49	53	23		30		173	48	97	28
1997	बिलासपुर	18	8	16	31	21	(68)	10	(32)	24	10	11	3
	मण्डी	106	31	10	3	1	(33)	2	(67)	25	10	13	2
	सोलन	79	7	6	26	9	(35)	17	(65)	96	5	63	28
	योग	203	46	32	60	31		29		145	25	87	33
1998	बिलासपुर	17	9	24	17	15	(88)	2	(12)	31	24	4	3
	मण्डी	66	13	7	7	2	(29)	5	(71)	25	7	16	2
	सोलन	56	6	5	19	2	(11)	17	(89)	79	5	44	30
	योग	139	28	36	43	19		24		135	36	64	35
1999	बिलासपुर	8	1	--	3	1	(34)	2	(66)	28	--	24	4
	मण्डी	58	14	4	10	6	(60)	4	(40)	19	4	13	2
	सोलन	47	10	4	22	3	(14)	19	(86)	67	4	57	6
	योग	113	25	8	35	10		25		114	8	94	12

परिशिष्ट XIII

(संदर्भ परिच्छेद 3.3.6.2; पृष्ठ.89)

प्रशासनिक विभाग को बजट आकलनों प्रस्तुत करने की तिथि तथा वित्त विभाग को आधिक्य/अभ्यर्पण की अन्तिम विवरणी को दर्शाती तालिका

विवरण	प्रस्तुतीकरण की देय तिथि	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि		
		1997-98	1998-99	1999-2000
प्रशासनिक विभाग को बजट आकलन	10 अक्टूबर	18 नवम्बर 1996 एवं 20 फरवरी 1997 के मध्य बैठों में	12 नवम्बर 1997 एवं 28 फरवरी 1998 के मध्य बैठों में	29 अक्टूबर 1998 एवं 9 फरवरी 1999 के मध्य बैठों में
		(39 से 133 दिनों तक)	(33 से 141 दिनों तक)	(19 से 120 दिनों तक)
वित्त विभाग को आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की अन्तिम विवरणी	15 जनवरी	31 मार्च 1998	31 मार्च 1999	21 अप्रैल 2000
		(75 दिन)	(75 दिन)	(98 दिन)

परिशिष्ट-XIII

(संदर्भ परिच्छेद 3.3.6.4; पृष्ठ.90)

1996-2000 वर्षों के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजना स्कीमों के अधीन वित्त वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरे

क्रमांक	स्कीम/उपस्कीम का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक अप्रयुक्त सहायता अनुदान			
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
		(करोड़ रूपए)			
1.	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (राज्य)	2.22	3.03	2.55	1.82
2.	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (केन्द्रीय)	3.04	2.40	2.11	1.21
3.	रोजगार आशवासन स्कीम	13.72	17.50	13.14	7.87
4.(i)	इंदिरा आवास योजना (भवनों का नया निर्माण)	0.91	2.40	3.56	0.09
(ii)	इंदिरा आवास योजना (कच्चे भवनों का पक्के भवनों में उन्नतिकरण)	शून्य	शून्य	शून्य	0.20
5.	गांधी कुटीर योजना	5.28	5.46	10.01	13.37
6.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम/स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	1.83	0.39	0.26	0.87
7.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास	0.50	0.58	0.42	0.42
8.	दशलक्ष कूप स्कीम	0.92	0.44	0.33	0.33
9.	ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का प्रशिक्षण	0.07	(-) 0.02	0.15	0.15
10.	ग्रामीण रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	4.78	2.88	4.51	4.06
11.	उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.21	0.31	0.35	0.35
12.	उन्नत उपकरण किटों की आपूर्ति	0.13	0.05	0.01	0.01
13.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	0.79	0.89	0.95	0.67
	योग:	34.40	36.31	38.35	31.42

परिशिष्ट-XIV

(संदर्भ परिच्छेद 3.3.8; पृष्ठ.92)

निरीक्षणों में गिरावट दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निरीक्षण अधिकारी का पदनाम	कमी की प्रतिशतता	
		निरीक्षण	नमूना-जांच
1.	अधिशासी अभियन्ता	93 से 96	95 से 98
2.	सहायक अभियन्ता	59 से 63	74 से 79
3.	उपायुक्त	77 से 92	लागू नहीं
4.	उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)	70 से 85	लागू नहीं
5.	परियोजना अधिकारी	81 से 92	लागू नहीं

परिशिष्ट-XV

(संदर्भ परिच्छेद 3.20; पृष्ठ.129)

दोहरे/अधिक पेंशन लाभ भुगतानों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(i) मृत्यु एवं सेवा निवृत्त का दोहरा आहरण

क्रमांक	विभाग/आहरण एवं सवितरण अधिकारी	भुगतान की प्रकृति	आहरण का वाक्य एवं महीना	उपमहालेखा कार कार्यालय द्वारा प्राधिकृत राशि	आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा अदा की गई राशि	अधिक भुगतान	वसूली गई राशि	बकाया
(रूपों में)								
शिक्षा								
1.	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, भवारना (जिला कांगड़ा)	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	मार्च 1998 के 1385 एवं 1388 तथा जून 1998 के 1090 एवं 1091	77,682	1,55,364	77,682	77,682	--
2.	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, डाडासीवा (जिला कांगड़ा)	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	दिसम्बर 1997 के 1607 व 1612 तथा जून 1998 के 1451 व 1458	45,375	90,750	45,375	45,375	--
वित्त								
3.	संयुक्त सचिव एवं निदेशक (वित्त) कोष एवं लेखा शिमला	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	--	56,925	1,13,850	56,925	56,925	--
लोक निर्माण								
4.	अधिशाली अभियन्ता (लो0नि0वि0) रोहडू (शिमला जिला)	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	फरवरी 1998 के 329 तथा जून 1998 के 280	7,489	14,978	7,489	--	7,489
		मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	मई 1998 के 181 दिन तथा अगस्त 1998 में 252	13,356	26,712	13,356	--	13,356
		मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	दिसम्बर 1998 के 647 तथा मार्च 1999 के 662	69,037	1,38,074	69,037	--	69,037
5.	अधिशाली अभियन्ता, भवन एवं सड़कें मण्डल, घुमारवीं	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	मई 1999 के 170 व 290	94,611	1,89,222	94,611	94,611	--
सचिवालय प्रशासन								
6.	उपसचिव (सा0प्र0)	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	मार्च 1999 के 55 व मई 1999 के 816	29,884	59,768	29,884	29,884	--
जोड़						3,94,359	3,04,477	89,882

(ii) पेंशन के रूपान्तरण का दुगुना आहरण

कृषि								
1.	उप निदेशक (कृषि) सिरमौर	रूपान्तरण	मार्च 1998 के 669 तथा फरवरी 1998 के 675	29,247	58,494	29,247	--	29,247
पशु पालन								
2.	निदेशक पशुपालन हि०प्र० शिमला	रूपान्तरण	अगस्त 1999 के 185 तथा नवम्बर 1999 के 139	3,69,029	7,38,058	3,69,029	--	3,69,029
शिक्षा								
3.	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी शिमला	रूपान्तरण	जुलाई 1999 के 496 व अगस्त 1999 के 588	63,498	1,26,996	63,498	--	63,498
4.	जिला शिक्षा अधिकारी शिमला	रूपान्तरण	जून 1999 के 192 व जुलाई 1999 के 500	1,87,789	3,75,578	1,87,789	--	1,87,789
5.	खण्ड प्राथमिक अधिकारी हमीरपुर	संशोधित रूपान्तरण	सितम्बर 1998 के 23,24 व 21	2,385	4,770	2,385	2,385	--
खाद्य एवं आपूर्ति								
6.	नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति शिमला	रूपान्तरण	अक्टूबर 1998 के 230	54,110	1,08,220	54,110	--	54,110
जोड़:						7,06,058	2,385	7,03,673

(iii) पेंशन के रूपान्तरण की अधिक अदायगी

शिक्षा								
1.	उप जिला शिक्षा अधिकारी जोगेन्द्रनगर	रूपान्तरण	जून 1999 के 1728	2,35,099	2,52,241	17,142	--	17,142
2.	मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय जमना जिला सिरमौर	रूपान्तरण	फरवरी 1999 के 719	99,945	1,04,910	4,965	4,965	--
3.	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नदीन	रूपान्तरण	फरवरी 1999 के 9	1,92,297	1,99,988	7,691	--	7,691
4.	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, गंगरेट-II ऊना	रूपान्तरण	अप्रैल 1999 के 453 व 464	2,28,823	2,37,907	9,084	9,084	--
5.	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर	रूपान्तरण	फरवरी 1990 के 98	52,970	1,59,965	1,06,995	1,06,995	--
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण								
6.	जिला आर्युवेद अधिकारी सिरमौर	रूपान्तरण	पुरवरी 1999 के 719	1,03,594	1,07,018	3,424	3,424	--
गृह								
7.	आदेशक गृह रक्षा 11वीं वाहिनी, सोलन	रूपान्तरण	फरवरी 1999 के 188	9,664	9,964	300	--	300
कार्मिक								
8.	नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) कार्मिक विभाग	रूपान्तरण	दिसम्बर 1998 के 199	86,430	98,815	12,385	--	12,385
लोक निर्माण								
9.	अधिसासी अभियन्ता लो0नि0वि0 जुबल मण्डल शिमला	रूपान्तरण	फरवरी 1999 के 235	26,252	26,352	100	--	100
10.	अधीक्षक अभियन्ता 11वां वृत्त लो0नि0वि0 रामपुर	रूपान्तरण	फरवरी 1999 के 777	1,06,773	1,09,404	2,631	--	2,631
सचिवालय प्रशासन								
11.	अवर सचिव (स0प्र0)	रूपान्तरण	दिसम्बर 1998 के 199	2,53,049	2,58,896	5,847	--	5,847
तकनीकी शिक्षा								
12.	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी कुल्लू	रूपान्तरण	अक्टूबर 1998 के 176 व 177	54,602	59,864	5,262	5,262	--
13.	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर	रूपान्तरण	जून 1999 के 172	1,95,561	2,09,820	14,259	14,259	--
जोड़						1,90,085	1,43,989	46,096

(iv) अधिक भुगतान (विविध)

कृषि								
1.	अतिरिक्त सचिव (कृषि)	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	मई 1999 के 73	1,79,669	1,79,699	30	--	30
शिक्षा								
2.	खण्ड शिक्षा अधिकारी गगरेट-II ऊना	रूपान्तरण	जुलाई 1998 के 616	3,138	3,168	30	30	--
लोक निर्माण								
3.	अधिसासी अभियन्ता लो0नि0वि0 मण्डल नं0II बिलासपुर	उपदान	अप्रैल 1998 के 7	20,493	20,943	450	450	--
4.	प्रमुख अभियन्ता यूएसक्लब शिमला	रूपान्तरण	सितम्बर 1998 के 1464	58,869	63,200	4,331	4,331	--
सचिवालय प्रशासन								
5.	संयुक्त सचिव (स.प्र.)	रूपान्तरण	फरवरी 1998 के 148	29,121	29,129	8	8	--
परिवहन								
6.	निदेशक (परिवहन) शिमला	रूपान्तरण	अप्रैल 1998 के 498	26,252	28,270	2,018	2,018	--
जोड़:						6,867	6,837	30
सकल जोड़:						12,97,369	4,57,688	8,39,681

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ परिच्छेद 3.21; पृष्ठ.130)

जून 2000 तक बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के वर्षबद्ध विवरण

क्रमांक	अवधि	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		बागवानी	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	मार्च 1993 तक	271	1,170	61	66
2.	1993-94	54	227	17	48
3.	1994-95	25	169	19	25
4.	1995-96	29	57	19	101
5.	1996-97	23	87	12	13
6.	1997-98	5	23	16	85
7.	1998-99	16	102	9	27
8.	1999-2000	20	157	13	104
	जोड़	443	1,992	166	469

परिशिष्ट-XVII

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.6.1(ख); पृष्ठ.137)

अपूर्ण/ठप्प पड़ी स्कीमों के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी

क्र०	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	मास/ वर्ष जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई	अनुमानित लागत (लाख ₹0)	आरम्भ करने की तिथि	पूर्णता की निर्धारित अवधि	कृष्य कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	व्यय (लाख ₹0)	टिप्पणियाँ
1.	ज्वाली	उद्याऊ सिंचाई स्कीम स्पेल	मार्च 1997	43.30	दिसम्बर 1996	चार वर्ष	48.28	26.02	व्यय मुख्यतः विद्युत आपूर्ति, सिविल कार्यों के निष्पादन/मुख्य जलारोहण प्रणाली तथा पम्पिंग मशीनरी के प्रापण पर किया गया। पम्प घर का निर्माण मार्च 1999 के दौरान हाथ में लिया गया तथा प्राईवेट भूमि की संलिप्तता के कारण जून 1999 के दौरान निलम्बित करना पड़ा। मण्डलीय अधिकारी ने बताया दिसम्बर 1999 कि भू अधिग्रहण कागजात तैयार कर लिए गए हैं तथा उपायुक्त से अनुमोदित करवा लिए गए हैं। इन्हें सरकार को धारा-3 के अधीन अधिसूचना जारी करने के लिए भेजा जा रहा है।
2.	रिकांग पिओ	प्रवाह सिंचाई स्कीम बड़ा खम्बा	जून 1981 जनवरी 1985 मार्च 1993	30.64	अप्रैल 1982	दो वर्ष	135.00	23.62	6.600 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से 4.510 किलोमीटर की लम्बाई में 50 खण्डों में चैनल के लिए पतरा कटिंग आंशिक रूप से निष्पादित की गई थी तथा 120 मीटर (आर/डी 3/60 कि०मी० से 3/150कि०मी०) की लम्बाई में दिसम्बर 1997 तक चैनल कटिंग की गई थी। शेष 2.090 कि०मी० की लम्बाई गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को प्रयुक्त करने के लिए अनुमति की प्राप्ति न होने के कारण कार्य नवम्बर 1997 से निलम्बित स्थिति में पड़ा था।
3.	अर्की	उद्याऊ सिंचाई स्कीम कुठाड़	मार्च 1997	44.17	मई 1997	दो वर्ष	30.00	9.42	पम्प घर पूरा कर लिया गया था तथा मुख्य जलारोहण भी आंशिक रूप से स्थापित कर दिया गया था। आगे का कार्य जून 1998 के दौरान निवासियों द्वारा कुठाड़ नदी से पानी को उठाने देने की अनुमति न देने के कारण बंद कर दिया गया था। मामला वरिष्ठ उप न्यायाधीश सोलन के पास लम्बित पड़ा था।
4.	सुन्दरनगर	प्रवाह सिंचाई स्कीम चोलू थाच धिम	फरवरी 1996 फरवरी 1996	4.97 चरण-I 5.08 चरण-II	जनवरी 1997	निर्दिष्ट नहीं	26.94 14.03	7.52	रेखांकन कार्य के आंशिक निष्पादन के पश्चात भूमि विवाद के कारण अक्टूबर 1997 के दौरान कार्य बन्द कर दिया गया। 1996-98 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र सब प्लान के अधीन उपायुक्त से प्राप्त 21.78 लाख ₹0 की निधियों में से 7.52 लाख ₹0 की निधियां प्रयुक्त की गईं तथा शेष 14.26 लाख ₹0 की राशि लोक निर्माण जमा के अधीन अप्रयुक्त पड़ी थी।
जोड़:				128.16			254.25	66.58	

टिप्पणी: क्रम संख्या 2 पर स्कीम शुरू में जून 1981 में 3.84 लाख ₹0 में स्वीकृत की गई थी। इसका संशोधित आकलन जनवरी 1985 में 5.03 लाख ₹0 के लिए स्वीकृत किया गया था तथा मार्च 1993 में पुनः संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.6.4; पृष्ठ.141)

निष्प्रभावी सिंचाई स्कीमों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र०	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	माह/वर्ष जिसमें प्रशासनिक स्वीकृत एवं व्यव स्वीकृत की गई	अनुमानित लागत (लाख रूपए)	कृष्य कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रति-स्थापना की तिथि	निर्माण पर किए गया व्यय	मरम्मत एवं अनुसंधान पर व्यय	साह/वर्ष जब से निष्क्रिय पड़ी है	टिप्पणियां
1.	चौपाल	प्रवाह सिंचाई स्कीम-शीलामूत	मार्च 1991	14.65	46.30	सितम्बर 1991	17.23	0.02	1992	स्कीम का स्रोत 1992 में क्षतिग्रस्त हो गया था तथा स्कीम निष्क्रिय हो गई थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया जून 1999 कि क्षतियों की बहाली के लिए आकलन निर्माणाधीन थे तथा जैसे ही आकलन स्वीकृत किए जाएंगे स्कीम की मरम्मत कर दी जाएगी। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से उठाउद्य सिंचाई स्कीम के निर्माण की व्यवहार्यता की छानबीन करने को कहा गया था।
2.	पांवटा साबह	(i) प्रवाह सिंचाई स्कीम जोरडन कियारी (ii) प्रवाह सिंचाई स्कीम उज्याना	फरवरी 1993 जनवरी 1993	4.45 4.63	23.76 20.18	अक्टूबर 1994 दिसम्बर 1995	5.95 4.08	दिसम्बर 1995 अगस्त 1998	इन स्कीमों की प्रतिस्थापना से किसी भी क्षेत्र की सिंचाई नहीं की गई थी जो बाद में दिसम्बर 1995 तथा अगस्त 1998 में वर्षा एवं भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया अगस्त 1999 कि मांग की अनुपस्थिति में सिंचाई उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी तथा पानी की मांग न होने के कारण स्कीम को कार्यशील नहीं किया गया।
3.	रामपुर	प्रवाह सिंचाई स्कीम मगाड़ा कोटगढ़	मार्च 1990	4.91	94.00	सितम्बर 1996	18.56	1.04	सितम्बर 1996	कूहल के विभिन्न आर/डी पर वर्षा क्षति के कारण स्कीम निष्क्रिय हो गई जिसे अभी पुन स्थापित किया जाना था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया दिसम्बर 1999 कि वर्षा क्षतियों के पुन-बहाली के लिए आकलन के लिए आकलन तैयार किए जा रहे थे तथा कूहल की बहाली आकलन की स्वीकृति तथा निधियों के आवंटन के पश्चात् की जाएगी।
4.	सतलुणी	(i) उठाऊ सिंचाई स्कीम कियानी (ii) उठाऊ सिंचाई स्कीम राजनगर	जुलाई 1990 जकनीकी संस्वीकृति मार्च 1979	18.69 6.26	53.87 102.02	मार्च 1992 जुलाई 1985	15.76 14.23	1.07 1.48	जुलाई 1993	जून 1993 तक इन सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता की उपयोगिता सम्बन्धी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त चमेरा परियोजना चरण प्रथम की कृत्रिम झील के निर्माण से जुलाई 1993 के दौरान दोनों स्कीमों निष्क्रिय हो गई क्योंकि झील में पाली के उच्चावचन के कारण उनकी पम्पिंग मशीनरी क्रियाशील नहीं थी। मण्डलीय अधिकारी ने बताया अगस्त 1999 कि जुलाई 1993 से पहले इन स्कीमों के तहत कृषकों ने कोई भी सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं की। इसके अतिरिक्त इन स्कीमों के पुनस्थापन के लिए निधियां प्राप्त करने के लिए मामला परियोजना प्राधिकारियों के साथ पत्राचाराधीन था।

2000 का प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल)

क्र०	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	माह/वर्ष जिसमें प्रशासनिक स्वीकृत एवं व्यय स्वीकृत की गई	अनुमानित लागत लाख रूपए	कृष्य कमाण्ड क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिस्थापन की तिथि	निर्माण पर किए गया व्यय	भरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय	माह/वर्ष जब से निष्कीय पड़ी है	टिप्पणियां
5.	ऊना-II	अमलेहर में नलकूप	फरवरी 1991 मार्च 1994	22.01 (4 नलकूप) 12.03 (2 नलकूप)	30.00	नवम्बर 1995	15.38	...	नवम्बर 1995	नलकूप ने जनवरी 1997 से डूबना शुरू कर दिया। इसकी प्रतिस्थापना से ही कोई भी सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई तथा नलकूप निष्कार्य हालत में पड़ा था। अधीक्षण अभियन्ता जनवरी 1998 द्वारा निवारक उपायों के लिए गठित कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। मामला केन्द्रीय भू जल बोर्ड कांगड़ा के साथ भी उठाया गया अगस्त 1998 लेकिन कोई भी निवारक उपाए सुझाए नहीं गए।
6.	ऊना-II	अम्बोआ में नलकूप	फरवरी 1991 (ड्रिलिंग) मार्च 1994 (सिविल कार्य)	5.50 29.39 (3 नलकूपों के लिए)	30.00	अप्रैल 1997	11.94	...	अप्रैल 1997	नलकूप के प्रतिस्थापना के बाद कार्य नहीं किया क्योंकि रेत एवं कीचड़ अवयव इसमें आने शुरू हो गए थे तथा कालम समूह घसना शुरू हो गया था। प्रतिस्थापन की तिथय से किसी भी क्षेत्र की सिंचाई नहीं की गई थी। निवारक उपायों के सुझावों के लिए एक कमेटी का गठन भी जनवरी 1998 अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया गया था लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित थी। मामला केन्द्रीय भूजल बोर्ड कांगड़ा के साथ भी उठाया गया अगस्त 1998 था लेकिन अभी तक फरवरी 2000 कोई भी निवारक उपाए नहीं सुझाए गए। कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
			जोड़		400.13		103.13	3.61		

परिशिष्ट XIX

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.7.1; पृष्ठ.142)

सिंचाई संभाव्य की अप्रयुक्ति दर्शाने वाली विवरणी

क्र०	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	माह/वर्ष जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दी गई	अनुमानित लागत (लाख ₹0)	आरम्भ करने की तिथि	कृष्य कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रतिस्थापन की तिथि	निर्माण पर किया गया व्यय (लाख ₹0)	मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय (लाख ₹0)	टिप्पणियां
1.	चम्बा	(i) लम्बू गांव के लिए छिड़काव सिंचाई स्कीम	दिसम्बर 1998	14.32	मई 1989	37.95	मार्च 1993	22.85	0.02	प्रतिस्थापन से लेकर कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं की गई। मण्डलीय अधिकारी ने बताया अगस्त 1999 कि लाभार्थियों की तरफ से पानी की कोई मांग नहीं थी तथा इसलिए कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई।
		(ii) सितर गांव के लिए प्रवाह सिंचाई स्कीम	अक्तूबर 1988	18.92	1988-99	65.18	1991-92	21.84	0.39	
		(iii) छिड़काव सिंचाई स्कीम, छनौटा	फरवरी 1998 जुलाई 1980	12.36 संशोधित	मार्च 1988	29.25	मार्च 1992	19.35	1.10	
2.	घुमारवीं	उठाऊ सिंचाई स्कीम बारड उपरला हार	मार्च 1980	3.29	1986-87	44.00	मार्च 1998	24.06	4.01	यह देखा गया कि स्कीम मार्च 1998 में प्रतिस्थापित की गई थी लेकिन किसी क्षेत्र की भी सिंचाई नहीं की गई थी। अप्रयुक्ति के लिए मण्डलीय अधिकारी ने बताया जुलाई 1999 (i) किसानों द्वारा फसल व्यवस्था का न बदलना (ii) पक्का खेतों के चैनलों का निर्माण न करना तथा आबंटन व्यवस्था का पूर्ण न किया जाना।
3.	हमीरपुर	प्रवाह सिंचाई स्कीम बाथू	जनवरी 1996	4.45	अप्रैल 1995	18.40	मार्च 1997	5.38	...	स्कीम की प्रतिस्थापना से ही कोई भी सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अधिशारी अभियन्ता ने बताया फरवरी 2000 कि लाभार्थियों के भूमि को सिंचाई के लिए विकसित न करने के कारण कारण सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
4.	पद्मर	उठाऊ सिंचाई स्कीम बल्ह बिलल धार	अगस्त 1990	3.26	नवम्बर 1990	838	जनवरी 1995	10.00	1.50	स्कीम सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए मुश्किल से प्रयुक्त की गई थी क्योंकि इस पर संस्थापित मशीनरी सिंचाई के प्रयोजनार्थ अपेक्षित 13872 परिचालन घंटों के प्रति जनवरी 1995 तथा मई 1997 के मध्य 132 घंटे परिचालित की गई थी जो कुल परिचालन घंटों के एक प्रतिशत से भी कम होने के नाते नगण्य थी। पर्याप्त मांग के अभाव के मई 1997 के उपरान्त स्कीम का प्रचलन निलम्बित कर दिया गया था।
5.	सरकाघाट	उठाऊ सिंचाई स्कीम, हरी मोहित बेहना	जनवरी 1980	4.96	...	91.90	जून 1995	25.96	1.26	मण्डलीय अधिकारी ने बताया फरवरी 2000 कि सिंचाई क्षमता की उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था क्योंकि किसान आधुनिक फसल व्यवस्था की ओर परिवर्तित नहीं हो रहे थे।
			जोड़			295.76		129.44	8.28	

टिप्पणी: क्रम संख्या 1 (iii) पर स्कीम के लिए फरवरी 1988 में 9.64 लाख ₹0 के लिए दिया गया प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 1989 में 12.36 लाख ₹0 के लिए संशोधित किया गया।

परिशिष्ट-XX

(संदर्भ परिच्छेद 6.2 (सी); पृष्ठ.192)

उन निकायों व प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए

क्रमांक	विभाग एवं निकाय/प्राधिकारी	वर्ष जिसमें लेखे प्रतीक्षित थे	1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि (करोड़ रुपए)
ग्रामीण विकास			
1.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिमला	1999-2000	2.45
2.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोलन	1999-2000	1.70
3.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नाहन	1999-2000	1.39
4.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर	1999-2000	1.31
5.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मण्डी	1999-2000	2.29
6.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हमीरपुर	1999-2000	1.17
7.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कांगड़ा	1998-99 से 1999-2000	3.13
8.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू	1999-2000	1.05
9.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना	1998-99 से 1999-2000	1.51
10.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चम्बा	1999-2000	2.45
11.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, केलांग	1999-2000	0.22
12.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किन्नौर	1998-99 से 1999-2000	0.48
भाषा, कला एवं संस्कृति			
13.	भाषा, कला एवं संस्कृति परिषद, शिमला	1998-99 से 1999-2000	0.55
समाज एवं महिला कल्याण			
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य शिशु कल्याण परिषद, शिमला	1998-99 से 1999-2000	1.38
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, शिमला	1997-98 से 1999-2000	1.59
16.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम, सोलन	1998-99 से 1999-2000	1.80
कृषि			
17.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	1996-97 से 1999-2000	18.43
18.	हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाणन अभिकरण, शिमला	1998-99 से 1999-2000	0.28
वन कृषि एवं संरक्षण			
19.	इण्डो जर्मन चंगर प्रोजेक्ट, पालमपुर	1999-2000	उ0न0
बागवानी			
20.	डॉ0 वाई0एस0 परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	1998-99 से 1999-2000	14.70

क्रमांक	विभाग एवं निकाय/प्राधिकारी	वर्ष जिसमें लेखे प्रतीक्षित थे	1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि (करोड़ रूपए)
	सहकारिता		
21.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता, विपणन एवं उपभोक्ता संघ, शिमला	1998-99 से 1999-2000	12.42* 0.09*
22.	हिमाचल प्रदेश सहकारिता संघ, शिमला	1998-99 से 1999-2000	1.84
	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण		
23.	हिम ऊर्जा	1997-98 से 1999-2000	3.54
24.	हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण रोकथाम बोर्ड, शिमला	1995-96 से 1999-2000	उ0न0
25.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद, शिमला	1999-2000	0.88
	शहरी एवं ग्रामीण योजना		
26.	हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला	1997-98 से 1999-2000	0.59
	आवास		
27.	हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला	1998-99 से 1999-2000	उ0न0
	पशुपालन		
28.	हिमाचल प्रदेश दुग्ध सहकारिता संघ, शिमला	1997-98 से 1999-2000	4.77
	निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल		
29.	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद, शिमला	1997-98 से 1999-2000	0.55
30.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम, शिमला	1998-99 से 1999-2000	0.26
31.	हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड, शिमला	1999-2000	0.65
	शिक्षा		
32.	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला	1999-2000	0.26
33.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1997-98 से 1999-2000	17.04
34.	सेण्ट बीड्स कॉलेज, शिमला	1998-99 से 1999-2000	0.84
35.	एसवीएस कॉलेज, बटोली	1998-99 से 1999-2000	1.01
36.	डीएवी कॉलेज, कांगड़ा	1998-99 से 1999-2000	0.95
37.	एमएलएसएम कॉलेज, सुन्दरनगर	1997-98 से 1999-2000	0.90
38.	जीजीडीएसडी कॉलेज, बैजनाथ	1997-98 से 1999-2000	1.05
39.	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला	1999-2000	0.27 0.05#
40.	राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन	1999-2000	0.52
41.	डीएवी कॉलेज, दौलतपुर चौक	1999-2000	0.28

- * ऋण
* उपदान
ऋण

2000 का प्रतिवेदन संख्या 2 (सिविल)

क्रमांक	विभाग एवं निकाय/प्राधिकारी	वर्ष जिसमें लेख प्रतीक्षित थे	1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि (करोड़ रुपये)
42.	एमएससीएम कॉलेज, थुरल	1999-2000	0.28
43.	डीएवी कॉलेज, कोटखाई	1999-2000	0.27
शहरी विकास			
44.	नगर निगम, शिमला	1998-99 से 1999-2000	4.38
45.	नगर समिति, धर्मशाला	1998-99 से 1999-2000	0.69
46.	नगर समिति, सोलन	1998-99 से 1999-2000	0.86
47.	नगर समिति, चम्बा	1998-99 से 1999-2000	0.68
48.	नगर समिति, कुल्लू	1998-99 से 1999-2000	0.57
49.	नगर समिति, मण्डी	1998-99 से 1999-2000	0.92
50.	नगर समिति, सुन्दरनगर	1998-99 से 1999-2000	0.80
51.	नगर समिति, नाहन	1998-99 से 1999-2000	0.87
52.	नगर समिति, नालागढ़	1998-99 से 1999-2000	0.30
53.	नगर समिति, पांवटा साहब	1998-99 से 1999-2000	0.52
54.	नगर समिति, बिलासपुर	1998-99 से 1999-2000	0.42
55.	नगर समिति, ऊना	1998-99 से 1999-2000	0.48
56.	नगर समिति, हमीरपुर	1998-99 से 1999-2000	0.50
57.	नगर समिति, कांगड़ा	1998-99 से 1999-2000	0.36
58.	नगर समिति, नुरपुर	1998-99 से 1999-2000	0.32
59.	नगर समिति, डलहौजी	1998-99 से 1999-2000	0.34
60.	नगर पंचायत, मैहतपुर	1998-99 से 1999-2000	0.25
61.	नगर पंचायत, संतोखगढ़	1998-99 से 1999-2000	0.27
जोड़			120.72